



भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

**सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष

**हरियाणा सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1**

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राककथन		v
ओवरव्यू		vii
अध्याय - 1		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर	1.6	4
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	1.9	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.10	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण	1.11	6
अध्याय - 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग		
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन	2.1	7
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग		
पंडित भगवत् दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन	2.2	25
स्कूल शिक्षा विभाग		
बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	2.3	41
अध्याय - 3		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पर्यावरण विभाग		
(हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	3.1	55
पर्यावरण मंजूरी तथा मंजूरी के पश्चात् मॉनीटरिंग		
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग		
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	3.2	61
गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग		
पुलिस कंट्रोल स्म के उन्नयन के लिए परियोजना का कार्यान्वयन न करना	3.3	67

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग वृद्धि भूमि क्षतिपूर्ति जमा करवाने में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.4	69
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से उन्नयन	3.5	71
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग अपूर्ण सिंचाई स्कीम	3.6	77
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग निवेश प्रोत्साहक स्कीमें	3.7	78
श्रम विभाग कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब	3.8	84
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सेवा कर का परिहार्य भुगतान	3.9	85
निर्माण कार्यों के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण अतिरिक्त व्यय	3.10	86
बोलियों का गलत मूल्यांकन	3.11	87
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन	3.12	89
एजेंसियों को अधिक भुगतान	3.13	94
अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	3.14	95
जन - स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग अपूर्ण सीवरेज स्कीम	3.15	97
निष्फल व्यय	3.16	98
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग सरकारी खाते में ब्याज राशि का जमा न होना	3.17	99
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	3.18	101
भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि तथा वार्षिक ग्राउंड किराए की अवसूली		
महिला एवं बाल विकास विभाग निराश्रय महिलाओं तथा बच्चों के लिए आश्रय / केन्द्र	3.19	103
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	3.20	108

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण	1.8	117
1.2	31 अक्टूबर 2016 को वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए लोक लेखा समिति में चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची	1.9	118
1.3	वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 अक्टूबर 2016 को प्रतीक्षित थी, के विवरण	1.9	120
1.4	अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.9	122
1.5	31 अगस्त 2016 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है	1.9	123
1.6	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.10	124
2.1	उत्पादन एवं मंडियों में मुख्य फसलों के उत्पाद का आगमन	2.1.7.2	127
2.2	2011-16 के दौरान सावधि जमाओं में सरप्लस निधियों का निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि के विवरण	2.1.7.4	128
2.3	वसूल न किए गए गोदाम किराए के विवरण	2.1.7.5	129
2.4	2011-16 की अवधि हेतु जल एवं सीकरेज प्रभारों की अवसूली के विवरण	2.1.7.5	130
2.5	शॉप/बूथ प्लॉटों की शेष राशि की अवसूली के विवरण	2.1.7.5	131
2.6	वृद्धि भूमि क्षतिपूर्ति की अवसूली के विवरण	2.1.7.5	132
2.7	मंडियों में प्रदान न की गई मूलभूत संरचना सुविधाओं के विवरण	2.1.8.1	133
2.8	कृषि उत्पाद से असंबद्ध व्यापार गतिविधियों के विवरण	2.1.8.2	135
2.9	शॉपस/बूथों में बेसमेंट तथा बूथों पर ऊपरी मंजिल के अनियमित निर्माण के विवरण	2.1.8.4	138
2.10	मंडी भूमि पर अतिक्रमण के विवरण	2.1.8.6	139
2.11	बोर्ड की स्टॉफ की स्थिति के विवरण	2.1.11.1	140
2.12	आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने की आवृत्ति दर्शाने वाले विवरण	2.1.12	141
2.13	2011-16 के दौरान एनफोर्मेंट स्टॉफ द्वारा औचक निरीक्षणों के विवरण	2.1.12	142

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.14	पुरानी दरों पर हास्टल फीस के संग्रहण के कारण वित्तीय हानि दर्शाने वाले विवरण	2.2.7.4	143
2.15	विभिन्न विभागों में मशीनरी एवं उपकरण की कमी दर्शाने वाले विवरण	2.2.8.1	144
2.16	कार्डियक सर्जरी विभाग में अपेक्षित, उपलब्ध तथा कम मशीनरी एवं उपकरण के विवरण	परिशिष्ट 2.15	147
2.17	न्यूरो सर्जरी विभाग में अपेक्षित किंतु खरीदी न गई मशीनरी एवं उपकरण के विवरण	परिशिष्ट 2.15	148
2.18	यूरोलोजी विभाग में खराब मशीनरी एवं उपकरण के विवरण	परिशिष्ट 2.15	149
2.19	स्वीकार्य सीमा से परे बहिःसाव की विद्यमानता दर्शाने वाली विवरणी	2.2.8.3 (iii)	150
2.20	विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की संख्या, एच-इडैक्स की रेंज तथा संचित एच-इडैक्स दर्शाने वाले विवरण	2.2.10.1	151
2.21	विभिन्न संवर्गों में संस्वीकृत संख्या तथा वास्तविक संख्या के विवरण	2.2.11.1	152
2.22	परिषद् को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी करने में विलंब के विवरण	2.3.7.2	153
2.23	तीन जिलों में नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों, नामांकन किए गए बच्चों तथा नामांकन न किए गए बच्चों के विवरण	2.3.8.1	154
3.1	छात्रों की पास प्रतिशतता के विवरण	3.5.3.4	155
3.2	सेवा प्रदाता को प्रदत्त अधिक राशि के विवरण	3.11	158
3.3	विभाग द्वारा पूर्ण दर्शाए गए अपूर्ण कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.12.3.1	160
3.4	एजेंसियों को किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	3.13	161

प्राक्कथन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों तथा स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2015-16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं अर्थात् (i) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन; (ii) पड़ित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन तथा (iii) बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अधिक, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान तथा नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित ₹ 747.16 करोड़ से आवेष्टित 20 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

2011-16 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 38,014 करोड़ से 109 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,394 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 32,015 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया जबकि 2011-16 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 5,372 करोड़ से 29 प्रतिशत बढ़कर ₹ 6,908 करोड़ हो गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

1. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन

कृषि उत्पाद के क्रय, विक्रय, भंडारण तथा प्रोसेसिंग के बेहतर विनियमन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना अगस्त 1969 में की गई। बोर्ड के कार्यचालन की 2011-16 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं एवं स्कीमों के वित्तीय प्रबंध एवं निष्पादन दोनों में दीर्घावधि आयोजना की कमी तथा त्रुटियां प्रकट की जिसने बोर्ड के समग्र लक्ष्यों का अवमूल्यांकन कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

अधिशेष निधियां सावधि जमाओं में रखने की बजाए बचत बैंक खातों में रखे गए थे परिणामतः ₹ 6 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ऋण पर ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों, दुकान/बूथ स्थलों/भूमि की लागत तथा वृद्धि भूमि क्षतिपूर्ति के कारण ₹ 126.44 करोड़ की राशि बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.4 तथा 2.1.7.5)

38 मार्केट कमेटियों में मूलभत संरचना सुविधाएं जैसे चारदीवारी, एंट्री प्वाइंट पर धर्मकांटा, चैकपोस्ट, कैंटीन तथा डोरमिटरी प्रदान नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

अयोग्य लाइसेंसधारियों को आरक्षण मूल्य पर प्लॉट आवंटित किए गए थे परिणामतः ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

दुकानों/बूथों पर बेसमेंट/ऊपर की मंजिल के अनियमित निर्माण के लिए ₹ 2.39 करोड़ की पेनलटी नहीं लगाई गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कृषीय नवीनता तथा अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने के लक्ष्य वाली तीन स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई यद्यपि निधियां उपलब्ध थीं।

(अनुच्छेद 2.1.10)

2. पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक राज्य का एक मुख्य चिकित्सा संस्थान है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान प्रदान करना था। 2011-16 की अवधि के दौरान संस्थान की कार्यवाही पर निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जिसने इसकी राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के इसके संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने की योग्यता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

मास्टर योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए थे तथा मूल्यांकन का आकलन नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.2.6.)

खरीद में देरी तथा अप्रचलित उपकरण से राज्य में चिकित्सा सेवाओं की प्रदानगी तथा शैक्षिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुईं।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

₹ 56.59 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर, सभागार तथा जननी एवं शिशु देवभाल अस्पताल, चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर के न खरीदने के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके।

(अनुच्छेद 2.2.8.3 (v))

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा जलने से घाव की रोकथाम हेतु पायलट कार्यक्रम को धीमी गति से लागू करने से मरीजों को स्कीमों के लाभ पहुंचाने में देरी हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

3. बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में पारित किया गया था तथा अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अधिनियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक तथा उचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2010-16 की अवधि के दौरान अधिनियम के लागू होने बारे निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जो कि अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति को कम करता है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

नमूना - जांच किए गए स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की पहचान हेतु घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः, बच्चों की संख्या की परिगणना, जोकि आवृत की जानी थी, केवल आकलन पर आधारित थी।

(अनुच्छेद 2.3.6.1)

नमूना - जांच किए गए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कमरे, पीने का पानी, रसोई घर शैड, शौचालय, डैस्क, पुस्तकालय तथा खेल का मैदान प्रदान करने में कमियां थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.2)

विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री तथा बस्ते प्रदान करने में देरी थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.4 (i))

अधिनियम के उल्लंघन में 2011-16 के दौरान राज्य में 514 से 821 गैर-मान्यताप्राप्त स्कूल कार्यरत थे।

(अनुच्छेद 2.3.8.7)

निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यचालन तथा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा ने बोर्ड से स्थापना हेतु अनिवार्य सहमति तथा परिचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना परियोजनाओं के परिचालन, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शर्तों, जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शौर तथा भूमि जल के परीक्षण करने शामिल हैं, की अनुपालना न करने तथा पर्यावरणीय निर्धारणों की भॉनीटरिंग तथा प्रवर्तन की कमी के उदाहरण, जिसने पर्यावरणीय नियंत्रणों के लक्ष्य को दुर्बल बना दिया, प्रकट किए।

(अनुच्छेद 3.1)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा ने प्रकट किया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संस्थाओं को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया और न ही खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस अनुरक्षित किया। खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अननुपालना स्वास्थ्य बाधाएं दर्शाती हैं क्योंकि खाद्य की गुणवत्ता आश्वासित नहीं की जाती।

(अनुच्छेद 3.2)

वृद्धित क्षतिपूर्ति के लिए प्रोसेसिंग तथा मामले को अनुसरित करने में भूमि अधिग्रहण कलैक्टर तथा पुलिस विभाग की ओर से अदेय विलंबों के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने में विफल रहा। फैकल्टी की कमी, व्यापारों के अपरिचालन और कौशल विकास की कमी के कारण खराब शैक्षिक उपलब्धि के मामले थे। इसके अतिरिक्त, एफिलिएशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे और सफलता प्रतिशतता कम थी।

(अनुच्छेद 3.5)

अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ नाजुक गतिविधियों की अपूर्णता का परिणाम न केवल एक लिफट सिंचाई स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब में हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से भी वंचित रखा। स्कीम पर किया गया ₹ 7.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.6)

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहक स्कीमों का कार्यान्वयन अयोग्य मर्दों के लिए ₹ 1.32 करोड़ का अनुदान, ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली और ₹ 14.76 लाख के सहायता अनुदान की अवसूली द्वारा चिन्हित है। विभाग ने दस वर्षों में केवल पांच औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र और ठेकेदारी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 3.7)

स्थल का भौतिक स्वामित्व लेने में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड की विफलता के कारण कुंडली और राई में कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब और ₹ 10.44 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 1.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.8)

चार मेडिकल संस्थानों ने भारत सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान होने के कारण छूट दी गई सेवाओं पर सेवा कर के ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.9)

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज द्वारा एजेंसी के विश्वसनीयता और कार्य अनुभव सुनिश्चित किए बिना और शेष कार्य चूककर्ता एजेंसी के जोखिम और ब्याज पर करवाए बिना, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था, ₹ 8.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्रा का सत्यापन किए बिना तथा आंतरिक नियंत्रण जांच के अभाव संबंद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के समन्वय से बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत परिणामना से परिणामतः दस एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.13)

परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण कार्य तथा तालाब तथा ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के स्राव के कारण क्षेत्र में निवासियों का अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरों का सामना हुआ।

(अनुच्छेद 3.15)

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित जांच बिंदुओं की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप लोहे की पाइपों की चोरी तथा चोरी की गई सामग्री के कारण ₹ 1.19 करोड़ की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.16)

हरियाणा राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् ने कोडल प्रावधानों तथा वित्तीय स्वामित्व के उल्लंघन में साईंस सिटी की स्थापना के लिए मौलिक आवश्यकताएं सुनिश्चित किए बिना ₹ 14.66 करोड़ आहरित किए। तथापि, परिषद द्वारा ₹ 10.37 करोड़ राशि के अर्जित ब्याज सरकारी खाते में अभी तक जमा नहीं करवाए गए।

(अनुच्छेद 3.17)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा विनियमों के अनुसार भूमि की कीमत में अर्जित न की गई वृद्धि का निर्धारण किए बिना ही भूमि को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप ₹ 417.15 करोड़ जमा नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.07 करोड़ का वार्षिक ग्राउंड किराया तथा ₹ 2.70 करोड़ का ब्याज वसूल किए बिना रहा।

(अनुच्छेद 3.18)

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ‘विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं हेतु गृह’ स्कीम के कार्यान्वयन में कमियां थीं जैसा कि भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत न करना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा की कमी आदि से स्पष्ट है। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में प्रवेश बंद कर दिया गया है तथा 18 जिलों में कोई नया गृह नहीं बनाया गया है। विभाग ने अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.50 करोड़ तथा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता पर केवल ₹ 0.95 करोड़ रखर्च किए। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही निरंतरता में कमी थी।

(अनुच्छेद 3.19)

जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्रॉप-आउट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुनः नामांकन के ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैक्नीक एकट के कार्यान्वयन को मजबूत किए जाने की जरूरत थी।

(अनुच्छेद 3.20)

अध्याय १

प्रस्तावना

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

हरियाणा सरकार के अंतर्गत 56 विभाग तथा 29 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं। वर्ष 2011-16 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2011-16 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	10,684	10,220	12,331	11,897	14,481	13,597	16,639	16,765	19,668	18,713
सामाजिक सेवाएं	13,969	12,642	15,935	14,516	18,563	15,414	21,498	19,120	25,015	21,539
आर्थिक सेवाएं	9,923	9,054	11,348	11,557	13,000	12,740	14,372	13,088	16,549	18,691
सहायता अनुदान एवं अंशदान	103	99	170	102	179	136	194	145	213	293
कुल (1)	34,679	32,015	39,784	38,072	46,223	41,887	52,703	49,118	61,445	59,236
पूंजीगत परिव्यय	4,641	5,372	4,661	5,762	5,766	3,935	5,747	3,716	5,904	6,908
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	957	627	874	522	1,084	776	1,001	843	1,367	13,250
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6,666	4,037	9,221	5,951	13,105	7,968	13,850	8,227	10,036	7,215
आकस्मिक निधि	-	168	-	-	-	-	-	-	-	63
लोक लेखा संवितरण	73,595	17,051	75,894	21,074	94,863	24,560	52,478	25,609	84,833	28,650
अंतिम नकद शेष	-	2,162	-	2,697	-	6,007	-	6,508	-	6,218
कुल (2)	85,859	29,417	90,650	36,006	1,14,818	43,246	73,076	44,903	1,02,140	62,304
कुल योग (1+2)	120,538	61,432	130,434	74,078	1,61,041	85,132	1,25,779	94,021	1,63,585	1,21,540

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2015-16 के दौरान ₹ 1,63,585 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरुद्ध ₹ 1,21,540 करोड़ का वास्तविक व्यय था। राज्य का कुल व्यय¹ 2011-16 के दौरान ₹ 38,014 करोड़ से 109 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,394 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान ₹ 32,015 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर ₹ 59,236 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 24,223 करोड़ से 68 प्रतिशत बढ़कर ₹ 40,675 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 75 से 92 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय सात से 14 प्रतिशत था।

¹ इसमें लोक ऋण के पुनर्भुगतान, आकस्मिक निधि, लोक लेखा संवितरण तथा अंतिम नकद शेष शामिल नहीं हैं।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय 20 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 13 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 11 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थीं जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं जैसा नीचे तालिका 1.2 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.2: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व (दर्तमत)						
1.	09 - शिक्षा	882.37 (13)	1,591.65 (19)	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)
2.	10 - तकनीकी शिक्षा	143.48 (36)	68.22 (19)	78.68 (21)	137.08 (28)	93.47 (20)
3.	11 - खेल एवं युवा कल्याण	30.95 (27)	19.25 (13)	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)
4.	13 - स्वास्थ्य	222.05 (16)	253.27 (14)	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)
5.	14 - शहरी विकास	30.68 (36)	41.48 (15)	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)
6.	15 - स्थानीय शासन	587.83 (39)	379.76 (22)	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)
7.	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	122.78 (58)	107.83 (52)	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)
8.	24 - सिंचाई	409.81 (30)	375.55 (27)	382.54 (25)	512.00 (31)	359.16 (21)
9.	27 - कृषि	290.56 (31)	184.55 (20)	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)
10.	32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	130.63 (10)	159.83 (10)	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)
पूँजीगत (दर्तमत)						
11.	38 - जन-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	201.05 (20)	324.40 (28)	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)
पूँजीगत (भारित)						
12.	लोक ऋण	2,944.26 (37)	4,250.68 (40)	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)

टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे)

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 1,375.88 करोड़ तक बढ़ गए जैसा नीचे तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-योजनागत अनुदान	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	674.54 (-10)	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	50.79 (-42)	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)
केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों के लिए अनुदान	783.09 (75)	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)
कुल	2,754.93 (-10)	2,339.25 (-15)	4,127.18 (76)	5,002.88 (21)	6,378.76 (28)

(पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशतता कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही विस्तृत निधियां हस्तांतरित कर रही थी। भारत सरकार ने 2014-15 से आगे इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तथापि, 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही ₹ 919.15 करोड़ हस्तांतरित किए।

1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा स्कीमों/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालन के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2015-16 के दौरान, राज्य के 1,120 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 22 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ² भी की गई थीं।

² (i) पंडित भगवत दयाल शर्मा पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक का कार्यालयन (ii) हरियाणा राज्य कृषि विषयन बोर्ड का कार्यालयन (iii) बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा (iv) पर्यावरण मंजूरी तथा मंजूरी के पश्चात् मॉनीटरिंग।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार के उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यतः नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करने पर जोर देना था। विभागों द्वारा छ: सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 20 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। यद्यपि सभी अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में लेखापरीक्षित इकाइयों/निदेशालयों के उत्तर प्राप्त किए गए थे, प्रशासनिक विभागों के उत्तर केवल नौ अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के लिए प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2015 - 16 के दौरान 25 मामलों में ₹ 1.41 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छ: माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मई 2016 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 1,183.53 करोड़ के धन मूल्य वाले 186 निरीक्षण प्रतिवेदन के 633 अनुच्छेद मई 2016 के अंत तक बकाया थे जैसा नीचे तालिका 1.4 में इंगित किया गया है।

तालिका 1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2004-05 से 2010-11	127	327	408.63
2011-12	6	25	203.00
2012-13	7	49	151.23
2013-14	18	101	152.90
2014-15	23	100	156.60
2015-16 (मई 2016 तक)	5	31	111.17
कुल	186	633	1,183.53

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में अनुरक्षित आई.आर. रजिस्टरों से ली गई सूचना)

इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिनका 31 मई 2016 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में इंगित किए गए हैं।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 33 प्रशासनिक विभागों के 72 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी शेष थी (**परिशिष्ट 1.2**)। 29 प्रशासनिक विभागों के मामले में 55 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां **परिशिष्ट 1.3** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी। 16 प्रशासनिक विभागों ने **परिशिष्ट 1.4** में दिए गए विवरणों के अनुसार 32 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 1,161.92 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी व्योंकि 1971-72 से 2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 511 सिफारिशें, **परिशिष्ट 1.5** में दिए गए विवरणों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक वाचित थी।

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 31 अगस्त 2016 को लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं की सुपुर्दगी, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृले.प्र.) को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतिकरण की स्थिति **परिशिष्ट 1.6** में इंगित की गई है।

एक³ स्वायत्त निकाय ने अपने वार्षिक लेखे गत 19 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे जबकि अन्य निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा सात वर्षों के मध्य श्रृंखलित रहा। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से पता न चल रही वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है। अतः लेखाओं को तुरंत अंतिमकृत एवं प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड चण्डीगढ़ (2009-10 से 2014-15) तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2013-14) के संबंध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण

गत दो वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ नीचे तालिका 1.5 में दिए गए हैं।

तालिका 1.5: 2013-15 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट अनुच्छेद
2013-14	3	887.81	23	148.81	3	7
2014-15	3	242.86	27	285.78	3	13

2015-16 के दौरान ₹ 747.16 करोड़ मूल्य वाली तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 20 अनुच्छेद इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

³

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय - 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

कृषि विभाग

2.1 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन

कृषि उत्पाद के क्रय, विक्रय, भंडारण तथा प्रोसेसिंग के बेहतर विनियमन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना अगस्त 1969 में की गई। बोर्ड के कार्यचालन की 2011-16 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं एवं स्कीमों के वित्तीय प्रबंध एवं निष्पादन दोनों में दीर्घावधि आयोजना की कमी तथा त्रुटियां प्रकट की जिसने बोर्ड के समग्र लक्ष्यों का अवमूल्यांकन कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे सारांशित किए गए हैं:

विशिष्टताएं

अधिशेष निधियां सावधि जमाओं में रखने की बजाए बचत बैंक खातों में रखे गए थे परिणामतः ₹ 6 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ऋण पर ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों, दुकान/बूथ स्थलों/भूमि की लागत तथा वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति के कारण ₹ 126.44 करोड़ की राशि बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.4 एवं 2.1.7.5)

38 मार्केट कमेटियों में मूलभूत संरचना सुविधाएं जैसे चारदीवारी, एंट्री प्वाइंट पर धर्मकांता, चैकपोस्ट, कैटीन तथा डोरमिटरी प्रदान नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

अयोग्य लाइसेंसधारियों को आरक्षण मूल्य पर प्लॉट आबटित किए गए थे परिणामतः ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

दुकानों/बूथों पर बेसमेंट/ऊपर की मजिल के अनियमित निर्माण के लिए ₹ 2.39 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कृषीय नवीनता तथा अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने के लक्ष्य वाली तीन स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई यद्यपि निधियां उपलब्ध थीं।

(अनुच्छेद 2.1.10)

2.1.1 प्रस्तावना

पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (पी.ए.पी.एम.) अधिनियम, 1961 तथा पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (जनरल) नियम, 1962 जैसाकि हरियाणा द्वारा अपनाए गए हैं, की स्वपरेखा के अंदर राज्य में कृषि उत्पाद के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं प्रोसेसिंग विनियमित करने तथा राज्य में मार्केट कमेटियों (एम.सी.जे.) का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना अगस्त 1969 में की गई। बोर्ड के मुख्य कार्य कृषि मंडियों का सृजन करना और नीलामियों की सुविधा प्रदान करना, संपर्क सङ्कों का निर्माण करके मंडियों की दूरियां कम करना तथा किसानों को उनके कृषि उत्पाद विपणन हेतु सुविधाएं एवं सूचना प्रदान करना था। मार्च 2016 को राज्य में 107 मार्केट कमेटियां हैं जो मौसमी विक्रय/क्रय हेतु 107 प्रधान यार्ड, 173 उप-यार्ड तथा 195 क्रय केन्द्रों का पर्यवेक्षण करती हैं।

2011-16 के दौरान बोर्ड ने 2,288 कि.मी. लंबी नई ग्रामीण संपर्क सङ्कों निर्मित की तथा एक उप-यार्ड को प्रधान यार्ड में परिवर्तित किया गया, चार उप-यार्ड क्रय केन्द्र बनाए गए और एक नया क्रय केन्द्र स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त मौजूदा सङ्कों की मरम्मत की गई तथा मौजूदा मंडियों में कॉमन प्लेट फार्म, कवर्ड शेड, टावर लाइटें तथा सीवरेज प्रणाली जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गईं।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग शासकीय स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। बोर्ड की अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा नामित सभापति द्वारा की जाती है तथा मुख्य प्रशासक (सी.ए.) कार्यकारी अध्यक्ष एवं नियंत्रक अधिकारी है। उसकी सहायता, एक सचिव, एक प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.), दो मुख्य अभियंता, एक मुख्य मार्केटिंग एनफोर्समेंट अधिकारी (सी.एम.ई.ओ.) तथा एक नियंत्रक वित्त एवं लेखा (सी.एफ.ए.) द्वारा की जाती है। प्रत्येक मार्केट कमेटी एक नामित निकाय द्वारा शासित की जाती है जिसकी अध्यक्षता सभापति द्वारा की जाती है तथा इसमें एक कार्यकारी अधिकारी सह-सचिव एवं अन्य पर्यवेक्षक स्टॉफ होता है। बोर्ड के पास एक पूर्ण विकसित निर्माण विंग है जिसमें सात परिमंडल हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता द्वारा की जाती है तथा 21 सिविल, तीन इलैक्ट्रीकल, दो जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल तथा एक गुणवत्ता नियंत्रण मंडल है जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अभियंताओं द्वारा की जाती है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- योजना प्रक्रिया व्यापक थी तथा परिचालन दक्षता एवं प्रभावकारी ढंग से किए गए थे;
- वित्तीय एवं मानवशक्ति प्रबंधन कुशल था;
- बोर्ड ने मंडियों में मूलभूत संरचना, संपर्क सङ्कों सृजित की थी तथा विभिन्न स्कीमों के माध्यम से किसानों की सहायता की थी; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी तथा कारगर थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

पंचकूला स्थित बोर्ड का कार्यालय, 21 जिलों में से सात¹ जिलों की सभी 39 मार्केट कमेटियों तथा 27 निर्माण मंडलों में से सात² प्रतिस्थापन बिना आकार से संभावित अनुपात पद्धति प्रयोग करते हुए नमूना - जांच के लिए चयन किए गए थे। पंचकूला स्थित एक ट्रेनिंग स्कूल तथा गन्नौर में स्थित होने वाली एक विशेष परियोजना 'इंडिया इंटरनेशनल टर्मिनल मार्केट' भी आवृत्त की गई थी। 2011-16 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2015 से जून 2016 तक की अवधि के दौरान की गई थी।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय पर 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), हरियाणा सरकार में उल्लेख किया गया था (अनुच्छेद 1.1) तथा 2014-15 के दौरान लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय पी.ए.सी. की अनुशंसाएं ध्यान में रखी गई थी।

एंट्री कांफ्रेंस मार्च 2016 में अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, कृषि विभाग के साथ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा मापदंड पर चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर अगस्त 2016 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग के साथ विचार - विमर्श किया गया था तथा कांफ्रेंस के विचार प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- पंजाब कृषीय उत्पाद बाजार अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए उप - नियम;
- बोर्ड के वार्षिक योजना में किए गए लक्ष्य/प्रावधान;
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम, 1997 एवं 2000; तथा
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड लेखा नियम पुस्तक।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 योजना

2.1.6.1 योजना की कमी

बोर्ड को अपने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मार्केट कमेटियों में विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता एवं बोर्ड के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखने के पश्चात् किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करनी चाहिए। बोर्ड के पास, मंडियों के

¹ कैथल, हिंसार, कुरुक्षेत्र, सोनोपत, सिरसा, फतेहाबाद तथा फरीदाबाद।

² रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, जीद, भिवानी, सिरसा तथा यमुनानगर।

विकास की मांग एवं आवश्यकताओं के आकलन हेतु योजना एवं विकास विंग है। फिर भी, यह अवलोकित किया गया कि बोर्ड ने न तो भौतिक एवं वित्तीय श्रेणी में वार्षिक लक्ष्य दर्शने वाली एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की और न ही वार्षिक योजनाएं तैयार की। बोर्ड ने मंडियों की कुल संख्या की आवश्यकता, मंडियों में वांछित नए विकास कार्यों तथा किसानों को उनके कृषि उत्पाद मंडियों में लाने हेतु सुविधा करने के लिए नई सड़कों का आकलन नहीं किया था। राष्ट्रीय कृषि मिशन द्वारा विचार किए गए अनुसार 563 मंडियों की आवश्यकता के विरुद्ध मंडियों की कुल संख्या 475 थी (जनवरी 2013)।

मुख्य प्रशासक ने बताया (अगस्त 2016) कि सड़कों की विशेष एवं वार्षिक मरम्मतों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बोर्ड द्वारा मंडियों में जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, धर्मकाटों, कवर्ड प्लेटफार्म तथा कैटीन जैसी विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखने के पश्चात् एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजनाएं तैयार की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई।

2.1.6.2 मार्केट कमेटियों का न बनाना

पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (पी.ए.पी.एम.) अधिनियम, 1961 की धारा 12 प्रावधान करती है कि एक मार्केट कमेटी में 11 अथवा 19 सदस्य, जैसा राज्य सरकार सुनिश्चित करे, होंगे जिनमें से एक कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा शेष उत्पादकों, लाइसेंसधारियों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ वर्गों में से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

नमूना-जांच की गई मार्केट कमेटियों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2011-16 के दौरान कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अथवा मार्केट कमेटी के अन्य सदस्य सरकार द्वारा नामित नहीं किए गए थे तथा चेयरमैन के अधिकार संबंधित उप-मंडलीय मैजिस्ट्रेट्स द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे। राज्य सरकार ने उत्पादकों, लाइसेंसिज, अनुसूचित जाति के सदस्यों, अनुसूचित कबीलों एवं पिछड़े वर्गों में से भी कोई सदस्य नामित नहीं किया था। इस प्रकार, मार्केट कमेटियों में हितधारकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। यदि हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ मार्केट कमेटियां सही ढंग से बनाई जाती तो मार्केट कमेटी स्तर पर सही आयेजना की जा सकती थी।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

पी.ए.पी.एम. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रत्येक मार्केट कमेटी, पी.ए.पी.एम. अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मार्केट कमेटियों द्वारा उद्गृहीत मार्केट फीस से प्राप्त अपनी आय की निर्धारित³ प्रतिशतता पर अंशदान बोर्ड को भुगतान करेगी। मार्केट कमेटियां, विकास कार्यों के निष्पादन के लिए बोर्ड के पास निधियां भी जमा करवाएंगी। बोर्ड का व्यय मुख्यतः स्टॉफ के वेतनों एवं यात्रा भत्तों तथा आकस्मिकताओं पर होता है। मार्केट कमेटियां पृथक लेखे बनाती हैं तथा अपने आय एवं व्यय लेखे और बैलेंस शीट्स भी बनाती हैं।

³ (i) यदि वार्षिक आय ₹ 10,000 से अधिक नहीं होती है तो 20 प्रतिशत; (ii) यदि कमेटी की वार्षिक आय ₹ 10,000 से अधिक होती है तो (ए) प्रथम ₹ 10,000 पर 20 प्रतिशत; (बी) अगले ₹ 5,000 या उसके हिस्से पर 25 प्रतिशत; (सी) शेष आय पर 30 प्रतिशत।

बोर्ड की आय एवं व्यय की स्थिति नीचे तालिका 2.1.1 में दी गई है।

तालिका 2.1.1: बोर्ड की आय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल आय	146.70	180.14	182.66	196.94	177.14
कुल व्यय	137.96	161.18	169.59	192.98	216.56
उपयोग की गई निधियां	8.74	18.96	13.07	3.96	(-)39.42
ब्याज से आय	11.50	19.34	17.21	12.49	7.80

स्रोत: बोर्ड की बैलेंस शीट्स।

2.1.7.1 व्यय की तुलना में बजट प्रावधान

बोर्ड, वार्षिक बजट अनुमान तैयार करता है। 2011-16 की अवधि के लिए बजट अनुमान तथा उनके विरुद्ध किए गए वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका 2.1.2 में दी गई है।

तालिका 2.1.2: बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचतें (-) आधिक्य (+)	बचतों की प्रतिशतता
2011-12	206.09	137.96	(-)68.13	33
2012-13	216.52	161.18	(-)55.34	26
2013-14	267.42	169.59	(-)97.83	37
2014-15	276.94	192.98	(-)83.96	30
2015-16	258.87	213.55	(-)45.32	18

स्रोत: बोर्ड द्वारा आपूर्ति डाटा।

जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2011-16 के दौरान बचतें 26 एवं 37 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। बोर्ड ने 2011-16 के दौरान निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 2,245.55 करोड़ का व्यय भी किया।

मुख्य प्रशासक ने बताया (अगस्त 2016) कि विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के कारण राजस्व के अंतर्गत बचतें थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राजस्व व्यय के अनुमान, रिक्त पदों को भेरे जाने की संभावना को ध्यान में रखने के बाद तैयार किए जाने चाहिए।

2.1.7.2 मार्केट कमेटियों के बजट अनुमान एवं प्राप्तियां

मार्केट कमेटी की आय का मुख्य स्रोत पी.ए.पी.एम. अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत परिभाषित अनुसार कृषि उत्पाद पर उद्ग्राहय मार्केट फीस है। नीचे तालिका 2.1.3, 2011-16 की अवधि के दौरान सभी मार्केट कमेटियों की आय एवं वास्तविक प्राप्तियों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.1.3: मार्केट कमेटियों के बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011-12	2012-12	2013-14	2014-15	2015-16
बजट अनुमान	481.88	659.92	825.78	736.12	732.36
वास्तविक प्राप्तियां	436.92	568.76	624.63	692.32	675.07

स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदत्त डाटा।

मार्केट कमेटियों के बजट अनुमानों की संवेद्धा ने प्रकट किया कि गत वर्षों के दौरान मार्केट फीस के अनुमान/लक्ष्यों, फसलों के उत्पादन एवं मंडियों में उनके आगमन के संदर्भ में तैयार नहीं किए गए थे। बल्कि, वे गत वर्षों में वसूल की गई फीस के आधार पर तैयार किए गए थे। 2011-16 की अवधि के दौरान उत्पादन एवं मंडियों में मुख्य फसलों के उत्पाद के आगमन के विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए हैं। डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि मंडियों में धान सहित फसलों के आगमन में बहुत अंतराल था जो उत्पादन का 67 से 87 प्रतिशत तक भिन्न था। धान के प्रकरण में मंडियों में आगमन उत्पादन का 151 एवं 177 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित था जिसने इंगित किया कि धान के आगमन में राज्य के बाहर से आया धान भी शामिल था। आगे, धान को छोड़कर फसल का आगमन 46 एवं 69 प्रतिशत के मध्य था। कपास का आगमन अत्यन्त निराशाजनक था तथा 24 एवं 46 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित था। उत्पादन एवं मंडियों में उत्पाद के आगमन में इतनी अधिक भिन्नताओं के साथ लेखापरीक्षा में राजस्व वसूली के निष्पादन का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि चूंकि कृषि उत्पादन के आंकड़े अनुमानों पर आधारित होते हैं, मार्केट फीस के लक्ष्य गत वर्षों के दौरान वसूल की गई मार्केट फीस के आधार पर निर्धारित किए गए थे।

2.1.7.3 मार्केट कमेटियों द्वारा विकास कार्यों के लिए निधियों का अन्तरण

पी.ए.पी.एम. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, प्रत्येक मार्केट कमेटी एक कार्पोरेट के साथ-साथ एक स्थानीय प्राधिकरण होगी तथा चल एवं अचल दोनों संपत्ति अधिग्रहण करने एवं रखने में सक्षम होगी और कोई कमेटी, कमेटी के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुपालन में एवं बोर्ड के मुख्य प्रशासक के पूर्वानुमोदन से छोड़कर कोई अचल संपत्ति स्थाई रूप से ट्रांसफर नहीं करेगी। आगे, अधिनियम की धारा 27 एवं 28 तत्रैव प्रावधान करती है कि कमेटी द्वारा प्राप्त सभी धन निधि में प्रदान किया जाएगा तथा कमेटी द्वारा किया गया सभी प्रकार का व्यय ऐसी निधि से किया जाएगा। मार्केट कमेटी की निधियां, मार्केट के लिए स्थलों के अधिग्रहण, भवनों के निर्माण एवं मरम्मत, वेतन, अवकाश एवं भत्तों के लिए खर्च किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ 909.87 करोड़ की राशि 39 मार्केट कमेटियों द्वारा 2011-16 के दौरान जमा कार्यों के लिए बोर्ड के पास अंतरित की गई थी। मार्केट कमेटियों द्वारा राशि, विकास योजनाएं तथा जमा कार्यों पर व्यय का अनुमान तैयार किए बिना जमा करवाई गई थी। एक मार्केट कमेटी की विकास निधियां अन्य मार्केट कमेटियों के कार्यों पर व्यय की जा रही थी। आगे, मार्केट कमेटी वार निधियों की प्राप्ति एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता बोर्ड द्वारा अनुरक्षित नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, जमा करवाई गई राशि पर 2011-15 की अवधि के दौरान अर्जित ₹ 60.54 करोड़ का ब्याज बोर्ड की आय के रूप में

माना गया था जोकि अनियमित था क्योंकि अर्जित ब्याज का लाभ मार्केट कमेटियों के पास जाना चाहिए था।

2.1.7.4 अतिरिक्त निधियों को सावधि जमाओं में जमा न करना

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मार्केट कमेटियां, अधिशेष निधि का निवेश एवं निपटान नियम, 1981 के नियम 3 के अनुसार एक मार्केट कमेटी द्वारा, अपनी सरप्लस निधियां अथवा उसका कोई हिस्सा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, बचत बैंक अथवा पोस्ट आफिस, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा हरियाणा राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंक की सावधि जमा प्राप्तियों (एफ.डी.आरज) में निवेश की जानी अपेक्षित है।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने मार्केट कमेटियों द्वारा सरप्लस निधियों का निवेश न करना उजागर किया था तथा पी.ए.सी. ने अधिशेष निधि एफ.डी.आरज में निवेश करने हेतु अनुशंसा की थी। 39 मार्केट कमेटियों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 20 मार्केट कमेटियों में न तो फ्लैक्सी खाते खोले गए थे और न ही अधिशेष निधि सावधि जमाओं में निवेश की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2011-16 की अवधि के दौरान ब्याज के कारण ₹ 6 करोड़ (**परिशिष्ट 2.2**) की हानि हुई।

2.1.7.5 ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों तथा दुकानों/बूथ प्लॉट्स की लागत विलंब से/न वसूल करना

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि बोर्ड एवं मार्केट कमेटी अपने देयों की वसूली में त्वरित नहीं थे परिणामतः ₹ 126.44 करोड़ बकाया रहे जैसाकि नीचे तालिका 2.1.4 में चर्चा की गई है।

तालिका 2.1.4: ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों तथा दुकानों/बूथ प्लॉट्स की लागत की विलंब से/अवसूली दर्शने वाले विवरण

बकाया देयों के विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1. ऋण पर ब्याज		
₹ 50 करोड़ का ऋण हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड (एच.आर.डी.एफ.ए.वी.) को जारी किया गया (अगस्त 2014) जिस पर 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष (कंपाऊंडिंग क्वार्टरली) की दर पर सरकार द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से दिया जाना था। ऋण दिसंबर 2014 में वापस कर दिया गया परंतु ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।	1.32	सुरव्य प्रशासक (सी.ए.) ने सूचित किया कि ब्याज वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।
2. गोदाम किराया		
8 मार्केट कमेटियों में, 2003-04 से 2015-16 तक की अवधि के लिए ₹ 1.01 करोड़ की राशि (परिशिष्ट 2.3) गोदाम किराया के कारण अवसूलित पड़ी रही। इसमें से ₹ 0.56 करोड़ सरकारी खरीद एजेसियों तथा ₹ 0.45 करोड़ प्राइवेट एजेसियों के विरुद्ध बकाया था।	1.01	सी.ए. ने सूचित किया कि शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3. जल एवं सीवरेज प्रभार

यद्यपि जल आपूर्ति एवं सीवरेज की सुविधा प्रदान की गई थी। जल एवं सीवरेज प्रभार 9 मार्केट कमेटियों द्वारा उद्गृहीत नहीं किए गए परिणामतः ₹ 52.46 लाख की अवसूली हुई। आगे, 3 मार्केट कमेटियों में, यद्यपि जल एवं सीवरेज प्रभार उद्गृहीत किए गए थे, ₹ 3.94 लाख मार्च 2016 तक अवसूलित रहे (परिशिष्ट 2.4)।	0.56	सी.ए. ने सूचित किया कि प्रभार उद्गृहीत न करने के लिए अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
---	------	--

4. दुकानों/बूथ प्लॉटों की लागत

दुकान/बूथ प्लॉटों की किश्त समय पर जमा करवाने में विफलता के मामले में, 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक कंपाऊंडिंग की दर पर दण्डिक ब्याज प्रभारित किया जाएगा तथा दो अनुवर्ती चूक के मामले में ब्याज एवं अन्य देयों सहित कुल लागत के 10 प्रतिशत की जब्ति के पश्चात् प्लॉट पुनः ग्रहण किया जाना चाहिए। 18 मार्केट कमेटियों में, ₹ 93.83 करोड़ की राशि प्लॉटों के आबटियों के विरुद्ध बकाया थी (परिशिष्ट 2.5)। जबकि बकाया राशि में से ₹ 30.88 करोड़ ऐसे मामलों से संबंधित थे जो निर्णय अदीन थे, ₹ 62.95 करोड़ की शेष बकाया राशि, जो किसी प्रकार के विवाद से मुक्त थी, भी अवसूलित रही। संबंधित मार्केट कमेटियों ने न तो देयों की वसूली के लिए और न ही प्लॉटों के पुनःग्रहण के लिए कोई कार्रवाई की थी।	93.83	सी.ए. ने सूचित किया कि वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा सही निगरानी सिस्टम बनाया जाएगा।
--	-------	---

5. वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति

₹ 29.37 करोड़ की राशि वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में पांच मार्केट कमेटियों द्वारा भुगतान की गई (परिशिष्ट 2.6) परंतु प्लॉट धारकों से वह वसूल नहीं की गई थी जैसाकि एच.एस.ए. एम.बी. (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम 2000 के नियम 3 (xi) में विचारित था। इसके परिणामस्वरूप मार्केट कमेटियों को ₹ 29.37 करोड़ की अवसूली तथा ₹ 8.03 करोड़ (12 प्रतिशत प्रतिवर्ष) के ब्याज की हानि हुई।	29.37	सी.ए. ने बताया कि वसूली कार्यवाही आरंभ कर दी गई थी तथा राशि शीघ्र वसूल कर ली जाएगी।
--	-------	---

6. वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति की वसूली में विलंब

मार्केट कमेटी सोनीपत ने दिसंबर 2006 में ₹ 1.10 करोड़ वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया तथा ₹ 36.10 लाख प्लॉट धारकों से वसूलनीय थे। प्लॉट मालिकों से वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति की मांग 8 वर्षों के विलंब के पश्चात् केवल जनवरी 2015 में की गई और वसूली मार्च 2015 में की गई। वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति की वसूली में विलंब के परिणामस्वरूप मार्केट कमेटी को ₹ 34.65 लाख (12 प्रतिशत प्रतिवर्ष) के ब्याज की हानि हुई।	0.35	सी.ए. ने बताया कि हानि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा वसूली में विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
	कुल	126.44

इस प्रकार, बोर्ड का वित्तीय प्रबंधन, मार्केट फीस के व्यय एवं प्राप्ति के संबंध बजट निर्माण बनाने की अनियमित प्रक्रिया, अतिरिक्त निधियों का सावधि जमाओं में निवेश न करना तथा वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति, गोदाम किराया एवं पानी तथा सीवरेज प्रभारों की अवसूली जैसी त्रुटियों द्वारा बिगड़ा गया था।

2.1.8 मंडियों में मूलभूत संरचना सुविधाएं

2.1.8.1 मंडियों में सुविधाओं की कमी

बोर्ड ने प्रत्येक मुख्य यार्ड, उप-यार्ड एवं क्रय केन्द्र में मूलभूत / अतिरिक्त सुविधाओं, जैसे जल आपूर्ति एवं सीवरेज सिस्टम, एंट्री प्वाइंट्स पर धर्मकाटे, कवर्ड प्लेट फार्मज, आंतरिक सेवा सड़कें, प्रधान यार्ड एवं उप-यार्डों में कूलर के साथ कमरे तथा कंटीन का प्रावधान अनुमोदित (जून 2006) किया था। आगे, क्रय केन्द्रों में चार दीवारी, शौचालय सुविधाओं के साथ दो शयनशालाएं, अस्थाई लाइटों के अतिरिक्त एक या दो मिनी टावरों, पेय जल एवं शौचालयों के लिए पर्याप्त अस्थाई प्रबंध प्रावधान किए जाने अपेक्षित थे।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने मंडियों में मूलभूत संरचना सुविधाओं की आवश्यकता प्रकट की थी तथा लोक लेखा समिति ने अपनी 7वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि विभाग को उचित समय पर मंडियों में शेष मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि नवंबर 2016 तक नमूना-जांच की गई 39 मार्केट कमेटियों में से 38 मार्केट कमेटियों की मंडियों में मूलभूत संरचना सुविधाओं की अब भी कमी थी (परिशिष्ट 2.7)।

2.1.8.2 मूलभूत संरचना का दुरुपयोग

एच.एस.ए.एम.बी. (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम, 2000 के नियम 3 (viii) के अनुसार, एक दुकान प्लॉट का आबंटी, अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन से अन्य किसी प्रयोजन के लिए परिसर प्रयोग करने हेतु अनुमत नहीं था। ऐसे परिसर के दुरुपयोग के मामले में आबंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा प्लॉट के मूल्य का 10 प्रतिशत, ब्याज एवं भुगतान किए गए अन्य देय जब्त कर लिए जाएंगे। इन नियमों के अंतर्गत ऐसे आबंटी को किसी अन्य स्थान के आबंटन से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

मार्केट कमेटियों के कर्मचारियों के साथ नमूना-जांच की गई मार्केट कमेटियों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह अवलोकित किया गया कि 11 मार्केट कमेटियों में मंडी की दुकानों में कृषि उत्पाद से अन्य से संबंधित व्यापार अर्थात् गन हाऊस, ज्वैलरी, एडवरटाइजमेंट, प्रोफर्टी डीलिंग, ऐडिकल स्टोर/कलीनिक, कीचन स्टोर, सीमेंट स्टोर, अकाउंटिंग सर्विस, रिपोर्ट तथा केटरिंग सर्विस, गेस्ट हाऊस, स्कूल, हार्डवेयर शॉप, तेल विनिर्माण यूनिट्स एवं बैंकिंग गतिविधियों की जा रही थी (परिशिष्ट 2.8)। तथापि, गैर कृषि बिजनेस रोकने तथा आबंटन रद्द करने हेतु मार्केट कमेटी, भट्टू कलां, जिसने शॉप मालिकों को नोटिस जारी किए थे (अप्रैल 2015), को छोड़कर, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, दुकानों के आबंटन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, कृषि उत्पाद के विपणन हेतु मंडियों में मूलभूत संरचना का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु सही नियंत्रण नहीं किया गया था।

मुख्य प्रशासक ने आश्वासन दिया (अगस्त 2016) कि चूककर्त्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.1.8.3 अपात्र लाइसेंसधारियों को प्लॉटों का आबंटन

एच.एस.ए.एम.बी. (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम 2000 के नियम 3 (iii एवं iv) के अनुसार, केवल वे लाइसेंसधारी प्लॉटों के आबंटन के लिए योग्य होंगे जिनके पास प्लॉट के ड्रा के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु निर्धारित तिथि को चार वर्षों से बैद्य लाइसेंस है। इन लाइसेंसधारियों द्वारा गत दो वर्षों से कम से कम ₹ 5,000 वार्षिक मार्केट फीस भुगतान की गई होनी चाहिए।

सरकार ने फरीदाबाद की पुरानी अनाज मंडी बंद करने तथा नई अनाज मंडी फरीदाबाद में बिजनेस शिफ्ट करने का निर्णय लिया। मार्केट कमेटी, फरीदाबाद ने 8 अगस्त 2014 को पुरानी डी - नोटीफाइड अनाज मंडी में कार्य करने वाले पुराने लाइसेंसधारियों से आवेदन आमंत्रित किए। आबंटन कमेटी ने तत्रैव नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण दो फर्मों का प्लॉटों के आबंटन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया (26 सितंबर 2014)। स्थल, जो आरक्षण मूल्य पर आबंटित नहीं किए जाते, नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं।

इस दौरान, इन दो फर्मों ने मार्केट कमेटी, फरीदाबाद से अगस्त 2014 में अपने फार्म 'एम'⁴ सत्यापित करवा लिए जिसने दर्शाया कि जनवरी 2012 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान इन दो फर्मों द्वारा कृषि उत्पाद खरीदे गए थे तथा आरक्षण मूल्य पर प्लॉट के आबंटन के लिए योग्य बनने के लिए अगस्त 2014 में पेनल्टी के साथ ₹ 0.40 लाख की मार्केट फीस जमा करवा दी गई थी। तत्पश्चात् फर्मों ने बोर्ड के सी.ए. के समक्ष इस आधार पर अपील की कि चूंकि उन्होंने मार्केट फीस का भुगतान कर दिया था, वे आरक्षण मूल्य पर प्लॉट के आबंटन के लिए योग्य बन गए थे। सी.ए. ने आरक्षण मूल्य पर प्लॉट के आबंटन के लिए उन्हें योग्य घोषित कर दिया (अक्टूबर 2014) तथा उन्हें ₹ 81.90 लाख प्रति प्लॉट के आरक्षण मूल्य पर प्लॉट आबंटित कर दिए गए (नवंबर 2014)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दोनों फर्मों द्वारा दर्शाए गए कृषि उत्पाद के लेन-देन कमेटी के 'एच'⁵ रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे। इसने इंगित किया कि मंडी में बिक्री नहीं की गई थी तथा 'एम' रिटर्न, जो लेन-देन के सात दिनों के अंदर भरे जाने चाहिए, तीन वर्षों से प्रस्तुत नहीं किए गए थे। फर्मों द्वारा ये केवल, प्लॉटों के आबंटन के लिए आवेदन पत्रों के आमंत्रण की तिथि के पश्चात् प्रस्तुत की गई थी। कमेटी ने फर्मों के 'एम' रिटर्न, 2011-14 अवधि के एच रजिस्टरों से लेन-देनों की क्रास चैकिंग किए बिना, प्लॉटों के आबंटन हेतु उन्हें योग्य बनाते हुए, की गई थी यद्यपि मार्केट कमेटी के एच. रजिस्टर में उनके मंडी लेन-देनों के कोई रिकार्ड नहीं थे। अयोग्य लाइसेंसधारियों को आरक्षण मूल्य दर प्लॉटों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 1.82⁶ करोड़ की हानि हुई क्योंकि उसी आकार एवं उसी क्षेत्र अर्थात् नई अनाज मंडी, फरीदाबाद में दुकानों का न्यूनतम नीलामी मूल्य ₹ 1.73 करोड़ प्रत्येक था।

⁴ प्रत्येक लाइसेंस ग्राहक डीलर, कृषि उत्पाद के प्रत्येक लेन-देन अथवा लेन-देन की तिथि के सात दिनों के अंदर प्रेसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के प्रत्येक लेन-देन अपने क्रय और विक्रय दरशाते हुए 'एम' फार्म में रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

⁵ कृषि उत्पाद के लॉट की नीलामी जैसे ही पूरी होती है नीलामीकर्त्ता, फार्म एच में उल्लिखित किए जाने वाले प्रासंगिक विवरण एक पुस्तक में भरेगा तथा क्रेता एवं विक्रेता दोनों के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

⁶ ₹ 3.46 करोड़ (2 x ₹ 1.73 करोड़) - ₹ 1.64 करोड़ (2 x ₹ 0.82 करोड़) = ₹ 1.82 करोड़।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि एक जांच की जाएगी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.1.8.4 दुकानों/बूथों में बेसमेंट तथा बूथों पर ऊपर की मजिल का अनियमित निर्माण

एच.एस.ए.एम.बी. (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम 2000 के नियम 3 (xiii) एवं (xiv) के अनुसार बूथों पर ऊपर की मजिल अथवा दुकानों/बूथों में बेसमेंट के निर्माण की इच्छा के मामले में, प्लॉट के आबंटन मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करके मार्केट कमेटी से पूर्वानुमति ली जानी चाहिए तथा यदि निर्माण पहले ही की जा चुका था तो आबंटन मूल्य के 15 प्रतिशत की पेनल्टी उद्गृहीत एवं आबंटी से प्राप्त की जाएगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्केट कमेटियों ने नियम के अनुपालन की निगरानी नहीं की थी क्योंकि इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं रखे गए थे।

मार्केट कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ नमूना-जांच की गई मंडियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह अवलोकित किया गया कि 10 मार्केट कमेटियों में प्लॉटों के आबंटियों ने बूथों पर ऊपर की मजिल अथवा दुकानों में बेसमेंट निर्मित कर लिए थे (परिशिष्ट 2.9) परंतु मार्केट कमेटियों द्वारा मालिकों पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई थी। पेनल्टी की राशि ₹ 2.39 करोड़ परिकलित की गई है।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि पेनल्टी की राशि वसूल करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.8.5 प्लॉटों की नीलामी न करना

मार्केट कमेटी, जाखल में नई सब्जी मंडी (एन.वी.एम.) का विकास कार्य ₹ 79.78 लाख व्यय करने के पश्चात् अक्टूबर 2009 में पूर्ण किया गया तथा एन.वी.एम. नवंबर 2009 में संबोधित मार्केट कमेटी को सौंप दी गई। एन.वी.एम. में दुकानों के लिए 24 प्लॉट तथा बूथों के लिए 29 प्लॉट शामिल थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्केट कमेटियों द्वारा बार-बार अनुरोधों के बावजूद, बोर्ड ने प्लॉटों की नीलामी के लिए आरक्षण मूल्य निर्धारित नहीं किया था परिणामतः प्लॉटों की नीलाम नहीं हुई तथा ₹ 79.78 लाख की निधियां अवरुद्ध हुईं।

मुख्य प्रशासक ने बताया (अगस्त 2016) कि दुकानों की नीलामी 29 जून 2016 तथा इससे पहले भी की गई थी परंतु कोई दुकान नहीं बेची गई थी। उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संबोधित नहीं करता तथा निर्माण के सात वर्षों के बाद भी आरक्षण मूल्य के निर्धारण एवं प्लॉटों की नीलामी में ऐसे अनुचित विलंब किए गए व्यय के प्रयोजन को विफल करता है।

2.1.8.6 मंडी भूमि पर अतिक्रमण

जून 1989 में जारी किए गए बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, जिला मार्केटिंग एनफोर्समेंट अधिकारियों एवं जॉनल मार्केटिंग एनफोटिंग अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि मंडी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने मंडी भूमि पर अतिक्रमण हाईलाइट किया था और लोक लेखा समिति ने अपनी 71वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि बोर्ड को मंडी भूमियों पर ऐसे अतिक्रमण रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। परंतु अनियमितताएं अब भी

मौजूद थी क्योंकि नमूना-जांच की गई मार्केट कमेटियों की मंडियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि 39 मंडियों में से पांच में समीपवर्ती पार्किंग जगह, दुकानों के सामने तथा दुकानों के पीछे स्थान पर शैड बना कर अतिक्रमण किया गया था (परिशिष्ट 2.10)। अतिक्रमण हटाने के लिए मार्केट कमेटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मुख्य प्रशासक ने आश्वासन दिया (अगस्त 2016) कि चूककर्त्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, मंडियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में त्रुटियां थी। आगे, प्लॉट अयोग्य लाइसेंसधारियों को आबंटित किए गए थे, मंडियों में कृषि से अन्य बिजनेस किए जा रहे थे, प्लॉट नीलाम किए बिना रहे तथा मंडी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था।

2.1.9 संपर्क सङ्कों तथा अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन

2.1.9.1 सङ्क के निर्माण पर निष्फल व्यय

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 10.10.4 प्रावधान करता है कि कच्ची लागत अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित क्षेत्र परिस्थितियां सुनिश्चित करने हेतु स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा परियोजना के अनुदान में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) विचाराधीन सङ्क कार्य का खाका तथा मार्ग के अधिकार की उपलब्धता शामिल की जानी चाहिए।

गांव सीमन से सिंधवा तक संपर्क सङ्क के निर्माण हेतु मुख्य प्रशासक द्वारा फरवरी 2014 में ₹ 1.30 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया। कार्य एवं ठेकेदार को ₹ 1.27 करोड़ में आबंटित किया गया (फरवरी 2014)। कार्य नवंबर 2014 में पूर्ण किया गया। सङ्क की कुल लंबाई 4.59 कि.मी. थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मंडल ने, स्थल का निरीक्षण किए बिना राजस्व विभाग से संगृहित सिजरा प्लान⁷ के आधार पर कार्य के अनुमान तैयार किए थे। अप्रैल 2014 में पथ समेकीकरण हेतु निशानदेही (डीमार्केशन) के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि 80 मीटर लंबाई में राजस्व पथ उपलब्ध नहीं था। मामला मुख्य अभियंता के ध्यान में लाया गया जिसने आदेश दिया कि जहां राजस्व पथ उपलब्ध है निर्माण तुरंत आरंभ किया जाए तथा जहां पथ उपलब्ध नहीं था वहां मुफ्त जमीन की व्यवस्था करने हेतु प्रयास किए जाएं। सङ्क को पूरा किए बिना मई 2015 में ठेकेदार का खाता फाइनल कर दिया गया तथा उसको ₹ 1.32 करोड़ जारी कर दिए गए। इस प्रकार, स्थल के निरीक्षण के बिना अनुमान तैयार करने तथा साइट क्लीयर करवाए बिना कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप सङ्क के निर्माण पर किया गया ₹ 1.32 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि 80 मीटर लंबे अंतराल के कारण यातायात द्वारा सङ्क प्रयोग नहीं की जा सकी।

मुख्य प्रशासक ने बताया (अगस्त 2016) कि पूर्ण लंबाई के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्थल का सर्वेक्षण करके सङ्क के अनुमान तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। चूक के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

7

गांव का मानचित्र।

2.1.9.2 अवमानक कार्य का निष्पादन तथा ठेकेदार को अधिक भुगतान

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 20.5 के अनुसार कोई भी अवमानक कार्य किया जाना अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा अवमानक कार्य किया जाता है तो वह विनिर्देशनों के अनुसार दुबारा करवाया जाना चाहिए। आगे, पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 18.1 के अनुसार, भुगतान निष्पादित कार्य के वास्तविक माप करने एवं माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां दर्ज करने के पश्चात् किया जाना चाहिए।

गांव मानकपुर (मार्केट कमेटी, जगाधरी) में टिंबर मार्केट का विकास कार्य 12 माह में पूर्ण किएं जाने हेतु ₹ 5.86 करोड़ के लिए एक ठेकेदार को अप्रैल 2008 में आबंटित किया गया। ठेकेदार ने ₹ 2.88 करोड़ के लिए प्लेटफार्म, सड़कों एवं फ्रंट पार्किंग का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् कार्य छोड़ दिया (जुलाई 2010)।

कार्य के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 3 एस.डी.ओ. एवं 2 जे.ई. से समायुक्त एक कमेटी ने प्लेटफार्म सड़कों एवं फ्रंट पार्किंग के दोषपूर्ण कार्य के सुधार करने की लागत ₹ 39.97 लाख परिकलित की (अक्तूबर 2011)। दोषपूर्ण कार्य की लागत की वसूली हेतु नवंबर 2011 में नोटिस जारी किया गया परंतु एजेंसी ने दोषपूर्ण कार्य का सुधार नहीं किया। दोषपूर्ण कार्यों की लागत एजेंसी से अभी तक वसूल नहीं की गई थी (अगस्त 2016)। आगे, फाइनल माप के अनुसार स्थल पर निष्पादित किए बिना भूमि कार्य, एवं स्टोन सोयलिंग मद, स्थल पर सामग्री की उपलब्धता के बिना प्रतिभूत अग्रिम तथा कार्य के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण ₹ 30.30 लाख⁸ का अधिक भुगतान भी किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को भुगतान जारी करते समय कोडल प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। अधिक भुगतान की गई राशि अभी तक वसूल नहीं की गई थी (अगस्त 2016)।

मुख्य प्रशासक ने बताया (अगस्त 2016) कि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध तथा चूककर्ता एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

2.1.9.3 ठेकेदार को जारी की गई सामग्री की अवसूली

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 25.9.2 के अनुसार भंडारों की वास्तविकता/भौतिक हानि की तुरंत सूचना मंडलीय अधिकारी द्वारा उच्चतर प्राधिकारी तथा जहां आवश्यक हो पुलिस को दी जाएगी तथा हानि की वसूली के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए।

ई.ई., एच.एस.ए.एम.बी. झज्जर द्वारा आठ नई संपर्क सड़कों के निर्माण का कार्य एक एजेंसी को आबंटित किया गया (मई 2008)। एग्रीमेंट के अनुसार बिटुमेन, मंडल द्वारा आपूरित किया जाना था। अभिलेखों के अवलोकन पर यह देखा गया कि कार्य के निष्पादन के लिए एजेंसी को 108.065 एम.टी. बिटुमेन जारी किया गया (मार्च 2009 से सितंबर 2009)। परंतु एजेंसी ने कार्य अधूरा छोड़ दिया (नवंबर 2009)। फरवरी 2010 में कार्य मापने पर यह देखा गया कि 58.719 एम.टी. बिटुमेन कार्य पर उपयोग किया गया था। बिटुमेन की 49.346 एम.टी. की शेष मात्रा भंडार में वापस ली जानी अपेक्षित थी परंतु वह एजेंसी द्वारा वापस नहीं की गई। इस कारण

⁸

(i) निष्पादन के बिना भूमि कार्य के लिए ₹ 14.64 लाख, (ii) आवश्यकता के बिना बिटुमेन अधिक जारी करना ₹ 12.06 लाख, (iii) सामग्री की उपलब्धता के बिना अग्रिम के लिए ₹ 2.84 लाख (iv) दोषपूर्ण कार्य, निष्पादन के बिना स्टोन सोयलिंग के लिए ₹ 0.76 लाख।

वसूली के लिए ₹ 33.06 लाख की राशि देय थी जिसमें से ₹ 11.65 लाख वसूल कर लिए गए थे। ₹ 21.41 लाख का शेष बकाया रहा (अगस्त 2016)।

मुख्य प्रशासक ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि वसूली प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया था।

2.1.10 स्कीमों को कार्यान्वयन न करना

2.1.10.1 किसान सहायता/कृषि अनुसंधान स्कीम

राज्य सरकार ने कृषि उत्पाद के प्रबंधन में नवीनीकरण उत्प्रेरित करने तथा कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तीन स्कीमें प्रतिपादित की। तथापि, कोई भी स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई थी जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

(i) **कृषि नवीनीकरण को बढ़ावा:** हरियाणा सोसायटी प्रमोशन आफ एग्रीकलचर इनोवेशन (एच.एस.पी.ए.आई.) मार्च 2014 में बनाई गई थी जिसका लक्ष्य एवं उद्देश्य किसानों के तथा मूल नवीनीकरण को बढ़ावा देकर तथा स्थाई प्रौद्योगिकियों के प्रति नई पहल को बढ़ावा देकर, औपचारिक वैज्ञानिक प्रणालियों एवं अनौपचारिक ज्ञान प्रणाली के मध्य संयोजन करके एक इन्नोवेटिव एवं क्रीयेटिव सोसायटी बनाना था। राज्य सरकार ने मार्केटिंग विकास फंड के लिए एच.एस.पी.ए.आई. को 2013-14 से प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ की निधियां अन्तरित करने के लिए बोर्ड को आदेश दिए (अगस्त 2014)। परंतु द्वारा एच.एस.पी.ए.आई. को कोई निधियां अन्तरित नहीं की गई।

(ii) **हरियाणा राज्य कृषि अनुसंधान एवं विकास निधि:** राज्य सरकार ने, हरियाणा किसान आयोग द्वारा परिचालित एवं बोर्ड द्वारा वित्तपेषित किया जाने वाला अनुसंधान एवं विकास फंड स्थापित किया (अप्रैल 2013)। निधि, कुछ लघु अवधि परिणाम अभियुक्ती तदर्थ अनुसंधान स्कीमों, जिनका लक्ष्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में नाजुक अंतरालों को भरना अथवा पशु एवं मत्त्य उत्पादों सहित कृषि उत्पाद के उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग को सीमित करने वाली समस्याओं का समाधान करना है, को प्रयोजित एवं समर्थन करने हेतु सृजित की गई थी। 2014-16 के दौरान ₹ 6.50 करोड़⁹ का बजट प्रावधान किया गया था। फिर भी, स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई थी (अगस्त 2016) क्योंकि कथित निधि को कोई फंडस अन्तरित नहीं किए गए थे।

(iii) **किसान इनपुट स्कीम:** उच्च क्वालिटी/आयातित/हाइब्रिड बीजों, औजारों, जिप्सम के क्रय एवं हरियाणा राज्य भूमि सुधार एवं विकास निगम के माध्यम से लवणीय भूमि के सुधार हेतु सबसिडी के रूप में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 2012-16 के दौरान ₹ 10 लाख प्रतिवर्ष का बजट बनाया गया। परंतु निधियां अंतरित नहीं की गई थी तथा स्कीम के अभिप्रेत लाभों से किसानों को वंचित रखते हुए स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई (अगस्त 2016)।

विभाग ने आश्वासन दिया (अगस्त 2016) कि स्कीमें भविष्य में कार्यान्वित की जाएगी।

2.1.10.2 कंप्यूटरीकरण पर निष्कल व्यय

⁹

2014-15: ₹ 6 करोड़ तथा 2015-16: ₹ 0.50 करोड़।

प्रशासन की सुविधा, हस्तलिखित कार्य की कटौती, गेट्स के परिचालन एवं पारदर्शी पद्धति में नीलामी द्वारा मार्केट गतिविधियों से राजस्व का सृजन एवं संग्रहण बढ़ाने और सभी मार्केट कार्यकर्त्ताओं एवं किसानों को सर्विसिज एवं सूचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एच.एस.एम.बी. के कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (डी.ए.आर.पी.जी.) विभाग, भारत सरकार के सहयोग से जुलाई 2009 में ई-मंडी प्रोजेक्ट लिया गया। डी.ए.आर.पी.जी. द्वारा बोर्ड को ₹ 96.80 लाख की निधियां प्रदान की गई थी (दिसंबर 2009)। निविदाएं आमंत्रित की गई (मई 2010) तथा कार्य एक फर्म को ₹ 1.75 करोड़ के लिए आबंटित किया गया (अक्तूबर 2010)। कार्य जुलाई 2012 तक पूर्ण किया जाना था। फर्म ने सोफ्टवेयर विकसित किया तथा करनाल मंडी में पायलट आधार पर मोड्यूल्ज टेस्ट किए (नवंबर 2011) और फर्म को ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान सितंबर 2012 तक कर दिया गया।

यह अवलोकित किया गया कि पायलट आधार पर टेस्ट किया गया सोफ्टवेयर प्रयोग के लिए नहीं रखा गया था। बोर्ड ने जुलाई 2015 में फर्म को नोटिस जारी किया कि फर्म ने अभियांत्रिकी एवं प्रशासन के लिए मोड्यूल्ज विकसित नहीं किए थे तथा मंडी प्रबंधन प्रणाली, एनफोर्समेंट, भूमि अधिग्रहण, लेखाओं के लिए मोड्यूल्ज अंशतः विकसित किए गए थे। विभिन्न मोड्यूल्ज में 469 क्रियाओं में से 287 क्रियाएं पूर्ण की गई थी, 182 अब भी अपूर्ण थी। कंप्यूटरीकृत प्रणाली परिचालन में नहीं थी (अगस्त 2016) तथा ₹ 1.03 करोड़ की निधियां व्यय करने के बावजूद छः वर्षों के बाद भी परियोजना के लाभ नहीं उठाए जा सके।

मुख्य प्रशासक ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि विकसित सॉफ्टवेयर आगे ले जाया जाएगा तथा नवंबर 2016 तक क्रियाशील बनाया जाएगा। तथापि, सॉफ्टवेयर दिसंबर 2016 तक क्रियाशील नहीं बनाया गया था।

2.1.11 मानवशक्ति प्रबंधन

2.1.11.1 स्टॉफ स्थिति

बोर्ड का कार्यचालन, (i) प्रशासनिक विंग (ii) प्रवर्तन विंग (iii) लेखा विंग तथा (iv) निर्माण विंग नामक चार विंगों में विभक्त है। स्टॉफ स्थिति (*परिशिष्ट 2.11*) में वर्णित है। वहां स्टॉफ की अत्यन्त कमी तीन एवं 52 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। आगे, मानवशक्ति प्रबंधन की संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- निर्माण मंडलों के तैनात व्यक्तियों की तुलना में संस्वीकृति पदों से संबंधित सूचना बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थी। मानवशक्ति के नियोजन के कोई मानदंड निर्धारित नहीं थे परिणामतः जे.ई.जे एवं ड्राफ्टसमैन के नियोजन में भिन्नताएं थी।
- 12 एवं 4¹⁰ सचिव सह कार्यकारी अधिकारी क्रमशः बोर्ड कार्यालय एवं जिला मार्केटिंग प्रवर्तन अधिकारियों (डी.एम.ई.ओ.) के कार्यालयों में संस्वीकृत पदों के बिना तैनात किए गए थे।
- 13 सहायक सचिवों को बोर्ड कार्यालय (8), जोनल प्रशासक कार्यालय (जेड.ए.ओ.) (4)¹¹ तथा जोनल मार्केटिंग प्रवर्तन कार्यालय (जेड.एम.ई.ओ.), रोहतक (1) में संस्वीकृत पदों

¹⁰ जींद, सिरसा, करनाल तथा सोनीपत।

¹¹ हिसार (1), करनाल (1) तथा गुरुग्राम (2)।

के बिना तैनात किया गया था जबकि 5 सहायक सचिव 5¹² मार्केट कमेटियों में संस्थीकृत पदों के आधिक्य में तैनात किए गए थे। दूसरी ओर, 37 मार्केट कमेटियों में कोई सहायक सचिव तैनात नहीं किया गया था।

- 5¹³ मार्केट कमेटियों में एक संस्थीकृत पद के विरुद्ध दो लेखाकार तैनात किए गए थे। आगे, 15 लेखाकार बोर्ड कार्यालय (7), निर्माण मण्डल (5), जेड.ए. कार्यालय (1) तथा डी.एस.ई.ओ. (1) कार्यालय में संस्थीकृत पदों के बिना तैनात किए गए थे जबकि 55 एस.सी. में कोई लेखाकार तैनात नहीं था।
- 14 मार्केट कमेटियों में नियोजित मंडी सुपरवाइजरों की संस्था संस्थीकृत पदों से अधिक थी जबकि 13 मार्केट कमेटियों में कोई मंडी सुपरवाइजर तैनात नहीं था।
- 15 मार्केट कमेटियों में, 46 नीलामी रिकार्डर उनके संस्थीकृत पदों से अधिक नियोजित किए गए थे तथा 13 व्यक्ति बोर्ड के कार्यालय (7), जेड.एम.ई.ओ. कार्यालय (3) तथा डी.एम.ई.ओ. कार्यालय (3) संस्थीकृत पदों के बिना तैनात किए गए थे जबकि कैडर में 269 पदों की कमी थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि स्टॉफ के नियोजन में युक्तिकरण प्रक्रियाधीन है।

2.1.11.2 एग्री-बिजनेस मैनेजरों को सांपी गई ड्यूटीज पर तैनात न करना

एग्री-बिजनेस मैनेजरों (ए.बी.एम.), कृषीय/बागवानी उत्पाद के मार्केटिंग के अवसर सृजन करने हेतु नियुक्त किए गए थे तथा एग्री-बिजनेस सेंटर्ज चलाने के लिए उत्तरदायी थे। उनके द्वारा कृषकों को बेहतर क्वालिटी के बीज, फर्टीलाइजरज, पेस्टीसाइडज, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु गाइड करना था तथा फसलों के विपथीकरण के माध्यम से उत्पाद को बेहतर मूल्य प्राप्त करने तथा मार्केट्स के साथ सर्विस एकीकरण के माध्यम से सुधार की गई फसल प्रबंध में सहायता की जानी थी।

बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2012-16 के दौरान 14 ए.बी.एमज में से चार एग्री-बिजनेस सेंटरज/कृषक सूचना केन्द्रों की बजाय बोर्ड कार्यालय में तैनात थे। बोर्ड कार्यालय में उनके लिए, उनको सांपी गई ड्यूटीज से संबंधित कोई कार्य नहीं था तथा इसलिए उनकी भर्ती का मूल प्रयोजन विफल हो गया। इस प्रकार, उनके वेतन एवं भत्तों पर किया गया (2012-16) ₹ 72.47 लाख के व्यय ने मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं किया।

¹²

पलवल, होडल, नीलोखेड़ी, कनीना तथा निंगधू।

¹³

हासी, जुंडला, रेवाड़ी, रोहतक तथा महम।

2.1.11.3 प्रशिक्षण

हरियाणा कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की पद्धति पर, विभिन्न लघु विभिन्न अवधि पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से कृषकों, व्यापारियों एवं कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं का प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित किया गया था। तथापि, प्रशिक्षण आवश्यकताएं आकलित नहीं की गई तथा प्रशिक्षण देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। 2011-16 के दौरान बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केवल 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। स्टेक होल्डरज अर्थात् कृषकों एवं लाइसेंसधारियों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था जबकि निधियां उपलब्ध थीं व्यापक 2011-16 के दौरान ₹ 40 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 14.59 लाख व्यय किए गए थे।

2.1.12 आंतरिक नियंत्रण

₹ 50 लाख से अधिक आय वाली मार्केट कमेटियों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष में दो बार की जानी थी तथा अन्य मार्केट कमेटियों के संबंध में वार्षिक लेखापरीक्षा की जानी थी। अनुपालना एवं उत्तर, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी होने के छः सप्ताह के अंदर भेजे जाने थे। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि गत पांच वर्षों के दौरान ¹⁴ मार्केट कमेटियों में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई जबकि 32 मार्केट कमेटियों में पांच वर्षों के दौरान केवल एक बार आंतरिक लेखापरीक्षा की गई (**परिशिष्ट 2.12**)। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा रही थी, आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आरंभिक उत्तर भी मार्केट कमेटियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आगे, निम्नानुसार यह अवलोकित किया गया कि:

- मार्केट फीस की चोरी/अपवंचन रोकने के लिए बोर्ड के पास एनफोर्समेंट स्टॉफ अर्थात् एक चीफ मार्केटिंग आफिसर, तीन जोनल मार्केटिंग एनफोर्समेंट अधिकारी तथा जिला एनफोर्समेंट अधिकारी थे। बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि औचक जांच की आवधिकता अथवा प्रत्येक एनफोर्समेंट स्टॉफ मेंबर का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 7 चयन किए गए जिलों में से, डी.एम.ई.ओ. फतेहाबाद एवं फरीदाबाद ने 2011-16 के दौरान क्रमशः केवल 15 एवं 11 औचक जांच की जबकि डी.एम.ई.ओ. कैथल ने एक भी औचक जांच नहीं की। औचक जांच के विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिए गए हैं।
- एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा निष्पादित बिटुमेन के कार्य के लिए बिटुमेन क्रय वाऊचरज, संबंधित रिफाइनरी से, उनकी यथार्थता के संबंध में सत्यापित करवाए जाने थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निर्माण मंडल, झज्जर तथा भिवानी में, बिलों की यथार्थता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित रिफाइनरी से बिटुमेन वाऊचर सत्यापिद नहीं करवाए गए थे यद्यपि 2011-16 के दौरान इन मंडलों द्वारा ₹ 91.10 करोड़ मूल्य के 113 नई सड़कों के निर्माण कार्य निष्पादित किए गए थे।
- पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 16.27.2 प्रावधान करता है कि साइट आर्डर बुक सही ढंग से बनाई जाएगी तथा कनिष्ठ अभियंता की सुरक्षित अभिरक्षा में कार्य के निष्पादन के

¹⁴

पीपली, बाबैन, सीवन, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, डींग तथा भूना।

दौरान स्थल पर रखी जाएगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पांच¹⁵ मंडलों में साइट आर्ड बुक नहीं बनाई गई थी।

- मंडलीय अधिकारियों द्वारा, बैंक गारंटियों (बी.जी.ज) की प्रमाणिकता बारे स्वतंत्र पुष्टि सीधे बैंकों से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। फिर भी पांच निर्माण मंडलों¹⁶ द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त बी.जी.ज की प्रमाणिकता बैंकों से सत्यापन नहीं करवाई गई।

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि कोडल प्रावधानों का अनुपालन करने तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ करने हेतु निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

2.1.13 निष्कर्ष

बोर्ड का कार्यचालन, विकास कार्यों के लिए दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना की कमी से दुर्बल था। बोर्ड का वित्तीय प्रबंध, त्रुटियों से बिगड़ा हुआ था जैसे अधिक निधियों का सावधि जमाओं में निवेश न करने के परिणामस्वरूप ₹ 6 करोड़ के ब्याज की हानि हुई तथा ₹ 126.44 करोड़ के वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति, गोदाम किराया तथा पानी एवं सीवरेज प्रभारों की अवसूली हुई। पूवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने तथा पी.ए.सी. की सिफारिशों के बावजूद मंडियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में त्रुटियां तथा मंडी भूमि पर अतिक्रमण जारी थे। प्लॉट अयोग्य लाइसेंसधारियों को आबंटित किए गए थे परिणामतः ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई मंडियों में कृषि से अन्य व्यापार चलाए जा रहे थे। वहां निर्माण कार्यों का अवमानक निष्पादन तथा अधिक भुगतान एवं ठेकेदारों से कुल ₹ 1.84 करोड़ की अवसूलियां भी थी। आगे, सरकार द्वारा आरंभ की गई कृषकों की सहायता/अनुसंधान स्कीमों कार्यान्वित नहीं की गई थी।

2.1.14 सिफारिशें

लेखापरीक्षा परिणामों के दृष्टिगत, सरकार/बोर्ड विचार कर सकते हैं:

- विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना;
- सुनिश्चित करना कि अधिशेष निधियां सावधि जमाओं में जमा करवाई जाती हैं तथा प्लॉट धारकों से वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति एवं देय समयबद्ध ढंग से वसूल किए जाते हैं;
- सरकार द्वारा आरंभ की गई स्कीमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; तथा
- बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ करना।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को सितंबर 2016 में संदर्भित किए गए थे। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2016)।

¹⁵ फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, जींद तथा करनाल।

¹⁶ फतेहाबाद, रोहतक, करनाल, फरीदबाद तथा सिरसा।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

2.2 पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक राज्य का एक मुख्य चिकित्सा संस्थान है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान प्रदान करना था। 2011-16 की अवधि के दौरान संस्थान की कार्यवाही पर निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जिसने इसकी राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के इसके संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने की योग्यता को क्षीण कर दिया। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

विशिष्टताएं

मास्टर योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए थे तथा मूल्यांकन का आकलन नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.2.6)

खरीद में देरी तथा अप्रचलित उपकरण से राज्य में चिकित्सा सेवाओं की प्रदानगी तथा शैक्षिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुईं।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

₹ 56.59 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर, सभागार तथा जननी एवं शिशु देखभाल अस्पताल, चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर के न खरीदने के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके।

(अनुच्छेद 2.2.8.3 (v))

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा जलने से घाव की रोकथाम हेतु पायलट कार्यक्रम को धीमी गति से लागू करने से मरीजों को स्कीमों के लाभ पहुंचाने में देरी हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

2.2.1 प्रस्तावना

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक राज्य का एक मुख्य चिकित्सा संस्थान है। संस्थान को 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में आरंभ किया गया था। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है। संस्थान में फार्मेसी तथा फिजियोथेरेपी के कॉलेज भी सम्मिलित हैं। कैलेंडर वर्ष 2011 से 2015 के दौरान (जनवरी 2011 से दिसंबर 2015), 84.01 लाख मरीज, दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग के

12.61 लाख मरीजों सहित को बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में परामर्श दिया तथा उपचार किया गया तथा इनमें से 5.02 लाख मरीजों को इनडोर मरीजों के तौर पर दाखिल किया गया।

संस्थान में मेडिसन स्नातक तथा शान्त्य चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस.) की 200, मेडिसन के डॉक्टर (एम.डी.)/सर्जरी के मास्टर (एम.एस.) कोर्स के लिए 145, चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 29, फार्मेसी में स्नातक के लिए 60, फार्मेसी में मास्टर के लिए 10 तथा फिजीयोथेरेपी में स्नातक (बी.पी.टी.) के लिए 30 सीटें हैं। इनडोर मरीजों के लिए 1,710 बैडों की सुविधा सहित 32 विभाग तथा 17 सुपर स्पेशलिटिज¹⁷ थे।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

संस्थान चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है तथा अपर मुख्य सचिव सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वाईस - चांसलर कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी हैं तथा पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं तथा संस्थान के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं। संस्थान का निदेशक प्रशासनिक प्रमुख है तथा उन्हें अस्पताल के लिए चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तथा शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक डीन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- क्या सेवाएं उचित प्रकार से योजनाबद्ध की जा रही थी;
- वित्तीय संसाधनों को प्रबंधन की कुशलता;
- चिकित्सा सुविधाएं तथा आधारभूत संरचना के प्रावधान में, स्कीमों को लागू करने तथा शैक्षिक तथा अनुसंधान के कार्यों को आयोजित करने में समयबद्धता;
- स्टॉफ की पर्याप्तता तथा उनके सर्वोत्तम उपयोगिता; तथा
- आंतरिक नियंत्रण की कुशलता एवं प्रभावशीलता।

2.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा 2011-16 की अवधि को कवर करते हुए दिसंबर 2015 तथा मई 2016 के मध्य की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा का केन्द्र बिंदु संस्थान के विभिन्न विभागों ने आधारभूत ढांचा की उपलब्धता, मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं जैसे कि ब्लड बैंक, दवाइयां, फायर फार्मिटिंग सिस्टम, पुस्तकालय इत्यादि सुनिश्चित करना था। अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के साथ मार्च 2016 में एंट्री काफ्रेंस तथा अगस्त 2016 में एग्जिट काफ्रेंस की गई। संस्थान से प्राप्त उत्तर तथा एग्जिट काफ्रेंस के दौरान अभिव्यक्त रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

¹⁷

1. बर्नज एंड प्लास्टिक सर्जरी, 2. कार्डियक सर्जरी, 3. कार्डियोलोजी, 4. क्लीनीकल हीमोटोलोजी,
5. डी.एन.ए. लैब, 6. एडोक्रीनोलोजी, 7. गेस्ट्रोएंट्रोलोजी, 8. मैडीकल ओंकोलोजी, 9. नैफ्रोलोजी,
10. न्यूरो सर्जरी, 11. न्यूरोलोजी, 12. पेडियट्रीक्स सर्जरी, 13. पलमोनरी एंड क्रिटीकल मैडिसिन,
14. रियूमैटोलोजी, 15. सर्जीकल गैस्ट्रोएंट्रोलोजी, 16. सर्जीकल ओंकोलोजी, 17. यूरोलोजी।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से लिए गए थे:

- पंडित भगवत् दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम तथा संविधि, 2008;
- पंजाब वित्तीय नियम, 1940 जैसा कि हरियाणा पर लागू;
- भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956;
- भारत के चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देश; तथा
- भारत सरकार की चिकित्सालय नियम - पुस्तक 2002

2.2.6 योजना

2.2.6.1 चिकित्सालय नियम - पुस्तक तथा मास्टर योजना को तैयार न करना

सेवाओं की कुशल तथा समयबद्ध डिलीवरी हेतु उचित योजना, दोनों दीर्घावधि व लघु अवधि, की आवश्कता होती है, ताकि संसाधनों को व्यवस्थित किया जा सके तथा विकसित आवश्यकताओं के साथ सुव्यवस्थित तरीके से अपेक्षित ढांचा किया जा सके। कुशलता संस्थान की कार्यवाहियों से संबंधित नियमों तथा पद्धतियों की रूपरेखा की नियम - पुस्तक को अपनाते हुए भी बढ़ाई जा सकती है जो शीघ्र तथा समयबद्ध निर्णय लेने योग्य बनाएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच. एंड एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार (भा.स.), ने एक चिकित्सालय नियम - पुस्तक तैयार की थी (जून 2002) जिसमें उल्लिखित किया गया कि एक चिकित्सालय द्वारा एक मास्टर योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें भौतिक ढांचा, भवन, उपकरण, फर्नीचर, मैनपावर तथा आवश्यक उपभोग्य के वितरण शामिल होने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने न तो इस नियम - पुस्तक का अनुसरण किया और न ही अपनी नियम - पुस्तक तैयार की। आगे, संस्थान द्वारा न तो मास्टर योजना अथवा वार्षिक योजना और न ही उद्देश्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाते हुए कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। किसी निर्धारित योजना अथवा नियम - पुस्तक की अनुपस्थिति में, चिकित्सालय की गतिविधियाँ/सेवाएं संरचनात्मक ढंग से प्रदान नहीं की जा रही थी तथा आंतरिक नियंत्रण की कमी थी।

संस्थान के निदेशक ने बताया (अगस्त 2016) कि चिकित्सालय नियम - पुस्तक की तैयारी हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। मास्टर योजना के संबंध में लघु अवधि (3 वर्ष), मध्यम अवधि (7 वर्ष) तथा दीर्घ अवधि योजना (15 वर्ष) के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था (जून 2016)।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

संस्थान में व्यय विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से किया जाता है। विद्यार्थियों से प्राप्त फीस, प्रयोगशाला प्रभार तथा इनडोर मरीज प्रभार के तौर पर संस्थान की प्राप्तियों को विश्वविद्यालय के बैंक खातों में जमा करवाया जाता है।

वर्ष 2011-16 के दौरान सहायता अनुदान के बजट प्रावधान तथा व्यय नीचे तालिका 2.2.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.2.1: योजना तथा गैर-योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना		गैर-योजना		कुल	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
2011-12	79.51	79.51	140.75	140.75	220.26	220.26
2012-13	81.91	81.91	135.13	135.12	217.04	217.04
2013-14	115.48	109.36	92.70	134.42	208.18	243.78
2014-15	147.75	148.97	127.50	142.74	275.25	291.71
2015-16	161.30	165.60	155.22	151.73	316.52	317.33
कुल	585.95	585.35	651.30	704.76	1,237.25	1,290.11

स्रोत: संस्थान द्वारा आपूर्ति डाटा।

नोट: अतिरिक्त व्यय, विश्वविद्यालय की आंतरिक प्राप्तियों से पूरा किया गया था।

₹ 1,290.11 करोड़ के कुल व्यय से, ₹ 950.07 करोड़ (74 प्रतिशत) संस्थान द्वारा वेतन एवं मजदूरी के भुगतान पर रखर्च किया गया। निर्माण कार्य पर व्यय ₹ 64.12 करोड़ (पांच प्रतिशत) था तथा मशीनरी और उपकरण पर यह ₹ 51.43 करोड़ (चार प्रतिशत) था। इसके अतिरिक्त, ₹ 22.70 करोड़ भारत सरकार से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त किए जिसके विरुद्ध ₹ 14.50 करोड़ वर्ष 2011-16 के दौरान रखर्च किया गया।

2.2.7.2 रिकार्ड के अनुरक्षण में कमियां तथा सदिग्द गबन

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 2.7 तथा 2.4 जोकि संस्थान पर लागू है, प्रावधान करते हैं कि कर्मचारी के मामले में, जो रोकड़ बही का प्रभारी न हो सरकार की ओर से धन की प्राप्ति करता है, उसे उस राशि को उस कर्मचारी को देना चाहिए जिसके पास रोकड़ बही है अथवा उसी दिन या अगले दिन सुबह राशि को बैंक में जमा करवाना चाहिए। 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में प्राप्तियों को जमा न करवाने के कारण ₹ 2.95 लाख का गबन का मामला लाया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि स्पेशल वार्डों की प्राप्तियों को एकत्रित करने वाले कर्मचारी ने 20 दिसंबर 2014 से 6 मई 2016 के दौरान सारी प्राप्तियों को मुख्य रोकड़िया के पास जमा नहीं करवाया। लेखापरीक्षा ने स्पेशल वार्डों की प्राप्तियों को तथा मुख्य रोकड़िया के पास वास्तव में जमा राशि का मिलान किया जिसने प्रकट किया कि ₹ 100.35 लाख की कुल प्राप्तियों के

विरुद्ध ₹ 95.45 लाख जमा करवाए (जनवरी 2015 - मई 2016) परिणामतः ₹ 4.90 लाख कम जमा करवाए जो संदिग्ध गबन को दर्शाती है। यह इंगित करने पर (मार्च - जून 2016), कर्मचारी ने ₹ 4.91 लाख मुख्य रोकड़िया के पास जमा (मार्च - जून 2016) करवा दिए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि संस्थान विभिन्न बैंकों में 28 बचत/चालू खाते चला रहा था परंतु बैंक मिलान नहीं किया जा रहा था (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मामले को पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विशिष्ट रूप से दर्शाने के बावजूद रोकड़ के प्रबंधन में आंतरिक नियंत्रण की लगातार कमी ने ऐसा वातावरण पैदा किया जिसने संस्थान के गबन के खतरे तथा निधियों की हानि को अनावृत किया।

संस्थान के निदेशक ने बताया (अगस्त 2016) कि राशि जमा करवा दी गई है तथा कर्मचारी को चार्जशीट भी किया गया है। आगे, धोखाधड़ी तथा गबन के उदाहरण को हटाने के लिए, सिक्योरिटी तथा हस्पताल प्रभारों को प्रतिदिन जमा करवाने हेतु अलग बैंक खाता खोलने के द्वारा नई प्रक्रिया अपनाई गई है। निदेशक ने यह भी बताया कि 28 खातों में से 25 के संबंध में बैंक मिलान किया जा चुका है।

2.2.7.3 अग्रिमों का समायोजन न करना

साख पत्र, विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिम तथा विभिन्न गतिविधियों को करने हेतु स्टॉफ को दिए गए अग्रिमों की समाविष्ट ₹ 8.12 करोड़¹⁸ की राशि एक से छः वर्षों के मध्य श्रृंखलित अवधि में असमायोजित पड़ी रही। इतनी लंबी अवधि के लिए अग्रिमों का असमायोजन वित्तीय नियमों की उल्लंघन थी तथा संस्थान को दुरुपयोग के खतरे से अनावृत करता है।

संस्थान के निदेशक ने बताया (नवंबर 2016) कि ₹ छः करोड़ की राशि समायोजित की गई है तथा शेष ₹ 2.12 करोड़ दिसंबर 2016 तक समायोजित किए जाएंगे।

2.2.7.4 संशोधित छात्रावास फीस प्रभारित न करने के कारण हानि

शुल्क निर्धारण कमेटी की सिफारिशों पर, कार्यकारी परिषद् ने 2013-14 सत्र से छात्रावास बकाया के फीस संरचना की बढ़ातरी को अनुमोदित किया (सितंबर 2013)। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि उन विद्यार्थियों से, जिन्होंने सत्र 2013-14 से पहले दाखिला लिया था, संशोधित दरों पर छात्रावास की देय राशि प्रभारित नहीं की जा रही थी परिणामतः संस्थान को ₹ 96.87 लाख की वित्तीय हानि हुई (परिशिष्ट 2.14)।

विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2016) कि विद्यार्थियों से प्रभारों के दो समूह नहीं हो सकते तथा मामले को देखा जाएगा।

¹⁸

2009-10: ₹ 0.21 करोड़, 2010-11: ₹ 0.46 करोड़, 2011-12: ₹ 0.60 करोड़,
2012-13: ₹ 0.81 करोड़, 2013-14: ₹ 3.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 2.71 करोड़।

2.2.8 चिकित्सा कार्य

2.2.8.1 अपर्याप्त मशीनरी तथा उपकरण

प्रर्याप्त मशीनरी तथा उपकरण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु पूर्व-आवश्यक हैं। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उपकरण व प्रयोगशालाओं की कमी थी, अप्रचलित उपकरण तथा खरीद में देरी के कारण चिकित्सा सेवाओं तथा शैक्षिक गतिविधियों के वितरण को बुरी तरह से प्रभावित किया (परिशिष्ट 2.15)। लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित की गई कुछ महत्वपूर्ण कमियां थीं:

- कार्डिक सर्जरी विभाग में 11 और 16 वर्षों के मध्य शृंखलित अप्रचलित मशीनरी का प्रयोग, एनसेथीसिया मशीनें, मैकेनिकल वैन्टीलेटर, इनफ्यूसन पंप तथा आई.सी.यू. बैड की कमी।
- कार्डियोलोजी विभाग में आई.सी.यू. बैड, ई.सी.जी. मशीन, सीरेंज इनफ्यूसन पंप, डेफीब्रिलेटर तथा ईको की अति कमी थी।
- नैफ्रोलोजी विभाग में हेमो-डायलिसिस मशीनों, मॉनीटरों तथा डायलिसिस कुर्सियों की कमी थी।
- रेडियोथेरेपी विभाग के द्वारा रेडियोथेरेपी प्रयोग होने वाली दिसंबर 2009 में भेजी गई अप्रचलित कोबाल्ट - 60 टेलीथेरेपी मशीन को बदलने के लिए लीनीयर एकलैरेट (लीनेक) खरीद हेतु प्रस्ताव लगभग सात वर्षों के बाद अभी भी कार्यान्वित होना शेष था।
- यूरोलोजी विभाग में जून 2011 से मई 2015 के दौरान लगाई गई मशीनरी तथा उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं थे।
- दृष्टि भयसूचक समस्याओं के उपचार के लिए आवश्यक एन.डी.-वाई.ए.जी. लेजर नेत्र विज्ञान विभाग में उपलब्ध नहीं था।
- रेडियो निदान विभाग में, सी.टी. स्कैन, मैग्नैटिक रिसोनस इमेजिंग सिस्टम (एम.आर.आई.), एक्स-रे यूनिट तथा अल्ट्रा साउंड मशीनों की कमी थी। आगे, डिजीटल घटाव एंजीयोग्राफी सिस्टम तथा पिक्चर आर्काइविंग कामन्यूकेशन सिस्टम उपलब्ध नहीं थे।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि उपकरण जैसे कि वैन्टीलेटर, हार्ट लंग मशीन, ई.सी.जी. मशीन तथा मॉनीटरस तथा एनेसथिसिया मशीनों को विभागों को आर्डर/डिलीवर किया गया था तथा शेष उपकरणों की खरीद सितंबर 2016 तक पूर्ण की जाएगी। यह भी बताया गया (नवंबर 2016) कि दस महत्वपूर्ण साईन मॉनिटरस एनसथीसिया विभाग में अब तक लगाए जा चुके हैं।

2.2.8.2 अन्य कमियां

(i) ब्लड बैंक

भारत सरकार ने ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटिड संक्रमण को मिटाने हेतु लोगों को सुरक्षित तथा पर्याप्त रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रक्त नीति (एन.बी.पी.) 2007 बनाई। एन.बी.पी. ने क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, ट्रांसफ्यूजन दवाई का अलग विभाग को स्थापना तथा नेटवर्क सुविधा विकसित करने हेतु प्रावधान किया परंतु विभाग ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के पद की स्वीकृति का मामला सरकार के साथ उठाया जाएगा। आगे, संस्थान का कंप्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन था तथा ट्रांसफ्यूजन दवाईयों के विभाग की स्थापना संस्थान के विचाराधीन थी।

(ii) बाल चिकित्सा विभाग

बाल चिकित्सा विभाग (यूनिट - I) का बिस्तर अधिभोग कलैंडर वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 126.13 तथा 241.90 प्रतिशत के मध्य शृंखलित था। बिस्तरों का बांटना, विशेषतया नवजात शिशुओं के संबंध में, संक्रमण के खतरे से परिपूर्ण था।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि कुछ बिस्तर जोड़े गए हैं तथा मामला मातृ एवं बाल हस्पताल, जो कि उन्नत अवस्था में है, के पूरा होने के साथ हल हो जाएगा।



एक बैड पर चार नवजात शिशु
(16 मई 2016)

(iii) प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभाग

स्त्रीरोग विभाग में, नए प्रसवपूर्ण मामलों का औसत दैनिक भीड़ प्रसूति कक्ष में 26 बिस्तरों की उपलब्धता के स्थान पर 50 से 60 मरीजों का था। वर्ष 2011-15 के दौरान विभाग में बिस्तरों की औसत अधिभोग 105 तथा 260 प्रतिशत के मध्य शृंखलित थी।



दो मरीज एक बैड को साझा करते हुए (14 मार्च 2016)

2.2.8.3 अन्य सुविधाएं तथा सेवाएं

(i) आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता

राज्य में सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी ओ.पी.डी. मरीजों/दुर्घटना के मामलों तथा प्रसव मामलों में अच्छी गुणवत्ता वाली दवाईयों की मुफ्त तथा अबाधित आपूर्ति के उद्देश्य से मुफ्त औषधि क्रय नीति जनवरी 2009 में प्रारंभ की गई। इसके पश्चात्, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज

योजना (एम.एम.आई.वाई.) जनवरी 2014 में प्रारंभ की गई जिसने आवश्यक औषधि सूची (ई.डी.एल.) निर्धारित की। नीति में कुल आवश्यकता से अधिक औषधियों की खरीद द्वारा तीन महीने के बफर स्टॉक के अनुरक्षण का प्रावधान किया।

संस्थान ने 2011-14 के दौरान 639 अपेक्षित औषधियों की सूची तैयार की तथा इसके बाद एम.एम.आई.वाई. द्वारा तैयार सूची को अपनाया। आवश्यकता के विरुद्ध खरीदी गई/उपलब्ध औषधियां नीचे तालिका 2.2.2 में दी गई हैं:

तालिका 2.2.2: आवश्यक, खरीदी गई औषधियों तथा कमी की संख्या को दर्शने वाले विवरण

वर्ष	एम.एम.आई.वाई. के पी.जी.आई.एम.एस. / ई.डी.एल. के अनुसार अपेक्षित औषधियों की संख्या	खरीदी गई/पी.जी.आई.एम.एस. में उपलब्ध औषधियों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशत
2011-12	639 (पी.जी.आई.एम.एस. की आवश्यकता के अनुसार)	327	312	49
2012-13	639 (पी.जी.आई.एम.एस. की आवश्यकता के अनुसार)	172	467	73
2013-14	639 (पी.जी.आई.एम.एस. की आवश्यकता के अनुसार)	407	232	36
2014-15	443 (एम.एम.आई.वाई. के ई.डी.एल. के अनुसार)	413	30	7
2015-16	443 (एम.एम.आई.वाई. के ई.डी.एल. के अनुसार)	397	46	10

स्रोत: संस्थान के अभिलेख।

इस प्रकार, 2011-16 के दौरान सात से 73 प्रतिशत औषधियां उपलब्ध नहीं थीं। संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि आवश्यक औषधियों की कमी क्रय प्रक्रिया में देरी तथा निधियों के अवरोधन के कारण थी क्योंकि ₹ 12 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध केवल ₹ 6 करोड़ प्राप्त हुए थे।

(ii) दवाइयों की गुणवत्ता आश्वासन की कमी

हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई दवाई खरीद एवं प्रबंधन नीति, 2012 ने प्रावधान किया कि प्रत्येक बैच से नमूना वितरण से पहले जांचा जाएगा। यह देखा गया कि संस्थान के पास न तो अपना गुणवत्ता नियंत्रण सैल था न ही वितरण से पहल दवाइयों को जांचा जा रहा था। इस प्रकार, प्रेषित माल को स्वीकार करने से पहले दवाइयों की गुणवत्ता जांच नहीं की जा रही थी।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि इतनी अधिक मात्रा में औषधियां, उपकरणों तथा उपभोग्य की जांच हेतु आंतरिक सुविधा लागत प्रभावी नहीं होगी तथा भारी निवेश तथा मैनपावर अपेक्षित होगे। संस्थान का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रेषित माल को स्वीकर करने से पूर्व औषधियों की जांच आवश्यक है तथा संस्थान को मान्यता प्राप्त अनुमोदित प्रयोगशालाओं से चाहे आंतरिक अथवा बाहरी स्रोत जांच हेतु सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(iii) बायो-मैडिकल वेस्ट का संग्रहण तथा परिवहन

बायो-मैडिकल वेस्ट भस्मक के डिजाइन तथा निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, भस्मक कक्ष के साथ संलग्न एक अपशिष्ट संग्रहण क्षेत्र होगा। यह उचित प्रकार से हवादार होना चाहिए तथा इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि अपशिष्ट रैक में एकत्रित किया जा सके तथा धुलाई आसानी से हो सके। भस्मक तथा भंडार गृह के फर्श तथा भीतरी दीवारों पर अभेघ तथा ग्लेज धातु की बाहरी कवरिंग होनी चाहिए ताकि प्रत्येक धुलाई के बाद नभी अवरोधन से बचाया जा सके। यह देखा गया कि भस्मक के साथ संलग्न अपशिष्ट भंडार गृह में रैक नहीं थे तथा अपशिष्ट के बैग फर्श पर पड़े हुए थे (चित्र I)।

		
फर्श पर पड़े अपशिष्ट के बैग (चित्र - I) (04 फरवरी 2016)	ग्लेज धातु से कवर नहीं की गई ऑटो कलेव तथा कतरन कक्ष फर्श तथा भीतरी दीवारें (चित्र - II) (04 फरवरी 2016)	भस्मक तथा जल पंप के निकट खुले में पड़ा सॉलिड वेस्ट तथा बायो-वेस्ट (चित्र - III) (04 फरवरी 2016)

अपशिष्ट भंडार आटो-कलेव तथा कतरन कक्ष उचित प्रकार से हवादार नहीं थे तथा फर्श और भीतरी दीवारें ग्लेज धातु से कवर नहीं की गई थी (चित्र-II)। सॉलिड वेस्ट तथा बायो-वेस्ट भस्मक तथा जल पंप के निकट खुले में पड़े थे जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण था (चित्र-III)। 28 अक्टूबर 2015 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित नमूनों को विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, बदबू का स्तर, कुल स्पैडिंग सॉलिड, बायो आक्सीजन मांग, कैमिकल आक्सीजन मांग तथा तेल तथा ग्रीस अनुमेय सीमा से कहीं अधिक थी (परिशिष्ट 2.19)।

एम.पी.एच.डब्ल्यू. द्वारा 2002 में जारी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार एक अपशिष्ट प्रबंधन कमेटी हस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तथा इसके पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु कार्य योजना बनाने हेतु गठित की जानी आवश्यक थी। तथापि, संस्थान द्वारा एसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई थी (अक्टूबर 2016)।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के सुधार हेतु कार्य के लिए पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निविदाएं आमत्रित की गई थी। बहिःसाव की गुणवत्ता के संबंध में, यह बताया गया कि बहिःसाव उपचार प्लांट (ई.टी.पी.) को लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन था।

(iv) अपर्याप्त फायर फाईटिंग प्रक्रिया

भारत सरकार के हस्पताल मैनुअल आग की रोकथाम के लिए सुरक्षा कमेटी के गठन के लिए प्रावधान करते हैं। उच्च आग जोखिम क्षेत्र जैसे ओटी., प्रयोगशाला, भंडार, मैडिकल रिकार्ड, धुलाई घर तथा रसोईघर विभाग के पास स्वचलित आग एवं गर्मी सक्रिय अलार्म सिस्टम होना चाहिए। मध्यम तथा बड़े आकार के हस्पताल के पास कार्यरत विद्युत पंप के साथ अग्नि हाइड्रेन्ट सुविधा होनी चाहिए। आगे, फायर फाईटिंग की मोक ड्रिल समय-समय पर की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संस्थान द्वारा न तो अग्नि सुरक्षा कमेटी का गठन किया

गया था न ही विभिन्न फायर फाईटिंग सिस्टम सही स्थान पर रखे थे।

संस्थान ने बताया (नवंबर 2016) कि अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद अतिमकृत किया जाएगा।

(v) उपलब्ध आधारभूत संरचना का उपयोग न करना

संस्थान ने विभिन्न भवनों के निर्माण पर भारी निधियां व्यय की थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ 56.59 करोड़ की लागत से निर्मित आधारभूत संरचना शेष कार्यों के पूरा होने में देरी के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके जैसाकि तालिका 2.2.3 में नीचे वर्णित किया गया है:

तालिका 2.2.3: आधारभूत संरचना का उपयोग न करने को दर्शने वाले विवरण

आधारभूत संरचना के विवरण	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
ट्रॉमा सेंटर: ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य फरवरी 2008 में आर्बटिट किया था। भवन जनवरी 2013 में पूर्ण हो गया था।	21.17	भवन संस्थान द्वारा गैस मनीकोल्ड के पूरा न होने, फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण भशीनरी न खरीदने के कारण नहीं लिया गया।
सभागार: 2006 - 07 में 1000 से 1500 की क्षमता वाले कोमन एसैबली हाल का अनुमोदन प्रदान किया गया था। सभागार मई 2013 में पूर्ण हो गया था।	20.39	सभागार, संस्थान द्वारा नहीं लिया गया क्योंकि अग्नि शमन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं किया गया (मई 2016)। मामला मई 2014 से निदेशक, अग्नि सेवाएं के पास पड़ा था।
माता एवं शिशु देखभाल हस्पताल: ₹ 11.48 करोड़ की भवन हेतु संस्थान की फरवरी 2006 में प्रदान की गई थी। भवन जनवरी 2013 में पूर्ण हो गया था।	15.03	गैस मनीकोल्ड पाईपलाइन, फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण तथा भशीनरी के बकाया कार्य के कारण भवन संस्थान को नहीं दिया जा सका (मई 2016)।
कुल	56.59	

स्रोत: सूचना संस्थान के अभिलेखों से संकलित की गई।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि ट्रॉमा सेंटर, सभागार भवन, माता एवं शिशु देखभाल हस्पताल सभी प्रकार से पूर्ण होने की प्रक्रिया में थे तथा शीघ्र ही परिचालित किए जाएंगे। सभागार भवन के लिए अग्निशमन विभाग से एन.ओ.सी. के संबंध में, यह बताया गया कि फायर फाईटिंग सिस्टम के लिए निविदा प्रक्रिया एक मास के भीतर पूरी कर ली जाएगी। तथापि, कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए थे (नवंबर 2016)।

2.2.8.4 स्कीमों को लागू करना

(i) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

योग्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) मार्च 2006 में घोषित की गई। स्कीम का अनुमानित परिव्यय ₹ 150 करोड़ प्रति संस्थान था (₹ 125 करोड़ केन्द्रीय शेयर तथा ₹ 25 करोड़ राज्य शेयर)। इसमें से, ₹ 55.30 करोड़ सिविल कार्यों के लिए था, ₹ 79.70 करोड़ चिकित्सा उपकरण के लिए तथा ₹ 15 करोड़ सलाहकारिता तथा आकस्मिकता के लिए थी। चिकित्सा उपकरण की खरीद के लिए केन्द्रीय शेयर के तौर पर दिसंबर 2011 में संस्थान को ₹ 17.75 करोड़ तथा राज्य शेयर के तौर पर जुलाई 2013 में ₹ 25 करोड़ जारी

किए गए। तथापि, मशीनरी तथा उपकरण पर केवल ₹ 2.63 करोड़ का खर्च किया गया (दिसंबर 2015)। चिकित्सा उपकरण की खरीद हेतु सितंबर 2013 में एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया परंतु खरीद नहीं की जा सकी क्योंकि उनके साथ निबंधन एवं शर्त अंतिम नहीं की गई थी (मई 2016)। इस प्रकार, शर्तों एवं प्रक्रियाओं का अंतिमकरण करने में देरी के परिणामस्वरूप जिन उद्देश्यों के लिए संस्थान को निधियां जारी की गई थी, पांच वर्ष के बाद भी उपकरण नहीं खरीदे गए।

संस्थान ने लंबी क्रय प्रक्रिया को देरी का कारण ठहराया (अगस्त 2016) तथा बताया कि ₹ 18.50 करोड़ की मशीनरी हेतु क्रय आदेश जारी किया जा चुका था तथा शेष उपकरणों की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

(ii) मानसिक स्वास्थ्य में सेंटर ऑफ एक्सीलैंस

भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य में सेंटर ऑफ एक्सीलैंस के विकास हेतु ₹ 30 करोड़ की सहायता अनुदान का प्रावधान किया जो कि मार्च 2012 के अंत तक परिचालन किया जाना था। स्कीम ने दो घटक के अर्थात् पूँजीगत कार्य तथा तकनीकी, गैर-तकनीकी उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद। भारत सरकार ने ₹ 20.84 करोड़ (₹ 5.28 करोड़ अक्टूबर 2009 में तथा ₹ 15.56 करोड़ अगस्त 2010 में) निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एस.एच.एस.) को जारी किए जिन्होंने आगे ₹ 15.84 करोड़ दिसंबर 2010 तथा अगस्त 2013 के मध्य संस्थान को जारी किए।

अभिलेखों के अवलोकन ने प्रकट किया कि ₹ 12.40 करोड़ की लागत से निर्मित छात्रावास भवन तथा ट्रेनिंग ब्लॉक फर्नीचर तथा फिक्सचर, विद्युतीय मदें, लिफ्ट तथा सब-स्टेशन लगाने की कमी के कारण क्रियाशील नहीं किए जा सके (मई 2016) यद्यपि इन मदों की खरीद/प्रदान करने हेतु ₹ 3.44 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे। ₹ 5 करोड़ भी निदेशक, एस.एच.एस. के पास थे जबकि स्कीम के अंतर्गत ₹ 9.16 करोड़ शेष अनुदान भारत सरकार से भी प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार, सेंटर ऑफ एक्सीलैंस के अंतर्गत निर्मित भवन तीन वर्षों तक अनुपयोगी रहा।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि एक छात्रावास निर्मित किया गया था तथा हाल ही में उद्घाटन किया गया है।

(iii) जले धाव से बचाव हेतु पायलट कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी सिस्टम के तृतीय स्तर पर जले धाव की देखभाल के प्रबंधन तथा चिकित्सा पनर्वास सेवाएं प्रदान करते हेतु पूर्णरूप से बर्न देखभाल सेवाओं की स्थापना हेतु एवं प्रशिक्षित मेनपावर विकसति करने हेतु बर्न इंजरी से बचाव हेतु पायलट कार्यक्रम आरंभ किया (2010)। भारत सरकार ने संस्थान को मार्च 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य रैप के निर्माण, वार्डों के साथ जोड़ने के लिए लिफ्टों को लगाने, गैस पाइप लाईन बिछाने तथा इन्टैसिव केर यूनिट को क्रियाशील बनाने हेतु उपकरण की खरीद करने हेतु संस्थान को ₹ 2.67 करोड़ की निधियों का प्रावधान किया। संस्थान ने परिवर्तन, बर्न यूनिट के नवीनीकरण

तथा रैप के निर्माण हेतु फरवरी 2015 तक ₹ 2 करोड़ उपयोग किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

(ए) रैप पूर्ण किया गया था परंतु दोषपूर्ण डिजाईन के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा सका;

- (बी) आईसीयू को जोड़ने के लिए सैट्रल आक्सीजन तथा सुक्ष्म गैस पाइपलाइन को बिछाने का कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया था (अगस्त 2016);
- (सी) ₹ 31.63 लाख का व्यय उपकरण तथा दो वैंटिलेटरों की खरीद पर किया गया। तथापि, वैंटिलेटर नहीं लगाए गए थे (अगस्त 2016) जबकि भूतल के साथ विभाग को जोड़ने के लिए लिफ्ट प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, बर्न देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हेतु स्कीम का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि भवन के लिए स्वीकृत ₹ 2 करोड़ पहले से ही उपयोग किए जा चुके हैं तथा भवन को लेने से पहले डी.जी.एच.एस. कार्यालय द्वारा अपेक्षित जांच अभी लंबित थी। शेष उपकरण की खरीद तथा मेनपावर की नियुक्ति का प्रस्ताव संस्थान में प्रक्रियाधीन था (अगस्त 2016)।

2.2.9 शैक्षणिक कार्य

(i) स्नातकोत्तर (पी.जी.) सीट न बढ़ाया जाना

डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने स्नातकोत्तर/शिक्षा चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2012 अधिसूचित किया, जिसमें अध्यापक विद्यार्थी अनुपात में 1:1 से 1:2 तथा प्रति वर्ष प्रति यूनिट में 4 से 5 पी.जी. विद्यार्थियों को करने की ढील दी गई। शैक्षणिक वर्ष 2013 - 14 से पी.जी. सीटों में बढ़ौतरी हेतु प्रस्ताव भी भारत सरकार द्वारा मांगा गया था।

लेखापरीक्षा ने निम्न अवलोकन किया:

- (ए) विभिन्न विभागों में पी.जी. सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव संस्थान द्वारा जनवरी 2013 में राज्य सरकार को भेजा गया। सीटें ¹⁹ 10 विभागों में बढ़ाई जानी थी। बढ़ाए जाने वाली प्रस्तावित सीटों की कुल संख्या डिग्री में परिवर्तित की जाने वाली 15 डिप्लोमा सीट सहित 34 थी। सरकार ने पी.जी. सीटों को बढ़ाने की अनुमति सितंबर 2013 में सूचित की। मामला आगे, भारत सरकार को अप्रैल 2014 में भेजा गया तथा भारत सरकार ने सात सीटें बढ़ाने के लिए पांच विभागों को अनुमति दी (फरवरी 2015)।
- (बी) शेष पांच²⁰ विभागों में, एम.सी.आई. ने आपत्ति उठाई, जो संस्थान द्वारा अनुपालन नहीं की गई (अगस्त 2016) परिणामस्वरूप पी.जी. सीटों में वृद्धि नहीं हुई।
- (सी) 15 डिप्लोमा सीटें, डिप्लोमा सीटों के सृजन के संबंध में अधिसूचना की प्रति एम.सी.आई. को प्रस्तुत न करने के कारण डिग्री में परिवर्तित नहीं की जा सकी; तथा

¹⁹ पैथोलोजी, ई.एन.टी., जनरल सर्जरी, नेत्र विज्ञान, चिकित्सा त्वचा, बाल चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, टी.बी. तथा श्वास संबंधी चिकित्सा तथा हड्डी रोग चिकित्सा।

²⁰ सर्जरी, नेत्र विज्ञान चिकित्सा, बाल चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा, हड्डी रोग चिकित्सा।

(डि) प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग में, 9 से 17 सीटें बढ़ाने का मामला तीन वर्षों के अंतराल के पश्चात् अप्रैल 2015 में राज्य सरकार को भेजा गया परंतु अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था (अगस्त 2016)।

इस प्रकार, 42 पी.जी. सीटों (प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की आठ सीटों को मिलाकर) में से 35 बढ़ाई नहीं जा सकी।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि एम.सी.आई. द्वारा इंगित कियों को हटाने के बाद, पी.जी./एम.डी. सीटों में बढ़ोत्तरी हेतु तथा डिप्लोमा सीटों का पी.जी. सीटों में परिवर्तन हेतु मामला पुनः प्रस्तुत किया गया था।

(ii) फार्मसी कॉलेज

तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा अनुसंधान उन्नयन स्कीम के लिए सितंबर 2013 में ₹ 16.20 लाख की सहायता अनुदान जारी की गई। स्कीम के अंतर्गत, रोटरी फिल्म ईवाथोरेटर, माइक्रोस्कोप केस कौन्ट्रास्ट तथा जैल डाक्यूमेंटेशन सिस्टम खरीदे जाने थे। परियोजना की अवधि तीन वर्ष थी। यद्यपि ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निधियां जारी होने के दो वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी, कोई उपकरण खरीदा नहीं गया था (मई 2016)। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा हाई परफोरमेंस लिकिवड क्रोमेटोग्राफी, आटोमेटिड फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, हाई परफारमेंस एल.सी. - एम.एस., डिफ्रेशियल स्क्रीनिंग कोलोरीमीटर, काम्पैक्ट मास स्पैक्ट्रोमीटर, ग्रीन हाऊस टूंटीग्रेटिड, फार्माकोग्नोसी टिशु कल्चर प्रयोगशाला तथा एलीमेंटल एनालाईजर (सी.एच.एन.एस.ओ.) के लिए मांग 2013 में संस्थान के निदेशक को प्रस्तुत की गई थी परंतु मई 2016 तक इन उपकरणों की खरीद नहीं की गई थी। इन कियों ने कॉलेज की शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्यवाहियों को प्रभावित किया।

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि उपकरण की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

(iii) फार्माकोलोजी विभाग

एम.बी.बी.एस. टीचिंग के लिए अपेक्षित प्रयोगशालाएं अप्र्याप्त थी क्योंकि तीन की आवश्यकता के विरुद्ध वहां केवल दो प्रदर्शन कक्ष थे। कंप्यूटर बनावट द्वारा बड़ी मात्रा में बदले जा रहे एनिमल परीक्षण के विचार से, संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ 15 कंप्यूटर की आवश्यकता थी जो विभाग द्वारा अप्रैल 2014 से बार-बार मांग के बावजूद प्रदान नहीं की गई थी (मई 2016)। पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रयोगशाला उपकरण जैसा कि हाई परफोरमेंस लिकिवड क्रोमाटोग्राफी, स्पैक्ट्रो फ्लयूरो मीटर, वाक कोल्ड रूम भी 2009 से नहीं खरीदे गए थे (मई 2016)।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि प्रयोगशाला का स्थान बढ़ाया गया था तथा उपकरण की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

2.2.10 चिकित्सा अनुसंधान

2.2.10.1 अनुसंधान की गुणवत्ता

स्कोपस सॉफ्टवेयर²¹ के अनुसार संस्थान द्वारा तैयार कुल संख्या 3,004 अनुसंधान दस्तावेज एच-इडैक्स के लिए विचार किए गए थे। इनमें से, संस्थान के 35 पेपर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जरनल में इसके आरंभ से उल्लेखित किए गए थे (20 मई 2016)। इसका अर्थ था कि संस्थान का एच-इडैक्स²² 35 था। तुलना में, पी.जी.आई.एम.ई.आर., चण्डीगढ़ का एच-इडैक्स 93 था जबकि ए.आई.आई.एम.एस. देहली का एच-इडैक्स 42 था। 21 विभागों में, एच-इडैक्स अप्रैल 2016 में 0 और 16 के मध्य श्रृंखलित था (परिशिष्ट 2.20) जिसमें 8 विभागों में संचयी एच-इडैक्स 3 एवं 10 के मध्य तथा 13 विभागों में 0 एवं 1.86 के मध्य श्रृंखलित संचयी एच-इडैक्स के संबंध में प्रति फैकलटी औसत अंशदान शामिल है। इस प्रकार, यह विभाग संस्थान में बहुत पहले से स्थापित होने के बावजूद, सीमित अनुसंधान कार्य किए जो संस्थान के आकार तथा अनुभव के अनुरूप नहीं था।

2.2.10.2 अनुसंधान स्कीमों को लागू करना

(i) बहु-अनुशासनिक अनुसंधान यूनिट की स्थापना

बहु-अनुशासनिक अनुसंधान यूनिट (एम.डी.आर.यूज) की स्थापना हेतु स्कीम मूलभूत संरचना में रिक्तता को भरने, जो मेडिकल कालेजों में स्वास्थ्य अनुसंधान में बाधा डाल रहा था, के उद्देश्य से जुलाई 2013 में आरंभ की गई। स्कीम के अंतर्गत, ₹ 5.25 करोड़ की वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी। इसमें से, ₹ 1.25 करोड़ संस्थान को प्रथम किश्त के तौर पर प्रदान की गई (सितंबर 2013)। यद्यपि, तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, अनुसंधान यूनिट की स्थापना नहीं की गई थी तथा राशि अप्रयुक्त पड़ी थी (अगस्त 2016)। इसके अतिरिक्त, संस्थान ₹ चार करोड़ की शेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त न कर सका।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि सिविल कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा उपकरण की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

(ii) वायरल अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला

महामारी तथा प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन हेतु वायरल अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशालाओं (वी.आर.डी.एल.) के नेटवर्क स्थापित करने हेतु दिसंबर 2014 में ₹ 1.30 करोड़ की निधियां प्राप्त हुईं। स्कीम जन-स्वास्थ्य स्तर पर मृत्युदर का कारण वायरस तथा अन्य एजेंट की समय पर पहचान हेतु मूलभूत संरचना के निर्माण तथा स्वास्थ्य संबंधी तथा अनुसंधान करने वालों को ट्रेनिंग प्रदान करने वाले नवीन तथा अनजान वायरस की पहचान हेतु क्षमता को विकसित करने हेतु स्कीम में सम्मिलित था। यद्यपि, दो वर्ष बीत चुके थे, वी.आर.डी.एल. अभी तक स्थापित नहीं की गई थी (अगस्त 2016)।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि भवन कार्य का नवीनीकरण तथा उपकरण की खरीद प्रक्रियाधीन थी।

²¹ स्कोपस शैक्षणिक पत्रिका लेख के लिए एबसट्रेक्ट तथा सिटेशन सहित बितलियोग्राफिक डाटा बेस है।

²² एच-इडैक्स (हाईरश इडैक्स) प्रकाशन पर उत्पादकता तथा दृष्टांत प्रभाव दोनों को मापने हेतु प्रयास करता है।

2.2.11 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.11.1 स्टॉफ की कमी

संस्थान में मेडिकल, पैरा-मेडिकल, लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ के विभिन्न संवर्गों में 4,676 कर्मचारियों के स्वीकृत पद थे जिसके विरुद्ध मार्च 2016 को 2,692 (58 प्रतिशत) कार्यरत थे। 2011-16 की अवधि के लिए विभिन्न संवर्गों में वर्षावार स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या परिशिष्ट 2.21 में दी गई है।

इस अवधि के दौरान विकट स्तर पर कैडर वार स्वीकृत पद तथा मैन-इन-पोजीशन तालिका 2.2.4 में दी गई है।

तालिका 2.2.4: स्वीकृत स्टॉफ (एस), भरे हुए (एफ) तथा रिक्त (वी) की स्थिति दर्शनी वाले विवरण

पद का नाम	वर्ष														
	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16		
	एस	एफ	वी												
वरिष्ठ प्रोफेसर	75	60	15	75	61	14	75	62	13	75	63	12	83	60	23
अध्यापक	289	211	78	289	207	82	289	213	76	288	212	76	290	226	64
वरिष्ठ रेजीडेंट	191	97	94	191	93	98	191	94	97	191	88	103	261	95	166
डेमोन्स्टरेटर	62	50	12	62	50	12	62	45	17	62	48	14	74	57	17
नर्सिंग सिस्टर	155	149	06	155	154	01	198	152	46	198	181	17	228	172	56
स्टॉफ नर्स	618	548	70	618	581	37	703	588	115	703	652	51	1118	649	472
कुल	1,390	1,115	275	1,390	1,146	244	1,518	1,154	364	1,517	1,244	273	2,054	1,259	798
रिक्ति की प्रतिशतता	20			18			24			18			39		

स्रोत: संस्थान द्वारा दी गई सूचना।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2011-16 के दौरान विकट स्तर पर रिक्तता प्रतिशत 18 तथा 39 के मध्य शृंखलित थी।

17 सुपर स्पेशलिटी विभागों में से, पांच²³ विभाग बिना शिक्षण फैकल्टी के थे तथा इसलिए सुपर स्पेशलिटीज के तौर पर स्थापित नहीं किए जा सके। आगे, चार²⁴ सुपर स्पेशलिटी विभागों में प्रत्येक में केवल एक फैकल्टी उपलब्ध थी परिणाम यह हुआ कि इन विभागों में डाक्टर ऑफ मेडिसिन/मास्टर ऑफ एम.सी.एच.एम./एम.सी.एच.) कोर्स आरंभ नहीं किए जा सके (अप्रैल 2016) क्योंकि पी.जी. मेडिकल एजुकेशन अधिनियम, 2000 वर्णित करता है कि एक सुपर स्पेशलिटी विभाग में एक सीनियर प्रोफेसर तथा दो से तीन एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर होने चाहिए। इस प्रकार, सुपर स्पेशलिटी के लाभ मरीजों को नहीं प्रदान किए जा सके।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि विभिन्न संवर्गों में स्टॉफ की नियुक्ति के लिए विज्ञापन शीघ्र ही प्रकाशित किए जाएंगे।

²³ क्लीनिकल हिमाटोलोजी, डी.एन.ए. लैब, मैडीकल ओंकोलोजी, रियूमैटोलोजी तथा सर्जीकल ऑंकोलोजी।

²⁴ कार्डियोलोजी, नेफ्रोलोजी, न्यूरोलोजी तथा गैस्ट्रोएंट्रोलोजी।

2.2.11.2 मेडिकल/पैरामेडिकल स्टॉफ को ट्रेनिंग प्रदान न करना

संस्थान द्वारा मेडिकल/पैरामेडिकल स्टॉफ को ट्रेनिंग प्रदान करने बारे कोई लक्ष्य नियत नहीं किए थे। 2011-16 के दौरान केवल 13 फैकलटी सदस्यों को ट्रेनिंग प्रदान की गई थी। उस अवधि में संस्थान में किसी पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षित नहीं किया गया था। ट्रेनिंग के अभाव में, मानव संसाधन के उचित कौशल विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि मेडिकल/पैरामेडिकल स्टॉफ को अनुमोदित ट्रेनिंग कार्यक्रम के अनुसार ट्रेनिंग प्रदान की जा रही थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि केवल कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रदान की गई थी। मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ को तकनीकी ट्रेनिंग प्रदान नहीं की गई थी।

2.2.12 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों तथा विनियमों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। विभाग में आंतरिक नियंत्रण स्कीमों को लागू करने में, निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग, लेखे/निधियों के रख-रखाव इत्यादि में अपर्याप्त थे। परिणामस्वरूप, स्कीमों को लागू करना तथा निर्माण कार्य अधूरे पड़े रहे जबकि आवश्यक दवाइयों, सर्जिकल मद्दें, उपकरण तथा मशीनरी की खरीद में अनुचित विलंब था जिसने चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में तथा शैक्षणिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया।

2.2.13 निष्कर्ष

इस प्रकार, संस्थान द्वारा किसी दीर्घावधि योजना में कमी थी जो कि इसकी बढ़ती आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के सुनियोजित विकास को सुगम बना सकते थे। आवश्यक उपकरण तथा मशीनरी की खरीद में लंबे समय से देरी थी जो मरीजों को उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में तथा दवाइयों की कमी के बारे में विकट था। ₹ 56.69 करोड़ की लागत से निर्भित आधारभूत संरचना सहायक गतिविधियों तथा निर्माण कार्य के पूरा होने में अनुचित देरी के कारण प्रयोग में नहीं लाए जा सके। आधारभूत संरचना तथा अनुसंधान तथा निवान सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना तथा स्कीमों को लागू करने के लिए संस्थान द्वारा प्राप्त निधियों के उपयोग में विलंब था।

2.2.14 सिफारिशें

लेखापरीक्षा परिणामों के प्रकाश में, सरकार विचार कर सकती है:

- (i) मास्टर प्लान तैयार करना तथा अस्पताल नियम-पुस्तक के साथ सम्यबद्ध तरीके से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य नियत करना;
- (ii) उपकरण, मशीनरी की खरीद तथा काम में लाना तथा भवनों की मरम्मत को शीघ्रता से करने हेतु पद्धति को सरल एवं कारगर बनाना;
- (iii) दवाइयों के परीक्षण तथा बायो-मेडिकल वेस्ट को एकत्रित करने/उनका निपटान करने के लिए औपचारिक संरचना को विकसित करना; तथा
- (iv) विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरना।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को सितंबर 2016 में सूचित गए थे। इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2016)।

स्कूल शिक्षा विभाग

2.3 बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में पारित किया गया था तथा अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अधिनियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक तथा उचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2010-16 की अवधि के दौरान अधिनियम के लागू होने बारे निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जो कि अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति को कम करता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं:

विशिष्टताएं

नमूना - जांच किए गए स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की पहचान हेतु घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः, बच्चों की संख्या की परिणामना, जोकि आवृत की जानी थी, केवल आंकलन पर आधारित थी।

(अनुच्छेद 2.3.6.1)

नमूना - जांच किए गए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कमरे, पीने का पानी, रसोई घर शैड, शौचालय, डैस्क, पुस्तकालय तथा स्वेल का भैदान प्रदान करने में कमियां थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.2)

विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों, वर्दी, लेखन सामग्री तथा बस्ते प्रदान करने में देरी थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.4(i))

अधिनियम के उल्लंघन में 2011-16 के दौरान राज्य में 514 से 821 गैर-मान्यताप्राप्त स्कूल कार्यरत थे।

(अनुच्छेद 2.3.8.7)

2.3.1 प्रस्तावना

संविधान का (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002, भारत के संविधान में डाली गई अनुच्छेद - 21ए 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु इस तरीके से प्रावधान करती है जैसे कि राज्य, विधि द्वारा निर्धारित करे। अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) को मुख्य वाहन के रूप से चुना गया। इसके पश्चात् बच्चों की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 पारित किया गया तथा अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राज्य ने आर.टी.ई. के प्रावधानों को लागू करने के लिए जून 2011 में नियम अधिसूचित किए गए। आर.टी.ई. प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक तथा उचित

गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो विशेष आवश्यक मानदंड तथा स्तर को संतुष्ट करती है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

आर.टी.ई. का कार्यान्वयन सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित किया गया था। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (डी.ई.ई.) विभाग के प्रमुख थे। राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (परिषद) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.ज), खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.ज), खंड संसाधन समन्वयक (बी.आर.सी.ज) तथा स्कूल प्रबंधन कमेटी (एस.एस.सी.ज) राज्य में आर.टी.ई. को लागू करने के लिए उत्तरदायी थे।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या:

- योजना की प्रक्रिया पर्याप्त थी;
- आबंटित निधियां मितव्यायिता तथा प्रभावी ढंग से प्रयोग की जा रही थी;
- अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के मध्य वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में बनाने के इसके उद्देश्य को प्राप्त किया; तथा
- प्रभावी निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा अप्रोच, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

अप्रैल 2016 में ए.सी.एस., हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ एंट्री कान्फ्रेंस की गई, जिसमें अधिनियम के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा लेखापरीक्षा मानदंड से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। अप्रैल-जुलाई 2016 के दौरान 21 जिलों में से तीन जिलों के 12 ब्लाकों के 90 स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन, स्कूलों में प्रदान सुविधाएं, स्कूलों में उपलब्ध आधारभूत ढांचा तथा अध्यापकों की तैनाती से संबंधित 2010-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। इन तीन जिलों को प्रोबेल्टी प्रोपर्शनल टू साईंज विदाउट रिप्लेसमैंट पद्धति को अपनाते हुए चुना गया तथा स्कूलों को सामान्य रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमैंट पद्धति को प्रयोग करते हुए चुना गया। इसके अतिरिक्त, कैथल और पानीपत के नौ स्कूलों की नव-निर्मित कक्षाओं का भौतिक सत्यापन भी किया गया। ए.सी.एस., स्कूल शिक्षा विभाग के साथ सितंबर 2016 से आयोजित एग्जिट काफ्रेंस में लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार-विमर्श किया गया। विभाग के उत्तर तथा एग्जिट काफ्रेंस के विचार-विमर्श प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप में शामिल किए गए हैं।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से लिए गए हैं:

- बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा 2010 में इसके अंतर्गत बने नियम;

- बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम हरियाणा 2011;
- मानव संसाधन विकास के केंद्रीय मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, निदेश; तथा
- शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 योजना

2.3.6.1 लक्ष्य समूहों की पहचान न करना

आरटीई नियम, 2010 के नियम 10 के साथ पठित आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 9 (डी) प्रावधान करती है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी²⁵ इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर रिकार्ड अर्थात् नाम, लिंग, जन्मस्थान, उसका/उसकी अभिभावक, तथा बच्चे द्वारा प्राप्त शिक्षा का स्तर दर्शाते हुए अनुरक्षित करेंगे। आगे, नियम 6 प्रति वर्ष डाटा अद्यतन करने के लिए प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना - जांच किए गए स्कूलों के क्षेत्र में कोई घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा इस प्रकार लक्ष्य समूह के बच्चों की पहचान नहीं की जा सकी।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि यद्यपि लक्ष्य समूहों की पहचान हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया था, लक्ष्य समूहों के बच्चों की पहचान आंगनवाड़ी तथा प्राइवेट स्कूलों के डाटा से की गई थी तथा बच्चों की कुल संख्या की गणना अपेक्षित वृद्धि के आधार पर की गई थी तथा कि सकल नामांकन पूरी तरह से संतोषजनक था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि बच्चों की संख्या की परिगणना अनुमान पर आधारित थी तथा यह केवल घरेलू सर्वेक्षण से ही सुनिश्चित किया जा सकता था जैसाकि अधिनियम/नियमों के अंतर्गत विचार किया गया था।

2.3.6.2 स्कूल विकास योजना

अधिनियम की धारा 22 प्रावधान करती है कि स्कूल प्रबंधन कमेटी (एस.एम.सी.) एक स्कूल विकास योजना तैयार करेगी जो सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के जारी होने के लिए आधार होनी चाहिए। आगे, राज्य नियम 2011 के नियम 15 प्रावधान करता है कि एस.एम.सी. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले योजना तैयार करेगी।

तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि किसी भी नमूना - जांच किए गए स्कूलों में वर्ष 2010 - 16 के दौरान स्कूल विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं।

जिला वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (ए.डब्ल्यू.पी. तथा बी.), स्कूल विकास योजना तथा स्कूल/गांव स्तर पर एकत्रित डाटा सम्मिलित करके संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा तैयार की जानी थी। यह, तथापि देखा गया कि राज्य योजनाएं नमूना - जांच किए गए जिलों में

²⁵ एस.एम.सी.ज, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी.ई.ई.ओ.ज, डी.ई.ई.ओ.ज, अतिरिक्त उपायुक्त तथा उपायुक्त सहित।

2001 तथा 2011 की जनगणना के आधार पर वार्षिक डाटा अनुमानित करके बनाई गई थी तथा इनका समेकन राज्य योजना में किया गया था। इस प्रकार, जिला तथा राज्य योजनाएं वास्तविक डाटा के आधार पर नहीं थी।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि प्रत्येक स्कूल के संबंध में उचित खाका तैयार किया जाएगा तथा अध्यापकों की संख्या तथा उपलब्ध सुविधाओं एवं बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों/सुविधाओं की आवश्यकताओं को दर्शाते हुए स्कूल विकास योजना तैयार की जाएगी तथा विभाग की वेबसाईट पर डाली जाएगी।

इस प्रकार, अधिनियम को लागू करने की योजना अपूर्ण थी क्योंकि लक्ष्य समूहों की पहचान नहीं की गई थी तथा स्कूल विकास योजना तैयार नहीं की गई थी।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

2.3.7.1 बजट प्रावधान, निधियों को जारी करना तथा व्यय

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक फंड शेयरिंग अनुपात 65:35 था जो 2015-16 से 60:40 संशोधित किया गया। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी बजट आबंटन तथा इसके विरुद्ध किया गया व्यय नीचे तालिका 2.3.1 में दिया गया है।

तालिका 2.3.1 बजट आबंटन तथा जारी निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बी.ई.)	प्रारंभिक शेष	जारी निधियां		XIII वित्त आयोग द्वारा जारी	कुल जारी	ब्याज सहित अन्य प्राप्ति	उपलब्ध कुल निधियां	कुल व्यय
			भारत सरकार	राज्य सरकार					
2010-11	829.80	308.54	327.86	275.50	40.00	643.36	8.18	960.08	589.57
2011-12	1,197.67	370.51	404.61	230.00	43.00	677.61	26.10	1,074.22	621.05
2012-13	1,256.24	453.17	338.10	258.06	46.00	642.16	25.58	1,120.91	554.04
2013-14	742.77	566.87	350.88	188.94	49.00	588.82	11.25	1,166.94	852.52
2014-15	941.25	314.42	421.11	226.75	51.00	698.86	11.79	1,025.07	714.79
2015-16	1,120.58	310.28	268.16	178.78	शून्य	446.94	10.66	767.88	553.22
कुल	6,088.31		2,110.72	1,358.03	229.00	3,697.75	93.56		3,885.19

स्रोत: परिषद द्वारा आपूरित सूचना।

₹ 6,088.31 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध, भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 2010-16 के दौरान केवल ₹ 3,468.75 करोड़ (57 प्रतिशत) जारी किए। आगे, ₹ 4,099.85 करोड़²⁶ की निधियों की उपलब्धता के विरुद्ध, ₹ 214.66 करोड़ की निधियों को छोड़ते हुए ₹ 3,885.19 करोड़ रख्च किए गए। राज्य सरकार द्वारा मुख्यतः वर्षों के अंतिम हिस्से में निधियों को जारी करने के कारण परिषद के पास निधियां बिना रख्च किए पड़ी रही।

²⁶

प्रारंभिक शेष ₹ 308.54 करोड़, जारी निधि ₹ 3,697.75 करोड़, ब्याज सहित अन्य प्राप्ति ₹ 93.56 करोड़।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा विभाग (ई.ई.डी.) ने 2010-16 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी तथा पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने हेतु राज्य बजट में से ₹ 170.61 करोड़ का व्यय किया।

2.3.7.2 निधियों को जारी करने में देरी

केन्द्रीय अनुदान 2009-14 के दौरान सीधे परिषद को जारी किया गया। 2014-15 से आगे अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से जारी किया जा रहा था। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 2010-16 की अवधि हेतु जारी निधियों से संबंधित डाटा विश्लेषण में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी करने में पर्याप्त विलंब 27 और 307 दिनों के मध्य शृंखलित तथा राज्य सरकार द्वारा 59 और 237 दिनों के मध्य शृंखलित थी जैसाकि परिशिष्ट 2.22 में वर्णित किया गया है। निधियों को जारी करने में देरी ने अधिनियम को लागू करने तथा विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने को बाधित किया।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि निधियों की कमी/जारी करने में देरी ने परिषद, जिसमें हमेशा पर्याप्त निधियां थीं, की गतिविधियों को प्रभावित नहीं किया था।

2.3.8 अधिनियम को लागू करना

2.3.8.1 बच्चों का नामांकन

नामांकन की आयु वाले बच्चों की संख्या, नामांकित किए गए बच्चे, नामांकित न किए गए बच्चे तथा राज्य (सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल) में नामांकित न किए गए बच्चों की प्रतिशतता को दर्शाता डाटा नीचे तालिका 2.3.2 में दिया गया है:

तालिका 2.3.2: बच्चों के अ-नामांकन को दर्शाने वाले विवरण

वर्ष	नामांकन की आयु (6-14) प्राप्त बच्चों की संख्या		नामांकित किए गए बच्चों की संख्या		नामांकित न किए गए बच्चों की संख्या	
	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
2010-11	25,79,480	15,00,463	25,53,050	14,76,632	26,430 (1.02)	23,831(1.58)
2011-12	23,69,012	14,73,606	24,43,613	12,80,868	-	1,92,738(13.08)
2012-13	24,38,700	14,78,012	25,45,537	13,78,800	-	99,212(6.71)
2013-14	24,68,567	15,56,506	25,13,863	14,42,860	-	1,13,646 (7.30)
2014-15	24,68,564	15,56,508	24,93,578	14,60,388	-	96,120(6.17)
2015-16	24,45,461	14,80,555	23,36,650	13,94,294	1,08,811 (4.44)	86,261(5.82)

स्रोत: परिषद द्वारा आपूर्ति सूचना।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कि प्राथमिक स्कूलों में नामांकित न किए बच्चों की प्रतिशतता 2010-11 में 1.02 से 2015-16 में 4.44 तक बढ़ गई जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में यह प्रतिशतता 2010-16 के दौरान 1.58 तथा 13.08 के मध्य शृंखलित रही। नमूना-जांच किए गए जिलों में भी स्थिति ऐसी ही थी (परिशिष्ट 2.23)।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/परिषद ने ड्राप-आऊट तथा अनुवर्ती हेतु बच्चों की हाजरी तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि उन्हें उचित प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई थी, के डाटा अनुरक्षित नहीं किए थे। 90 नमूना-जांच किए गए स्कूलों में आगे पाया गया कि 2010-16 के दौरान सात से 16 स्कूलों में हाजरी 75 प्रतिशत तक थी जैसाकि नीचे तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3.3: 75 प्रतिशत तक बच्चों की हाजरी दर्शने वाले विवरण

स्कूलों की संख्या (हाजरी की प्रतिशतता)

जिला/वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कैथल	*	1 (69)	1 (75)	1 (65)	1 (61)	*
पानीपत	6 (61 से 73)	8 (61 से 73)	5 (60 से 73)	6 (61 से 73)	8 (59 से 75)	5 (60 से 73)
फतेहाबाद	1 (65)	3 (69 से 73)	7 (65 से 75)	5 (66 से 73)	7 (66 से 75)	3 (65 से 74)
कुल	7	12	13	12	16	8

* सभी नमूना-जांच किए गए स्कूलों में बच्चों की हाजरी 75 प्रतिशत से अधिक थी।

स्रोत: नमूना-जांच किए स्कूलों तथा आपूरित डाटा से संकलित सूचना।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि नामांकन की आयु को प्राप्त बच्चों का डाटा केवल प्रासंगिक था तथा कई वर्षों में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) 100 प्रतिशत था। यह भी कहा गया कि विभाग का फोकस केवल स्कूल से बाहर के बच्चों का नामांकन था बच्चों की हाजरी में कमी स्थानीय कारणों जैसे मौसम के दौरान कृषि क्षेत्रों में कार्य करने तथा अन्य राज्यों में प्रवास करने के कारण थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नामांकन न किए गए बच्चों में वृद्धि ध्यान देने योग्य थी। आगे, विभाग को प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डाटा एकत्रित करने तथा ड्राप-आऊट को अनुसरण करने की आवश्यकता थी।

2.3.8.2 स्कूलों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता

अधिनियम की धारा 19 तथा 25 के साथ संलग्न सूची में स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंड तथा मानक के संदर्भ में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता नीचे तालिका 2.3.4 में दी गई है:

तालिका 2.3.4: राज्य में सरकारी तथा अन्य स्कूलों को आधारभूत संरचना (स्कूलों की प्रतिशतता में) की उपलब्धता की स्थिति

निर्धारित प्रावधान	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा (शिक्षा विभाग)	एन.ए.	एन.ए.	79.14	81.5	82.01	82.51
एक कार्यालय - सह - मुख्याध्यापक का कमरा (शिक्षा विभाग)	एन.ए.	एन.ए.	57.63	57.28	59.15	56.55
बैरियर मुक्त एक्सेस (सभी प्रबंधन स्कूल)	56.86	60.84	86.35	87.43	90.14	96.59
लड़कों के लिए अलग शौचालय (सभी प्रबंधन स्कूल)	68.24	92.65	86.6	98.93	98.71	93.34
लड़कियों के लिए अलग शौचालय (सभी प्रबंधन स्कूल)	86.03	93.59	97.64	96.81	96.38	96.07
सभी बच्चों के लिए सुरक्षित तथा पर्याप्त पीने के पानी की सुविधा (सभी प्रबंधन स्कूल)	99.00	99.55	99.74	99.88	99.77	99.9
एक रसोई घर जहां स्कूल में मिड-डे मील पकता है	16.65	18.18	45.17	66.11	71.59	68.18
खेल का मैदान (सभी प्रबंधन स्कूल)	76.08	76.62	76.75	81.33	83.39	84.32
स्कूल भवन तथा चारदीवारी की सुरक्षा हेतु प्रबंध	95.62	95.94	95.78	96.35	98.18	98.52

स्रोत: परिषद द्वारा दी गई सूचना।

एन.ए.: उपलब्ध नहीं।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कार्यालय - सह - मुख्याध्यापक के कमरे के मामले में कमी 2012 - 16 के दौरान 41 तथा 43 प्रतिशत के मध्य शृंखलित थी तथा रसोई घर शैड के संबंध में कमी 2010 - 16 के दौरान 28 और 83 प्रतिशत के मध्य थी।

90 चयनित स्कूलों में आधारभूत संरचना में पाई गई कमियां निम्न प्रकार थीं:

- (i) 20 स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनाने आवश्यक थे;
- (ii) रिवर्स ओसमोसिस सुविधा के साथ सुरक्षित पीने का पानी 71 स्कूलों में उपलब्ध नहीं था;
- (iii) 31 स्कूलों में रसोईघर शैड उपलब्ध नहीं थे;
- (iv) 17 स्कूलों में रैप प्रदान नहीं की गई थी;
- (v) 21 स्कूलों में विशेष मांग वाले बच्चों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं थे तथा तीन स्कूलों में शौचालय क्षतिग्रस्त अवस्था में थे;
- (vi) 16 स्कूलों में चार दीवारी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी जबकि 28 स्कूलों में चारदीवारी 6 फीट की अपेक्षित ऊंचाई के अनुसार नहीं थी;
- (vii) चार स्कूलों²⁷ में अपूर्ण ढांचे पाए गए;

		
जी.पी.एस., कैथली गेट, पुण्डरी में टूटी हुई चारदीवारी (2 मई 2016)	जी.जी.एच.एस., पुण्डरी का अधूरा ढांचा (2 मई 2016)	जी.एस.एस.एस., सांघन, कैथल का अधूरा ढांचा (4 मई 2016)

- (viii) छः²⁸ स्कूलों में डैस्क उपलब्ध नहीं थे। आगे, 23 स्कूलों में डैस्कों की कमी थी;
- (ix) जी.एस.एस.एस. भण्डारी में बिजली कनैक्शन नहीं था। जी.जी.पी.एस. डढोला में बिजली के बिलों का भुगतान न करने के कारण 26 जून 2016 को बिजली काटी हुई पाई गई थी;
- (x) 50 स्कूलों में पुस्तकालय उपलब्ध नहीं थे; तथा
- (xi) 44 स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, स्कूलों में आवश्यक आधारभूत संरचना की कमी थी यद्यपि ₹ 214.66 करोड़ की खर्च न की गई निधियां थीं जो कि उपर्युक्त 2.3.7.1 अनुच्छेद में कही गई हैं।

²⁷ (i) जी.जी.एच.एस., पुण्डरी (ii) जी.एस.एस.एस., आलमपुर नैन (iii) जी.एस.एस.एस., सांघन तथा (iv) जी.एस.एस.एस., भण्डारी।

²⁸ (i) जी.पी.एस. (एच.बी.), टोहाना (ii) जी.एच.एस., नत्थूवाला (iii) कक्षा 6 से 8 तक के लिए जी.एम.एस., जारखल गांव (iv) जी.एस.एस.एस., कौल (v) कक्षा 6 से 8 तक के लिए जी.एच.एस., खनोड़ा तथा (vi) जी.एस.एस.एस., कावी।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि स्कूलों में आधारभूत संरचना प्रदान करने वारे में मानीटर किया जाएगा तथा शेष स्कूलों में बिजली के कनैकशन प्रदान करने वारे प्रबंध प्राथमिकता पर किए जाएंगे।

2.3.8.3 आधारभूत संरचना का निर्माण तथा उपलब्धता

सभी सिविल निर्माण कार्य एस.एम.सीज द्वारा करवाए जाते हैं। परिषद द्वारा एस.एम.सीज को निधियां समय-समय पर जारी की जाती हैं। 2010-16 के दौरान 31,305 सिविल निर्माण कार्यों के निर्माण का उद्देश्य ₹ 733.84 करोड़ की लागत से करना था। जिसके विरुद्ध 27,067 सिविल निर्माण कार्य ₹ 657.65 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए जैसाकि नीचे तालिका 2.3.5 में विवरण दिए गए हैं:

तालिका 2.3.5 सिविल निर्माण कार्यों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी
2010-11	8,733	7,963	770
2011-12	12,176	11,286	890
2012-13	10,236	7,663	2,573
2013-14	11	11	0
2014-15	36	36	0
2015-16	113	108	5
कुल	31,305	27,067	4,238

स्रोत: परिषद द्वारा आपूर्त डाटा से संकलित सूचना।

उद्देश्यों की प्राप्ति में कमी भूमि का उपलब्ध न होना, पंचायत से झगड़े, साईटों पर खड़े पेड़ तथा भूमि का अतिक्रमण के कारण थी।

चयनित जिलों में, ₹ 108.46 करोड़ के परित्यय के लिए 4,736 सिविल निर्माण कार्यों का उद्देश्य निश्चित किया गया, जिसके विरुद्ध 4,459 सिविल निर्माण कार्य ₹ 92.56 करोड़ का व्यय करने के बाद 2010-16 के दौरान पूरे किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 81 निर्माण कार्य प्रगति पर थे तथा 196 निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुए थे। 81 अधूरे निर्माण कार्यों के संबंध में, जिला परियोजना समन्वय द्वारा कहा गया कि 76 निर्माण कार्य निधियों की कमी के कारण पूर्ण नहीं किए जा सके, चार मामलों में राशि अद्यापकों द्वारा निकाल ली गई थी परंतु रवच नहीं की गई तथा एक मामले में निर्माण कार्य जमीन के झगड़े के कारण रोक दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि 196 निर्माण कार्यों में से जो आरंभ नहीं हुए थे, कमरों, रैप तथा शौचालयों के निर्माण कार्य से संबंधित 139 निर्माण कार्य कार्यान्वित होने आवश्यक नहीं थे क्योंकि स्कूलों में पहले से ही पर्याप्त कमरे तथा शौचालय थे। आगे रैप निर्मित करने आवश्यक नहीं थे क्योंकि स्कूलों के भूतल व कुर्सी स्तर समान स्तर पर थे। इससे अलग, शेष 57 निर्माण कार्यों में से 10 मामलों में जगह उपलब्ध नहीं थी, आठ मामलों में निधियां उपलब्ध नहीं थी तथा सात मामलों में भूमि का झगड़ा था जबकि 32 मामलों में निर्माण कार्य आरंभ न करने का कोई विशेष कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, निर्माण कार्य आवश्यकता जाने, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना तथा भूमि के झगड़े को

सुलझाएं बिना स्वीकृत किए गए। मूलभूत संरचना की उपलब्धता में कमी को कम किया जा सकता था यदि निर्माण गतिविधियां योजनाबद्ध ढंग से की जाती।

नौ स्कूलों में नए कक्षाओं के विभाग के स्टाफ के साथ भौतिक सत्यापन (कैथल जिले में तीन प्राथमिक स्कूल तथा पानीपत जिले में छः उच्च प्राथमिक स्कूल) ने निम्न प्रकट किया:

(i) डी.पी.सी. कैथल ड्वारा प्रोग्रेस रिपोर्ट में पूर्ण रूप में दर्शाएं गए तीन²⁹ प्राथमिक स्कूलों के भवन वास्तव में पूर्ण नहीं किए गए (मई 2016) क्योंकि बिजली, सफेदी/रंग तथा पुताइ के कार्य शेष रह गए थे। इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन पर 2011-16 के दौरान ₹ 28.54 लाख का व्यय किया गया।

(ii) पानीपत जिले (एक गढ़ी भलौरे में तथा दूसरी मोहाली में) के दो स्कूलों में 15 नए कक्षा कमरे बिना किसी आवश्यकता के निर्मित किए गए थे जबकि स्कूलों में कमरों की प्रर्याप्त संख्या पहले से ही उपलब्ध थी। गढ़ी भलौरे में स्कूल में, छः नए कमरे निर्मित किए गए थे जबकि 238 विद्यार्थियों के नामांकन के विरुद्ध वहां पहले से ही नौ कमरे थे (30 विद्यार्थियों के लिए एक कमरा आवश्यक है)। इस प्रकार, गांव मोहाली में स्थित स्कूल में, नौ नए कमरे बनाए गए जबकि 204 विद्यार्थियों के नामांकन के विरुद्ध वहां पहले से ही आठ कमरे थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.34 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(iii) रिश्पुर गांव के एक स्कूल में शैचालय तथा पेशाबघर उचित प्रकार से नहीं बनाए गए थे। शैचालय की दीवारें टूटी हुई थीं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आगे, मुख्य गेट भी नहीं लगाया गया था।



गांव रिश्पुर में स्थित स्कूल के शैचालय की टूटी दीवारें (14 जुलाई 2016)

(iv) दो स्कूलों में (तेजपुर तथा गढ़ी भलौरे) प्लिंथ लेबल बहुत नीचे था जिसके कारण तेज बहाव वाला पानी स्कूलों में इकट्ठा हो सकता है। तेजपुर में स्थित स्कूल भवन पर ₹ 20.52 लाख का व्यय किया गया।

(v) तीन स्कूलों में (तेजपुर, गढ़ी भलौरे तथा रिश्पुर) चार दीवारी की ऊंचाई छः फीट की आवश्यकता के विरुद्ध चार फीट थी। जलपर गांव में, पानी का कनैक्शन उपलब्ध न होने के कारण वाटर टैंक उपयोग में नहीं थी तथा रैप नहीं बनाए गए थे। स्कूल के पूर्वी तथा दक्षिणी तरफ कोई चार दीवारी नहीं थी।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि प्रत्येक स्कूल के संबंध में उचित खाका तैयार किया जाएगा तथा सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी।

²⁹ जी.जी.पी.एस. खड़का: फरवरी 2016, जी.जी.पी.एस. पाई: फरवरी 2016 तथा जी.पी.एस. कैरोक: अक्टूबर 2013

2.3.8.4 बच्चों को प्रदान की गई सुविधाएँ

अधिनियम की धारा 3 (2) प्रावधान करती है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय देने के लिए बाध्य नहीं होगा जो उसे प्राथमिक शिक्षा जारी रखने व पूर्ण करने से रोकता हो। राज्य सरकार मुफ्त में पाठ्य पुस्तक, वर्दी और लेखन सामग्री प्रदान करती है। इन सुविधाओं को प्रदान करने में ध्यान में आई अनियमितताएं नीचे बताई गई हैं:

(i) सुविधाएँ प्रदान करने में विलंब

स्कूल बैग सहित पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री की मद्दें शैक्षिक सत्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आरंभ में आपूर्ति की जानी अपेक्षित की जाती है। पानीपत और कैथल जिलों में, पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री की मद्दें विभिन्न वर्षों में बहुत देरी से शैक्षिक सत्र के मध्य में या समाप्ति के निकट वितरित किए गए थे जैसे कि नीचे तालिका 2.3.6 में दिया गया है।

तालिका 2.3.6: पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री और स्कूल बैग प्रदान करने में विलंब

पाठ्य पुस्तकें:

क्र.सं.	वर्ष	वितरण के मास	महीनों में विलंब
कैथल जिला			
1	2013 – 14	अगस्त 2013	4
पानीपत			
1	2011 – 12	सितंबर 2011 तक	5
2	2012 – 13	सितंबर 2012 तक	5
3	2013 – 14	दिसंबर 2013 तक	8

लेखन सामग्री तथा बैग्स:

क्र.सं.	वर्ष	वितरण के मास	महीनों में विलंब
कैथल जिला			
1	2013 – 14	बजट समाप्त हो गया	संवितरित नहीं किया गया
2	2014 – 15	नवंबर 2014	7
3	2015 – 16	अगस्त 2015	4

इसी प्रकार, 2010 – 15 के दौरान राज्य में वर्दी का वितरण भी, तीन और 11 महीनों के मध्य शृंखलित अवधियों के लिए विलंबित हुआ। इन मदों की आपूर्ति में विलंब बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने में विलंब प्रकाशकों के साथ विवाद के कारण था जबकि अंतिम दो वर्षों के दौरान बच्चों को पुस्तकें समय पर प्रदान की गई थी।

(ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई वर्दी का दोहरा लाभ

‘अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए नकद ईनाम स्कीम’ 2008 – 09 में प्रस्तावित की गई थी जिसके अंतर्गत कक्षा – 1 से 8 तक के सभी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को स्कूल

बैग, वर्दी और लेखन सामग्री मदों के क्रय के लिए ₹ 740 से ₹ 1,250 की मध्य श्रृंखलित एक ही बार देय नकद राशि दी जानी थी। इसके आगे, एस.एस.ए./आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यार्थियों (सामान्य ओ.बी.सी., एस.सी., बी.पी.एल.) को भी स्कूल की वर्दी दी गई थी। वर्दी की आपूर्ति के लिए प्रति इकाई लागत ₹ 400 नियत की गई थी। इस प्रकार, अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को दो स्कीमों से वर्दी की सुविधा उपलब्ध थी।

नमूना - जांच किए गए दो³⁰ स्कूलों ने बताया (नवंबर 2016) कि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया था। विभाग ने दूसरी आवश्यक गतिविधियों पर स्कीम निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए इन दो स्कीमों के अभिसरण के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितंबर 2016) लेकिन बताया कि वर्दी के अनुदान की राशि बहुत कम थी।

2.3.8.5 अध्यापकों की कमी

अधिनियम की धारा 19 से संलग्न सूची की मद-1 के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं में 60 तक भर्ती किए बच्चों के लिए दो अध्यापक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम एक अध्यापक इस शर्त पर आवश्यक था कि प्रति कक्षा कम से कम एक अध्यापक हो चाहिए ताकि प्रत्येक विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन एवं भाषाओं के लिए कम से कम एक अध्यापक होगा।

प्राथमिक कक्षाओं में 2011-16 के दौरान अध्यापकों की 2,027 और 15,236 के मध्य श्रृंखलित रिक्त स्थान थे जैसे कि तालिका 2.3.7 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.3.7: प्राथमिक अध्यापकों की रिक्त दर्शनी वाले विवरण

वर्ष	भर्ती किए बच्चे	जितने अध्यापक चाहिए	तैनात किए गए अध्यापक	रिक्त स्थान (प्रतिशत)
2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011-12	13,66,337	47,844	32,608	15,236 (32)
2012-13	13,43,995	46,727	32,578	14,149 (30)
2013-14	12,72,491	44,488	36,389	8,099 (18)
2014-15	12,00,871	43,255	34,753	8,502 (20)
2015-16	9,78,417	36,462	34,435	2,027 (6)

झोत: परिषद द्वारा आपूर्ति सूचना।

प्राथमिक कक्षाओं में, एकमात्र अध्यापक वाले स्कूलों की संख्या 2012-16 के दौरान लगातार 352 से 788 तक बढ़ती गई जबकि इस अवधि के दौरान प्रति स्कूल औसत नामांकन 28 और 59 के मध्य श्रृंखलित थी। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में एकमात्र अध्यापक वाले स्कूल की संख्या 215 से 289 तक श्रृंखलित थी और प्रति स्कूल औसत नामांकन 74 और 110 के मध्य श्रृंखलित थी जैसे कि नीचे तालिका 2.3.8 में दिया गया है:

तालिका 2.3.8: राज्य में एकमात्र अध्यापक वाले स्कूलों को दर्शनी वाले विवरण

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
------	----------	---------------

³⁰

जी.पी.एस., सिरसल तथा जी.एस.एस., कैथल।

	स्कूलों की संख्या	नामांकन	प्रति स्कूल औसत नामांकन	स्कूलों की संख्या	नामांकन	प्रति स्कूल औसत नामांकन
2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2012-13	352	20,810	59	215	15,907	74
2013-14	569	19,890	35	289	29,108	101
2014-15	661	21,804	33	222	24,493	110
2015-16	788	22,065	28	269	20,990	78

स्रोत: परिषद द्वारा आपूरित सूचना।

इस प्रकार, प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो अध्यापकों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन अध्यापकों की आवश्यकता के विरुद्ध, जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है, स्कूलों में केवल एक अध्यापक था। अध्यापकों की कमी तथा विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात का अननुरक्षण विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि अध्यापकों के युक्तिकरण के लिए नीति बनाई गई है और अध्यापकों का युक्तिकरण प्रक्रियाधीन था।

2.3.8.6 अध्यापकों को प्रशिक्षण और अध्यापन के अतिरिक्त कार्यों का आबंटन

लक्ष्यांकन समूह को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को सेवा में रहते प्रशिक्षण प्रदान करना एक आवश्यक भाग है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सरकारी स्कूलों में जिन अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया उनकी प्रतिशतता बहुत कम थी और 2010-16 के दौरान 0.95 और 31.27 के मध्य श्रृंखलित थी। 2010-15 के दौरान अध्यापकों के प्रशिक्षण पर व्यय ₹ 69.47 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध केवल ₹ 26.44 करोड़ था।

विभाग ने आश्वस्त किया (सितंबर 2016) कि अध्यापकों को प्रशिक्षण मानकों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

2.3.8.7 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल

आर.टी.ई. नियम, 2010 के नियम 15 के साथ पठित अधिनियम की धारा 18 प्रावधान करती है कि उचित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित स्कूल के सिवाय कोई भी स्कूल, इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद, निर्धारित प्राधिकारी से मान्यता का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्थापित या कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो कि मान्यता का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्कूल स्थापित करता है या चलाता है अथवा मान्यता को वापस लेने के बाद स्कूल चलाना जारी रखता है, वह जुर्माना के लिए बाध्य होगा जो कि ₹ 1 लाख तक बढ़ सकता है और लगातार उल्लंघन के मामले में प्रतिदिन ₹ 10,000 का जुर्माना लगेगा जब तक इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है।

तथापि, यह देखा गया कि अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधनों के उल्लंघन में 2011-16 के दौरान राज्य में 514 और 821 के मध्य गैर-मान्यताप्राप्त स्कूल कार्य कर रहे थे। 2011-16 के दौरान 10 और 274 के मध्य श्रृंखलित स्कूलों को अस्थाई मान्यता दी गई थी। जैसा कि ऊपर बताया

गया है तथा आरटीई. नियम, 2010 में प्रावधान किया गया है, विभाग द्वारा गैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों के प्रबंधन के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग ने आश्वासन दिया (सितंबर 2016) कि मामले की जांच करवाई जाएगी।

2.3.8.8 प्री-प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध नहीं किया गया

अधिनियम की धारा 11 निर्धारित करती है कि तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आधारित शिक्षा के लिए तैयार किए जाएं और प्रारम्भिक बचपन देखभाल और सभी बच्चों के लिए शिक्षा जब तक वे छः वर्ष पूर्ण न कर लें, सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और इस प्रकार के बच्चों के लिए मुफ्त प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंधन किए जाएंगे। तथापि, नमूना-जांच किए गए स्कूलों में देखा गया (अप्रैल-जुलाई 2016) कि तीन वर्ष से अधिक बच्चों के लिए प्री-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया गया।

2.3.8.9 विशेष प्रशिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान नहीं की

राज्य नियम 2011 का नियम - 3 प्रावधान करता है कि सरकार द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित स्कूल की स्कूल प्रबंधन कमेटी, आयु के अनुसार उचित, विशेष रूप से बनाई गई शिक्षा प्राप्त सामग्री पर आधारित, उन बच्चों की पहचान करेगी जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह स्कूल में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा प्रदान किया जाएगा और स्कूल के परिसरों में आयोजित किया जाना था। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम तीन महीनों की होनी चाहिए। तथापि, यह देखा गया (अप्रैल-जुलाई 2016) कि न तो उन बच्चों की पहचान की गई जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, न ही नमूना-जांच किए गए स्कूलों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2.3.8.10 प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण करने का प्रमाणपत्र का जारी न करना

राज्य नियम 2011 का नियम 22 प्रावधान करता है कि प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण करने के एक माह के अंदर प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण करने का प्रमाणपत्र मुख्य अध्यापक या हैडमास्टर द्वारा जारी किया जाएगा और डी.ई.ई.ओ. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल-जुलाई 2016) कि प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण करने का प्रमाणपत्र नमूना-जांच किए गए स्कूलों द्वारा बच्चों को जारी नहीं किया जा रहा था।

2.3.9 प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन

यह देखा गया कि डी.ई.ई. और परिषद में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं थी। आगे, अधिनियम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग पर्याप्त नहीं थी क्योंकि विभाग के पास ड्रॉपआउट बच्चों और स्कूलों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति के बारे कोई आंकड़ा नहीं था। थर्ड पार्टी मूल्यांकित के लिए 2011-12 में ₹ 5.30 करोड़ का एक प्रावधान किया गया था परंतु थर्ड पार्टी से मूल्यांकन नहीं किया गया था (नवंबर 2016)।

2.3.10 निष्कर्ष

आरटीई. अधिनियम, प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक आधारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। तथापि, अधिनियम का कार्यान्वयन,

अधिनियम में सुरक्षित रखे बच्चों के अधिकार को पूर्ण करने में अपूर्ण था। घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों के लक्ष्यांक समूह की पहचान नहीं की गई थी। राज्य और जिला स्तर पर आयोजन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि भिन्न-भिन्न स्कूलों की आवश्यकता सम्मिलित नहीं की जा सकी क्योंकि स्कूल प्रबंधन कमेटियों द्वारा स्कूल विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निधियों के जारी करने में पर्याप्त देरी थी जिसने अधिनियम के कार्यान्वयन को बाधित किया। आधारभूत सुविधाओं जैसे, कमरे, पानी, रसोई घर शेड, शौचालय, मेज, पुस्तकालय और खेल के मैदान प्रदान करने में कमियां थीं और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों वर्दी, लेखन सामग्री और बैग देने में विलंब था। प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो अध्यापक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन अध्यापकों की आवश्यकता के विरुद्ध, 788 प्राथमिक स्कूल और 269 उच्च प्राथमिक स्कूल एकमात्र अध्यापकों से चल रहे थे।

2.3.11 सिफारिशें

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्रकाश में, सरकार विचार कर सकती है:

- बच्चों के लक्ष्य समूह का उचित घरेलू सर्वेक्षण करना और स्कूल विकास योजनाएं तैयार करना;
- समयसीमा ढंग से स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जैसे, कमरे, पानी रसोई घर शेड, शौचालय, मेज, पुस्तकालय और खेलने के मैदान प्रदान करना;
- सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों, वर्दी और शिक्षा प्राप्ति सामग्री का समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना; तथा
- गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को विभाग से मान्यता प्राप्त करने के लिए कहना अथवा अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करना।

ये परिणाम सितंबर, 2016 में सरकार को भेजे गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2016)।

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालना लेखापरीक्षा

पर्यावरण विभाग
(हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3.1 पर्यावरण मंजूरी तथा मंजूरी के पश्चात् मॉनीटरिंग

बोर्ड से स्थापना हेतु अनिवार्य सहमति तथा परिचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना परियोजनाओं के परिचालन, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शर्तों, जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शेर तथा भूमि जल के परीक्षण करने शामिल हैं, की अनुपालना न करने तथा पर्यावरणीय निर्धारणों की मॉनीटरिंग तथा प्रवर्तन की कमी के उदाहरण थे, जिसने पर्यावरणीय नियंत्रणों के लक्ष्य को दुर्बल बना दिया।

3.1.1 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण का उद्देश्य संभावित पर्यावरण समस्याओं तथा मामलों का परियोजना की आयोजना तथा डिजाइन के चरण पर पूर्व अनुमान लगाना तथा संबोधित करना था। जनवरी 1994 में, पर्यावरण मंत्रालय, वन तथा जलवायु परिवर्तन (एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी.) ने निश्चित विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) को अनिवार्य कर दिया। आगे, पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना (सितंबर 2006) के माध्यम से, एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. ने श्रेणी ‘ए’ और ‘बी’ के अंतर्गत आने वाली 39 विभिन्न गतिविधियों से समायुक्त आठ सैकटरों¹ के लिए ई.सी. अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्रालय और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) ने श्रेणी ‘ए’ और ‘बी’ परियोजनाओं के लिए ई.सी.ज जारी करते हैं।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसे हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों तथा नियमों के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। आगे, विभिन्न परियोजनाओं के लिए एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. के तकनीकी ई.आई.ए. मार्गनिदेश मैनुअल में प्रावधान है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्रेणी ‘ए’ और ‘बी’ परियोजनाओं के संबंध में सहमति शर्तों में ई.आई.ए. मंजूरी शर्तों को शामिल करेगे तथा साथ में इसे मॉनीटर और लागू करेंगे।

एच.एस.पी.सी.बी. के कार्यालय और पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा की गई। 1,009 परियोजनाओं में से कुल 26 (773 ‘ए’ श्रेणी परियोजनाओं में से 17 और 236 ‘बी’ श्रेणी परियोजनाओं में से 9), जिन्हें 2008-12 के दौरान एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा ई.सी. प्रदान किए गए, रैंडम सैंपलिंग से

¹

(i) प्राकृतिक संसाधनों को खनन द्वारा निकालना और विद्युत सृजन; (ii) प्राइमरी प्रोसेसिंग; (iii) सामग्री उत्पादन; (iv) सामग्री प्रोसेसिंग; (v) विनिर्माण/फैब्रीकेशन; (vi) सेवा क्षेत्र; (vii) भौतिक मूलभूत संरचना; तथा (viii) भवन/निर्माण परियोजनाएं।

नमूना - जांच के लिए चयन किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ई.सी.² की शर्तों और ई.आई.ए. रिपोर्ट में की गई प्रतिबद्धताओं की अनुपालना के सत्यापन के लिए एच.एस.पी.सी.बी. के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ नवंबर 2015 से अगस्त 2016 के दौरान 26 परियोजनाओं के स्थलों की भौतिक रूप से जांच भी की।

3.1.2 स्थापना हेतु सहमति तथा परिचालन हेतु सहमति के बिना परिचालन

स्थापना हेतु सहमति (सी.टी.ई.) और परिचालन हेतु सहमति (सी.टी.ओ.) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 और वायु (प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करनी अपेक्षित हैं।

एच.एस.पी.सी.बी./परियोजना प्राधिकारियों (पी.एज) के क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा चयन की गई 26 परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि छ: परियोजनाएं एच.एस.पी.सी.बी. से पूर्व वैध सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किए बिना परिचालन कर रही थी। आगे, एच.एस.पी.सी.बी., बहादुरगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट किया कि इन छ: परियोजनाओं में से रोहतक में एक लीड प्रोसेसिंग परियोजना जनवरी 2008 में एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा सील कर दी गई थी। तथापि, जनवरी 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि परियोजना सील तोड़ने के बाद सी.टी.ई./सी.टी.ओ. से बिना परिचालन कर रही थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, क्षेत्रीय कार्यालय बहादुरगढ़ ने अभियोजन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (जनवरी 2016)।

इसी प्रकार, जींद में एक परियोजना को वैध सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त न करने के कारण जनवरी 2009 में एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा बंद करने के आदेश दिए गए थे। तथापि, अगस्त 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि परियोजना बिना सी.टी.ओ./सी.टी.ई. प्राप्त किए किसी अन्य नाम से परिचालित थी।

एच.एस.वी.सी.बी. ने यह सुनिश्चित करने हेतु, कि सी.एज. सी.टी.ई./सी.टी.ओ./ई.सी. प्राप्त किए बिना परिचालन नहीं कर रहे थे, न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही कोई मानीटरिंग यंत्रावली बनाई।

एच.एस.पी.सी.बी. ने बताया (नवंबर 2016) कि पांच चूककर्ता परियोजनाओं के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस/अभियोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी थी।

3.1.3 ई.सी. अनुपालन के सत्यापन की कमी

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुच्छेद 2 के अनुसार, अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य हैं। आगे, विभिन्न परियोजनाओं के लिए एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. के तकनीकी ई.आई.ए. मार्गनिर्देश मैनुअल में प्रावधान है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्रेणी 'ए' और 'बी' परियोजनाओं के संबंध में ई.आई.ए. मंजूरी शर्तों को सहमति शर्तों में शामिल करेंगे तथा साथ में उनको मॉनीटर और लागू करेंगे।

²

भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, जनवरी 1994 के अनुपालन में कुछ परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ई.सी. शर्तों की एक समयबद्ध पद्धति में अनुपालना के सामयिक निरीक्षण के लिए एच.एस.पी.सी.बी. में कोई औपचारिक संस्थागत प्रणाली नहीं थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एक मॉनीटरिंग यंत्रावली स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन था।

3.1.4 ई.सी./ई.आई.ए. की शर्तों की अनुपालना न किया जाना

(ए) प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों की अनुपालना न करना

ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार, कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य (ई.सी.) है। ई.सी. की सूचना देते समय प्रदूषण तथा पर्यावरण पर परियोजनाओं के विपरीत प्रभाव पर नियंत्रण हेतु ई.सी.ज और ई.आई.ए.ज में कुछ शर्तें रखी गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा तथा स्थलों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि ये शर्तें परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूरी नहीं की जा रही थीं जैसा नीचे तालिका: 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों की अनुपालना दर्शने वाले विवरण

क्र. सं.	व्यक्तिगत परियोजनाओं में उल्लिखित ई.सी./ई.आई.ए. की शर्तें	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(i)	हानिकारक वेस्ट सामग्री की हैंडलिंग में उल्लंघन	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हानिकारक वेस्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाना (ट्रांसबॉर्डी संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत हानिकारक वेस्ट के संग्रहण, स्टोरेज और निपटान के लिए अधिकार प्राप्त करने अपेक्षित थे। 10 परियोजनाएं डी.जी. सैटज से हानिकारक वेस्ट सृजित कर रही थीं। तथापि, पी.एज ने हानिकारक वेस्ट के निपटान के लिए एच.एस.पी.सी.बी. से अधिकार प्राप्त नहीं किया था जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए हानिकारक वेस्ट का उचित ढंग से निपटान किया गया था।
(ii)	ग्रीन बेल्ट्स के विकास में कमी	परियोजना क्षेत्र के 15 और 33 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित क्षेत्र को आवृत्त करने वाली परियोजना/प्लांट के चारों ओर आस-पास अधिमानतः स्थानीय प्रजातियों से पर्याप्त चौड़ाई और सघनता की ग्रीन बेल्ट्स विकसित की जानी थी। छ: परियोजनाओं ने परियोजना क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट्स विकसित नहीं की थी यद्यपि क्षेत्र चिह्नित किए गए थे। जबकि अन्य परियोजना ने एक ग्रीन बेल्ट विकसित की थी, वह ई.आई.ए. रिपोर्ट में की गई वचनबद्धता के अनुसार राख के गड्ढे के आसपास विकसित नहीं की गई (अगस्त 2016) इस प्रकार ग्रीन बेल्ट्ज की अनुपस्थिति के कारण प्रदूषण रोका नहीं जा सका।
(iii)	ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज का प्रतिष्ठापन न करना	परियोजना क्षेत्रों में सीवरेज/निस्सार के उपचार के लिए ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज/सेप्टिक टैंक/सॉकपिट प्रदान किए जाने अपेक्षित थे। 26 चयनित परियोजनाओं में से ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज/सेप्टिक टैंक/सॉक पिटज 17 परियोजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने अपेक्षित थे। इन परियोजनाओं के स्थलों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि चार पी.एज द्वारा ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज/सेप्टिक टैंक/सॉकपिट्स प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। इन उपायों की अनुपस्थिति में परियोजना क्षेत्रों में जल प्रदूषण नियन्त्रित नहीं किया जा सका।

(iv)	बरसाती जल हारवेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण न करना	
	<p>रुफ रन- ऑफ और तल रन ऑफ के लिए, प्रस्तुत योजना के अनुसार, वर्षा जल हारवेस्टिंग संरचनाओं (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण किया जाना था। तल रन ऑफ को रिचार्ज करने से पहले लटकते हुए द्रवों और ग्रीस हटाने के लिए सेडीमेटेशन टैक के द्वारा पूर्व-उपचार किया जाना चाहिए। 26 चयनित परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं पर यह शर्त लागू थी।</p> <p>छ: परियोजनाओं ने आर.डब्ल्यू.एच. प्रणाली के लिए सही प्रबंध नहीं किया था। आगे, एक अन्य मामले में, आर.डब्ल्यू.एच. पिट्स का निर्माण किया गया था परंतु तेल और ग्रीस रोकने की प्रणाली निर्मित नहीं की गई थी। इन उपायों को न अपनाने से जल प्रदूषण का खतरा रहता है।</p>	
(v)	विस्फोटक सामग्री की हैंडलिंग	
	<p>डी.जी. सेट्स के परिचालन के लिए अपेक्षित डीजल भूमिगत टैंक्स में जमा किया जाएगा और यदि अपेक्षित हो, विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक से मंजूरी ली जाएगी। 11 परियोजनाओं के संबंध में यह शर्त लागू थी।</p> <p>आठ परियोजनाओं ने विस्फोटक सामग्री की हैंडलिंग के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी नहीं ली गई थी जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या विस्फोटक सामग्री का सही भण्डार किया जा रहा था।</p>	
(vi)	अनुमति के बिना भूमि जल का प्रयोग	
	<p>नमूना- जांच की गई 26 परियोजनाओं में से 12 के संबंध में भूमि जल निकालने के लिए भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना अनिवार्य था।</p> <p>चार पी.ए.ज ने सी.जी.डब्ल्यू.बी. से अनुमति प्राप्त नहीं की थी जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि भूमि जल मानदंडों के अनुसार निकाला जा रहा था।</p>	
(vii)	आपातकालीन तत्परता योजनाओं (ई.पी.पी.) के कार्यान्वयन में कमी	
	<p>पी.ए.ज द्वारा, वे अग्निशमकों, सुरक्षा वस्त्रों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों सहित परियोजना स्थल के जोखियों का अनुमान लगाकर एक आपातकालीन तत्परता योजना (ई.पी.पी.) तैयार और कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था।</p> <p>नगर निगम, रोहतक ने अग्निशमन उपकरण प्रस्थापित नहीं किया था और इसके कर्मचारियों को आपातकाल के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। आगे, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अग्निशमन के लिए चार जीपों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल दो जीपें प्रदान की थी। अतः ये परियोजनाएं आपातकाल में परियोजना स्थलों में जोखियों को आवृत्त नहीं कर रही थी।</p>	
(viii)	टॉप सॉयल का अप्रयोग	
	<p>रेवाड़ी और धारुहेड़ा में स्थित दो परियोजनाओं द्वारा चिन्हित स्थलों पर ऊपरी मिट्टी को जमा करना अपेक्षित था। भूमि सुधार और वृक्षारोपण के लिए उसका प्रयोग करने के लिए स्टोर किया जाना अपेक्षित था।</p> <p>टॉप सॉयल अप्रयुक्त पड़ी थी और रेवाड़ी स्थित परियोजना पर इसके स्टोरेज के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, धारुहेड़ा में एक पी.ए. ने निर्माण कियाओं के दौरान खुदाई की गई मिट्टी साथ वाले प्लाट में फेंक दी थी। इन उल्लंघनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है।</p>	
(ix)	ई.सी. प्राप्त करने के बाद कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	
	<p>ई.सी. की शर्तों के अनुसार, परियोजना के कार्यक्षेत्र में किसी परिवर्तन/परिवर्तनों की स्थिति में, परियोजना के लिए एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी., जी.ओ.आई. से नया अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होगा।</p> <p>एक बिल्डर ने स्टिल्ट की बजाय क्लब हाऊस और भूतल का निर्माण किया था जिसका प्रावधान परियोजना में नहीं किया गया था। लेकिन पी.ए. ने न तो कोई अनुमति ली थी और न ही संशोधित ई.सी. प्राप्त करने के लिए एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. को नए अनुमोदन के लिए आवेदन दिया था।</p>	

(x)	'र्थमल विद्युत परियोजना' के मामले में उत्पादित फ्लाई एश का उपयोग न करना
	<p>फ्लाई एश को सूखे रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए तथा भंडारण करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आगे, भारत सरकार की अधिसूचना (नवंबर 2009) के अनुसार उत्पादित फ्लाई एश का परियोजनाओं के चालू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिए, 70 प्रतिशत दो वर्षों के भीतर 90 प्रतिशत तीन वर्षों के भीतर तथा 100 प्रतिशत चार वर्षों के भीतर।</p> <p>एक परियोजना 2012-13 में चालू की गई थी परंतु फ्लाई एश की उपयोगिता मानदंडों के अनुसार नहीं थी; तीसरे और चौथे वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2015-16 के दौरान कमी 11 और 22 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। पी.ए. ने बताया (मई 2016) कि वे लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों को मिलेंगे तथा उन्हें सङ्क निर्माण कार्य के लिए फ्लाई एश निशुल्क लेने हेतु अनुरोध करेगा। तथ्य रह जाता है कि फ्लाई एश का निपटान नहीं किया गया जिसके कारण प्रदूषण होता है।</p>

ई.सी. और ई.आई.ए. शर्तों की उपर्युक्त अननुपालना को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी कि ई.सी. जारी करने के बाद प्रदूषण और इसके पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा रहा था।

(बी) पर्यावरण प्रभाव मॉनीटरिंग पहलुओं की अनुपालना न करना

विशिष्ट परियोजनाओं के ई.सी.ज और ई.आई.ए.ज में रिट्टनज विज्ञापन तथा लोक जागरूकता के रूप में पर्यावरण पर परियोजनाओं के विपरीत प्रभाव को मॉनीटर करने के लिए प्रावधान थे। नवंबर 2015 से अगस्त 2016 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा और परियोजना स्थलों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि ये प्रावधान परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव की मॉनीटरिंग की कमी थी जैसा नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: पर्यावरण प्रभाव मॉनीटरिंग पहलुओं की अनुपालना दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	विशिष्ट परियोजनाओं में उल्लिखित ई.सी./ई.आई.ए. की शर्तें	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(i)	परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनज के प्रतिस्थापन में कमी	चार परियोजनाओं ने ए.ए.क्यू.एम.एस. प्रतिस्थापित नहीं किए थे यद्यपि परियोजनाएं परिचालन में थी। ए.ए.क्यू.एम.एस की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों के भीतर थी।
(ii)	विभिन्न पर्यावरणीय परीक्षण करने में कमी	पांच, तीन, तीन, चार और दो परियोजनाओं ने क्रमशः वायु गुणवत्ता, चिमनी से उत्सर्जन, भूमिजल, बहिःसाव और परिवेशी शोर के परीक्षण नहीं किए थे। परीक्षणों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इन परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय मापदंड मेनेटेन किए गए थे।

(iii)	वार्षिक 'पर्यावरण आडिट रिपोर्ट'/'पर्यावरण विवरणी' का प्रस्तुत न किया जाना	
	वार्षिक पर्यावरण आडिट रिपोर्ट/पर्यावरण विवरणी (ई.ए.आर./ई.एस.) पी.एज द्वारा फार्म वी में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जानी थी। यह शर्त नमूना-जांच की गई परियोजनाओं में से तीन पर लागू थी।	
(iv)	प्राइवेट एजेंसियों/थर्ड पार्टीज द्वारा पर्यावरणीय पैरामीटरज की मॉनीटरिंग	
	एम.ओ.ई.एफ. /पी.पी.सी.बी. प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय एकीडिटेशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से पर्यावरणीय परीक्षण करवाए जाने अपेक्षित थे।	
(v)	पर्याप्त मानवशक्ति वाले पृथक पर्यावरण कक्ष की स्थापना न करना	
	पी.एज द्वारा विभिन्न पर्यावरण संबंधी क्रियाओं को करने के लिए उपर्युक्त स्टाफ वाला एक पृथक पर्यावरण प्रबंधन कक्ष (ई.एम.सी.) स्थापित किया जाना था। ई.आई.ए. रिपोर्ट में वचनबद्धताएं करने या ई.सी. पत्रों में शर्तों के बावजूद 8 पी.एज द्वारा पर्याप्त मानवशक्ति के साथ पृथक पर्यावरण कक्ष स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव की मॉनीटरिंग की कमी थी।	
(vi)	छःमाही अनुपालना रिपोर्टों का अप्रस्तुतिकरण	
	पी.एज द्वारा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (बी.श्रेणी परियोजनाओं के मामलों में) तथा पर्यावरण मंत्रालय वन तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय कार्यालय, को प्रत्येक कलैंपर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को अर्द्ध-वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। सात परियोजनाओं ने संबंधित प्राधिकारियों को अर्द्ध-वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। आगे, प्रत्येक परियोजना द्वारा 10 रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता के विरुद्ध 2011-16 के दौरान चार परियोजनाओं के मामले में इस अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना द्वारा केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, मॉनीटरिंग यंत्रावली का अनुसरण नहीं किया गया था।	

इस प्रकार, पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित विपरीत प्रभाव की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी।

3.1.5 अनुमत सीमा के बाहर वायु, तल जल, भूमि जल और शोर के लिए पर्यावरणीय मानदंड

एच.एस.पी.सी.बी. ने वायु, उपचार के बाद निःस्राव भूमि जल और शोर से संबंधी पर्यावरणीय मानदंड निर्धारित किए थे। नमूना-जांच ने प्रकट किया कि (1) झारली (झज्जर) और गुरुग्राम में स्थित दो परियोजनाओं में वायु प्रदूषण उच्चतर था। (2) शाहबाद में एक परियोजना के संबंध में भूमि जल का भारीपन अनुमत सीमा से बाहर था और (3) गुरुग्राम में एस.टी.पी. से निःस्राव की गुणवत्ता अनुमत सीमा के भीतर नहीं थी। इस प्रकार, प्रदूषण मानक सीमाओं के भीतर नहीं थी जिसने पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाला।

एच.एस.पी.सी.बी. ने बताया (नवंबर 2016) कि पर्यावरण मानदंडों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा था और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, उपर्युक्त उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई थी।

3.1.6 निष्कर्ष

इस प्रकार, पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों की अनुपालना की मॉनीटरिंग और लागूकरण में सुधार के लिए काफी संभावना थी। परियोजना प्राधिकारियों के शर्तों की अनुपालना न करने के उदाहरण अभी भी थे जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शोर और भूमि जल के परीक्षण करवाना शामिल थे।

मामला सितंबर 2016 में सरकार को भेजा गया था; इसके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2016)।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

3.2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संस्थाओं को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया और न ही खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस अनुरक्षित किया। खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अनुपालना स्वास्थ्य को संकट में डालती है क्योंकि खाद्य की गुणवत्ता आश्वासित नहीं की जाती।

3.2.1 प्रस्तावना

खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय को नियमित करने तथा मानवीय खपत के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार (भा.स.) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 बनाया (अगस्त 2006) और उसके अंतर्गत 5 अगस्त 2011 से प्रभावी नियम और विनियम बनाए (मई 2011)।

हरियाणा में, एफ.एस.एस. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2011 में स्वास्थ्य विभाग में से स्वतंत्र विभाग के रूप में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बनाया गया। विभाग के अध्यक्ष आयुक्त हैं और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। राज्य के चण्डीगढ़ तथा करनाल में दो खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं। राज्य सरकार ने लाईसेंसिंग प्राधिकारी के कार्य निष्पादित करने के लिए प्रत्येक जिले के सिविल सर्जनों को मनोनीत अधिकारी (डी.ओ.) के रूप में तथा सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफ.एस.ओ.ज) को खाद्य व्यापार परिचालकों (एफ.बी.ओ.ज) के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों के रूप में अधिसूचित कर दिया (सितंबर 2011)।

अधिनियम के कार्यान्वयन की कुशलता और प्रभावकारिता का अनुमान लगाने के विचार से 2011-16 की अवधि के लिए आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रबंध, चण्डीगढ़ और करनाल स्थित खाद्य प्रयोगशालाओं और राज्य में 21 जिलों में से चार³ में डी.ओ.ज और एफ.एस.ओ.ज के अभिलेखों की नमूना-जांच करते हुए लेखापरीक्षा की गई। नमूना-जांच के लिए जिलों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपर्शनेट टू साईज विदाऊट रिप्लेसमैट मैथड (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया।

3.2.2 लाईसेंसिंग और पंजीकरण

3.2.2.1 सर्वेक्षण न किया जाना और खाद्य व्यापार परिचालकों का पंजीकरण न करना

³

अबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा सोनीपत।

अधिनियम की कलॉज 30(2) (बी) में प्रावधान है कि विभाग खाद्य के विभिन्न पदार्थों के लिए खाद्य प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित मानकों की ऐसी इकाइयों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य में खाद्य के विनिर्माण और प्रोसेसिंग में लगी औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करेगा। आगे, एफ.एस.एस. विनियम 2011 विनियम 2.1.1 और 2.1.2 (खाद्य व्यवसाय का के लाईसेंसिंग और पंजीकरण) निर्धारित करते हैं कि ₹ 12 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर वाले सभी एफ.बी.ओज स्वयं को पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाएंगे। इसी प्रकार, एफ.बी.ओज जिनकी वार्षिक टर्नओवर ₹ 12 लाख से अधिक है, लाईसेंसिंग प्राधिकारी से लाईसेंस प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, खाद्य व्यापार चलाने के लिए प्रत्येक एफ.बी.ओ. द्वारा स्वयं को या तो पंजीकृत करवाया जाना या लाईसेंस प्राप्त करना अपेक्षित था।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड प्राधिकार (एफ.एस.ए.आई.) ने बल दिया (जुलाई 2012) कि एफ.बी.ओज की लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु था। यह भी अनुमान लगाया गया कि मध्यम आकार के राज्यों (जनसंख्या 2.5 से 4 करोड़) के लिए संगृहीत की जाने वाली लाईसेंस फीस एक वर्ष में ₹ 50-75 करोड़ के लगभग होगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट कि कि न तो कोई सर्वेक्षण किया गया न ही राज्य में एफ.बी.ओज की कुल संख्या के संबंध में विभाग के पास कोई डाटाबेस उपलब्ध था। तथापि, राज्य में मार्च 2016 तक 9913 आवेदनों में से 6,784 लाईसेंस और 20,017 आवेदनों में से 14,413 पंजीकरण प्रदान किए गए थे और पंजीकरण एवं लाईसेंस फीस के कारण औसत वार्षिक राजस्व संग्रहण ₹ 0.85⁴ करोड़ था जो एफ.एस.ए.आई. के अनुमान का केवल 2 प्रतिशत था। किसी सर्वेक्षण या डाटाबेस की अनुपस्थिति में लाईसेंसों/पंजीकरणों के बिना एफ.बी.ओज द्वारा व्यापार चलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि एफ.बी.ओज के सर्वेक्षण और पंजीकरण एफ.एस.ओज, डी.ओज और वाहन/जीप और इंटर्नेट सुविधा वाले लैपटॉप जैसी मूलभूत संरचना की भारी कमी के कारण नहीं किए जा सके।

3.2.2.2 लाईसेंसों का जारी न करना

खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड (लाईसेंसिंग और पंजीकरण) खाद्य व्यापारों की विनियम 2011 के विनियम 2.1.4 के अनुसार, लाईसेंस, आवेदन आई.डी.⁵ संख्या के जारी करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगा। आगे, विनियम 2.1.6 प्रावधान करता है कि आवेदक अपना व्यापार शुरू कर सकता है यदि लाईसेंस 60 दिनों के भीतर जारी नहीं किया जाता या आवेदक संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी से अपर्याप्तता बारे कोई सूचना प्राप्त नहीं करता।

नमूना-जांच किए चार जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मई 2016 को दो⁶ जिलों के 451 एफ.बी.ओज के लाईसेंस जारी करने के लिए आवेदन लिखित थे यद्यपि उनके आवेदन-पत्र जनवरी 2014 और मार्च 2016 के मध्य प्राप्त हो गए थे। विभाग ने एफ.बी.ओज द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की अपूर्णता की न कोई सूचना जारी की थी और न ही 60 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर लाईसेंस जारी किए थे। निर्धारित अवधि के बाद विलंब एक मास और

⁴ 2011-16 के दौरान ₹ 4.25 करोड़ संगृहीत किए गए, एक वर्ष के लिए औसत ₹ 0.85 करोड़ बनता है।

⁵ पहचान संख्या एफ.बी.ओज को पूर्ण आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर दी जाती है।

⁶ गुरुग्राम: 406 तथा सोनीपत्त: 45.

26 मास के मध्य श्रृंखलित था। लाईसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आवेदन की अपूर्णता की सूचना की अनुपस्थिति में, प्रस्तुत आवेदन में अपूर्णता वाले एफ.बी.ओज भी अपना व्यापार चलाने के योग्य बन गए। इस प्रकार, अयोग्य एफ.बी.ओज द्वारा खाद्य व्यापार चलाने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता जो गुणवत्ता आश्वासन के लिए जोखिम प्रकट करते हैं।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि लाईसेंसों का जारी न करना और कुछ चूकें मानवशक्ति और डी.ओज/एफ.एस.ओज की ओर से मूलभूत संरचना की कमी के कारण थी।

3.2.3 मूलभूत संरचना की उपलब्धता

3.2.3.1 खाद्य प्रयोगशालाओं में अपर्याप्ति मूलभूत संरचना सुविधाएँ

अधिनियम की धारा 20 और 21 में प्रावधान है कि किसी खाद्य पदार्थ में, विनियमों द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सहनशील सीमा से अधिक कोई संदूषकता, जीवविष या हार्मोन या भारी धातु, कीटनाशी, जीवनाशी, पशु औषधि अवशेष, प्रतिजीवी अवशेष, विलायक अवशेष, औषधीय सक्रियतत्व, सूक्ष्म जीवी संरच्चा नहीं होगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त खाद्य प्रयोगशालाएं व्यापारियों, वितरकों और खाद्य पदार्थों के विनियमाताओं को उनके उत्पादों का परीक्षण करवाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के साथ अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठनों के प्रवर्तन के लिए अनिवार्य हैं।

हरियाणा खाद्य प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ और जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्न प्रकट किया:

(i) प्रयोगशालाओं में कीटनाशी अवशेषों, माईक्रोटाक्सिनज धात्विक सम्मिश्रण एंटीबायाटिक अवशेष और खाद्य सम्मिश्रणों की विश्लेषण परीक्षण करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यह परीक्षण न तो सरकारी प्रयोगशाला में करवाए जा रहे थे न ही मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से करवाए गए। लोक विश्लेषक ने ये परीक्षण करने के लिए ₹ 6.99 करोड़ मूल्य के मुख्य परिष्कृत उपकरणों की खरीद के लिए विभाग के आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजा (सितंबर 2015) परंतु प्रस्ताव अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया था (अक्तूबर 2016)।

(ii) जुलाई 2005 और जनवरी 2006 के मध्य प्रयोगशाला को आपूर्ति ₹ 43.14 लाख के उपकरण जैसे कीटनाशी अवशेषों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मॉडल ट्रेस जी.सी. (अल्ट्रा) और गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मॉडल ट्रेस जी.सी. 2010 और खाद्यों के अग्नीो एसिडज़, कार्बोहाइड्रेट्स, कीटनाशी एंटीऑक्सीडेंस के परीक्षण के लिए प्रयुक्त उच्च निष्पादन क्रोमैटोग्राफी हरियाणा खाद्य प्रयोगशाला में गत चार से सात वर्षों से उपकरण चालू हालत में नहीं थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मरम्मत के लिए संबंधित फर्मों को संदर्भित करने के अतिरिक्त इन उपकरणों की मरम्मत के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए (जून 2016)।

(iii) मार्च 2005 में ₹ 5.98⁷ लाख की लागत पर खरीदा गया मार्फ़िक्रोवेच डाईजैस्टिव सिस्टम मार्स - एस चण्डीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में संयोजित उपकरण की अनुपलब्धता के कारण प्रयोग में नहीं था। प्रणाली का मुख्य प्रयोजन एटमिक समावेशन, प्रेरक रूप से संयोजित प्लाजमा एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी, गैस या लिक्विड क्रोमैटोग्राफी द्वारा विश्लेषण के लिए सैंपल तैयार करना था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए मामला भारत सरकार को प्रयोगशाला के उन्नयन की अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत प्रदान करने हेतु भेजा जा चुका है और राज्य सरकार शेष 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करने के लिए सहमत हो गई थी।

3.2.3.2 खाद्य नमूनों के सुरक्षित भंडारण के लिए एफ.एस.ओज/डी.ओज के पास मूलभूत संरचना और उपकरणों की अनुपलब्धता

अधिनियम की धारा - 47 में प्रावधान है कि जब एफ.एस.ओ. विश्लेषण के लिए खाद्य सामग्री का नमूना लेता है, वह विश्लेषण के लिए एक भाग विश्लेषक और तीन भाग नामित अधिकारी को इन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेजेगा। यदि खाद्य विश्लेषक से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में भिन्नता पाई जाती है तो डी.ओ. अपनी कस्टडी में रखे नमूने का एक भाग विश्लेषण के लिए उल्लिखित प्रयोगशाला में भेज देगा। खाद्य नमूने, जो अवमानक, निम्न ब्रांड के या असुरक्षित पाए जाते हैं और उनका निर्णय लंबित है, न्यायालय या भविष्य में निर्णयिक प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, को सुरक्षित अवस्था में भंडार करने की आवश्यकता है।

नमूना - जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अगस्त 2011 से मार्च 2016 के मध्य विश्लेषण के लिए 2,868 खाद्य नमूने इकट्ठा किए। इनमें से 351 नमूने असुरक्षित/अवमानक/मिस ब्रांडिड के पाए गए जिनमें 140 मामले गत 1 से 4 वर्षों से निर्णय/अभियोजन के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग में खाद्य नमूनों के सुरक्षित भंडारण के लिए सही मूलभूत संरचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि नमूने भंडार कक्ष में आलमारी में पड़े थे। भंडारण सुविधा की अनुपस्थिति में नमूनों की स्थिति खराब हो सकती है और विभाग न्यायालय के मामलों की प्रक्रिया प्रभावी रूप से करने में समर्थ नहीं होगा।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि नमूनों के सुरक्षित भंडारण के लिए प्रत्येक जिले में एक रेफ्रिजेटर और एक ए.सी. उपलब्ध करवाया जाएगा।

3.2.4 निरीक्षण, सैंपलिंग एवं अभियोजन

3.2.4.1 पंजीकृत संस्थाओं का निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा और मानदंड (खाद्य व्यापार का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.1 (6) में प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी या कोई अधिकारी या एजेंसी पंजीकृत संस्थाओं का वर्ष में कम से कम एक बार खाद्य सुरक्षा निरीक्षण करेगा। एफ.एस.एस. नियम, 2011 के नियम 2.1.3 (4) (iii) (ए) में प्रावधान है कि एफ.एस.ओ. उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर एक खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, संचालन, पैकिंग अथवा विक्रय के लिए लाईसेंसप्राप्त सभी खाद्य स्थापनाओं का डी.ओ. द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रायः निरीक्षण करेगा।

⁷

₹ 46 प्रति डालर की दर पर 13,000 डालर।

नमूना - जांच किए गए चार जिलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 2016 तक एफ.बी.ओज को 4,484 लाईसेंस और 7,291 पंजीकरण उनके द्वारा हैंडल किए गए विभिन्न उत्पादों के लिए जारी किए गए थे परंतु लाईसेंस और पंजीकरण की प्रदानगी के बाद एफ.एस.ओज या किसी प्राधिकृत अधिकारी/एजेंसी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि एफ.बी.ओज का निरीक्षण मानवशक्ति और मूलभूत संरचना के अभाव के कारण नहीं किया जा सका।

3.2.4.2 नमूनों के संग्रहण के लिए लक्ष्यों की अप्राप्ति

अधिनियम की धारा - 38 में प्रावधान है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओज) किसी भी खाद्य या पदार्थ के नमूने लेगा जो उसे विक्रय के लिए अभिप्रेत या मानवीय खपत के लिए बेचा गया प्रतीत हो। विभाग ने परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले के एफ.एस.ओ. द्वारा प्रतिमास 30 नमूनों के संग्रहण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे।

यह देखा गया कि 34,020⁸ नमूनों के संग्रहण की आवश्यकता के विरुद्ध, अगस्त 2011 से मार्च 2016 के दौरान केवल 9,332 नमूने इकट्ठे किए गए और परीक्षित किए गए, जिनमें से 1,184 नमूने असुरक्षित/अवमानक/मिसब्राउड के पाए गए। इस प्रकार, राज्य में नमूनों के संग्रहण में कमी 73 प्रतिशत थी जबकि उसी अवधि के दौरान चयनित 4⁹ जिलों में कमी 42 प्रतिशत और 71 प्रतिशत के मध्य शृंखलित थी।

विभाग ने नमूनों के संग्रहण में कमी का आरोप मानवशक्ति की कमी और वाहनों की अनुपलब्धता पर लगाया (अक्तूबर 2016)।

3.2.4.3 अवमानक मिसब्राउड नमूनों के दोषियों के विरुद्ध निर्णयादेश न किया जाना

एफ.एस.एस. नियमों के नियम 2.4.2(5 एवं 6) और 2.4.6 के अनुसार, खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट की चार प्रतियां संबंधित डी.ओ. को भेजेगा जो दो प्रतियां आगामी कार्रवाई के लिए रखेगा तथा एक प्रति एफ.एस.ओ. और एक प्रति एफ.बी.ओ. को भेजेगा जिससे नमूना लिया गया था। यदि खाद्य विश्लेषक के परिणामों के विरुद्ध एफ.बी.ओ. द्वारा अपील प्रस्तुत की जाती है, डी.ओ. मामले को निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेज देगा। आगे, नियम 3.1.1 में प्रावधान है कि यदि एफ.बी.ओ. द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है या निर्दिष्ट प्रयोगशाला के परिणाम खाद्य विश्लेषकों की पुष्टि करते हैं तो डी.ओ. जांच करेगा कि क्या उल्लंघना कैद या केवल जुर्माने के दंडयोग्य है। यदि डी.ओ. निर्णय लेता है कि उल्लंघना केवल जुर्माने के दंडयोग्य है तो वह, निर्णयादेश के लिए एक आवेदन निर्णयादेश अधिकारी (ए.ओ.) को प्रस्तुत करने के लिए एफ.एस.ओ. को प्रेरित एवं प्राधिकृत करेगा।

नमूना - जांच किए गए चार जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 351 विफल नमूनों में से 32 एफ.बी.ओज के विरुद्ध अभियोग चलाया गया, 227 एफ.बी.ओ. को निर्णयादेश दिए गए 28 एफ.बी.ओज के विरुद्ध निर्णयादेश प्रक्रियाधीन था और 64¹⁰ एफ.बी.ओज के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। चूंकि इन 64 मामलों में एफ.बी.ओज द्वारा डी.ओज को कोई अपील

⁸ 30 नमूने x 54 मास x 21 जिले: 34,020.

⁹ अंबाला (53 प्रतिशत), फरीदाबाद (53 प्रतिशत), गुरुग्राम (42 प्रतिशत) तथा सोनीपत (71 प्रतिशत)। प्रत्येक जिले का लक्ष्य 1,620 था।

¹⁰ अंबाला: 13, गुरुग्राम: 28 तथा सोनीपत: 23.

प्रस्तुत नहीं की गई, वे निर्णयादेश के दायी थे। परंतु ये मामले नमूना लेने के 12 से 53 मास बीत जाने के बावजूद ए.ओज के पास नहीं भेजे गए थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सभी डी.ओज और एफ.एस.ओज को निर्धारित समय के भीतर दोषियों के विरुद्ध निर्णयादेश आवेदन दायर करने के निदेश जारी किए गए जिसमें विफल होने पर उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

3.2.4.4 मामलों के निर्णयादेश में विलंब

एफ.एस.एस. नियम 2011 के नियम 3.1.1 (4) और (9) में प्रावधान है कि एफ.एस.ओ. से निर्णयादेश के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, ए.ओ. जांच कार्यवाही आरंभ करेंगे और पहली सुनवाई की तिथि से 90 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्च 2016 को 42 मामले पहली सुनवाई की तिथि से 90 दिनों के बाद भी 3¹¹ ए.ओज के पास अंतिम निर्णय के लिए लंबित थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ए.ओज को निर्धारित अवधि के भीतर मामलों के निपटान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

3.2.5 मानवशक्ति की उपलब्धता

एफ.एस.एस. नियम 2011 के नियम 2.1.2.1 (1) और 2.1.3 में प्रावधान है कि डी.ओज और एफ.एस.ओज पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। पांच वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, कोई नियमित डी.ओज अभी तक तैनात नहीं किए गए थे और अतिरिक्त प्रभार संबंधित सिविल सर्जनों को दिया गया था।

26 श्रेणियों के स्टाफ के 211 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 107 व्यक्ति तैनात थे और 104 पद (49 प्रतिशत) रिक्त थे। एफ.एस.ओज के 22 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 12 तैनात थे जिसमें से केवल 8 कार्य कर रहे थे और 4 एफ.एस.ओज निलंबन अधीन थे। मूल स्तर पर लाईसेंसिंग, पंजीकरण और सैंपलिंग का प्रबंध करने के लिए अभिप्रेत डी.ओज और एफ.एस.ओज के मुख्य संवर्ग में कमी ने अधिनियम, नियमों और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के लागूकरण पर विपरीत प्रभाव डाला।

3.2.6 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) तथा जागरूकता अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मूल आधार है। जुलाई 2012 में आयोजित केंद्रीय सलाहकारसमिति की 8वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा, विभाग द्वारा संग्रहित लाईसेंस एवं पंजीकरण फीस का कम से कम 75 प्रतिशत आई.ई.सी. क्रियाएं करने के लिए रखा जाना चाहिए जिसमें (i) आई.ई.सी. गतिविधि स्थानीय भाषा विज्ञापन, एफ.एम. में जिंगल्ज़ (ii) 24 x 7 खाद्य सुरक्षा हेल्पलाईन, और (iii) स्थानीय भाषा में खाद्य सुरक्षा के लिए वेबपेज तैयार करना शामिल होना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने 2011-16 के दौरान ₹ 4.25 करोड़ लाईसेंस एवं पंजीकरण फीस संग्रहित की और इस राशि का 75 प्रतिशत (₹ 3.19 करोड़) आई.ई.सी. गतिविधियाँ करने के लिए रखा जाना था। परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए निधियों की मांग नहीं की थी। आगे, आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए कोई

¹¹ अबाला: 5, गुरुग्राम: 33 तथा सोनीपत: 4.

योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, आई.ई.सी. गतिविधियों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और केंद्रीय परामर्श समिति के निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया गया।

3.2.7 निष्कर्ष

इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का लागूकरण कमज़ोर तथा अपर्याप्त था। खाद्य व्यापार संस्थाओं का सर्वेक्षण नहीं किया गया और खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस भी रखा नहीं गया। खाद्य प्रयोगशालाएं भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अनुपालना न करना खाद्य की गुणवत्ता को खतरे में डालता है तथा साधारण जनता के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

ये बिंदु जुलाई 2016 में सरकार को भेजे गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2016)।

गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग

3.3 पुलिस कंट्रोल रूम के उन्नयन के लिए परियोजना का कार्यान्वयन न करना

परियोजना के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का सही अनुगमन लगाने और एक सक्षम एजेंसी चुनने में विफलता के साथ पुलिस विभाग और हारट्रोन के मध्य समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप परियोजना पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद पांच वर्षों से अधिक समय से शिथिल पड़ी रही। इसके अतिरिक्त ₹ 3.50 करोड़ की सरकारी निधियां दिसंबर 2011 से अवरुद्ध रही और विभाग ने ₹ 1.03 करोड़ राशि के ब्याज की हानि उठाई।

हरियाणा पुलिस के सभी कंट्रोल रूमों को एकीकृत करने हेतु एक परियोजना¹² 'पुलिस मुख्यालय (पी.सी.आर.) पंचकुला में पुलिस कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण और उन्नयन', भारत सरकार की पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण के अंतर्गत ₹ 3.50 करोड़ के लिए राज्य स्तर पर सशक्त अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई (जून 2011)।

पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.), हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पंचकुला स्थित पुलिस कंट्रोल रूम (पी.सी.आर.) के उन्नयन हेतु उपकरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हारट्रोन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (सितंबर 2011)। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2011 में इस परियोजना के लिए ₹ 3.50 करोड़ की संस्थीकृति जारी कर दी। हारट्रोन ने पुलिस विभाग को प्रस्ताव के लिए ड्राफ्ट अनुरोध (आर.एफ.पी.) सहमति के लिए भेज दिया (नवंबर 2011)। तत्पश्चात्, पुलिस विभाग ने दिसंबर 2011 में इस परियोजना के लिए हारट्रोन के पास ₹ 3.50 करोड़ जमा करवा दिए। तथापि, आर.एफ.पी. रद्द कर दिया गया क्योंकि आवश्यकताएं हरियाणा पुलिस द्वारा परिवर्तित/संशोधित¹³ कर दी गई। तदनुसार, आर.एफ.पी. संशोधित किया गया और हारट्रोन द्वारा डी.जी.पी. को दोबारा भेजा गया (अक्टूबर 2012) जो नवंबर 2012 में अनुमोदित किया गया। हारट्रोन द्वारा एन.आई.टी. दिसंबर 2012 में शुरू की गई परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

¹² उन्नयन में (1) आई.पी. आधारित ई.ओ.सी. ग्राहक - सह - परिचालक (2) कॉलटेकिंग और डिस्ट्रै

¹³ सर्व (3) वीडियो वेल डिस्प्ले सर्वर (4) एकीकरण सेवाओं के क्षेत्र में गतिविधियां शामिल हैं। मुख्य रूप से प्रोसेसर, आर.ए.एम., एच.डी.डी. और सर्वर और वर्क स्टेशन के ओ.एस., सर्वेलैस (निगरानी) सिस्टम की कैप्चर क्वालिटी संबंधित परिवर्तन/संशोधन।

अन्ततः हारट्रोन ने मांगपत्र 21 महीनों बाद पुलिस विभाग को परियोजना को स्वयं ही हैंडल करने के लिए वापस कर दिया (जून 2013) क्योंकि इसके पास इतनी भारी टर्नकी तकनीकी परियोजना को हैंडल करने के लिए डोमेन दक्षता नहीं थी। पुलिस विभाग ने हारट्रोन को इसके निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2013) और उन्हें यदि आवश्यक हो तो व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए प्राधिकृत किया, हारट्रोन परियोजना को इस शर्त पर लेने के लिए सहमत हो गया (सितंबर 2013) कि यह परियोजना की आर.एफ.पी. तैयार करने, बोली मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए गठित समिति की सहायता के लिए हारट्रोन एक दक्ष व्यक्ति को नियुक्त करे। तथापि, दक्ष व्यक्ति को बाजार से लेने का प्रस्ताव डी.जी.पी., हरियाणा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया जिसने निदेश दिया कि समिति सर्वेक्षण के लिए आसपास के राज्यों की दौरा करे ताकि आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकें। तत्पश्चात्, कोई कार्रवाई नहीं की गई और ₹ 3.50 करोड़ की निधियां हारट्रोन के पास दिसंबर 2011 से अप्रयुक्त पड़ी थी। तथापि, डी.जी.पी., हरियाणा द्वारा भारत सरकार को निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया (मई 2013) यद्यपि, परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

आगे, वित्त विभाग द्वारा जारी (मार्च 2011) अनुदेशों के अनुसार, हारट्रोन द्वारा अप्रयुक्त निधियों पर विभाग को अर्ध-वार्षिक आधार पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान किया जाना अपेक्षित था, और प्रशासनिक विभाग ब्याज वसूल करने हेतु उत्तरदायी थे, परंतु ब्याज न तो हारट्रोन ने अदा किया न ही विभाग ने मांगा जिसके कारण, विभाग ने ₹ 1.03 करोड़¹⁴ के ब्याज की हानि वहन की।

यह इंगित किए जाने पर, डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (अक्तूबर 2016) कि हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम के उन्नयन के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में पुलिस विभाग की सहायता करने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुट और परामर्श प्रदान करने हेतु एक प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने हेतु हारट्रोन को अनुरोध किया गया था (अगस्त 2016) मामला अभी भी अंतिम किया जाना शेष है (नवंबर 2016)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया हारट्रोन को आग्रह करने में, जबकि इसने परियोजना को अपने आप संचालित करने में असमर्थता प्रकट की थी तथा व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रस्ताव विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया था तर्क की कमी थी। इस प्रकार, तकनीकी आवश्यकताओं का सही ढंग अनुमान लगाने तथा एक सक्षम एजेंसी को चुनने में विभाग की विफलता के साथ पुलिस विभाग तथा हारट्रोन के मध्य समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद परियोजना पांच वर्षों से अधिक समय से शिथिल पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.50 करोड़ की निधियां दिसंबर 2011 से अवरुद्ध हो गई और विभाग ने ₹ 1.03 करोड़ राशि के ब्याज की हानि उठाई।

मामला जून 2016 में सरकार को भेजा गया और स्मरण-पत्र अगस्त 2016 में जारी किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

¹⁴

जनवरी 2012 से नवंबर 2016 तक ₹ 3.50 करोड़ का छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज।

गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग

3.4 वृद्धि भूमि क्षतिपूर्ति जमा करवाने में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

वृद्धि क्षतिपूर्ति के लिए प्रोसेसिंग तथा मामले को अनुसरित करने में भूमि अधिग्रहण कलैक्टर तथा पुलिस विभाग की ओर से विलंबों के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, (अधिनियम) की धारा - 4 के अंतर्गत इसकी भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन घोषित करते हुए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना अपेक्षित है। आगे, अधिनियम की धारा 28 निर्धारित करती है कि भूमि अधिग्रहण कलैक्टर द्वारा वृद्धि क्षतिपूर्ति पर उस तिथि, जब कलैक्टर ने भूमि का स्वामित्व लिया था से भुगतान की तिथि तक पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत और बाद के वर्षों के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान किया जाए।

महानिदेशक पुलिस (डी.जी.पी.), हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यमुनानगर में पुलिस लाईन और पुलिस स्टाफ के लिए परिवारीय क्वार्टर प्रस्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अप्रैल 1999 में अधिनियम की धारा - 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई। भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (एल.ए.सी.)-सह-उपमंडल अधिकारी (सिविल), जगाधरी ने उस भूमि के मुआवजे के रूप में ₹ 6 लाख प्रति एकड़ प्रदान किए (अप्रैल 2002) जो अपर जिला जज (ए.डी.जे.), जगाधरी द्वारा बढ़ाकर ₹ 12.07 लाख प्रति एकड़ कर दिए गए थे (फरवरी 2005)। ए.डी.जे. जगाधरी के निर्णय से पीड़ित होकर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में 21 नियमित प्रथम अपील (आर.एफ.एज) (11 आर.एफ.एज राज्य द्वारा और 10 आर.एफ.एज भूमि मालिकों द्वारा) दायर किए गए। उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी अपीलें अस्वीकार कर दी और मुआवजा ₹ 1,560 प्रति वर्गमीटर (₹ 63.13 लाख¹⁵ प्रति एकड़) तक बढ़ा दिया (4 अक्तूबर 2012)।

उपर्युक्त निर्णय की अनुपालना में, पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) यमुनानगर ने एल.ए.सी., जगाधरी को वृद्धि मुआवजे के विवरण सूचित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2013)। एल.ए.सी., जगाधरी ने एस.पी. यमुनानगर को पांच आर.एफ.एज¹⁶ से संबंधित वृद्धि मुआवजे (21 अप्रैल 2013 तक का ब्याज शामिल करके) के रूप में ₹ 58.86 करोड़ जमा करवाने का अनुरोध किया (फरवरी 2013) ताकि भुगतान ए.डी.जे. न्यायालय, जगाधरी में जमा करवाया जा सके। बाद में, भूमि मालिकों को भुगतान करने के लिए गृह विभाग ने ₹ 58.86 करोड़ के लिए जून 2013 में संस्वीकृति दे दी। राशि अंततः 5 अक्तूबर 2013 को अर्थात् उच्च न्यायालय के आदेशों की तिथि से 12 महीनों से अधिक समय के बाद जमा करवाई गई। भुगतान भूमि मालिकों को अक्तूबर 2013 में किया गया और ब्याज अप्रैल 2013 तक परिकलित किया गया था। भूमि मालिकों ने शेष अवधि के लिए ब्याज की मांग की। परिणामतः 22 अप्रैल 2013 से अक्तूबर 2013 की अवधि के लिए ₹ 1.55 करोड़ का ब्याज भी भूमि मालिकों को अप्रैल 2014 में भुगतान किया गया। इस प्रकार, वृद्धि मुआवजे के आहरण और वितरण में विलंब के

¹⁵ 4,046.85 x ₹ 1,560 = ₹ 63,13,086

¹⁶ स्वर्ण सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य का 2003 का आर.एफ.ए. संख्या 1955

परिणामस्वरूप जनवरी 2013¹⁷ से अक्टूबर 2013 की अवधि के लिए भूमि मालिकों को ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज का भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (जून 2016) कि सरकार से संस्वीकृति शीर्ष 'पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत प्राप्त हुई थी जहां पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी और मुख्य निर्माण कार्य' शीर्ष से 'भूमि' शीर्ष में 'निधियों के विपथन के लिए मामला सरकार को पुनः प्रस्तुत किया गया। विभाग का बाद तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि उप-शीर्ष 'भूमि' के अंतर्गत मूल बजट ₹ 9 करोड़ था, पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त निधियां सुनिश्चित किए बिना मामला सरकार को प्रस्तुत किया गया था (मई 2013)। यदि विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए निधियों की उपलब्धता का सही ढंग से प्रारंभ में ही अनुमान लगाया होता तो ब्याज का भुगतान बचाया जा सकता था।

इसी प्रकार, शेष पांच आर.एफ.एज के लिए, 4 अक्टूबर 2012 के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, एल.ए.सी. ने ₹ 35.19 करोड़ की (21 नवंबर 2013 तक के ब्याज सहित) एस.पी., यमुनानगर से नवंबर 2013 में ही मांग की। गृह विभाग ने ₹ 35.19 करोड़ की राशि की संस्वीकृति प्रदान की (दिसंबर 2013) और राशि दिसंबर 2013 में न्यायालय में जमा करवा दी गई। भुगतान भूमि मालिकों को दिसंबर 2013 में किया गया और ब्याज केवल नवंबर 2013 तक परिकलित किया गया। भूमि मालिकों ने शेष अवधि के लिए ब्याज की मांग की। परिणामतः, नवंबर 2013 से दिसंबर 2013 की अवधि के लिए ₹ 0.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान भूमि मालिकों को मार्च 2015 में किया गया। इस प्रकार, एल.ए.सी. और एस.पी. यमुनानगर के मध्य समन्वय की कमी के कारण उच्च न्यायालय के आदेश (अक्टूबर 2012) से 13 माह व्यतीत होने के बाद एल.ए.सी. द्वारा परिकलन के साथ दावे के प्रस्तुतिकरण की प्रस्तुति में देरी के परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को ₹ 1.97 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

एल.ए.ओ. जगाधरी ने बताया (जून 2016) कि एस.पी. यमुनानगर ने उनके कार्यालय को मुआवजों की राशि परिकलित करने का अनुरोध किया था (जनवरी 2013) परंतु उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर 2012 के आदेशों की प्रति संलग्न नहीं की गई थी। तथ्य, तथापि, रहता है कि इस प्रक्रिया में एल.ए.सी. और एस.पी., यमुनानगर द्वारा 13 महीने लिए गए क्योंकि मामला उनके मध्य पत्राचार अधीन पड़ा रहा।

न्यायालय के आदेशों पर वर्धित मुआवजे के भुगतान में विलंब ब्याज के भुगतान को आकर्षित करती है और इन मामलों को प्रोसेस करने में समयबद्धता अनिवार्य है। ऐसा करने में विफलता एल.ए.सी. और पुलिस विभाग दोनों की ओर से वर्धित मुआवजे के भुगतान के लिए मामला प्रोसेस करने और अनुसरण में निरूत्साहित रवैये को प्रतिबिंबित करती है। प्रथम पांच मामलों के संबंध में, मुख्य विलंब पुलिस विभाग की ओर से धन के आहरण एवं वितरण में था जबकि शेष पांच मामलों में एल.ए.सी. ने दावा प्रस्तुत करने में 10 महीने ले लिए। वर्धित मुआवजे के भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप उपर्युक्त मामलों में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

¹⁷

भुगतान के लिए मामलों की प्रक्रिया के लिए न्यायालय आदेश की तिथि से 90 दिनों का उचित समय देने के बाद अतिरिक्त भुगतान परिकलित किया गया है।

आौद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

3.5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से उन्नयन

आौद्योगिक प्रशिक्षण विभाग आौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने में विफल रहा। फैकल्टी की कमी, व्यापारों के अपरिचालन और कौशल विकास की कमी के कारण खराब शैक्षिक उपलब्धि के मामले थे। इसके अतिरिक्त, एफिलिएशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे और सफलता प्रतिशतता कम थी।

भारत सरकार (भा.स.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ने नवंबर 2007 में ‘सार्वजनिक प्राइवेट हिस्सेदारी’ (पी.पी.पी.) के माध्यम से “सरकारी” ‘आौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) के उन्नयन’ के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की। स्कीम के अधीन, 2007-08 से 2011-12 तक हरियाणा में पांच चरणों में 52 सरकारी आई.टी.आईज को आवृत्त किया जाना था। प्रत्येक आई.टी.आई. को एक उद्योग हिस्सेदार के साथ संबद्ध किया जाना था। स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण के डिजाइन और प्रदानगी को अधिक मांग अभिमुखी बनाकर वोकेशनल प्रशिक्षण प्रणाली से रोजगार अवसरों को बढ़ाना था। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक आई.टी.आई. के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संस्थान विकास योजना ऐसे तरीके से तैयार की जानी थी कि यह पूर्णरूप से आई.टी.आई. के उन्नयन की तरफ उन्मुख हो और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संस्थान के दीर्घावधि लक्ष्यों को परिभाषित करे। राज्य स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य संचालन समिति स्कीम के संपूर्ण कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के मार्गनिर्देश के लिए गठित की गई। प्रत्येक आई.टी.आई. के लिए एक संस्था प्रबंधन समिति भी गठित की गई।

पी.पी.पी. के माध्यम से आई.टी.आई. के उन्नयन में विभाग की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए 2007-16 की अवधि हेतु प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाऊट रिप्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करके रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चयन किए गए महानिदेशक, आौद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय और 52 में से 13 आई.टी.आईज¹⁸ के अभिलेखों की दिसंबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान नमूना-जांच की गई थी।

3.5.1 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आई.टी.आई. की संस्थान प्रबंध समिति को उन्नयन के लिए ₹ 2.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में 52 आई.टी.आईज को ₹ 130 करोड़ (प्रत्येक आई.टी.आई. को ₹ 2.50 करोड़) की निधियां और नमूना-जांच किए गए 13 आई.टी.आईज को ₹ 32.50 करोड़ निर्मुक्त किए गए। ऋण की राशि को पांच वर्षों की अवधि में व्यय किया जाना था और निधियां प्रत्येक आई.टी.आई. के संस्थान विकास योजनाओं में सात विभिन्न

¹⁸ फेज - I (2007-08): (i) सढ़ौरा, (ii) कुरुक्षेत्र, (iii) कैथल तथा (iv) हसनगढ़, फेज - II (2008-09): (i) बहादुरगढ़ (महिलाएं), (ii) फरीदाबाद (महिलाएं), (iii) कैथल (महिलाएं), (iv) भिवानी (महिलाएं) तथा (v) नलवा, फेज - IV (2010-11): (i) निसिंग, (ii) सिरसा (महिलाएं) तथा (iii) कुरुक्षेत्र (महिलाएं), फेज - V (2011-12): (i) पुंडरी। रैंडम सैंपलिंग ने फेज - III (2009-10) के अंतर्गत आवृत्त कोई आई.टी.आईज. नहीं चुना।

घटकों¹⁹ के अंतर्गत चिन्हित की गई थी जैसा कि राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऋण 10 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि के बाद 30 वर्षों में वापस चुकाया जाना था।

3.5.1.1 निधियों का कुप्रबंधन

चयनित 13 आई.टी.आईज में ₹ 48.26 करोड़²⁰ की उपलब्ध निधियों के विरुद्ध 2007-16 के दौरान ₹ 33.64 करोड़ का व्यय किया गया और 31 मार्च 2016 को ₹ 14.62 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। दो आई.टी.आईज (फरीदाबाद (महिला) और बहादुरगढ़ (महिला)) के पास ₹ दो करोड़ से अधिक हैं और तीन आई.टी.आईज (सदौरा, कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र (महिला)) के पास ₹ एक करोड़ से अधिक अव्ययित शेष हैं।

मार्गनिर्देशों के अनुसार, ऋण राशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक आई.टी.आई. द्वारा ₹ 50 लाख) ऋण स्थगन अवधि के बाद ऋण को वापस चुकाने और परियोजना को दीर्घावधि संपोषण प्रदान करने के लिए खपत योग्य और गैर खपत योग्य पदार्थों की खरीद के लिए मूलधन के रूप में रखा जाना था। तथापि, आई.टी.आई. कैथल के पास केवल ₹ 19 लाख का शेष है जो अपेक्षित मूलधन (₹ 50 लाख) से कम था।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि निधियां आई.टी.आई.(महिला) फरीदाबाद के द्वारा उद्योग हिस्सेदार के असहयोग और सिविल कार्य के लिए टेंडर रद्द होने के कारण प्रयुक्त नहीं की गई। उसने आगे बताया कि आई.टी.आईज को उनके संस्थान में पड़े ₹ एक करोड़ से ऊपर की निधियां उपयोग करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। आई.टी.आई. कैथल को भी मूलधन राशि रखने हेतु निदेश दिए गए हैं।

3.5.1.2 अतिरिक्त व्यय

संस्थान विकास योजना के अनुसार 2008-09 से 2015-16 के दौरान ₹ पांच करोड़ के संशोधित अनुमान के विरुद्ध चार आई.टी.आईज ने मशीनों और उपकरण पर ₹ छः करोड़ का व्यय किया। महानिदेशक ने संबंधित आई.टी.आईज को उनके संस्थानों की संस्थान विकास योजना को दो महीनों के भीतर संशोधित करवाने हेतु निदेश दिए (जुलाई 2016) और किसी अन्य उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई अन्य व्यय नई संस्थान विकास योजना में भी प्रस्तुत किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संस्थान विकास योजना के बार-बार संशोधन इंगित करते हैं कि यह उचित परिश्रम से तैयार नहीं की गई थी।

3.5.1.3 आयकर का रिफिंग न करना

प्रत्येक आई.टी.आई. की संस्थान प्रबंध समिति द्वारा एक पृथक लेखा संरच्चा (पैन) प्राप्त करना अपेक्षित है क्योंकि यह एक स्वतंत्र सत्ता है जो ब्याज और अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर सकती है। यदि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा -12-ए के अंतर्गत पंजीकरण करवाती है, और अपनी आय, आयकर अधिनियम की धारा -11 के प्रावधान के अनुसार उपयोग करती

¹⁹ (i) सिविल कार्य, (ii) टूल्ज एम. एंड ई., (iii) फर्नीचर और साज-सामान, (iv) किताबें और ज्ञान संसाधन, (v) अतिरिक्त मानवशक्ति, (vi) खपत योग्य रख-रखाव एवं प्रशिक्षण सामग्री और (vii) विविध व्यय।

²⁰ ब्याज मुक्त ऋण: ₹ 32.50 करोड़, जमाओं पर अर्जित ब्याज: ₹ 13.97 करोड़ और 13 आई.टी.आईज द्वारा सृजित राजस्व: ₹ 1.79 करोड़।

है, तो इसकी आय को आयकर से छूट होगी। पांच चयनित आई.टी.आईज²¹ के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि बैंकों ने 2009-16 के दौरान अर्जित ब्याज पर ₹ 12.22 लाख की स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती की थी। चार आई.टी.आईज (आई.टी.आई., पुंडरी के अलावा) के प्रधानाचार्यों ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि वे आयकर अधिनियम की धारा 12-ए के अधीन पंजीकृत नहीं किए गए हैं। यदि आई.टी.आईज आयकर अधिनियम की धारा 12-ए के अधीन पंजीकृत होते, तो ₹ 12.22 लाख की राशि बच जाती।

3.5.1.4 टेंडरिंग प्रक्रिया के बिना क्रय

निदेशक, आई.टी.आई. ने अनुदेश जारी किए थे (जनवरी 2010) कि ₹ एक लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक के मूल्य की भंडार की वस्तुएं न्यूनतम तीन टेंडर आमंत्रित करके खरीदी जानी चाहिए ताकि खरीद पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतियोगिता के माध्यम से की जा सके। आई.टी.आई., कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि संस्था ने मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 67 आपूर्ति आदेश बिना टेंडर आमंत्रित किए कोटेशन के माध्यम से दिए और छः आपूर्तियों से मई-जून 2015 के दौरान उपर्युक्त अनुदेशों की उल्लंघना में ₹ 73.58 लाख मूल्य की खरीद की गई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रधानाचार्य को निदेश दिए गए हैं कि यदि बोलियां आवश्यकता के अनुसार प्राप्त नहीं की गई तो प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार/महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त की जानी चाहिए।

3.5.2 उन्नयन

भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण का प्रयोग आई.टी.आई. में अतिरिक्त सिविल कार्य, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद तथा आई.टी.आई. में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना के उन्नयन से सीधे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए होना चाहिए।

3.5.2.1 निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब तथा अतिरिक्त व्यय

(i) आई.टी.आई. (महिला) फरीदाबाद ने जनवरी 2009 में उन्नयन स्कीम के अंतर्गत ₹ 2.50 करोड़ की निधियां प्राप्त की। द्वितीय तल (अतिरिक्त क्लास रूमज़) का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को कार्य आदेश पर ₹ 45.59 लाख की अनुमानित लागत पर आबंटित किया (फरवरी 2014) और कार्य जून 2014 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार ने छत स्तर तक कार्य निष्पादित करने के बाद कार्य अपूर्ण छोड़ दिया। संस्था ने ठेकेदार को मार्च-मई 2014 के दौरान ₹ 32.14 लाख का भुगतान किया। आई.टी.आई. ने सूचित किया (नवंबर 2016) कि शेष कार्य एक अन्य ठेकेदार से ₹ 35.10 लाख की लागत पर निष्पादित करवाया गया है और अगस्त 2016 में पूर्ण कर दिया गया था। इस प्रकार, निर्माण कार्य स्कीम के कार्यान्वयन से सात वर्षों बाद और ₹ 21.65 लाख का अतिरिक्त व्यय करके पूरा किया गया।

(ii) आई.टी.आई. (महिला) बहादुरगढ़ ने दिसंबर 2008 में उन्नयन स्कीम के अधीन निधियां प्राप्त की। उन्नयन निधियों की प्राप्ति के पांच वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना था। नए भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2014 अर्थात् निधियां प्राप्त करने के पांच वर्षों बाद आबंटित

²¹ पुंडरी (₹ 0.08 लाख), बहादुरगढ़ (महिला) (₹ 2.41 लाख), हसनगढ़ (₹ 4.89 लाख), फरीदाबाद (महिला) (₹ 2.90 लाख) तथा नलवा (₹ 1.94 लाख)।

किया गया और कार्य जून 2015 में ₹ 70 लाख की लागत पर पूर्ण किया गया। आईटीआई अब इसके भवन में स्थानान्तरित हो गई है और कक्षाएं जून 2016 में प्रारंभ हो गई थी। अतः निर्माण कार्य की विलंबित पूर्णता के कारण, नए प्रारंभ व्यवसायों में दाखिला प्रारंभ नहीं किया जा सका और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद के द्वारा व्यवसायों को मान्यता केवल अगस्त 2016 में की जा सकी।

(iii) आईटीआई (महिला) सिरसा ने जनवरी 2011 में उन्नयन स्कीम के अधीन निधियां प्राप्त की थीं परंतु निर्माण कार्य दो वर्षों बाद जनवरी 2013 में आरंभित किया गया जो तीन वर्षों के विलंब के बाद फरवरी 2014 में पूर्ण किया गया है।

3.5.2.2 11 के.वी. सब-स्टेशन के इरेक्सन और इन्स्टालेशन में विलंब

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यापार के लिए विद्युत मानक निर्धारित किए (अगस्त 2010) जिसके अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित ट्रेड के लिए निर्धारित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी। आईटीआई, हसनगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण एवं प्रतिस्थापन के लिए पी.डब्ल्यू.डी., विद्युत मंडल, रोहतक को ₹ 14.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था (सितंबर 2011) परंतु बिजली कनैक्शन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था (नवंबर 2016)। इस प्रकार, सितंबर 2011 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 17.83 लाख मूल्य की खरीदी गई खराद मशीन, वैल्डिंग सेट जैसी भारी मशीनों को प्रयोग में नहीं लगाया जा सका जिससे छात्र व्यावहारिक प्रशिक्षण से वंचित रहे। इसके अलावा, ₹ 3.10 लाख की लागत पर खरीदी गई मशीनरी की वारंटी अवधि समाप्त हो गई थी। आगे, राष्ट्रीय ट्रेड व्यावसायिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त न कर सके। छात्र, इस प्रकार ट्रेडज राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद में दाखिले से वंचित रहे।

3.5.2.3 सरप्लस मशीनरी और यंत्रों की अनुपयोगिता

उन्नयन की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने अगस्त 2014 से प्रभावी शिल्पकारिता प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 63 व्यवसायों का पाठ्यक्रम परिवर्तित (जून 2014) कर दिया था। नमूना-जांच किए गए आईटीआईज में अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि गत वर्षों (2008 से 2015) के दौरान विभिन्न ट्रेडज के लिए खरीदे गए ₹ 3.24 करोड़ मूल्य के मशीनरी तथा उपकरण पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण फालतू बना दिए गए। विभाग ने दो वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बावजूद फालतू मशीनरी एवं उपकरणों का निपटान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आगे, यह अवलोकित किया गया कि आईटीआई सढ़ौरा ने जुलाई 2008 से अक्टूबर 2015 तक ₹ 1.67 करोड़ मूल्य की मशीनों और उपकरण पर व्यय किया जिसमें से ₹ 1.50 करोड़ मूल्य की मशीनें एवं उपकरण पाठ्यक्रम परिवर्तित होने के कारण फालतू थे जिसके परिणामस्वरूप निधियों का व्यर्थ व्यय हुआ।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि फालतू मशीनरी आईटीआईज में एम.इ.एस. कोर्सों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है और यह कि फालतू सामग्री पाठ्यक्रम में परिवर्तन से पहले खरीदी गई थी। तथापि, बिलों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 22.01 लाख मूल्य की मशीनें तथा उपकरण चार आईटीआईज²² द्वारा जून 2014 के बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बावजूद खरीदे गए थे जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ व्यय हुआ।

²² फरीदाबाद (महिला): ₹ 4.15 लाख, भिवानी (महिला): ₹ 15.41 लाख, कुरुक्षेत्र (महिला): ₹ 1.22 लाख तथा सढ़ौरा: ₹ 1.23 लाख।

3.5.3 शैक्षिक

स्कीम का उद्देश्य बेहतर रोजगार योग्यता की ओर अभिमुख प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना था। सभी तीनों दलों (राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य संचालन समिति तथा संस्थागत प्रबंधन समिति) द्वारा आईटी.आईज की आंतरिक के साथ बाहरी दक्षता सुधारने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए प्रमुख निष्पादन सूचक (के.पी.आईज) के वार्षिक लक्ष्य संयुक्त रूप से अंतिम किए जाने थे। ये मानदंड परियोजना अवधि के दौरान तथा बाद में स्कीम की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किए जाने थे।

3.5.3.1 फैकल्टी की कमी

राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि किसी भी समयबिंदु पर स्वीकृत पदों के दस प्रतिशत से अधिक कोई रिक्तयां नहीं थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान 13 आईटी.आईज में से आठ में फैकल्टी की कमी 14 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के मध्य शृंखलित थी जिसने छात्रों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा के.पी.आईज की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव डाला।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि रिक्त पदों की गणना की गई है और प्रशिक्षकों की मांग हरियाणा स्टाफ चयन आयोग को भेज दी गई है तथा भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है।

3.5.3.2 कम एनरोलमेंट के कारण ट्रेड ज का अपरिचालन

मार्गनिर्देशों में उल्लिखित मुख्य निष्पादन सूचकों में से एक प्रत्येक ट्रेड में सीटों की संख्या की तुलना में एनरोलमेंट की प्रतिशतता से संबंधित था। नमूना-जांच किए गए 13 आईटी.आईज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2010-15 के दौरान इन ट्रेडज में छात्रों की कम भर्ती के कारण 13 आईटी.आईज में से छः²³ में 45 ट्रेड अपरिचालित रहे।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि भवन के निर्माण, मशीनरी के प्रापण और प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बाद नए ट्रेड खोले जाने थे परंतु उपर्युक्त क्रियाओं में अपरिहार्य विलंब हो गया था।

3.5.3.3 कौशल विकास प्रारंभ करना

प्रशिक्षार्थियों से फीस प्रभारित करके कौशल बढ़ाने और आय सृजित करने के विचार से, संस्थागत विकास योजनाओं में प्रशिक्षण, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि कौशल आवश्यकताओं के लिए लक्ष्य नियत करने का प्रावधान करती है। संशोधित मार्गनिर्देशों (जुलाई 2014) के अनुसार, प्रत्येक आईटी.आई. द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 40 विद्यार्थियों यदि इकाइयों की संख्या चार से कम या बराबर है (एक इकाई 20 छात्रों के बराबर है) और प्रतिवर्ष 80 विद्यार्थियों को यदि इकाइयों की संख्या चार से अधिक है, को प्रशिक्षित करना अपेक्षित था।

13 आईटी.आईज के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यद्यपि प्रशिक्षण कोर्सों के लिए लक्ष्य नियत किए गए थे, कोई प्रशिक्षण कोर्स आयोजित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अभिलाषी युवा अपना कौशल बढ़ाने से वंचित रहे। आगे, यह देखा गया कि नमूना-जांच किए गए 13 आईटी.आईज में से किसी ने मध्यावधि और दीर्घावधि कोर्स आयोजित नहीं किए थे और नौ आईटी.आईज ने कौशल विकास के लिए लघु अवधि कोर्स भी आयोजित नहीं किए।

²³ बहादुरगढ़ (महिला), भिवानी (महिला), फरीदाबाद (महिला), कैथल (महिला), कुरुक्षेत्र तथा हसनगढ़।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि लघु अवधि कोर्सों का समय शाम पांच बजे के बाद होने तथा परिवहन सुविधाओं की कठिनाई होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रशिक्षार्थी कोर्सों में उपस्थित नहीं हो सके।

3.5.3.4 अत्यं शैक्षिक उपलब्धियाँ

दो मुख्य निष्पादन सूचकों का प्रारंभिक बैचमार्क अर्थात् छात्रों की सफलता प्रतिशतता के लिए बेस लाइन और परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की इनटैक क्षमता की तुलना में 70 प्रतिशत नियत की गई थी (जुलाई 2014) जिसे अगले पांच वर्षों में 95 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था।

नमूना - जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि चयनित 13 आई.टी.आईज में वर्षों 2010 से 2015 के दौरान 96 ट्रेडज में विद्यार्थियों के सफल होने की प्रतिशतता 0 से 62 के मध्य शृंखलित थी जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में ब्यौरा दिया गया है जोकि 70 प्रतिशत बेसलाईन से भी कम था। आगे, यह अवलोकित किया गया कि इनटैक क्षमता की तुलना में परीक्षा देने वाले छात्रों की प्रतिशतता चयनित 13 आई.टी.आईज में से नौ आई.टी.आई. में 70 प्रतिशत की बेसलाईन से कम थी जो यह दर्शाता है कि स्कीम ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि परियोजना ट्रेडज में छात्रों की भर्ती के लिए सब संभव प्रयास किए गए हैं। कठिनाइयां अपूर्ण भवनों, स्टाफ की भर्ती न होने और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषिद के द्वारा आई.टी.आईज को मान्यता न देने के कारण थी। आगे, सभी संस्थानों को निदेश दिए गए हैं कि भविष्य में सत्र-वार (कोर्स-वार) परिणाम रखे जाएं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम के.पी.आई. के लक्ष्यों के अनुसार सुधारे जाने चाहिए।

3.5.3.5 छात्रों को नौकरी दिलाना

स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण के डिजाइन एवं डिलीवरी को अधिक मांग अभिमुख्य बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से स्नातकों के रोजगार परिणामों में बढ़ोत्तरी करना था। आगे, जुलाई 2014 में जारी संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, आरंभिक बैचमार्क श्रम रोजगार के लिए 50 प्रतिशत था पूर्ण रोजगार के लिए 70 प्रतिशत था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 13 चयनित आई.टी.आईज में से 12 की प्लेसमेंट प्रतिशतता 2011-13 के दौरान शून्य और 41 के मध्य रही। दो आई.टी.आई, को छोड़कर जहां पास प्रतिशतता 97 (आई.टी.आई. निसिंग 2012 में) और 73 (2013 में फरीदाबाद (महिला) थी। इसी प्रकार, संशोधित मार्गनिर्देश जारी करने (जुलाई 2014) के बाद रोजगार का लक्ष्यित दर 2014 में केवल दो आई.टी.आईज (सढ़ौरा और कुरुक्षेत्र) और 2015 में केवल चार आई.टी.आईज²⁴ द्वारा प्राप्त की गई। इस प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार सुधारने का स्कीम का मुख्य उद्देश्य मूलभूत संरचना की कमी और उद्योग की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारिता की कमी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेसमेंट के कम अवसर हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थित नहीं है।

3.5.4 कायमता

3.5.4.1 ट्रेडस एफिलिएशन की स्थिति

²⁴

(i) कुरुक्षेत्र (71 प्रतिशत), (ii) कैथल (70 प्रतिशत) (महिला), (iii) निसिंग (58 प्रतिशत) तथा सढ़ौरा (68 प्रतिशत)।

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार आई.टी.आईज द्वारा चलाए जाने वाले सभी ट्रेड राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) से मान्यता प्राप्त होने चाहिए और नए ट्रेड प्रारंभ करने से पहले मान्यता अनिवार्य थी। एन.सी.वी.टी. ट्रेड में दाखिला लेने की अनुमति नहीं होती जब तक एन.सी.वी.टी. उपसमिति द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती। एन.सी.वी.टी. प्रमाणपत्रों को पूरे देश में मान्यता प्राप्त है जबकि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेडज के प्रमाण पत्रों को केवल संबंधित राज्य में ही मान्यता प्राप्त होती हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 13 आई.टी.आईज द्वारा 63 नए ट्रेडज को उन्नयन के लिए लिया गया था, जिसमें से 11 आई.टी.आईज के 34 ट्रेड एन.सी.वी.टी. से मान्यता के बिना थे (दिसंबर 2016)। परिणामतः प्रशिक्षु जो 2007-08 से 2015-16 के दौरान सफल हुए, एन.सी.वी.टी. प्रमाणपत्र से वंचित रहे, फलस्वरूप राज्य के बाहर बेहतर रोजगार अवसरों की हानि हुई।

3.5.5 निष्कर्ष

स्कीम व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से रोजगार परिणाम सुधारने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। 13 आई.टी.आईज में से आठ में फैकल्टी की कमी 14 और 80 प्रतिशत के मध्य थी और 11 आई.टी.आईज के 34 ट्रेड एन.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त किए बिना रहे। सभी 13 नमूना - जांच किए आई.टी.आईज में खराब शैक्षिक निष्पादन था।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

3.6 अपूर्ण सिंचाई स्कीम

अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ नाजुक गतिविधियों की अपूर्णता का परिणाम न केवल एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब में हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से भी वंचित रखा। स्कीम पर किया गया ₹ 7.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड सामयिक पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु तथा अधिक समय लगने को रोकने के लिए सभी एजेंसियों के काम का उचित समन्वय का विचार रखता है। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों के 26 गांवों को नहर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु 'मानसुरपुर लिफ्ट सिंचाई

स्कीम’²⁵ नवंबर 2007 में ₹ 8.61 करोड़ के लिए प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित की गई कि यह दोनों तरफ से अर्थात् रखी मौसम में लिफ्ट पंपों की सहायता से पानी खींचकर नरवाना शाखा से और खरीफ मौसम के दौरान पानी के प्राकृतिक प्रवाह से नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा संपोषित की जाएगी। आर.डी. 0 से 44000 तक इस स्कीम के निर्माण का कार्य जून 2011 में पूर्ण किया गया और मानसुरपुर नलवी लिंक चैनल का निर्माण करके मानसुरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी को नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जोड़ने का कार्य मार्च 2016 में पूर्ण किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निष्पादन के लिए परियोजना चार खंडों अर्थात् आर.डी. 0 से 13000, आर.डी. 13000 से 26000, आर.डी. 26000 से 40000 और आर.डी. 40000 से 44000 में विभाजित की गई थी। निर्माण कार्य अप्रैल 2008 में आर्बंटित किए गए और जून 2011 में पूर्ण किए गए। पंप हाऊसों को चलाने के लिए स्वतंत्र फीडर लाईन के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के पास मई 2014 में ₹ 55.67 लाख की राशि जमा करवाई गई। तथापि, ट्रांसफार्मर और विद्युत कनैक्शन अभी तक प्रदान नहीं किए गए (नवंबर 2016)। इस प्रकार, स्कीम को ‘रखी’ मौसम के लिए परिचालित नहीं किया जा सका। आगे, यह स्कीम खरीफ ऋतु के लिए नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी साईड से भी परिचालित नहीं की जा सकी क्योंकि रेलवेज़ को ₹ 4.76 करोड़ (जुलाई 2010 में ₹ 2.47 करोड़ और दिसंबर 2011 में ₹ 2.29 करोड़) की राशि जमा करवाने के बावजूद नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी पर आर.सी.सी. बॉक्स टाइप ब्रिज का निर्माण न होने के कारण इस स्कीम के लिए नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी से अपरिष्कृत पानी निर्मुक्त नहीं किया जा सका। इस स्कीम पर ₹ 7.87 करोड़ का व्यय किया गया (नवंबर 2016)।

इस प्रकार, यू.एच.बी.वी.एन.एल. और रेलवेज़ के साथ समन्वय के अभाव के फलस्वरूप न केवल स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से वंचित रखा। स्कीम पर ₹ 7.87 करोड़ का किया गया व्यय भी निष्फल रहा।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

3.7 निवेश प्रोत्साहक स्कीमें

निवेश प्रोत्साहक स्कीमों का कार्यान्वयन अयोग्य मदों के लिए ₹ 1.32 करोड़ का अनुदान, ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली और ₹ 14.76 लाख के सहायता अनुदान की अवसूली द्वारा चिन्हित है। विभाग ने दस वर्षों में केवल पांच औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र और ठेकेदारी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा ने दो ‘निवेश प्रोत्साहक स्कीमें’ अर्थात् (i) राज्य द्वारा वित्तपोषित स्थगित बिक्री कर/वैट (आई.एफ.एल.) के एवज में ब्याजमुक्त ऋण जो जुलाई 2005 में प्रारंभ हुई और (ii) फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एफ.पी.) जो

²⁵

(i) मन्सूरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी (आर.डी. 0 से 44000) का निर्माण।

(ii) पानी को क्रमशः आर.डी. 13000, आर.डी. 26000 तथा आर.डी. 40000 पर खींचने के लिए तीन पंप हाऊसों का निर्माण।

(iii) मानसुरपुर - नलवी लिंक चैनल।

हिस्सेदारी आधार (75:25) पर केंद्रीय प्रयोजित स्कीम (सी.एस.एस.) थी, अप्रैल 2012 से प्रारंभ की। इन दो स्कीमों के अधीन ₹ 104.98 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध ₹ 84 करोड़²⁶ का व्यय 2011–16²⁷ के दौरान किया गया। स्कीमें राज्य के 21 जिलों में से 12²⁸ जिलों में कार्यान्वित की गई। ब्याजमुक्त ऋण स्कीम का उद्देश्य घरेलू निवेश आकर्षित करना तथा पिछड़े क्षेत्रों तक उद्योग का फैलाना था।

इन निवेश प्रमोशन स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से जनवरी से मई 2016 के दौरान निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा (आई.एंड.सी.) चण्डीगढ़ के कार्यालय में 2011–16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

3.7.1 आस्थगित बिक्री कर/वैट के एवज में ब्याजमुक्त ऋण

औद्योगिक नीति, 2005, में विचार किया गया कि घरेलू निवेश आकर्षित करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव हेतु राज्य सरकार ₹ 100 करोड़ तथा अधिक के निवेश वाली बृहत परियोजनाओं को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता की मात्रा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी योग्यता प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित की जानी थी जो ब्याजमुक्त ऋण की मंजूरी की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के बाद वापस भुगतान योग्य ब्याजमुक्त ऋण के रूप में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए ऐसी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर भुगतान किए कर का 50 प्रतिशत था। इकाई की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में ब्याजमुक्त ऋण की शेष राशि क्रेता/ट्रांसफरी को हस्तांतरित की जानी थी यदि यह किन्हीं परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना या निर्माण या उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उत्पादन जारी रखता है। यदि दिए गए ब्याजमुक्त ऋण लाभ का शेष क्रेता/ट्रांसफरी को हस्तांतरित नहीं किया गया, राशि जिसे मूल ग्रांटी किया गया था से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ वसूल की जानी थी।

3.7.1.1 दावों का निपटान न किया जाना

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि छ: औद्योगिक इकाइयों ने मार्च 2016 तक ब्याजमुक्त ऋण के अधीन ₹ 280.83 करोड़ के दावों के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किए थे। विभाग ने पांच औद्योगिक इकाइयों को केवल ₹ 97.94 करोड़ की राशि वितरित की जबकि पानीपत स्थित एक कंपनी के ₹ 34.34 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण सहित इन पांच इकाइयों के ₹ 182.90 करोड़ के दावे वितरित किए जाने शेष थे (नवंबर 2016)। ₹ 34.34 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण आई.ओ.सी.एल. को गत चार वर्षों में एक बार भी वितरित नहीं किए गए। तथापि, विभाग ब्याजमुक्त ऋण स्कीम के अधीन निधियों की अनुमानित आवश्यकता का अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 182.90 करोड़ के लंबित दावे संचित हो गए।

विभाग ने बताया (मई 2016) कि लंबित दावे समाप्त करने के लिए ₹ 200 करोड़ की मांग की गई है और आगे बताया (जुलाई 2016) कि ऋण के वितरण में विलंब निधियों की कमी तथा आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने में देरी के कारण था।

²⁶ ₹ 56.60 करोड़ (आई.एफ.एल.) + ₹ 27.40 करोड़ (एन.एम.एफ.पी.)।

²⁷ आई.एफ.एल.: अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक और एन.एम.एफ.पी.: अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक।

²⁸ (i) फरीदाबाद, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार, (iv) कैथल, (v) करनाल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) मेवात, (viii) पलवल, (ix) पानीपत, (x) रोहतक, (xi) सोनीपत तथा (xii) यमुनानगर।

3.7.1.2 आस्थिगित बिक्री कर/वैट के एवज में व्याजमुक्त ऋण की अवसूली

पानीपत स्थित एक फर्म को व्याजमुक्त ऋण के लिए मंजूरी की नियम एवं शर्तों के अनुसार, इकाई की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में व्याजमुक्त ऋण के लाभ का शेष क्रेता को हस्तांतरित किया जाना था यदि यह किसी परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना और निर्माण एवं उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उत्पादन जारी रखता है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 37.97 करोड़ का व्याजमुक्त ऋण फर्म को दिया गया (अप्रैल 2009 से मार्च 2015) इस फर्म ने एक अन्य निजी फर्म के साथ एक विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (19 सितंबर 2014) और इकाई के विक्रय के लिए अनुमोदन मांगते हुए विभाग को एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया (7 अक्टूबर 2014) विभाग द्वारा अनुमोदन (6 जनवरी 2015) पर, मंजूरी की शर्तों की उल्लंघना में व्याजमुक्त ऋण का लाभ हस्तांतरित किए बिना इकाई क्रेता को सौंप दी गई (27 अप्रैल 2015)। यह देखा गया कि विभाग ने बिक्री अनुबंध के इस प्रावधान की उपेक्षा करते हुए इकाई की बिक्री का अनुमोदन मंजूर कर दिया जो निर्धारित करता था कि फर्म व्याजमुक्त ऋण के लाभ अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं करेगी और दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 4.43 करोड़ का व्याजमुक्त ऋण फर्म को निर्मुक्त कर दिया। आगे, यह अवलोकित किया गया कि मार्च 2016 को फर्म के प्रति ₹ 18.44 करोड़ का ऋण और ₹ 7.79 करोड़ (18 प्रतिशत व्याज दर) का व्याज लंबित था। इस प्रकार, फर्म को ₹ 4.43 करोड़ के ऋण का अग्रिम तथा क्रेता फर्म को व्याजमुक्त ऋण हस्तांतरित किए बिना इकाई की बिक्री अनुमोदित करना मंजूरी की शर्तों और स्कीम के नियमों की उल्लंघना थी।

विभाग ने बताया (मई 2016) कि बैंक अधिकारियों को व्याजमुक्त ऋण के वितरण के विरुद्ध निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य (आई. एंड सी.) विभाग के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

3.7.2 फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय मिशन

3.7.2.1 अयोग्य मदों पर सहायता अनुदान की अधिक संस्कृति

एकीकृत एवं पूर्ण शीत चेन, फार्म गेट से उपभोक्ता तक और उत्पादन स्थल से बाजार तक प्रदान करने के विचार से शीत चेन, और परिरक्षण मूलभूत संरचना सुविधाएं अप्रैल 2012 में फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय मिशन के अधीन मूल्यवर्धन एवं परिरक्षण मूलभूत संरचना स्कीम मूलभूत संरचना परिवर्तित करने की स्कीम प्रारंभ की गई थी तथा अगस्त 2013 में संशोधित की गई। स्कीम के अधीन 2012-16 के दौरान प्राप्त छ: आवेदनपत्रों में से तीन शीत चेन इकाइयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया। मार्गनिर्देशों के अनुसार, सिविल कार्य अर्थात् परिसर दीवार, भूमि की लागत और इसका विकास, कोई रिहाइशी भवन या आराम कक्ष/अतिथिगृह, कैटीन, प्रसव आराम कक्ष और कार्मिकों के लिए क्वार्टर्ज, सुरक्षा/गार्ड अथवा अनुलग्नक और शीत चेन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित गैर तकनीकी सिविल कार्य या भंडारण मूलभूत संरचना सहायता अनुदान के लिए योग्य नहीं थे। लेखापरीक्षा ने निम्न अवलोकित किया:

(ए) सोनीपत स्थित एक खाद्य उद्योग को एक पैलेटाइज्ड कोल्ड स्टोर संस्थापित करने के लिए ₹ 7.31 करोड़ की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई जिसमें ₹ 1.17

करोड़²⁹ की अयोग्य मद भी शामिल थी इसमें से ₹ 5.48 करोड़ मई 2013 और अक्टूबर 2014 के मध्य निर्मुक्त किए गए। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 0.58 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किए।

(बी) इसी प्रकार, सोनीपत जिले में एक अन्य फर्म ने बहु उत्पादों, बहु विविध आर्द्रता कोल्डस्टोरेज कक्षों के प्रतिस्थापन के लिए अनुदान के लिए आवेदन दिया (अप्रैल 2013) यह अवलोकित किया गया (मई 2016) कि विभाग ने ₹ 14.76 करोड़ की परियोजना लागत के विरुद्ध ₹ 5 करोड़ की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की जिसमें ₹ 2.58 करोड़ के सिविल कार्य के अयोग्य घटक शामिल थे। अयोग्य मदें शामिल करने के फलस्वरूप ₹ 0.74³⁰ करोड़ के अनुदान की अधिक स्वीकृति हुई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि मदें अनुदान के लिए योग्य थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये मदें स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार योग्य नहीं थी।

3.7.2.2 स्कीम मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में किश्त की निर्मुक्ति

नई फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और तकनीकी उन्नयन और विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए ‘फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/प्रस्थापन/आधुनिकीकरण’ स्कीम के अंतर्गत ₹ 50 लाख का अधिकतम सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाना था। पहली किश्त ऋण के 50 प्रतिशत की उपयोगिता के बाद और प्रोमोटर के अंशदान का 50 प्रतिशत निर्मुक्त किया जाना था। अनुदान की दूसरी किश्त केवल राज्य मिशन महानिदेशक, राष्ट्रीय मिशन फूड प्रोसेसिंग द्वारा भौतिक सत्यापन के द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की पुष्टि करने के बाद तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर ही की जानी थी। परियोजनाएं अनुमोदन पत्र के तिथि से 12 मास के भीतर पूर्ण की जानी थी। यदि परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं की जाती है तो राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति को अनुदान वापस लेने का प्राधिकार है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 29.52 लाख का सहायता अनुदान पलवल (फरीदाबाद) की एक निजी फर्म को मंजूर किया गया था (12 मार्च 2013) से एक और ₹ 14.76 लाख की प्रथम किश्त 14 मार्च, 2013 को निर्मुक्त कर दी गई थी। परियोजना मार्च 2014 तक पूर्ण की जानी थी। तथापि, कंपनी ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए कि परियोजना प्रारंभ कर दी गई है। संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, पलवल ने मिशन निदेशक को सूचित किया कि दौर के दौरान (11 मार्च 2014) प्लांट बंद पाया गया।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रोपराईटर (मालिक) बैंक से लिए गए सावधि ऋण की कुछ किश्तें अदा करने में समर्थ नहीं था और बैंक ने अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जो सहायता अनुदान की दूसरी किश्त प्राप्त करने के लिए अपेक्षित था। संयुक्त निदेशक, डी.आई.सी. पलवल ने मई, 2015 में निरीक्षण किया था और पाया कि कुछ मशीनरी को छोड़कर इकाई में प्लांट और मशीनरी प्रस्थापित की गई थी। तथ्य रह जाता है कि सहायता अनुदान की

²⁹ (i) एटें कक्ष दीवार-₹ 9.22 लाख, (ii) आराम कक्ष और सुविधाएं-₹ 6.38 लाख, (iii) आराम कक्ष बिजली प्रस्थापन-₹ 2.40 लाख, (iv) जल प्रणाली-₹ 3.50 लाख, (v) बाहरी दीवार-₹ 61.39 लाख, (vi) विभाजन दीवार-₹ 34.44 लाख - (कुल = ₹ 117.33 लाख)।

³⁰ ₹ 1,476 लाख (परियोजना लागत)-₹ 258 लाख (मार्गनिर्देशों के अनुसार अयोग्य मदें)= ₹ 1,218 लाख; ₹ 1,218 लाख का 35 प्रतिशत=₹ 4.26 करोड़; विभाग द्वारा स्वीकृत कुल= ₹ 5.00 करोड़-₹ 4.26 करोड़ (योग्य जी.आई.ए.)=₹ 0.74 करोड़ (जी.आई.ए. की अधिक निर्मुक्ति)।

किश्त अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में फर्म को निर्मुक्त की गई थी क्योंकि न तो उत्पादन प्रारंभ किया गया था और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया।

3.7.2.3 प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए लक्ष्यों की अप्राप्ति

फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए स्कीम (एफ.पी.टी.सी.) ग्रामीण उद्यमियों के विकास और स्थानीय उगाए गए कच्चे माल का उपयोग करके खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्यागिकी के हस्तांतरण हेतु प्रारंभ की गई थी। अनुदान दो किश्तों में निर्मुक्त किया जाना था। पहली किश्त की निर्मुक्ति के छः महीनों के भीतर दूसरी किश्त निर्मुक्त की जानी थी। एफ.पी.टी.सी. द्वारा अगले दस वर्षों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बैच को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। इन एफ.पी.टी.सी.ज द्वारा फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि स्कीम के अंतर्गत ₹ 24 लाख का अनुदान 2013-15 के दौरान फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए चार संस्थाओं को वितरित किया गया। 500 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध, इन संस्थाओं ने सितंबर 2013 से मार्च 2016 के दौरान केवल 275 (55 प्रतिशत) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। पानीपत स्थित एक संस्था के पास फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण आयोजित करवाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. लाईसेंस नहीं था। इसके बावजूद, विभाग ने स्कीम के मार्गनिर्देशों की उल्लंघन में एजेंसी को अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, एजेंसियों को अनुदान की दूसरी किश्त एक से दो वर्षों की अवधि के विलंब के साथ निर्मुक्त की गई। आगे, फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र पर ₹ 24 लाख का व्यय करने के बाद भी संस्थाएं प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि एफ.एस.एस.ए.आई. प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त एफ.पी.टी.सी. बेकरी प्रोसेसिंग करती है। विभाग ने आगे बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी नहीं थी और सचित उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बाजार में खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आगे, विभाग का दावा कि सचित उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है, सही नहीं है क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति की गणना द्वितीय किश्त की निर्मुक्ति अथवा प्रथम किश्त की निर्मुक्ति के छः महीने पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, की जानी थी।

3.7.2.4 उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने में अनियमिताएं

उद्यम विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाने थे। मार्गनिर्देशों के अनुसार, उद्यम विकास कार्यक्रम की समयावधि चार सप्ताह थी जिसमें फील्ड दौरे, परियोजना तैयार करना, वित्तीय सहायता से संबंधित निर्माण कार्य और उच्चन्तर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता का अनुमान लगाना शामिल था। प्रत्येक उद्यम विकास कार्यक्रम में उद्यम विकास के लिए 25 से 35 प्रशिक्षणार्थी होने चाहिए और इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कम से कम 50 प्रतिशत द्वारा अपनी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करनी अपेक्षित थी। प्रति उद्यम विकास कार्यक्रम ₹ 3 लाख तक का अनुदान

तीन किश्तों³¹ में निर्मुक्त किया जाना था। इस अवधि के दौरान अनुवर्ती चरण 12 मास या अधिक अवधि तक जारी रहना था। पूर्ण उद्यम विकास कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन दो वर्षों बाद राज्य मिशन निदेशालय द्वारा चयनित एक स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन द्वारा किया जाना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संबीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 1.41 करोड़ 2012-16 के दौरान सात संस्थाओं द्वारा 82 उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने पर व्यय किए गए। लेखापरीक्षा ने निम्न अवलोकित किया:

(i) लक्ष्यों की अप्राप्ति

चार एजेंसियों द्वारा आयोजित 24 ई.डी.पीज द्वारा 717 प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से कम से कम 358 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपनी इकाइयां स्थापित करनी अपेक्षित थी। लेकिन केवल 156 प्रशिक्षणार्थी अपनी इकाइयां स्थापित कर सके इससे 202 इकाइयों की कमी रह गई।

इसके अतिरिक्त, 10 उद्यम विकास कार्यक्रम उत्तर भारतीय तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड द्वारा एस.सी./एस.टी. के लिए और एक उद्यम विकास कार्यक्रम 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी उद्यम एवं प्रबंधन द्वारा आयोजित किए गए और इन संस्थाओं को ई.डी.पी. आयोजित करने के लिए ₹ 1.41 करोड़ के अनुदान निर्मुक्त किए गए परंतु ये दोनों संस्थाएं अनुवर्ती प्रक्रिया को प्रशिक्षण पूर्ण होने के एक वर्ष बाद तक भी पूरा नहीं कर सकी।

इस प्रकार, विभाग लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा और स्कीम का अपनी स्वयं की इकाइयां स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) लक्ष्यों की कम प्राप्ति संगठनों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित न करने के कारण थी और आगे बताया कि विभाग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनों का अनुसरण कर रहा है।

(ii) अनुदान की अवसूली

पलवल और मेवात में ई.डी.पी. आयोजित करने के लिए एक फर्म को ₹ 2 लाख का अनुदान दिया गया (मार्च 2013)। संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, पलवल द्वारा किए गए एक निरीक्षण (अगस्त 2014) के दौरान, यह पाया गया कि 26 व्यक्तियों में से छः व्यक्ति जो प्रशिक्षित दिखाए गए थे, ने बताया कि संस्था द्वारा उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। विभाग ने अक्तूबर 2015 के दौरान इस संस्था से अनुदान ब्याज के साथ वापस मांगे परंतु अभी तक कोई वसूली नहीं की गई (जुलाई 2016)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि अनुदान की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

³¹

(i) प्रस्ताव के अनुमोदन पर अग्रिम के रूप में 50 प्रतिशत; (ii) ई.डी.पी. के पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत तथा (iii) अनुवर्ती कार्रवाई के पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत।

3.1.3 निष्कर्ष

स्कीम के उद्देश्य पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि स्कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए ₹ 182.90 करोड़ के दावे लंबित रहे। शीत चेन स्कीम के अंतर्गत अनुदान केवल तीन औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किए गए थे जबकि अयोग्य मदों के न निकालने के कारण ₹ 1.32 करोड़ के अनुदान की अधिक संस्वीकृति और ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली थी। इसके अलावा, एफ.पी.टी.सी. और ई.डी.पी. के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए जा सके।

श्रम विभाग

3.8 कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब

स्थल का भौतिक स्वामित्व लेने में बोर्ड की विफलता के कारण कुंडली और राई में कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब और ₹ 10.44 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 1.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) को कार्मिकों को लघु अवधि मोड्यूलर प्रशिक्षण, उनके बच्चों के लिए क्रेचिज और बोर्ड के लाभग्राहियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार प्रदान करने के लिए कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यू.एफ.सी.ज) के प्रतिष्ठापन के लिए कुंडली और राई में स्थल आबंटित करने हेतु अनुरोध किया (अक्टूबर 2009)।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने ₹ 6,325 प्रति वर्गमीटर की दर पर लगभग 2,025 वर्गमीटर माप के दो स्थल प्रस्तुत किए (अगस्त 2010) और बोर्ड को 10 प्रतिशत आवेदन धन के रूप में ₹ 25.62 लाख जमा करवाने हेतु अनुरोध किया जो बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2010 द्वारा जमा करवा दिया गया। आवेदन की प्राप्ति पर, एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने ₹ 2.61 करोड़ (₹ 1.33 करोड़ और ₹ 1.28 करोड़) कुंडली और राई के लिए क्रमशः के प्रतिफल धन के लिए 2,100 और 2,016 वर्गमीटर माप के दोनों स्थलों के लिए बोर्ड को आबंटन पत्र जारी कर दिए (मार्च 2011) और शेष राशि का भुगतान अप्रैल और मई 2011 के दौरान एच.एस.आई.आई.डी.सी. को कर दिया गया। आबंटन पत्र के अनुसार, स्थल के स्वामित्व के प्रस्ताव की तिथि से चार वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण किया जाना था। निर्माण के लिए विस्तार अगले तीन वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर विस्तारण फीस के भुगतान के बाद अनुमत था और विस्तृत अवधि के भीतर इस शर्त का अनुपालन न होने पर, स्थल वापस लिया जाना देय था।

बोर्ड ने सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ए.डी., आई.एस. एंड एच.) सोनीपत को बोर्ड को सूचित करते हुए स्थलों का भौतिक स्वामित्व लेने तथा स्थलों के विस्तार और जोनिंग योजनाएं भेजने के लिए भी निदेश दिया (जून 2011)। बोर्ड ने एच.एस.आई.आई.डी.सी. को स्थल की जोनिंग योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2011)। सितंबर 2011 में एच.एस.आई.आई.डी.सी. से जोनिंग योजनाओं की प्राप्ति पर बोर्ड ने ले - आऊट योजना तैयार करने हेतु मुख्य वास्तुकार, हरियाणा से संपर्क किया (दिसंबर 2011) जो बाद में 29 मई 2013 को मुख्य वास्तुकार से प्राप्त की गई और बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में अनुमोदित कर दी गई। डब्ल्यू.एफ.सी.ज के निर्माण के लिए कच्चा लागत अनुमान जुलाई 2014 में लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कों (पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा बोर्ड को अग्रेषित कर दिए गए और

अक्टूबर 2014 में सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दे दिए गए। निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए दिसंबर 2014 में पी.डब्ल्यू.डी. को ₹ 10.44 करोड़ की निधियां हस्तांतरित कर दी गई।

तथापि, परियोजना आगे प्रगति न कर सकी क्योंकि बोर्ड को अभी स्थलों का भौतिक स्वामित्व लेना था। पी.डब्ल्यू.डी. ने बोर्ड को स्थलों का स्वामित्व देने हेतु अनुरोध किया (मार्च 2015) क्योंकि उन्होंने डब्ल्यू.एफ.सी.जे के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी और बोर्ड ने ए.डी. (आई.एस. एंड एच.), सोनीपत को आबंटन के पत्रों के जारी करने की तिथि से चार वर्षों की अवधि के बाद स्थलों के भौतिक स्वामित्व बारे पूर्ण रिपोर्ट भेजने के निदेश दिए (अप्रैल 2015)। इसी मध्य, पी.डब्ल्यू.डी. ने निर्माण कार्य एक ठेकेदार को कार्य 12 महीनों के भीतर पूर्ण करने की शर्त पर आर्बाटित (सितंबर 2015) कर दिया। कुड़ली और राई में स्थल का स्वामित्व बोर्ड द्वारा वास्तव में जनवरी और जून 2016 के दौरान अर्थात् आबंटन-पत्रों के जारी करने की तिथि से क्रमशः 56 और 62 महीनों के बाद लिया गया और स्थल पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को एच.एस.आई.आई.डी.सी. से स्वामित्व लेने की तिथियों पर ही सौंप दिया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार वर्षों से अधिक तक स्थल लेने को सुनिश्चित करने में बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा ₹ 1.32 करोड़³² के ब्याज की हानि के अतिरिक्त ₹ 10.44 करोड़ का अवरोधन हुआ। आगे, आबंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार मार्च 2015 तक स्थलों के निर्माण न होने के कारण विस्तारण फीस के रूप में बोर्ड द्वारा ₹ 4.82 लाख की राशि का भी भुगतान किया गया है (दिसंबर 2015)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि दोनों स्थलों का भौतिक स्वामित्व ले लिया गया है (जनवरी/जून 2016) और स्वामित्व लेने में विलंब के कारणों की जांच के लिए कार्यालयीन कार्यवाहियां प्रारंभ की जा रही थी।

मामला जुलाई 2016 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2016)।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

3.9 सेवा कर का परिहार्य भुगतान

चार मेडिकल संस्थानों ने सेवा कर के रूप में ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जबकि इन संस्थानों को शैक्षिक संस्थान होने के कारण भारत सरकार द्वारा छूट प्राप्त थी।

भारतीय मेडिकल परिषद अधिनियम, 1956, के अनुसार, मेडिकल संस्थान से अभिप्राय कोई ऐसे संस्थान है जो दवा में डिग्री, डिप्लोमा या लाईसेंस प्रदान करती है। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 1 जुलाई 2012 से शैक्षिक संस्थाओं को या द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ

32

अवधि	बैंक में एफ.डी.आर. पर ब्याज की विद्यमान दरें (प्रतिशत) प्रतिवर्ष	पी.डब्ल्यू.डी. को जमा करवाई गई राशि (₹)	ब्याज की हानि (₹)
16.12.2014 से 31.03.2015 (3.5 महीने)	9.00	10,44,37,000	27,41,471
01.04.2015 से 31.03.2016 (12 महीने)	8.25	10,44,37,000	86,16,052
01.04.2016 से 30.06.2016 (3 महीने)	7.00	10,44,37,000	18,27,647
कुल			1,31,85,170

(स्रोत: बोर्ड की एफ.डी.आर.जे में जमा की गई राशि पर विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ब्याज की दर के आधार पर परिकलित ब्याज की हानि)

सेवाओं को सेवा कर से छूट दे दी (जून 2012)। विभाग ने सितंबर 2013 में स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त सेवाओं में वे सभी सेवाएं शामिल हैं जो शैक्षिक संस्थाएं साधारणतया स्वयं करती हैं परंतु किन्हीं व्यक्तियों से आऊटसोर्सड सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकती है। ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में निष्पादित हाऊस कीपिंग सेवाओं को शामिल करने के लिए आगे अधिसूचना जुलाई 2014 में संशोधित कर दी गई।

भगत फूल सिंह सरकारी मेडिकल महिला कॉलेज (बी.पी.एसज.), खानपुर कलां (सोनीपत), शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज (एस.एच.के.एम.), नल्हर (मेवात), पडित बी.डी. शर्मा मेडिकल सेवाओं का स्नातकोत्तर संस्थान (पी.जी.आई.एम.एस.) और स्वास्थ्य विज्ञान का पडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय (यू.एच.एस.), रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इन संस्थाओं ने जुलाई 2012 और अगस्त 2014 के मध्य सुरक्षा, हाऊसकीपिंग, स्वच्छता कार्य, हैल्पर्ज और बियरर सेवाएं प्रदान करने के लिए चार सेवा प्रदानकर्ताओं को नियुक्त किया। उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए जुलाई 2012 और अगस्त 2016 के मध्य इन एजेंसियों को ₹ 6.59 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो बचाया जा सकता था यदि भारत सरकार द्वारा अधिसूचनाएं कार्यान्वित की जाती।

इंगित किए जाने पर, अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि सेवा प्रदानकर्ताओं को भुगतान किए गए सेवा कर की राशि वसूलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मामला सरकार को जुलाई 2016 में भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

3.10 निर्माण कार्यों के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण अतिरिक्त व्यय

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज द्वारा एजेंसी के विश्वसनीयता और कार्य अनुभव सुनिश्चित किए बिना और शेष कार्य चूककर्ता एजेंसी के जोखिम और ब्याज पर करवाए बिना, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था, ₹ 8.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज (एम.ए.एम.सी.) अग्रोहा ने ₹ 4 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्रमशः दस और आठ महीनों की पूर्णता अवधि के साथ दो निर्माण कार्यों अर्थात् “ नर्सिंग होस्टल का निर्माण (90 कमरे)” और “ 24 टाईप- II घर” के लिए टेंडर आमंत्रित किए (जुलाई 2011)। टेंडर आमंत्रित करने वाले नोटिस की शर्तों और नियमों के अनुसार, टेंडरकर्ताओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जैसे टी.आई.एन. और पैन संख्या, अनुसूची पत्र की वैध प्रति, मशीनरी की सूची और गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादित इसी प्रकार के निर्माण कार्यों की सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

निदेशक, एम.ए.एम.सी., अग्रोहा, के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2015) ने दर्शाया कि दोनों कार्य एम.ए.एम.सी. द्वारा एक एजेंसी को ₹ 5.32 करोड़ और ₹ 3.25 करोड़ पर आबंटित किए गए (अगस्त और सितंबर 2011)। परंतु टी.आई.एन. संख्या, मशीनरी की सूची और गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादित इसी प्रकार के निर्माण कार्यों की सूची जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए। एजेंसी ने ₹ 1.19 करोड़ और ₹ 1.38 करोड़ की सीमा तक निर्माण कार्यों का भाग निष्पादित करने के बाद अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 में दोनों कार्य अपूर्ण छोड़ दिए। निर्माण कार्य पूर्ण करने में एजेंसी की विफलता के कारण निर्माणकार्यों की प्रदत्त लागत पर 10 प्रतिशत की दर पर ₹ 0.53 करोड़ और ₹ 0.33 करोड़

राशि का मुआवजा लगाया गया (मई 2013) और आगे शेष निर्माण कार्यों को एजेंसी के जोखिम और लागत पर करवाने का निर्णय लिया गया (मई 2013)। एजेंसी आर्बाट्रेशन में चली गई (जनवरी/फरवरी 2014) जो उन्होंने बाद में रिकार्ड में कोई कारण रखे बिना वापस ले लिया (मई 2015)। शेष निर्माण कार्य अंत में दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में क्रमशः ₹ 7.68 करोड़ और ₹ 3.05 करोड़ की लागत पर दो अन्य ठेकेदारों से निष्पादित करवाए गए। दो ठेकेदारों को आबंटित निर्माण कार्यों के वास्तविक क्षेत्र का समायोजन करने के बाद, एम.ए.एम.सी. को ₹ 2.06 करोड़³³ (₹ 1.73 करोड़ + ₹ 0.33 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इस प्रकार, टेंडर आमंत्रण नोटिस में जैसे विचारित अनुसार समान कार्यों के निष्पादन में एजेंसी के पिछले अनुभव के ब्यौरे प्राप्त किए बिना निर्माण कार्यों के आबंटन और बाद में ठेका अनुबंध के अनुसार शेष कार्य उसके जोखिम और लागत पर पूर्ण न करने के कारण ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।

3.11 बोलियों का गलत मूल्यांकन

प्रस्तुत किए गए उद्धरणों के कुल वित्तीय आशयों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों का सही ढंग से मूल्यांकन करने की विफलता के परिणामस्वरूप उस फर्म को कार्य प्रदान किया गया जो कि निम्नतम बोली लगाने वाली नहीं थी और शहीद हसन खान मेवाती गर्वमैट मैडिकल कॉलेज, नल्हर, मेवात में ₹ 1.51 करोड़ की अधिक भुगतान हुआ।

हरियाणा सरकार ने सेवाओं/गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग के लिए एक नीति जारी की (फरवरी 2009) जिसके अनुसार जहां पद स्वीकृत नहीं किए गए थे, विभागों द्वारा जब भी आवश्यक हो, सेवाएं/गतिविधियां आऊटसोर्स की जानी थी और व्यक्तियों को न्यूनतम वेतन³⁴ और सांविधिक प्रभारों³⁵ पर नियुक्त किया जाना था।

शहीद हसन खान मेवाती गर्वमैट मैडिकल कॉलेज (जी.एम.सी.) नल्हर, मेवात के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि हाउसकीपिंग स्टाफ³⁶ की नियुक्ति के लिए दोहरी बोली प्रणाली के अंतर्गत मई 2014 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी और बोलीदाताओं द्वारा, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सेवा कर और बोलीदाता के सेवा प्रभारों की प्रतिशतता जोड़ते हुए न्यूनतम वेतन सहित प्रति व्यक्ति प्रति माह दर उद्धृत करनी अपेक्षित थी। बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत की गई दरें दो वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखी जानी थी। प्रत्युत्तर में आठ बोलीदाताओं ने अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की। मैडिकल सुपरिटेंट की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित समिति द्वारा तकनीकी बोलियां खोली गई थी (जून 2014) और दो बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां रद्द की गई क्योंकि अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं थे। बाकी छः बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जुलाई 2014 में खोली गई थीं। फर्म 'ए' ने न्यूनतम वेतन जमा सांविधिक कर एवं

³³ ₹ 2.25 करोड़ (दोनों कार्यों पर कुल अतिरिक्त व्यय)- ₹ 0.19 करोड़ (सिक्योरिटी जमा के कारण समायोजित)।

³⁴ अकुशल: ₹ 8,100 प्रतिमाह; अर्द्ध-कुशल: ₹ 9,000 प्रतिमाह; कुशल: ₹ 9,900 प्रतिमाह।

³⁵ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदान।

³⁶ वार्ड अभिभावक, पलंबर, बिजलीवाला, पेन्टर, लिफ्ट आपरेटर, दर्जी, डाटा एंट्री आपरेटर, कारपेंटर एवं कोई भी दूसरा कुशल / अर्द्ध-कुशल / अकुशल कारीगर।

2.01 प्रतिशत सेवा प्रभार पर अपनी दरें उद्धृत की जबकि फर्म 'बी' ने पद³⁷ की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति माह एकमुश्त दरें जमा 2.01 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार उद्धृत किया। फर्म 'बी' द्वारा उद्धृत किए गए वेतनों की एकमुश्त दरें न्यूनतम वेतन एवं सार्विधिक प्रभारों से उच्चतर³⁸ थी। समिति ने फर्म 'बी' के पक्ष में कार्य आदेश इस आधार पर जारी करने की सिफारिश की कि दोनों वित्तीय बोलियों ने एक ही दरें उद्धृत की थी लेकिन फर्म 'ख' का अनुभव फर्म 'ए'³⁹ की तुलना में छः वर्ष का अधिक था। अनुशंसा, अनुमोदन के लिए, निदेशक, मैडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, हरियाणा को अग्रेषित की गई थी (अगस्त 2014) जिसे स्वीकार किया गया था और अगस्त 2014 में फर्म 'बी' को एक वर्ष के लिए कार्य आबंटित किया गया था जिसे 31 मार्च 2016 या ई-टैंडरिंग को अन्तिम किए जाने तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस में निर्धारित था कि दो बोलीदाताओं के वित्तीय बोलियों के मामले में एक ही दर (एल-1 के लिए योग्य) थी, उद्धृत करने पर कार्य उस एजेंसी/सेवा प्रदानकर्ता को आबंटित किया जाएगा जिसे संस्थानों, में संबंधित क्षेत्रों में संतोषजनक कार्य का महत्वपूर्ण अनुभव (समय अवधि) हो या लाटरी के आधार पर ड्रा निकालकर किया जाएगा। समिति ने इन बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत किए गए केवल सेवा प्रभारों के दरों की तुलना की जो कि 2.01 प्रतिशत पर एक समान थे और उसने बाद में इन बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत वेतनों की दरों के आधार पर बोलियों के कुल वित्तीय आशयों की गणना करने के बजाए अनुभव का मानदंड लागू किया। क्योंकि फर्म 'बी' द्वारा उद्धृत वेतनों की दरें फर्म 'ए' द्वारा उद्धृत न्यूनतम वेतनों और सार्विधिक प्रभारों से उच्चतर थी, निम्नतम बोलीदाता फर्म 'ए' थी। इस प्रकार, बोलियों का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उस फर्म को कार्य दिया गया जो कि निम्नतम बोलीदाता नहीं थी। फर्म 'बी' को उच्चतर दरों पर आबंटन करने के परिणामस्वरूप सितंबर 2014 से मई 2016 की अवधि के दौरान ₹ 1.51 करोड़ (**परिशिष्ट 3.2**) की अधिक अदायगी हुई।

निदेशक, जी.एम.सी. नल्हर (मेवात) ने बताया (दिसंबर 2016) कि फर्म 'बी' ने नवंबर और दिसंबर 2016 में कॉलेज के पास ₹ 61.15 लाख रुपए की राशि जमा की थी और फर्म को ब्याज सहित शेष अधिक अदा की गई राशि को चार जासिक किश्तों में वापस करने के निर्देश दिए गए हैं (नवंबर 2016)। तथ्य यही है कि उस बोलीदाता को कार्य प्रदान करना जो कि निम्नतम नहीं था, प्रारंभ से ही गलत था।

मामला सरकार को भेजा गया था (जुलाई 2016)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।

³⁷ अकुशल: ₹ 13,062; अर्द्ध-कुशल: ₹ 14,458.41 एवं कुशल: ₹ 15,854.80.

³⁸ अकुशल: ₹ 3,475; अर्द्ध-कुशल: ₹ 3,806 एवं कुशल: ₹ 4,136.

³⁹ फर्म 'ए' का 3 वर्षों का अनुभव था और फर्म 'बी' का अनुभव 9 वर्षों का था।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)

3.12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों के कम देने, कार्यों के पूर्ण करने में विलंब के मामले थे। इसके अतिरिक्त, परिसमाप्त क्षतिपूर्तियों और मोबिलाइजेशन आग्रह के अवसूली के मामले थे। ठेकेदारों ने सड़क कार्यों का बीमा आवरण प्रदान नहीं किया था।

3.12.1 प्रस्तावना

ग्रामीण सड़क कनैकिटिविटी ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार (भा.स.) ने उपयुक्त असंबद्ध - निवासों तक सभी मौसमों में पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.म.ग्रा.स.यो. - I) की घोषणा की (दिसंबर 2000)। सारे ग्रामीण सड़क तंत्र को, आर - पार रास्तों⁴⁰ और कुछ मुख्य ग्रामीण कड़ियों को उन्नत करके संघटित करने के लिए उन राज्यों और केंद्रीय प्रदेशों के लिए अगस्त 2013 (प्र.म.ग्रा.स.यो. - II) में एक नई मध्यस्थता विकासित की गई जिन्होंने प्र.म.ग्रा.स.यो. - I के अंतर्गत 100 प्रतिशत नई कनैकिटिविटी और अपग्रेडेशन कार्यों के 75 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत 10 जनवरी 2008 को पंजीकृत हरियाणा रूरल रोड्स इन्फरास्ट्रक्चर डिवलपमेंट एजेंसी (हर.रो.इ.डि.ए.) राज्य में कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी थी। फील्ड में कार्यकारी अभियंताओं की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन यूनिट्स (प.का.यू.) कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेवार थे। ₹ 1,048.67⁴¹ करोड़ की निधियों की उपलब्धता के विरुद्ध, ₹ 963.50 करोड़ का व्यय 2010 - 16 के दौरान किया गया था। इस दृष्टि से मूल्यांकन करने के कि क्या कार्यक्रम का कार्यान्वयन मौजूदा नियमों, विनियमों, नियमावली, प्रावधानों एवं कार्यक्रम मार्गनिर्देशों, के संदर्भ में था, 2010 - 16 की अवधि के लिए 21 जिलों में से सात⁴² में 56 कार्यों में से 32 के अभिलेखों की जांच मई 2015 से अक्टूबर 2015 के दौरान की गई। जिले प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) प्रणाली लागू करके चुने गए थे और कार्य सिम्पल रैडम सैपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) अपना कर चुने गये थे।

3.12.2 वित्तीय प्रबंधन

3.12.2.1 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम जारी किया जाना

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि परियोजना के मंजूर किए मूल्य के लिए निधियां दो किश्तों में एच.आर.आर.आई.डी.ए. को उपलब्ध कराई जाएगी। एच.आर.आर.आई.डी.ए. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 917.45 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 651.51 करोड़ एवं राज्य का हिस्सा ₹ 265.94 करोड़) की कुल परियोजना लागत के साथ 83 सड़क कार्य

⁴⁰ आने - जाने के लिए सड़क।

⁴¹ आरंभिक शेष: ₹ 7.51 करोड़, ब्याज: ₹ 28.98 करोड़, भारत सरकार अनुदान: ₹ 739.02 करोड़, राज्य सरकार अनुदान: ₹ 245.38 करोड़ तथा प्रतिभूति: ₹ 27.78 करोड़।

⁴² (i) पानीपत, (ii) कैथल, (iii) हिसार, (iv) सिरसा, (v) झज्जर, (vi) गुरुग्राम तथा (vii) यमुनानगर।

और 18 पुल कार्य अनुमोदित किए गए थे (मई 2014)। ₹ 651.51 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 तक ₹ 548.97 करोड़ जारी किए गए थे। इसमें से ₹ 521.27 करोड़ राज्य सरकार द्वारा एच.ए.आर.आर.आई.डी.ए. को जारी किए गए थे और शेष ₹ 27.70 करोड़ राज्य सरकार द्वारा रखे गए थे। आगे, राज्य सरकार ने अपने ₹ 265.94 करोड़ के हिस्से के विरुद्ध ₹ 221.42 करोड़ जारी कर दिए थे और ₹ 44.52 करोड़ का शेष हिस्सा जारी नहीं किया गया था (सितंबर 2016)।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए संस्थीकृत कुल परियोजना लागत के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शेष निधियां भी जारी कर दी जाएंगी।

3.12.2.2 अज्ञात डेबिट्स के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे

बैंक समाधान विवरणियों के अध्ययन ने प्रकट किया कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.93 करोड़⁴³ के कार्यक्रम निधि के अज्ञात डेबिट्स थे। डेबिट प्रविष्टियों के विवरण के अभाव में, जिस उद्देश्य के लिए व्यय किया गया था, वह ज्ञात नहीं हो सका और निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि अज्ञात डेबिट्स अनुवर्ती वर्षों में समाशोधित किए जा चुके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अभिलेख जैसे कि अज्ञात डेबिट्स के समाधान के समर्थन में वाउचरस विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। आगे, संबंधित अभिलेखों को भेजने के लिए एच.आर.आर.आई.डी.ए. (अक्टूबर 2016) को संदर्भ किया गया था लेकिन न तो अभिलेख और न ही उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे (नवंबर 2016)। विभाग को इन अज्ञात डेबिट्स प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए और निधियों के दुरुपयोग, यदि कोई हो, की संभावनाओं का निवारण करने के लिए उन्हें अभिलेख में लाना चाहिए।

3.12.3 कार्यों का निष्पादन

3.12.3.1 लक्ष्यों की अप्राप्ति

ग्रामीण विकास के संघीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - II के अंतर्गत 83 ग्रामीण सड़क कार्यों को अनुमोदित किया (मई 2014)। योजना के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए, भारत सरकार ने आनलाइन मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग एंड अकाउटिंग सिस्टम (ओ.एम.एम.ए.एस.) पर कार्यों के निष्पादन के संबंध में डाटा अद्यतन करने के लिए जिम्मेवार बनाया गया था।

ओ.एम.एम.ए.एस. में और विभाग द्वारा प्रदान किए गए डाटा की संवीक्षा ने दर्शाया कि 83 कार्यों में से 82 पूर्ण किए गए थे। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 11 परियोजनाओं जिसमें 10 परियोजनाएं (परिशिष्ट 3.3 का क्रम 1 से 10) सम्मिलित थी के संबंध में पूर्ण लंबाई जैसे कि परियोजनाओं में निर्देशित की गई थी, पूर्ण नहीं की गई थी जो कि ओ.एम.एम.ए.एस. में पूर्ण की गई दर्शाई गई थी। नमूना-जांच किए गए मामलों में, यह अवलोकित किया गया कि दो कार्य, जैसे कि अनुच्छेद 3.12.3.2 में चर्चा की गई, पूर्ण नहीं किए गए थे परंतु ये कार्य

⁴³

2010-11: ₹ 2.73 करोड़, 2011-12: ₹ 1.21 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 0.99 करोड़।

ओ.एम.एस.ए.एस. में पूर्ण किए दर्शाएं गए थे। अतः ओ.एम.एम.ए.एस. में अपलोड किए गए डाटा की सच्चाई लेखापरीक्षा में आश्वासित नहीं की जा सकी।

3.12.3.2 कार्यों के पूर्ण करने में विलंब

पी.डब्ल्यू.डी. सहिता निर्धारित करती है कि आवश्यक मंजूरी, वस्तुओं का पुनर्स्थापन एवं परमिट्स का प्राप्त करना कार्यों के आरंभ करने से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए और जब तक आवश्यक मंजूरी प्राप्त न कर ली हो, कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा।

नमूना - जांच किए गए 32 कार्यों में से, सात कार्य तीन से 29 महीनों के मध्य विलंब से पूर्ण किए गए थे जबकि सात कार्य अभी निष्पादन अधीन थे। विलंब मुख्यतः स्थल की क्लीयरेंस न करने, बिजली के खंबों के स्थानांतरण करने एवं खनन कार्यों पर पाबंदी के कारण था जिनका ज्ञान होना चाहिए था और परियोजना के आरंभ करने से पहले दूर किया जाना चाहिए था। दो कार्यों, जहां कार्यों का निष्पादन प्रगति में था, नीचे चर्चित हैं:

(i) गुरुग्राम जिले में हेली मंडी - फारूखनगर सड़क वाया महचाना के अपग्रेडेशन का कार्य ₹ 9.53 करोड़ की लागत पर एक एजेंसी को आबंटित किया गया था (फरवरी 2014)। कार्य 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था। प्रान्तीय मंडल संख्या - 2 गुरुग्राम से अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि एजेंसी सितंबर 2016 तक वन विभाग से मंजूरी/अनुमति की कमी के कारण ड्रेन कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। कार्य पर मार्च 2016 तक ₹ 4.20 करोड़ का व्यय किया गया था। मामला वन विभाग को जनवरी 2015 में ही भेजा गया था जबकि एजेंसी को कार्य फरवरी 2014 में आबंटित किया गया था। वन विभाग की मंजूरी अभी भी प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 2016)।

(ii) गुरुग्राम जिला में पंचगांव से फरूखनगर सड़क वाया जमालपुर के अपग्रेडेशन का कार्य एक एजेंसी को ₹ 12.69 करोड़ की लागत पर आबंटित कर दिया गया था (फरवरी 2014) और मार्च 2015 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था। एजेंसी, सितंबर 2016 तक ₹ 7.28 करोड़ व्यय करने के बावजूद वन विभाग से मंजूरी की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। वन विभाग को अनुमति के लिए मामला जनवरी 2015 में ही भेजा गया था जबकि कार्य फरवरी 2014 में आबंटित कर दिया गया था। वन की मंजूरी अभी भी प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 2016)।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि बहुत से पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों में, सड़कों के अपग्रेडेशन व सुदृढीकरण करना सम्मिलित था और कुछ ही मामले थे जहां वन विभाग से मंजूरी और वस्तुओं का स्थानांतरण सम्मिलित था और वह भी सड़कों के छोटे भागों तक सीमित था। अतः ये ऐसी छोटी कठिनाइयों के कारण पूरी परियोजना को रोकना विवेकपूर्ण नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. सहिता के अनुसार कार्यों के आरंभ करने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी अपेक्षित थी और इसकी असफलता के परिणामस्वरूप उनके पूर्ण करने में विलंब और अभिप्रेत लाभग्राही सड़क कनैक्टिविटी के अभिप्रेत लाभों से विचित रहे।

3.12.3.3 सङ्कों का रख-रखाव

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि सभी पी.एम.जी.एस.वाई. की सङ्कों पांच वर्षीय रख-रखाव ठेके के अंतर्गत आवरित की जाएंगी जिसका उसी ठेकेदार के साथ निर्माण ठेका किया जाना है। आगे, यदि ठेकेदार रख-रखाव अवधि के दौरान सङ्कों का रख-रखाव नहीं करता, अभियंता लागत का मूल्यांकन करेगा और कार्य को निष्पादित करवाएगा और ठेकेदार से राशि वसूल करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एन.एच.- 10 तक कलांवली-बड़गुढ़ा-साहूवाला सङ्क का अपग्रेडेशन जून 2012 में किया गया था। कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार को इंगित किया (जुलाई 2014) कि सङ्कों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था तथा सङ्कों पर पैचिज विकसित हो गए थे और सङ्कों की पटरियों पर बहुत से खंडों पर पट्टी लगानी आवश्यक हो गई थी। ठेकेदार द्वारा नवंबर 2016 तक रख-रखाव का कार्य नहीं किया गया था। विभाग ने दोषी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर तीसरी पार्टी के माध्यम से त्रुटियों को दूर करने और रख-रखाव के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी जैसे कि समझौते में प्रावधानित था और सङ्कों का आवश्यक रख-रखाव उपेक्षित रहा।

3.12.4 ठेका प्रबंधन

3.12.4.1 परिसमाप्त क्षतियों की अवसूली

जिला सिरसा में मसीतान से डबवाली वाया चौटाला तक सङ्क का अपग्रेडेशन का कार्य ₹ 3.50 करोड़ में एक एजेंसी को आबंटित किया गया था (जनवरी 2010) और दिसंबर 2010 तक पूर्ण किया जाना था।

चूंकि एजेंसी ने कार्य आरंभ नहीं किया, अनुबंध सितंबर 2011 में रद्द कर दिया गया था। एजेंसी से परिसमाप्त क्षतियों के रूप में कुल ₹ 70 लाख⁴⁴ वसूलनीय थे। ₹ 17 लाख की बैंक गारंटी के भुनाने के सिवाय राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि एजेंसी के क्षेत्राधिकार में चल रहे कार्यों में से किसी से भी पैसा वसूल करने के लिए राज्य में सभी ईर्झिज को पत्र लिखे गए थे और अधिकार प्राप्त स्थाई समिति को मामला भेजने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई थी।

3.12.4.2 मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवसूली

पी.डब्ल्यू.डी. कोड प्रावधान करता है कि ठेका मूल्य के 5 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज धारक मोबिलाइजेशन अग्रिम अप्रतिबंध एवं अप्राप्य बैंक गारंटी के विरुद्ध ठेकेदार को दिया जा सकता है। ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली, ठेके में निर्धारित ढंग से अंतरिम/चालू अदायगियों से प्रतिशत कटौती के माध्यम से की जाएगी। ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की कुल राशि वसूल करने के लिए कार्य निर्धारित समय के 80 प्रतिशत के अंदर पूर्ण करना वांछनीय होगा।

नमूना - जांच किए गए जिलों के मंडलों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित समय अवधि के 80 प्रतिशत के बीत जाने के बावजूद प्रांतीय मंडल

⁴⁴

अनुबंध के क्लॉज 44.1 एवं 52.1 के अनुसार ठेके के मूल्य का 20 प्रतिशत।

यमुनानगर द्वारा ₹ 1.06 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं की गई थी जैसे कि नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: मोबिलाइजेशन एडवांस की अवसूली

(₹ करोड़ में)

कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	कार्य के पूर्ण होने के लिए निर्धारित मास	मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान का मास	अदा किया मोबिलाइजेशन अग्रिम	वसूल किया गया	सितंबर 2016 को शेष
लाडवा से बिलासपुर सड़क	न्यू इंडिया कन्सट्रक्शन कंपनी	अगस्त 2015	सितंबर 2014	1.39	0.33	1.06

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित।

कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसी को अभी समय विस्तार नहीं दिया गया था (सितंबर 2016)। यद्यपि मंडलीय अधिकारी को मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध लिए गए ₹ 1.39 करोड़ राशि की बैंक गारंटी को भुनाने का अधिकार दिया गया था, फिर भी बैंक गारंटी भुनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3.12.4.3 बीमा आवरण प्रदान नहीं किया गया

बोली दस्तावेज का क्लॉज 13.1 प्रावधान करता है कि ठेकेदार, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में अपनी लागत पर, ठेके और व्यक्तिगत चोट एवं मृत्यु के संबंध में कार्यों, संयंत्रों और सामग्री की हानि या क्षति, उपकरण की हानि या क्षति एवं सपत्ति की हानि या क्षति (कार्यों, संयंत्र, सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर) के लिए कार्य के आरंभ होने से पूर्ण होने तक बीमा आवरण प्रदान करेगा।

नमूना - जांच किए गए मंडलों (प्रान्तीय मंडल संरच्चा - I, हिसार को छोड़कर) में निष्पादित कार्यों के लिए निष्पादन करने वाली एजेंसियों द्वारा 2010 - 16 के दौरान बीमा आवरण प्रदान नहीं किया गया था। इन मंडलों ने 2010 - 16 के दौरान ₹ 191.98 करोड़ मूल्य के कार्य निष्पादित किए थे। किसी दुर्घटना होने पर, विभाग हानि को वसूल करने में सक्षम नहीं होगा।

विभाग ने बताया (फरवरी 2016) कि अनुबंध के क्लॉज की अनुपालना के लिए सभी प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टिंग यूनिट्स (पी.आई.यू.ज.) को निर्देश जारी कर दिए गए थे।

3.12.5 निष्कर्ष

जहां सामान्य रूप से भौतिक शर्तों में स्कीम का कार्यान्वयन संतोषजनक था, वही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम जारी किया जाना, कार्यों की पूर्णता में विलंब, परिसमाप्त क्षतियों एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवसूली थी। आगे, ठेकेदारों द्वारा सड़क कार्यों का बीमा आवरण प्रदान नहीं किया गया था।

3.13 एजेंसियों को अधिक भुगतान

माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्रा का सत्यापन किए बिना तथा आंतरिक नियंत्रण जांच के अभाव संबंध अभिलेखों तथा बिट्मेन की दरों के समन्वय से बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिट्मेन की दरों के अंतर की गलत परिणामतः दस एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड प्रावधान करता है कि किए गए कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जाएगा तथा प्रभारी अभियंता बिलों को चैक करेंगे तथा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के कड़े अनुसरण में किए गए कार्य के मूल्य के लिए अंतरिम भुगतान करेंगे।

छ: मंडलों⁴⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा ने यारह सड़क निर्माण कार्यों में दस एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़ के अधिक भुगतान को प्रकट किया (मार्च 2014 से मार्च 2016) जैसा कि नीचे चर्चित है:

(i) 49 ग्रामीण सड़कों वाले “अंबाला तथा यमुनानगर जिलों में मंडल के अधीन विभिन्न जिला सड़कों का निर्माण कार्य” कैपिंग शर्त⁴⁶ के साथ ₹ 7.09 करोड़ में एक एजेंसी को फरवरी 2014 में प्रदान किया गया था। अप्रैल 2015 में ₹ 7.13 करोड़ का भुगतान एजेंसी को छठे तथा अंतिम बिल द्वारा किया गया था।

अभिलेखों तथा माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि माप पुस्तिका में 5वें तथा रनिंग बिल को तैयार करते हुए ‘रोड रोलर के साथ रोलिंग सहित सरफेस ड्रैसिंग पर पहला कोट लगाने तथा प्रदान करने की मद की प्रमात्राएं 9,855.02 वर्ग मीटर की बजाए 98,550.02 वर्ग मीटर आगे ले जाई गई जिसने इस विशेष मद की मात्रा को 88,695 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 2014 में एजेंसी को ₹ 53.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ। यह गलती अप्रैल 2015 में भुगतान किए गए कार्य के छठे तथा अंतिम बिल में भी जारी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ई.ई. ने दिसंबर 2015 तथा जून 2016 के मध्य एजेंसी से ₹ 59.06 लाख⁴⁷ (ब्याज सहित) की राशि वसूल की।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि ₹ 53.29 लाख का अधिक भुगतान गलती से किया गया था क्योंकि 9,855.02 वर्ग मीटर की मात्रा 98,550.02 वर्ग मीटर ले ली गई थी तथा गलती अनजाने में की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 825.809 मीट्रिक टन बिट्मेन भी निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया हुआ दिखाया गया था जबकि केवल 738 मीट्रिक टन बिट्मेन निर्माण स्थल पर लाया गया था। इस प्रकार, माप पुस्तिका के अनुसार कार्य के मूल्यांकन के संबंध में निर्धारित जांच

⁴⁵ प्रांतीय मंडल, नारायणगढ़; प्रांतीय मंडल, पलवल; प्रांतीय मंडल, पंचकुला; प्रांतीय मंडल, चरखी दादरी; प्रांतीय मंडल सं. 3 (एन.एच.), रोहतक तथा निर्माण मंडल, पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर., चण्डीगढ़।

⁴⁶ एजेंसी को सभी रनिंग एवं फाइनल बिलों में निम्नलिखित का निम्नतम भुगतान किया जाएगा:

- ए. निम्नतम एजेंसी की स्वीकृत दरों पर परिकलित राशि।
- बी. एल - 2 की दरों पर परिकलित की गई राशि।
- सी. वित्तीय विवरणी में परिकलित की गई दरों की हरियाणा अनुसूची + सीलिंग प्रीमियम/विश्लेषण दरों/अनुसूची में नहीं शामिल मद दरों की स्वीकृत प्रतिशत के साथ परिकलित की गई राशि।

⁴⁷ ₹ 59.06 लाख = अधिक राशि: ₹ 53.29 लाख + ब्याज: ₹ 5.77 लाख।

बिंदुओं की अनुपालना न करने में विभाग की विफलता तथा स्थल पर लाए गए बिटुमेन के साथ प्रयोग में लाए बिटुमेन के साथ मिलान न करने का परिणामस्वरूप एजेंसी को ₹ 53.29 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(ii) 10 सङ्क निर्माण कार्यों में नौ ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध (मई 2012 तथा मई 2014 के मध्य) के निर्बंधनों तथा शर्तों के अनुसार, वित्तीय बोली की समाप्ति की तिथि पर रिफाइनरी पर बिटुमेन की दरें आधार के रूप में मानी जानी थीं और यदि निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान, रिफाइनरी में बिटुमेन की दरें बढ़ती या घटती हैं तो लागत में अंतर ठेकेदारों से देय/वसूलनीय अर्थात् वृद्धि/अनावृद्धि था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृद्धि राशि परिकलित करते समय, केवल आधार दरें अर्थात् वित्तीय बोली की समाप्ति की तिथि पर रिफाइनरी में बिटुमेन की दरें ही ली गई थीं तथा राज्य निर्दिष्ट/सांविधिक प्रभार इन दरों में शामिल नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.68 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में विवरण दिया गया है।

इंगित किए जाने पर विभाग ने ₹ 44.25 लाख की वसूली की। तथापि शेष ₹ 22.02 लाख (ब्याज छोड़कर) संबंधित एजेंसियों से अभी वसूल किए जाने हैं (नवंबर 2016)।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि वित्तीय बोली की समाप्ति के समय पर बिटुमेन का इन वॉयस उपलब्ध नहीं था इसलिए बिटुमेन की बेसिक दरें भारतीय ऑयल निगम लिमिटेड की वेबसाइट से ली गई थीं। आगे, वृद्धि की राशि परिकलित करते समय, मूलभूत दरें इन वॉयस से ली गई थीं।

इस प्रकार, माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्राओं का सत्यापन किए बिना तथा संबंद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के मिलान जैसे आंतरिक नियंत्रण जांच बिंदुओं के अभाव में परिणाम बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत गणना में परिणामित हुआ जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़⁴⁸ के अधिक भुगतान किया गया जिसमें से ₹ 1.03 करोड़⁴⁹ (ब्याज सहित) वसूल कर लिए गए थे (नवंबर 2016)।

3.14 अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय

कार्य के निष्पादन में ठेकेदार की ओर से लगातार देरी के लिए अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विलंबित कार्रवाई के साथ एक ही टेंडर के आधार पर एजेंसी को कार्य सौंपने का परिणामस्वरूप अन्ततः ₹ 1.02 करोड़ के निष्फल व्यय हुआ। कार्य जो सितंबर 2013 में पूर्ण किया जाना नियत था जुलाई 2014 तक परित्यक्त पड़ा था। आगे, अनुबंध के अनुसार पेनलटी न लगाए जाने पर ₹ 18.20 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ भी एजेंसी को दे दिया गया।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुसार, समय सीमा से बाहर अनुबंध की समाप्ति में देरी नियोक्ता या ठेकेदार या तीसरी पार्टी या अप्रत्याशित घटना के कारण हो सकती है। देरी के परिणाम समय विस्तारण या लिक्विडेटिड क्षतिपूर्ति लगाने में या अनुबंध के निर्धारण/निस्तारण होते हैं।

राज्य सरकार ने “₹ 3.01 करोड़ की लागत पर फरीदाबाद जिले में गांव पाली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटी.आई.) में एस.सी./एस.टी. स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला ब्लॉक” के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2012) प्रदान किया था। जुलाई 2012 में खुली

⁴⁸ ₹ 1.17 करोड़ = ₹ 53.29 लाख + ₹ 27.02 लाख + ₹ 36.66 लाख।

⁴⁹ ₹ 1.03 करोड़ = ₹ 59.06 लाख + ₹ 44.25 लाख।

निविदाएं आमत्रित की गई थीं और केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थीं। तत्पश्चात्, अगस्त 2012 में कार्य के लिए टेंडर दोबारा मंगवाया गया था लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। अधीक्षक अभियंता, गुरुग्राम परिमिंडल, लोक निर्माण (बी. एंड आर.) विभाग (एस.ई.) तथा कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल, फरीदाबाद ने देरी से बचने के लिए जनहित में पहले से प्राप्त टेंडर को खोलने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2012)। निर्माण कार्य को बाद में नौ महीनों के भीतर अर्थात् सितंबर 2013 तक पूरा किए जाने के लिए ₹ 2.56 करोड़ के लिए एस.ई. (नियोक्ता) द्वारा ठेकेदार को आर्बांटित कर दिया था (नवंबर 2012)।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल, फरीदाबाद (ई.ई.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अप्रैल - जून 2014 के दौरान चार स्मरण - पत्र जारी करने के बावजूद कार्य की प्रगति शुरू से ही धीमी थी। जुलाई 2014 तक, 40 प्रतिशत तक कार्य पूरा कर लिया गया था तथा एजेंसी को ₹ 93.46 लाख का भुगतान कर दिया था। इसके बाद, कोई भी कार्य निष्पादित नहीं किया गया (जुलाई 2014)। अनुबंध में निर्धारित था कि ठेका कीमत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक निर्धारित समापन अवधि से समाप्त में देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रारंभिक ठेका कीमत के 1/500 की दर पर ठेकेदार नियोक्ता को लिकिवडेटिड क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। ₹ 25.60 लाख (ठेका कीमत के 10 प्रतिशत) की अपेक्षित पेनल्टी के विरुद्ध अक्तूबर 2016 तक ₹ 7.40 लाख की राशि वसूल कर ली गई तथा ₹ 18.20 लाख की शेष राशि अभी वसूल की जानी थी (नवंबर 2016)।

आगे, अनुबंध में यह भी प्रावधान है कि नियोक्ता या ठेकेदार ठेके को निरस्त कर सकता है यदि अन्य पार्टी अनुबंध के मूल उल्लंघन का कारण है यानि ठेकेदार 20 दिनों के लिए कार्य को रोकता है या जब ठेकेदार ने 30 दिनों तक कार्य के समाप्त में देरी की हो लेखापरीक्षा ने आगे देरवा कि कार्यकारी अभियंता ने लगभग डेढ़ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद एस.ई. को अनुबंध निरस्त करने के लिए निवेदन किया था (दिसंबर 2015 तथा मई 2016) जो अन्ततः जून 2016 में किया गया। कार्य पर ₹ 1.02 करोड़⁵⁰ का कुल व्यय किया गया जो कार्य की अपूर्णता के कारण निष्फल प्रमाणित हुआ।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि कार्य निरस्त कर दिया गया था तथा एजेंसी द्वारा किए गए कार्य को मापने के लिए एक समिति भी बना ली गई थी। शेष कार्य भी यथा शीघ्र टेंडर बुलाने के बाद आर्बांटित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पहले प्राप्त केवल एक टेंडर को खोलने और एजेंसी को कार्य देने के साथ ठेकेदार की ओर से कार्य के निष्पादन में लगातार देरी के लिए अनुबंध की शर्तें लागू करने में विलंबित कार्रवाई का अंततः परिणाम ₹ 1.02 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ। कार्य जो सितंबर 2013 में पूरा किया जाना निर्धारित था, जुलाई 2014 को परिस्थित पड़ा था। आगे, अनुबंध के अनुसार पेनल्टी न लगाकर एजेंसी को ₹ 18.20 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ भी दिया गया।

⁵⁰

एजेंसी को भुगतान ₹ 0.93 करोड़ + विविध व्यय ₹ 0.09 करोड़।

जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.15 अपूर्ण सीवरेज स्कीम

परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण कार्य तथा तालाब तथा ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के स्राव के कारण क्षेत्र में निवासियों का अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरों का सामना हुआ।

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 1993 में जारी सीवरेज तथा सीवेज उपचार पर मैनुअल में प्रावधान किया गया है कि अपव्यय जल संग्रहण, उपचार तथा निकास प्रणाली को डिजाइन करते समय योजना साधारणतया अंतिम निकास बिंदु से शुरू करके पीछे ले जाते हुए टोपोग्राफी के अनुकूल एक एकीकृत तथा आदर्शतम डिजाइन देने तथा यदि आवश्यक हो, परिंग द्वारा आपूर्ति उपलब्ध हाइड्रोलिक शीर्ष के अनुसार की जानी थी। आगे, पी.डब्ल्यू.डी. कोड निर्धारित करता है कि कोई भी स्कीम शुरू करने से पहले आवश्यक जांच/स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा किया जा सके।

हरियाणा नहर तथा ड्रेनेज अधिनियम 1974 के अनुसार, कोई भी सामग्री जो नहर के पानी को गंदा करती है या रोकती है, के बहाव की मनाही है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया (जुलाई 2003) कि किसी भी नहर में कोई उपचारित/अनुपचारित निस्सार या सीवेज निस्सार का स्राव करना किसी को भी अनुमत नहीं होगा। केवल निर्धारित मानकों⁵¹ वाले उपचारित निस्सार को ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ड्रेनेज में निकासी करने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 15.82 करोड़ की लागत पर जनवरी 2010 में ऐलनाबाद टाउन के लिए सीवरेज की निकासी में वृद्धि के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सीवेज उपचार प्लांट का उपचारित निस्सार ब्रिक मेसनरी/आर.सी.सी. कैरियर चैनल का निर्माण करके मुख्य निकास निर्माण कार्यों से घग्गर नदी में निकास किया जाना था। कार्य⁵² 12 महीनों की समय सीमा के साथ ₹ 9.99 करोड़ के लिए एक एजेंसी को कार्यकारी अभियंता, जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 3, सिरसा द्वारा आवंटित किया गया था (अक्टूबर 2012)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि एजेंसी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा कर लिया (मई 2015) लेकिन निस्सार कैरियर चैनल का कार्य ₹ 0.20 करोड़ का व्यय करने के बाद अपूर्ण रहा क्योंकि किसानों ने चैनल के निर्माण के खिलाफ विरोध किया था। निस्सार चैनल की अनुपस्थिति में, 16.4 तथा 18 के मध्य बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) लेवल वाले उपचारित निस्सार नजदीकी तालाब में स्राव किया जा रहा था जिसके लिए बी.ओ.डी. स्तर तीन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनाए मानकों के अनुसार) से अधिक नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात् यह सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति लिए बिना तथा हरियाणा नहर तथा ड्रेनेज अधिनियम 1974 के उल्लंघन में ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी में निर्मुक्त किया जा रहा था। भूमि के एवज में

⁵¹ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बी.ओ.डी. स्तर के संबंध में उपचारित जल/सीवेज की निकासी के लिए अनुमत मानक 3 एम.जी./लीटर है।

⁵² 11.5 एम.एल.डी. क्षमता वाले मुख्य परिंग स्टेशन का डिजाइन निर्माण, प्रतिष्ठान, टेस्टिंग एवं चालू करना, उपचारित सीवरेज कैरियर के निर्माण सहित हर प्रकार से पूर्ण मूविंग बैड बायलॉजिकल रियैक्टर प्रौद्योगिकी संलग्न (अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस) पर आधारित 7.5 एम.एल.डी. क्षमता वाला सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा मुख्य परिंग स्टेशन पर सभी आकस्मिक इलैक्ट्रीकल, मकेनिकल, पाइपिंग तथा इस्ट्रयूमेंटेशन कार्य तथा ऐलनाबाद शहर जिला सिरसा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित।

कोई व्यय नहीं किया गया था क्योंकि यह सरकार/नगर निगम से मुफ्त उपलब्ध थी तथा अभी तक परियोजना पर ₹ 10.59 करोड़ (सीवेज उपचार प्लांट की लागत सहित) का कुल व्यय (दिसंबर 2016) किया गया है।



बिस्वरे हुए एफ्यूलैंट चैनल के कारण अपूर्ण सीवेज स्कीम ऐलनाबाद (अप्रैल 2016)

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि चैनल के एलाइनमेंट के पास वाले किसानों द्वारा किए गए कड़े विरोध/आपत्ति के कारण निस्सार चैनल का निर्माण नहीं किया गया था तथा अब स्कीम के शेष कार्य के साथ निस्सार चैनल के निर्माण के लिए तकनीकी रूप से संस्वीकृत अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन तथा निधियों के प्रबंध के लिए सरकार को भेज दिया गया है (अप्रैल 2016)।

इस प्रकार, परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ (सीवेज उपचार प्लांट की लागत सहित) का व्यय करने के बावजूद निर्माण के अपूर्ण कार्यों तथा तालाब एवं ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के डिस्चार्ज हुआ जिससे क्षेत्र के निवासियों को अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरे का समना करना पड़ा।

3.16 निष्फल व्यय

निर्धारित जांच बिंदुओं की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप लोहे की पाइपों की चोरी तथा चोरी की गई सामग्री के कारण ₹ 1.19 करोड़ की अवसूली हुई।

पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कें) नियमावली के अनुसार, कार्य के अनुभाग प्रभारी यानि कनिष्ठ अभियंता को अपने चार्ज में सभी स्टॉक्स तथा यंत्र एवं प्लांट, उनकी प्राप्तियां तथा जारी करने, स्थल पर सामग्री के रजिस्टर के लेखे रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि उसके चार्ज में सरकारी संपत्ति को कोई हानि ना हो, अपेक्षित है। उसको व्यय पर सतर्क नियंत्रण रखना तथा कार्य की प्रगति की रिपोर्ट उसके उपमंडल अधिकारी को दैनिक या आवधिक जैसा कि आदेश दिया जाए, भी करना अपेक्षित है। हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड किसी एजेंसी को ब्लैकलिस्टिंग करने का प्रावधान भी करता है यदि यह गलत कार्यों जैसे चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या निर्दिष्ट कार्यों के लिए जारी सरकारी सामग्री का निपटान में दोषी पाया जाता है।

पीने के पानी की कमी तथा अपरिष्कृत जल प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी ने सितंबर 2012 से दिसंबर 2013 के दौरान ₹ 2.02 करोड़ की लागत से ठेकेदारों को ग्रामीण जल आपूर्ति के पांच निर्माण कार्य आर्बाटित किए तथा पाइपें विभाग द्वारा आपूर्ति की जानी थी। निर्माण कार्य अक्तूबर 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य पूरे किए जाने निर्धारित थे। सामग्री की लागत सहित निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत ₹ 16.07 करोड़ थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि उपरोक्त स्कीमों के संबंधित ठेकेदारों/एजेंसियों को आवश्यकता से पहले 68 प्रतिशत डक्टाइल लोहे की पाइपें जारी की गई थी (दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2014)। ठेकेदार/एजेंसियों ने निर्माण कार्य की समाप्ति के लिए समय सीमा की अनुपालना नहीं की तथा निर्माण कार्य को अंधूरा छोड़ दिया। विभाग ने ठेका अनुबंध के अनुसार ₹ 20.16 लाख की क्षतिपूर्ति (जुलाई 2014 से मार्च 2015) लगाई तथा ठेकेदार/एजेंसियों से कार्य भी वापस ले लिया। इन निर्माण कार्यों पर ₹ 8.57 करोड़ का व्यय किया गया था (जून 2016)।

एजेंसियों के जोखिम तथा लागत पर शेष कार्य करवाने के लिए इन कार्यों के अंतिम बिल तैयार करवाने के लिए अंतिम माप बनाते समय यह देखा गया था कि ₹ १ एक करोड़ राशि की (₹ 2.03 करोड़ राशि की अनुबंध शर्तों के अनुसार सामग्री की जारी दर के दोगुनी वसूलनीय राशि तथा ३ प्रतिशत की दर पर स्टोरेज प्रभार) इन कार्यों को जारी विभिन्न आकारों की डी.आई. पाइपें निर्माण कार्य स्थल से गुम/चोरी थी।

₹ 1.54 करोड़⁵³ राशि की दंडनीय दरों (ठेका अनुबंध के अनुसार सामग्री की जारी दर के दोगुने पर तथा ३ प्रतिशत की दर पर स्टोरेज प्रभार) के साथ डी.आई. पाइपें की लागत ठेकेदारों के विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिमों में डाल दिए गए थे। तथापि, ₹ 0.35 करोड़ की राशि चूककर्त्ता एजेंसियों के रनिंग बिलों/सिक्योरिटी से वसूल/समायोजित की गई थी।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2016) कि ₹ 1.19 करोड़ की एक राशि संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिमों में डाल दी गई थी तथा शेष राशि वसूल कर ली गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि ₹ 1.19 करोड़⁵⁴ की राशि वास्तव में अभी तक वसूल नहीं की गई है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

3.17 सरकारी खाते में ब्याज राशि का जमा न होना

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने स्थल या भूमि की उपलब्धता देखे बिना ही साईंस सिटी की स्थापना के लिए हरियाणा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद को ₹ 14.66 करोड़ प्रेषित किए। निधियां छः वर्षों से अधिक समय तक सरकारी खातों के बाहर रही जब तक कि यह लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर दोबारा जमा करा दी गई। तथापि, परिषद द्वारा ₹ 10.37 करोड़ राशि के अर्जित ब्याज सरकारी खाते में अभी तक जमा नहीं करवाए गए।

पंजाब वित्तीय नियमों के अनुसार, खजाने से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि यह तुरंत वितरण के लिए अपेक्षित न हो या स्थाई अग्रिम में से पहले ही भुगतान कर दिया गया हो। परियोजना जिसके समापन में बहुत अधिक समय लगने वाला है के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम निकालना अनुमत नहीं है।

भारत सरकार, (भा.स.) सांस्कृतिक मंत्रालय ने विज्ञान तथा तकनीकी की वृद्धि को दर्शाने के साथ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उद्योग तथा मानव कल्याण में उनके

⁵³ ₹ 1.54 करोड़ = ₹ 0.76 करोड़ (पेनल दर) का दो गुणा + ₹ 0.02 करोड़ (स्टोरेज प्रभारों का ३ प्रतिशत)।

⁵⁴ ₹ 1.19 करोड़ = ₹ 1.54 करोड़ - ₹ 0.35 करोड़।

अनुप्रयोग तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य के साथ साईंस सिटीज की स्थापना की स्कीम शुरू की। नई साईंस सिटीज के लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा ₹ 30 करोड़ (कुल ₹ 50 करोड़ में से 60 प्रतिशत) थी, जो ₹ 66 करोड़ (कुल ₹ 110 करोड़ का 60 प्रतिशत) संशोधित की गई (जून 2013)। शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। साईंस सिटीज की स्थापना के लिए योग्य मापदंड के अनुसार, साईंस सिटी की स्थिति या तो राज्य की राजधानी हो या राज्य का महत्वपूर्ण शहर जो इसके परिधि में शामिल जनसंख्या सहित 50 लाख से कम जनसंख्या वाले न हों तथा प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख यात्री आते हों। राज्य सरकार को (केन्द्रीय) में स्थित तथा पूरी तरह विकसित एवं सुगम कम से कम 25 एकड़ भूमि मुफ्त में बिना किसी भार के प्रदान की जानी थी।

हरियाणा राज्य विज्ञान तथा तकनीकी परिषद, पंचकुला के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दिखाया कि रोहतक में साईंस सिटी की स्थापना किए जाने हेतु प्रस्ताव किया था (दिसंबर 2009) तथा राज्य सरकार ने इसकी स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि तलाश करने के लिए प्रयत्न⁵⁵ किए। इसी मध्य, वित्तायुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विज्ञान तथा तकनीकी विभाग ने स्कीम निर्देशों के अनुसार योग्यता तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही रोहतक में साईंस सिटी की स्थापना के लिए ₹ 14.66 करोड़ की सहायता अनुदान निर्मुक्त कर दी (मार्च 2010)। मार्च 2010 में विभाग द्वारा राशि आहरित की गई तथा परिषद को स्थानांतरित कर दी थी।

जुलाई 2010 में, नगर समिति सांपला ने 30 एकड़ भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया लेकिन प्रस्ताव को भारत सरकार का पक्ष नहीं मिला (फरवरी 2012) क्योंकि साईंस सिटी की स्थापना के लिए सांपला शहर ने दिशानिर्देशों की मांग को पूरा नहीं किया गया। बाद में दिसंबर 2015 में राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों⁵⁶ के साथ उनके कैंपस में भूमि प्रदान करने के मामले को उठाने का निर्णय लिया। परिणाम प्रतीक्षित है (नवंबर 2016)। ये सभी तीन स्टेशन/सिटीज⁵⁷ भी स्कीम दिशानिर्देशों पर खरे नहीं उत्तरते हैं।

परिषद ने बताया (अगस्त तथा सितंबर 2016) कि लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ₹ 14.55⁵⁸ करोड़ सरकार के खाते में जमा कर दिए गए। इसने यह भी बताया कि परिषद ने ब्याज की विभिन्न ब्याज दरों पर फिक्सड जमा/सेविंग अकाउंट में ग्रांट को जमा करने पर ₹ 10.37 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था। तथापि, यह अभी परिषद के पास ही पड़ा है तथा अभी सरकारी खाते में जमा करवाना बाकी है (नवंबर 2016)।

तथ्य रहता है कि ₹ 14.66 करोड़ निकाले गए थे तथा इसके प्रयोग के लिए आधारभूत आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना ही परिषद को स्थानांतरित कर दिए थे। परिणामस्वरूप,

⁵⁵ (i) दिसंबर 2009-हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को आई.एम.टी., रोहतक में मुफ्त में भूमि प्रदान करने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया था।
(ii) जनवरी 2010 - आई.एम.टी. रोहतक से आगे ग्राम पंचायत गरनावती को पट्टे पर भूमि प्रदान करने के लिए पूछा गया था लेकिन इसने मना कर दिया।

⁵⁶ महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) रोहतक; कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय; कुरुक्षेत्र तथा दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत)।

⁵⁷ रोहतक; कुरुक्षेत्र तथा मुरथल (सोनीपत)।

⁵⁸ साईंस सिटी की स्थापना के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी के लिए ₹ 0.11 करोड़ (₹ 14.66 - ₹ 14.55) व्यय किए थे।

निधियां छः वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त तथा सरकारी खाते से बाहर रही तथा लेखापरीक्षा द्वारा चूक को इंगित किए जाने के बाद ही अन्ततः जमा करवाई गई थी। आगे, परिषद को अभी सरकारी खाते में ₹ 10.37 करोड़ राशि के ब्याज जमा किए जाने हैं।

मामला सरकार को भेज दिया गया था (अप्रैल 2016)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

3.18 भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि तथा वार्षिक ग्राउंड किराए की अवसूली

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि का निर्धारण किए बिना ही भूमि को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप ₹ 417.15 करोड़ की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज सहित ₹ 10.77 करोड़ का ग्राउंड किराया भी अवसूल रहा।

हरियाणा शहरी विकास (भूमि तथा भवन का निपटान) अधिनियम, 1978 का विनियम 6 निर्धारित करता है कि नीलामी द्वारा भूमि की बिक्री या पट्टे पर देने के मामले में वसूल किया जाने वाला मूल्य/प्रीमियम ऐसा रिजर्व मूल्य/प्रीमियम होगा जो विनियम 4 के उप-विनियम (1) में दर्शाया जाएगा तो खुली नीलामी में बोली के परिणामस्वरूप निर्धारित कोई उच्च राशि जैसे विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया हो। विनियम 4 (1) निर्धारित करता है कि प्राधिकारी द्वारा भूमि या भवन के बिक्री के लिए अस्थाई मूल्य/प्रीमियम ऐसा हो जैसा कि समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की लागत, विकास की अनुमानित लागत, भवन की लागत तथा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभार विचार करने के बाद प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई हो। विनियम 9 में ये बताता है कि पट्टे के आधार पर दिए गए भूमि/भवन की स्थानांतरण के मामले में, भूमि की कीमत में अर्जित न की गई वृद्धि के 50 प्रतिशत अर्थात् स्थानांतरण के समय पर प्रीमियम तथा भूमि की मार्केट वैल्यू के अंतर को ऐसी बिक्री या स्थानांतरण रजिस्टर करने से पहले प्राधिकारी को भुगतान की जानी चाहिए।

मुख्य नगर योजनाकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड़ा), पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सिटी सेंटर, गुरुग्राम में एक मनोरंजन उद्यान की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने में रूपरेखा का निरीक्षण करने के लिए मुख्य प्रशासक, हुड़ा की अध्यक्षता के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी (जुलाई 2009)। कमेटी ने इस शर्त के साथ 33 वर्षों की अवधि के लिए प्रोपर्टी को पट्टे पर देने की अनुशंसा की (जुलाई 2009) कि पट्टाधारी प्रतिवर्ष ग्राउंड किरायों का भुगतान करेगा। कमेटी ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.), गुरुग्राम द्वारा रिपोर्ट की गई भूमि लागत के आधार पर 58 एकड़ भूमि (गुरुग्राम में सैकटर 29 में 25 एकड़ तथा सैकटर 52ए में 33 एकड़) के लिए ₹ 106 करोड़ की बोली प्रीमियम की अनुशंसा भी की। इसके बाद, अगस्त 2009 में अखबारों द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुमोदन भी आमंत्रित किए थे।

बाद में, सितंबर 2009 में यह भी ध्यान में आया कि सैकटर 52ए में मनोरंजन उत्थान के लिए चिन्हित की गई 33 एकड़ भूमि में से 16 एकड़ मुकदमेबाजी के अंतर्गत थी। तदनुसार, 42 एकड़ सही भूमि के लिए अखबारों में (अक्तूबर 2009) एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था। व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी (बोलीकर्ता) के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन में किया गया योग्य मापदंड था कि (i) बोलीकर्ता को भारत में स्थापित मनोरंजन उद्यान को स्थापित करने तथा संचलित करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए (ii) 31 मार्च 2009 तक

बोलीकर्ता की कुल कीमत ₹ 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए (iii) बोलीकर्ता को एक वर्ष के भीतर परियोजना में कम से कम ₹ 100 करोड़ का निवेश करने की क्षमता होना चाहिए (iv) लेखापरीक्षा की गई बैलेसंशीट के अनुसार बोलीकर्ता को अंतिम पांच वर्षों यानि 2009 तक मनोरंजन उद्यानों से कम से कम कुल ₹ 50 करोड़ का कुल टर्नओवर होना चाहिए तथा (v) कंपनियां जो उनके संबंधित एरिया में विश्वस्तरीय हो, उनके साथ अन्तर्राष्ट्रीय टार्फ़ - अप होना चाहिए।

इसकी प्रतिक्रिया में, दो कंपनियों ने उनकी तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की। एक फर्म की तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी थी क्योंकि इसने उपर्युक्त शर्त संख्या (i) तथा (iv) के योग्य मानदंड को पूरा नहीं किया। शेष बोलीकर्ता ने ₹ 91 करोड़ के निर्धारित रिजर्व मूल्य के विरुद्ध ₹ 92 करोड़ की दर उद्धृत की जो मोल-भाव के बाद ₹ 94.50 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी (मई 2010) जुलाई 2010 में लैटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया था तथा 14 जून 2011 को पट्टा समझौता निष्पादित किया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

(ए) प्राधिकारी ने उक्त विनियम 9 के प्रावधान लागू नहीं किए जो प्राधिकारी के पास भूमि की कीमत में अर्जित न की गई वृद्धि के 50 प्रतिशत की जमा का अनुबंध करता है। कॉर्मशियल प्लॉट की प्रचालित कलैक्टर दर के आधार पर भूमि की मार्केट वैल्यू ₹ 928.80 करोड़ परिकलित की गई तथा अनार्जित वृद्धि का 50 प्रतिशत ₹ 417.15 करोड़⁵⁹ है। ₹ 417.15 करोड़ की राशि की न तो मांग की गई थी और न ही फर्म द्वारा जमा करवाई गई थी।

(बी) पट्टा अनुबंध के अनुसार, पट्टाधारी को पट्टा अनुबंध (जून 2011) की प्रभावी तिथि से 24 महीनों के भीतर परियोजना को कार्यान्वित करना अपेक्षित था तथा पट्टाधारी द्वारा दिए गए प्रीमियम के अढाई प्रतिशत की दर पर 14 जून 2013 से वार्षिक ग्राउंड रेंट का भुगतान किया जाना था। प्रीमियम या ग्राउंड रेंट के विलंबित भुगतान के मामले में, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज या समय-समय पर पट्टा द्वारा निर्णित किया गया ऐसा ब्याज भी पट्टाधारी द्वारा दिया जाना अपेक्षित था। यह भी अवलोकित किया था कि जून 2013 से नवंबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 8.07 करोड़ राशि का वार्षिक ग्राउंड किराया पट्टाधारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 8.07 करोड़ का ग्राउंड रेंट तथा बकाया राशि पर ₹ 2.70 करोड़ का ब्याज भी देय हो गया है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि हरियाणा शहरी विकास (भूमि तथा भवन का निपटान) विनियमन का विनियम 9 इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि पट्टा आधार पर निपटान की गई भूमि/भवन का कोई स्थानांतरण शामिल नहीं है। पट्टाधारी को केवल पट्टा अधिकार ही दिए गए हैं तथा पट्टा अवधि समाप्त होने पर भूमि वापस हुड़ा के पास चली जाएगी। यह बताया गया कि भूमि अधिग्रहण लागत, विकास लागत, प्रशासनिक प्रभार आदि पर विचार करने के बाद नोडल कीमत/रिजर्व कीमत की गणना करने की हुड़ा की अपनी प्रणाली है तथा बोली कीमत (भूमि के पट्टे के लिए प्रीमियम) इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा तय किया गया था। यह भी बताया गया कि मनोरंजनात्मक भूमि प्रयोग के लिए राजस्व विभाग द्वारा कोई

⁵⁹

₹ 928.80 करोड़ (मार्केट मूल्य)-₹ 94.5 करोड़ (प्रीमियम)= ₹ 834.30 करोड़ (अर्जित न की गई वृद्धि) 2 से विभाजित (50 प्रतिशत)= ₹ 417.15 करोड़।

कलैक्टर दर निर्धारित नहीं की गई थी तथा लेखापरीक्षा संवीक्षा ने गलती से कर्मशियल उद्देश्यों वाली भूमि की दरों को मनोरंजक उद्यान की पट्टा दरों से तुलना कर दी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 33 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा आधार पर भूमि का स्थानांतरण था जो कि अगले 33 वर्षों के लिए विस्तारयोग्य था तथा पट्टा आधार पर भूमि के स्थानांतरण पर विनियम 9 लागू है। आगे, हुड़ा ने आवासीय, कर्मशियल, औद्योगिक, संस्थागत, धार्मिक तथा चैरिटेबल में मूल्य निर्धारित के लिए भूमि को श्रेणी में बांटा तथा मनोरंजनात्मक भूमि के लिए कोई अलग से श्रेणी नहीं थी। पट्टा अनुबंध के अनुच्छेद 6 तथा 7 के अनुसार पट्टाधारी को प्रयोगकर्त्ताओं से सही राजस्व लगाने तथा उद्घाटन करने तथा भूमि का प्रोपर्टी विकास, कर्मशियल प्रयोग या परियोजना स्थल पर विज्ञापन के प्रयोग करने का एकमात्र और विशेष अधिकार है। जैसा कि मनोरंजन उद्यान की स्थापना स्पष्ट तौर पर एक व्यावसायिक कार्य है। इसके अलावा, हुड़ा ने इसके प्लॉट तथा प्रोपर्टी मोड्यूल में स्वयं को कर्मशियल प्रोपर्टी के तौर पर अपने प्लॉट को श्रेणीगत किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.19 निराश्रय महिलाओं तथा बच्चों के लिए आश्रय/केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन में कमियां थीं जैसा कि भवनों की अच्छी तरह से भरम्भत न करना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा की कमी आदि से स्पष्ट है। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही निरंतरता में कमी थी।

हरियाणा सरकार ने विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों को आश्रय, खाना तथा कपड़ा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए मकान' स्कीम की शुरूआत की (अगस्त 1972) ताकि उनको आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया जा सके तथा समाज की मुख्य धारा से जुँड़कर वो जिंदगी को अर्थपूर्ण तरीके से जी सके। आश्रमों में प्रवेश महिला आश्रम के जिला कार्यक्रम अधिकारी/अधीक्षक द्वारा गहन जांच के बाद संबंधित जिला कमीशनर की अनुशंसा पर दिया जाना था राज्य सरकार ने (जुलाई 2013) आश्रम में अधिकतम पांच वर्षों (आरंभ में तीन वर्ष जो आगे दो वर्ष तक विस्तार योग्य है) तक ठहराव निर्धारित किया जो (जून 2015) रिव्यू कमेटी द्वारा आरभिक पांच वर्षों के बाद अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जाने के लिए संशोधित की थी जो राज्य समिति द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम निराश्रित महिलाओं या किसी विशेष मामले में समिति के अनुमोदन से अगल पांच वर्षों तक बढ़ाने योग्य थी। राज्य में विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए तीन आश्रम हैं, करनाल, रोहतक में तथा फरीदाबाद में कस्तूरबा सेवा सदन में एक-एक महिला आश्रम हैं।

स्कीम के कार्यान्वयन की प्रभाविकता को जांचने के लिए दिसंबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान निदेशक, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग, हरियाणा तथा अन्य सभी तीन आश्रमों⁶⁰ के 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई।

3.19.1 बजट तथा व्यय

⁶⁰

(i) महिला आश्रम करनाल, (ii) महिला आश्रम रोहतक तथा (iii) कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद।

2011-12 से 2015-16 तक ₹ 11.12 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9.13 करोड़ (तीन आश्रमों पर व्यय: ₹ 7.45 करोड़, “युवा लड़कियों तथा निराश्रितों के लिए होम - सह - व्यावसायिक प्रशिक्षण/उत्पादन केंद्र”: ₹ 1.38 करोड़ तथा आश्रमों का रख - रखाव: ₹ 0.30 करोड़) का व्यय किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन आश्रमों द्वारा किए गए ₹ 7.45 करोड़ के कुल व्यय में से 2011-16 अवधि के दौरान स्टॉफ के वेतन और भत्तों पर ₹ 6.50 करोड़ (87 प्रतिशत) का व्यय किया गया था तथा ₹ 0.95 करोड़ (13 प्रतिशत) की राशि इन आश्रमों पर व्यय की गई थी।

3.19.2 आश्रमों में अधिभोग तथा जागरूकता की कमी

स्कीम मार्गनिर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार, सामान्यता एक कमरे में मां तथा दो बच्चों सहित एक परिवार रहना चाहिए। यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं तो उपलब्धता के आधार दूसरा अतिरिक्त कमरा दिया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2011-16 के दौरान तीन आश्रमों में कमरों का अधिभोग करनाल में 60 से 67 प्रतिशत, रोहतक में 34 से 41 प्रतिशत तथा फरीदाबाद में 28 से 49 प्रतिशत की मध्य शृंखलित रहा तथा 2011-16 के दौरान कस्तूरबा सेवा सदन में प्रवेश के लिए एक भी प्रार्थना - पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

आगे, यह अवलोकित किया गया था कि आश्रमों के कुछ ब्लॉक पूरी तरह से था आशिक रूप से खाली पड़े थे (मार्च 2016)। परिणामतः उनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी जैसा कि नीचे अधिसूचित है:

- महिला आश्रम, करनाल में 1999 से ब्लॉक 'सी' में 31 कमरे खाली पड़े थे;
- महिला आश्रम, फरीदाबाद में 31 मार्च 2016 को बैरक बी, ई, एफ तथा एच में 48 कमरों की क्षमता के विरुद्ध केवल 5 निवासी रह रहे थे; तथा
- कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद में, 39 कमरों की क्षमता के विरुद्ध 12 कमरों में केवल 11 परिवार रह रहे थे। 27 खाली कमरों में से, निदेशक डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा अन्य विभाग के कार्यालयों/स्टोर के रूप में 9 कमरे अधिकृत थे, जो न केवल अनियमित था बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी असुरक्षित था।

विभाग ने जिले में जरूरतमंद विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पहचानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। मार्च 2016 को, सभी तीन होमज में अधिवासियों की कुल संख्या 97 थी तथा वे सभी राज्य के 21 जिलों में से केवल 10 से संबंधित थे जिनमें छः जिलों में अधिभोग एक तथा छः प्रति जिला शृंखलित था तथा शेष 11 जिलों में से कोई अधिवासी नहीं थे। यह स्कीम के विस्तृत प्रचार की कमी को दर्शाता है।

निदेशक - सह - विशेष सचिव ने बताया (जुलाई 2016) कि कम अधिभोग के कारण कमरे खाली पड़े थे। प्रचार तथा जागरूकता के संबंध में स्कीम विभागीय सार्विट पर अपलोड कर दी गई थी। सर्वेक्षण न किए जाने के संबंध में यह बताया गया था कि अधिभोग बढ़ाने के लिए निराश्रित विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं के संबंध में जानकारी आंगनवाणी कार्यकर्त्ताओं द्वारा इकट्ठा कर ली जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्कीम गरीब, बेसहारा, अनपढ़ तथा निराश्रित महिलाओं के कल्याण से अभियन्त्रित थी तथा केवल विभागीय वेबसाइट पर सरकारी अधिसूचना डालने का कोई औचित्य नहीं बनता। जागरूकता बढ़ाने के लिए और अधिक नवीन योजनाएं तथा तरीके विकसित करने अपेक्षित थे ताकि राज्य में ऐसी सहायता के लिए अपेक्षित लोगों को मैसेज भेजा जा सके।

3.19.3 मूलभूत संरचना की पर्याप्तता

करनाल, रोहतक तथा फरीदाबाद में 227⁶¹ कमरों (मार्च 2016) वाले तीन आश्रम थे। जरूरत के हिसाब से न तो कोई मूल्यांकन किया गया था और न ही राज्य के अन्य 18 जिलों में अभी तक कोई आश्रम बनाया गया था। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में जून 2016 से प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी।

3.19.3.1 मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य

सभी तीन आश्रमों के भवन का रख-रखाव कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा डिपोजिट निर्माण कार्य के तौर पर किया गया था। मामूली मरम्मत के लिए ₹ 44.01 लाख⁶² की जमा राशि के विरुद्ध विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा 2011-16 के दौरान ₹ 30.42 लाख⁶³ खर्च किए थे।



एम.ए. करनाल में टायलेट्स के दरवाजों की स्थिति
फोटो की तिथि 19.01.2016 (11:43 ए.एम.)



के.एस.एस. फरीदाबाद में टी.वी. रुम सहित
अधीक्षक के आवास की स्थिति
फोटो की तिथि 09.03.2016 (3:05 पी.एम.)

⁶¹

करनाल: 72, रोहतक: 116 तथा फरीदाबाद: 39

⁶²

करनाल: ₹ 17.51 लाख, रोहतक: ₹ 13.72 लाख तथा फरीदाबाद: ₹ 12.78 लाख।

⁶³

करनाल: ₹ 13.79 लाख, रोहतक: ₹ 5.23 लाख तथा फरीदाबाद: ₹ 11.40 लाख।

लेरवापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि महिला आश्रम, रोहतक में 2014-16 के दौरान ₹ 9.22 लाख के डिपोजिट कार्य के विरुद्ध निर्माण कार्यों पर केवल ₹ 0.73 लाख का व्यय किया गया था तथा ₹ 8.49 लाख की शेष राशि अभी तक व्यय नहीं की गई थी जिसका परिणाम भवनों की और खराब स्थिति में हुआ। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में 2011-16 के दौरान कस्तूरबा सेवा सदन की मरम्मत पर ₹ 11.40 के व्यय किया गया था। इसमें से, ₹ 6.99 लाख की एक राशि अधीक्षक के पुराने आवास को गिराने के लिए 2013-14 के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को प्रदान की गई थी जो नहीं किया गया था। यह विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं जिनके बच्चे इन भवनों में खेलते थे, उनके लिए खतरा बन सकते हैं।

सरकार ने बताया कि (जुलाई 2016) कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा आश्रमों के अधीक्षक द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित है।

3.19.4 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(i) विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को प्रशिक्षण

स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण द्वारा आत्मविश्वास को बढ़ाने के विचार से युवा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था ताकि वे समाज में एक उपयोगी तथा अर्थपूर्ण जीवन जी सके। इस उद्देश्य के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिवासियों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए लघु अवधि तथा दीर्घावधि कोर्स तथा रिफ्रेशर कोर्स तैयार किए जाने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। अवधि 2011-16 के दौरान महिला आश्रम, रोहतक द्वारा 43 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं में से केवल नौ को तथा कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद द्वारा 11 में से पांच को सिलाई तथा काढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया था। इन 14 महिलाओं⁶⁴ में से, तीन ने आश्रम को छोड़ दिया था तथा शेष 11 प्रशिक्षित महिलाएं प्रशिक्षण के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकी तथा अभी भी आश्रमों में रह रही थी। फरवरी 2007 से महिला आश्रम करनाल का ट्रेनिंग सेंटर बंद पड़ा था तथा महिला आश्रम, रोहतक का बनुआई कार्य का प्रशिक्षण केन्द्र भी प्रशिक्षण अध्यापक की रिटायरमेंट के कारण दिसंबर 2013 से बंद पड़ा था। प्रशिक्षण अध्यापक को नियुक्त करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किए गए थे। इस प्रकार, स्कीम का मुख्य उद्देश्य विफल रहा क्योंकि अधिवासियों को दिया गया प्रशिक्षण फलदायी नहीं था।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि आश्रमों के सभी अधीक्षकों को निवासियों के उपलब्ध कौशल के अनुसार नया प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला आश्रम, करनाल में निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि वहां पर कोई तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं है। निदेशक, तकनीकी शिक्षा को निवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है।

⁶⁴

रोहतक: 9 तथा फरीदाबाद: 5

(ii) महिलाओं को शिक्षा

स्कीम, युवा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए शिक्षा का प्रावधान करती है।

यह अवलोकित किया गया था कि महिला आश्रम करनाल, रोहतक तथा कस्तूरबा सेवा सदन में 97 अधिवासियों (32 प्रतिशत) में से 31 अधिवासी⁶⁵ अनपढ़ थे। स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार, इन अधिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी थी। लेकिन विभाग ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई शुरूआत नहीं की।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि अधिकतर निवासी अनपढ़ थे तथा पत्राचार अध्ययन द्वारा शिक्षा लेने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तथा पड़ोसी घरों में नौकरानी के तौर पर कार्य करने को वरीयता दी जबकि कुछ निवासी पैसा कमाने के लिए सिलाई या कैनिंग में शामिल थे। आश्रमों के डी.पी.ओ. तथा अधीक्षक को निवासियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए जाएंगे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सूचित करने बारे कोई साक्ष्य नहीं था कि विभाग द्वारा उनको शिक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए थे। यद्यपि, 18 अधिवासी 15 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे थे, विभाग द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए किसी ठोस प्रयास की कमी के कारण वे भी पढ़े-लिखे नहीं थे।

3.19.5 अनुवर्ती कार्रवाई तथा मॉनीटरिंग

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम अधिनियम, 1960 के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित है, नियम/अधिनियम नहीं बनाए गए थे तथा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित नहीं किया गया है। 73 अधिवासियों⁶⁶ ने 2011-16 के दौरान आश्रमों को छोड़ दिया था जिनमें से 47 निवासियों⁶⁷ ने बिना सही कारण बताए केन्द्र को छोड़ दिया था। ऐसे निवासियों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए वे आत्मनिर्भर हो गए थे या नहीं, कोई डाटा बेनेटेन नहीं किया गया था। वर्ष 2012 तथा 2015 के लिए महिला आश्रम, करनाल के निवासियों के लिए कोई वार्षिक संवीक्षा भी नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि नियमों का सूत्रीकरण विचाराधीन था तथा निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके रहने के दौरान कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.19.6 निष्कर्ष

विभाग स्कीम के कार्यान्वयन में विफल रहा जैसा कि भवनों की मरम्मत न होना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा में कमी से स्पष्ट है। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही अनुवर्ती कार्रवाई की कमी थी।

⁶⁵ करनाल: 10, रोहतक: 16 तथा फरीदाबाद: 5

⁶⁶ करनाल - 35, रोहतक - 25 तथा फरीदाबाद - 13

⁶⁷ करनाल - 27, रोहतक - 7 तथा फरीदाबाद - 13

3.20 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम

जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्रृप - आउट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुनः नामांकन के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक एक्ट के कार्यान्वयन को मजबूत किए जाने की जरूरत थी।

हरियाणा में पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) प्रारंभ की गई थी। स्कीम का उद्देश्य एकत्रफा लिंग चयनात्मक निष्कासन के उन्मूलन तथा लड़कियों के उत्तरजीवन, सुरक्षा, शिक्षा तथा सहभागिता को सुनिश्चित करना था। स्कीम को जन अभियान, केंद्रित हस्तक्षेप तथा बहुआयामी कार्रवाई द्वारा भारत के 100 चयनित लिंग क्रिटीकल जिलों में कार्यान्वित किया जाना था जिनमें से हरियाणा से 12⁶⁸ जिले थे। फरवरी 2016 में स्कीम के अंतर्गत राज्य के आठ⁶⁹ और जिले भी शामिल किए गए थे।

बी.बी.बी.पी., राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम है। वित्तीय सहायता दो किस्तों में निर्मुक्त की जानी थी। आरंभ में, राज्य सरकारों के प्रस्तावों के अनुसार बजट आर्बाटित किया जाना था तथा आगे की निर्मुक्ति व्यय तथा उपभोग प्रमाण - पत्र के विवरणी प्राप्त करने के बाद अर्ध वार्षिक की जानी थी। ₹ 14.28 करोड़ के बजट प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 8.08 करोड़ भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा निर्मुक्त किए गए थे तथा जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक ₹ 5.31 करोड़ का व्यय किया गया था।

स्कीम के कार्यान्वयन तथा प्रभाव के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जनवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि को आवृत्त करते हुए निदेशक, महिला तथा बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) तथा 20⁷⁰ जिलों में से तीन जिलों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना - जांच की गई थी। दो जिले (महेन्द्रगढ़ तथा पानीपत) जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम तथा उच्चतम चाइल्ड सैक्स रेशो (सी.एस.आर.) के आधार पर तथा तीसरा जिला (सोनीपत) किए गए अधिकतम व्यय (जनवरी 2015 से दिसंबर 2015) के आधार पर चयनित किए गए थे।

3.20.1 निधियों का विपथन

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिला प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक (पी.सी., पी.एन.डी.टी.) सैल, मॉनीटरिंग, रिसर्च स्टडीज, सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को ₹ पांच लाख प्रदान किए जाने थे।

⁶⁸

1. महेन्द्रगढ़, 2. झज्जर, 3. रेवड़ी, 4. सोनीपत, 5. अंबाला, 6. कुरुक्षेत्र, 7. रोहतक, 8. करनाल, 9. यमुनानगर, 10. कैथल, 11. भिवानी तथा 12. पानीपत।

⁶⁹

1. गुरुग्राम, 2. जींद, 3. फरीदाबाद, 4. हिसार, 5. फतेहाबाद, 6. सिरसा 7. पंचकुला तथा 8. पलवल।

⁷⁰

12 में से जिले चयनित थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, डब्ल्यूसीडी. पानीपत द्वारा सिविल सर्जन, पानीपत को ₹ ८०८ लाख की निधियां निर्मुक्त कर दिए गए थे (जनवरी 2015) जिसमें से ₹ ३.०१ लाख स्कीम की शुरूआत के अवसर पर पानीपत के प्रवेश द्वारा पर 'थीम गेट' की तैयारी में व्यतीत कर दिए गए थे। इस प्रकार, 'थीम गेट' पर किया गया व्यय अनियमित तथा निधियों के विपर्यय के बराबर था। आगे, यह अवलोकित किया गया था कि १,८०० लैपटॉप बैग तथा २,९०० मग की खरीद के लिए स्कीम की निधियों से डब्ल्यूसीडी. विभाग द्वारा ₹ २१.२४ लाख का व्यय किया गया था (जनवरी 2015)। इन मदों की खरीद के लिए स्कीम में कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि लैपटॉप बैग तथा मगों की खरीद स्कीम के व्यापक प्रचार के लिए की गई थी, सारी सामग्री 'बी.बी.बी.पी.' लोगों के साथ प्रिंट थी तथा यह पूरे भारत से आए प्रतिभागियों⁷¹ को बांटी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लैपटॉप बैग/मगों की खरीद तथा वितरण स्कीम के प्रावधानों के विरुद्ध था क्योंकि व्यय को नवीकरण तथा जागरूकता गतिविधियों पर व्यय किया जाना था।

3.20.2 स्कीम का कार्यान्वयन

- (i) लिंग आधारित सैक्स सलैक्टिव एलिमीनेशन को रोकना
- (ए) प्री-कॉन्सेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैक्नीक एक्ट को लागू करना

स्कीम मार्गनिर्देशों, में राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरों पर प्री-कॉन्सेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैक्नीक एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- मार्गनिर्देशों के अनुसार, सितंबर 2014 तक एनोनिमस आनलाईन शिकायत पोर्टल क्रियाशील किया जाना था लेकिन यह किसी भी नमूना-जांच किए गए जैंडर क्रिटीकल जिलों में स्थापित नहीं किया गया है। इन जिलों में २०१४-१६ के दौरान प्री-कॉन्सेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैक्नीक एक्ट के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड मशीन तथा अवैध गतिविधियां करने वाले अपंजीकृत डाक्टरों के संबंध में केवल सात शिकायतें प्राप्त हुई थी। एनोनिमस ऑनलाईन शिकायत पोर्टल की सुविधा का प्रावधान न होने के कारण विभाग की मॉनीटरिंग क्षमता को कमज़ोर कर दिया।

⁷¹

हरियाणा के मुख्यमंत्री/मंत्री/प्रशासनिक सचिव/विभागीय अध्यक्ष/विभिन्न राज्यों के प्रोफेसर तथा मीडिया व्यक्ति।

- स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिला प्री-कॉनसेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैक्नीक सैलज तकनीकी मैनपावर तथा उपकरण के साथ मजबूत किए जाने थे। नमूना - जांच किए गए तीन जिलों में प्री-कॉनसेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैक्नीक सैलज को मजबूज करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।
- यद्यपि, डायगनोस्टिक केन्द्रों के निरीक्षण / जांच करने के संबंध में मार्गनिर्देशों में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, उपयुक्त मॉनीटरिंग के लिए मासिक / तिमाही जांच के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। तथापि, विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान, नमूना - जांच किए गए तीन जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 754 निरीक्षण किए गए थे। प्राप्त शिकायतों एवं विभागों द्वारा शिकायतों की जांच के आधार पर 40 डायगनोस्टिक केन्द्रों का पंजीकरण रद्द / निलंबित कर दिया गया था तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 केन्द्र पकड़े तथा सील कर दिए गए। 14 मामलों में एफ.आई.आरज दायर की गई है तथा जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान विभाग द्वारा नौ कोर्ट केस दायर किए गए हैं।
- मार्गनिर्देश विचार करते हैं कि राज्य निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा पहचाने गए सभी जिलों में प्रत्येक तीन महीनों में समीक्षा बैठकें, फील्ड निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग की जाएगी। यह अवलोकित किया गया कि राज्य में जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान केवल एक बैठक की गई थी तथा पांच बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध नमूना - जांच किए गए जिलों में कोई बैठक नहीं की गई थी जो यह दर्शाता है कि विभाग ने स्कीम की सही ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा ने बताया (सितंबर 2016) कि पी.सी. तथा पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण से संबंधित भा.स. से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए थे तथा इसके अलावा पी.सी. तथा पी.एन.डी.टी. के एप्रीहेंडिंग उल्लंघनकर्त्ताओं के लक्ष्यों को निर्धारित करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है।

(ii) लड़कियों की शिक्षा

(ए) स्कूलों को अवार्ड का वितरण न करना

मार्गनिर्देशों के अनुसार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित जिले के शिक्षा विभाग द्वारा प्रति स्कूल ₹ १५ लाख के अवार्ड दिए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध तीन चयनित जिलों में, विभाग ने 2015 - 16 के दौरान ₹ पांच लाख⁷² के अवार्ड वितरित किए।

⁷²

महेन्द्रगढ़: शून्य; पानीपत: ₹ 2.50 लाख तथा सोनीपत: ₹ 2.50 लाख।

निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. हरियाणा ने बताया (जुलाई 2016) कि वर्ष 2015–16 के दौरान प्रति जिला ₹ 2 पांच लाख के मानक के विरुद्ध केवल ₹ 2.50 लाख प्रति जिला ही भारत सरकार ने निर्मुक्त किए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए प्रति जिला (जनवरी 2015 में ₹ 2.50 लाख तथा नवंबर 2015 में ₹ 2.50 लाख) ₹ 2 पांच लाख निर्मुक्त किए, लेकिन राज्य सरकार ने पानीपत के वर्कशाप-कम-सेमीनार जैसी स्कीम के अन्य घटकों पर मुख्यालय स्तर पर व्यतीत किए तथा प्रत्येक जिले में केवल ₹ 2.50 लाख निर्मुक्त किए। इस प्रकार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन करने का स्कीम का उद्देश्य कमज़ोर हो गया था।

(बी) माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन

मार्गनिर्देशों में प्रावधान किया है कि माध्यमिक शिक्षा (9वीं से 12वीं कक्षा) में लड़कियों का नामांकन 2013–14 में 76 प्रतिशत से 2017 तक 79 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए था। नमूना-जांच किए गए तीन जिलों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता की स्थिति नीचे तालिका 3.4 के अनुसार थी।

तालिका 3.4: माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की स्थिति

जिला	2014–15 (सत्र)			2015–16 (सत्र)		
	लड़कियों (आयु वर्ग 14–17 वर्ष) की कुल जनसंख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की संख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता	लड़कियों (आयु वर्ग 14–17 वर्ष) की कुल जनसंख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की संख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता
पानीपत	45,574	29,363	64.42	46,720	30,079	64.38
महेन्द्रगढ़	35,476	27,616	77.84	34,902	26,076	74.71
सोनीपत	52,178	40,510	77.63	52,620	40,393	76.76

(स्रोत: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा संबंधित डी.ई.ओ.ज द्वारा आपूरित जानकारी)

आंकड़े दर्शाते हैं कि चयनित जिलों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता 2014–15 की तुलना में 2015–16 में कम हो गई। विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि विभिन्न सरकारी स्कूलों की मेधावी लड़कियों के लिए जनवरी 2016 के दौरान चेरथाला कोस्ट पर केरल में एक स्टडी कैंप आयोजित किया था, लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए मेवात तथा मोरनी के दुष्कर क्षेत्र में 36 मिडल/हाई स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड कर दिए गए हैं तथा छात्राओं के जन्मदिन समारोह तथा उनके प्रोत्साहन तथा उनके चहुमुखी विकास के लिए सांस्कृतिक स्टडी टूर तथा मेधावी छात्राओं के लिए पर्यटन यात्राएं आयोजित की गई थी।

(सी) माध्यमिक स्कूलों में ड्राप-आउट छात्राओं का पुनः नामांकन

निदेशक तथा विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा ने माध्यमिक शिक्षा तक छात्राओं की जीरो ड्राप-आउट तथा 100 प्रतिशत रिटेंशन को सुनिश्चित करने के लिए सभी डी.ई.ओज को निदेश दिए (जुलाई 2015)। इस उद्देश्य के लिए माध्यमिक स्कूलों में ड्राप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन के लिए अभियान आयोजित किए जाने थे। लेरवापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि तीन चयनित जिलों में छात्राओं के जीरो ड्राप-आउट तथा 100 प्रतिशत रिटेंशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिलों में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की ड्राप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन की स्थिति नीचे तालिका 3.5 के अनुसार थी।

तालिका 3.5: 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की ड्राप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन की स्थिति

	2014 - 15							
	10 ^{वीं} कक्षा				12 ^{वीं} कक्षा			
जिला	ड्राप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्राप-आउट की प्रतिशतता	ड्राप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्राप-आउट की प्रतिशतता
पानीपत	1,075	515	560	52	318	49	269	85
सोनीपत	1,461	598	863	59	804	283	521	65
महेन्द्रगढ़	1,252	1,150	102	8	1,137	925	212	19

	2015 - 16							
	10 ^{वीं} कक्षा				12 ^{वीं} कक्षा			
जिला	ड्राप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्राप-आउट की प्रतिशतता	ड्राप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित ड्राप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्राप-आउट की प्रतिशतता
पानीपत	1,212	977	235	19	392	309	83	21
सोनीपत	380	163	217	57	232	50	182	78
महेन्द्रगढ़	759	205	554	73	369	82	287	78

(स्रोत: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा संबंधित डी.ई.ओज द्वारा आपूरित सूचना)

उपर्युक्त डाटा का विश्लेषण दिखाता है कि दोनों कक्षाओं में पानीपत जिले में 2015-16 के दौरान ड्राप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन की स्थिति सुधरी तथा सोनीपत में केवल 10वीं कक्षा की स्थिति सुधरी जबकि वर्ष 2014-15 की तुलना में महेन्द्रगढ़ में दोनों कक्षाओं की तथा सोनीपत जिले में 12वीं कक्षा में यह बिगड़ गई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट तथा गाइड वोलीन्टियरज की सहायता से स्कीम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों विशेषकर लड़कियों के लिए विशेष नामांकन प्रचार की शुरूआत की गई है। स्कूली बच्चों विशेषकर लड़कियों जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, को पहचानने तथा स्कूल की सहायता से शिक्षक की गाइडेंस के अंतर्गत स्कूलों में उनके नामांकन करवाने के लिए विभिन्न स्कूलों में 'युवा प्रेरक समूह' बनाए गए हैं।

(डी) स्कीम के बहुआयामी कार्यान्वयन की माँगीटरिंग

लड़कियों की स्थिति सुधारने, राज्य में घटते लिंग अनुपात के जनसारिव्यीकी विपथन को सही करने तथा लड़कियों की सामाजिक तथा स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार सात मुख्य स्कीमों⁷³ का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम के बहुआयामी कार्यान्वयन के समन्वय के लिए, राज्य टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) तथा जिला टास्क फोर्स (डी.टी.एफ.) गठित की गई थी (फरवरी 2015) इस उद्देश्य के लिए एस.टी.एफ. तथा डी.टी.एफ. द्वारा तिमाही बैठकें की जानी थी।

यह अवलोकित किया गया कि बैठकों के आयोजन में कभी थी तथा प्रत्येक डी.टी.एफ. तथा एस.टी.एफ. द्वारा पांच बैठकें करवाने की आवश्यकता के विरुद्ध जनवरी 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य पानीपत, महेन्द्रगढ़ तथा सोनीपत जिलों में डी.टी.एफ. की क्रमशः तीन, एक तथा तीन बैठकें तथा एस.टी.एफ. की केवल एक बैठक की गई थी।

(ई) गतिविधियों का प्रलेखन

मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि जवाबदेही को सुनिश्चित करने तथा सर्विस सुधारने के लिए स्कीम तथा अभियान से संबंधित जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर की गई सभी गतिविधियों का प्रलेखन करना महत्वपूर्ण थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2014 - 15 तथा 2015 - 16 के दौरान तीन महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों⁷⁴ द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियों⁷⁵ की गई थी लेकिन ये प्रलेखित नहीं किए गए थे। सभी प्रलेखन की अनुपस्थिति में, स्कीम की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

⁷³

(i) 22 जनवरी 2015 से प्रभावी लाइली स्कीम “आपकी बेटी हमारी बेटी” में मिला दी गई (ii) किशोरी शक्ति योजना (iii) सबला (iv) किशोर लड़की अवार्ड (v) इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन स्कीम (vi) लाइली सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा (vii) लड़कियों के लिए योगा कक्षाएं तथा सैल्फ डिफेंस ट्रेनिंग।

⁷⁴

पानीपत (ग्रामीण), महेन्द्रगढ़ (ग्रामीण) तथा सोनीपत (ग्रामीण - I)।

⁷⁵

नुककड़ नाटक, प्रभात फेरी रेली, बेटी जन्मोत्सव का मनाना, कुआं पूजन इत्यादि।

3.20.3 प्रभाव

3.20.3.1 लिंग अनुपात के लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

मार्गनिर्देशों में जैंडर क्रिटीकल जिलों में जन्म के समय पर लिंग अनुपात (एस.आर.बी.) में वर्ष में 10 बिंदुओं तक सुधार के लिए प्रावधान किया गया है। महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा ने स्रोत के रूप में सिविल पंजीकरण प्रणाली की पहचान की (मई 2015) तथा जन्म के समय पर शिशु लिंग अनुपात/लिंग अनुपात मापने के लिए इसे बेसलाइन डाटा के रूप में दिसंबर 2014 में अनुमोदन दिया। तीन चयनित जिलों के संबंध में जन्म के समय पर लिंग अनुपात के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की स्थिति नीचे तालिका 3.6 के अनुसार थी।

तालिका 3.6: जन्म पर लिंग अनुपात के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	जिले का नाम	बेसलाइन डाटा (दिसंबर 2014)	लक्ष्य मार्गनिर्देशों के अनुसार वर्ष में 10 बिंदुओं को मिलाकर (दिसंबर 2015)	उपलब्धियां	
				दिसंबर 2015	मार्च 2016
1.	पानीपत	892	902	892	881
2.	महेन्द्रगढ़	745	755	810	787
3.	सोनीपत	847	857	865	923

(स्रोत: मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म तथा मृत्यु, हरियाणा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित सूचना)

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, पानीपत जिले में लिंग अनुपात दिसंबर 2015 में 902 के लक्ष्य के विरुद्ध 892 था जो आगे मार्च 2016 में घटकर 881 तक रह गया। महेन्द्रगढ़ जिले में 755 के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2015 में उपलब्धि 810 थी तथा मार्च 2016 में यह घटकर 787 तक रह गई। तथापि, सोनीपत जिले में लिंग अनुपात बढ़ गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.बी.बी.पी. स्कीम केवल जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई थी तथा राज्य में लिंग अनुपात में सुधार का श्रेय केवल स्कीम को ही नहीं दिया जा सकता। लड़कियों से संबंधित अन्य कई स्कीमों, जो विगत कई वर्षों से राज्य में कार्यान्वित की जा रही थीं, के प्रभाव के कारण राज्य के लिए गत चार वर्षों से लिंग अनुपात 2011 में 833 से 2015 में 876 तक लगातार बढ़ रहा है।

3.20.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कीम के प्रभाव या कुशलता का निर्धारण करना अभी बहुत जल्दी था। नई शुरू की गई स्कीम के विभिन्न तत्वों के लिए उन्नत तथा अधिक संगठित कार्यान्वयन के लिए स्कोप था जैसा कि पानीपत तथा महेन्द्रगढ़ में जन्म के समय पर लिंग अनुपात में सुधार करना, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा नमूना-जांच किए गए

तीन जिलों अर्थात् पानीपत, महेन्द्रगढ़ तथा सोनीपत में ड्राप - आऊट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुनः नामांकन के लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किए गए हैं। आगे, प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक्स एकट के अंतर्गत विचारित एक तरफा लिंग चयन को रोकने के लिए अपेक्षित मूलभूत संरचना अभी पूरी तरह से स्थापित की जानी है।

महुआ पाल

(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़
दिनांक: ०७ फरवरी २०१७

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: ०९ फरवरी २०१७

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं की प्रकृति के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1.	सरकारी अनुदानों की अधिक/कम प्राप्ति, अनुदानों का अनुपयोग/कम उपयोग तथा प्रबंधन हिस्से का अधिक/कम निष्क्रेप	83	135.50
2.	अधिक व्यय, अधिक भुगतान, अनियमित/व्यर्थ/परिहार्य/निष्फल/अनुचित व्यय	81	184.98
3.	ब्याज/सेवा प्रभारों की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य वसूलियाँ	79	32.59
4.	सरकारी निधियों का अवरोधन/विपथन, अनियमित क्रय, अधिक बजट तकनीकी संस्वीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न करना तथा सरकारी धन/ऋणों का दुरुपयोग/अनुपयोग	77	95.31
5.	उपयोगिता दस्तावेजों की अप्राप्ति/अप्रस्तुतिकरण, संदिग्ध गबन तथा अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	55	294.34
6.	वेतन/टी.ए./अन्य शीर्षों पर अनियमित/अधिक भुगतान	38	8.52
7.	स्टॉक तथा भण्डार से संबंधित अनुच्छेद	31	0.53
8.	अन्य विविध अनियमितताएं	189	431.76
	कुल	633	1,183.53

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में अनुरक्षित डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

**31 अक्टूबर 2016 को वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए लोक लेखा समिति में
चर्चा किए जाने वाले बकाया अनुच्छेदों की सूची**

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2013-14	1	3.1
2.	शिक्षा	2012-13	1	2.3
		2013-14	3	2.1, 3.3, 3.4 एवं (3.8)
		2014-15	2	2.2 (प्राथमिक), 3.3
3.	उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा	2014-15	3	2.3, 3.10, 3.26
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2012-13	1	3.5
		2014-15	2	3.5, 3.6
5.	गृह (पुलिस)	2014-15	3	3.11, 3.12, 3.13
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2013-14	2	2.2, 3.10
		2014-15	1	3.9
7.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2012-13	1	3.6
8.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	2014-15	1	3.19
9.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	2014-15	1	3.1
10.	सिंचाई	2012-13	2	3.10, 3.11
		2014-15	3	3.16, 3.17, 3.18 (संयुक्त)
11.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2012-13	2	3.13, 3.14
		2014-15	1	3.22
12.	लोक निर्माण विभाग (जन-स्वास्थ्य)	2012-13	2	2.1, 3.12
		2014-15	3	2.1, 3.20, 3.21
13.	राजस्व	2012-13	1	3.15
		2013-14	1	3.18
14.	ग्रामीण विकास	2012-13	1	2.4
		2014-15	2	3.23, 3.24
15.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
		2013-14	2	2.3, 3.20
16.	आवास विभाग (आवास बोर्ड हरियाणा)	2012-13	1	3.8
17.	परिवहन	2012-13	1	3.18
18.	न्याय प्रशासन	2012-13	1	3.7
19.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	2014-15	1	3.2
20.	पंचायत विभाग	2012-13	1	3.4
		2013-14	1	3.2
21.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2, 3.19, 3.20
22.	सहकारिता विभाग	2012-13	1	2.5
23.	नागर विमानन विभाग	2012-13	1	3.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
24.	सिविल सचिवालय	2012-13	2	3.2, 3.3
25.	लोक संपर्क विभाग	2012-13	1	3.9
26.	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	2012-13	1	3.21
27.	पर्यावरण (एच.एस.पी.सी.बी.)	2013-14	2	3.5, 3.6
		2014-15	1	3.4
28.	वित्त	2013-14	1	3.7
29.	बागवानी	2013-14	1	3.12
		2014-15	1	3.14
30.	खेल एवं युवा मामले	2013-14	1	3.19
		2014-15	1	3.25
31.	महिला एवं बाल विकास	2013-14	1	3.23
		2014-15	1	3.27
32.	वन विभाग	2014-15	2	3.7, 3.8
33.	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2014-15	1	3.15
कुल अनुच्छेद			72	

(स्रोत: लोक लेखा समिति द्वारा अनुरक्षित डाटा से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों, जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) 31 अक्टूबर 2016 को प्रतीक्षित थी, के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2013-14	1	3.1
2.	गृह (पुलिस तथा जेल)	2012-13	1	3.7 (गृह तथा न्याय प्रशासन)
		2014-15	3	3.11, 3.12, 3.13
3.	सिंचाई	2012-13	2	3.10, 3.11
		2014-15	2	3.16, 3.17
4.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	2012-13	1	3.13
		2014-15	1	3.22
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), लो.नि. (भ.व स.), लो.नि. (पी.ए.च.), सिंचाई के संयुक्त अनुच्छेद	2012-13	1	3.14
		2014-15	1	3.18
5.	राजस्व	2012-13	1	3.15
6.	परिवहन	2012-13	1	3.18
7.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2012-13	2	3.16, 3.17
8.	ग्रामीण विकास	2012-13	1	2.4 समीक्षा
		2014-15	2	3.23, 3.24
9.	जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग	2014-15	3	2.1 समीक्षा, 3.20, 3.21
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014-15	1	3.9 (रेड क्रास)
11.	पर्यावरण (एच.एस.पी.सी.बी.)	2013-14	2	3.5, 3.6
		2014-15	1	3.4
12.	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	2012-13	1	3.21
13.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	2012-13	3	2.2 समीक्षा, 3.19, 3.20
14.	शिक्षा	2014-15	3	2.2 समीक्षा, 2.3 समीक्षा, 3.3
15.	उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा	2014-15	2	3.26, 3.10
16.	सहकारिता	2012-13	1	2.5 समीक्षा
17.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	1	3.6
		2014-15	1	3.19
18.	आवास बोर्ड हरियाणा	2012-13	1	3.8
19.	वित्त	2013-14	1	3.7
20.	बागवानी	2013-14	1	3.12

क्र.सं.	विभाग का नाम	सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
		2014-15	1	3.14
21.	खेल एवं युवा मामले	2014-15	1	3.25
22.	महिला एवं बाल विकास	2014-15	1	3.27
23.	पशुपालन एवं डेयरी	2014-15	1	3.1
24.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	2014-15	1	3.2
25.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	2014-15	2	3.5, 3.6
26.	वन विभाग	2014-15	2	3.7, 3.8
27.	ओद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2014-15	1	3.15
28.	सिविल सचिवालय	2012-13	2	3.2, 3.3
29.	विकास एवं पंचायत	2012-13	1	3.4
कुल			55	

(योतः लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों से ली गई सूचना)

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)

अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र.सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	06.3	40.45
		2013-14	3.1	4,131.00
2.	पशु पालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
		2013-14	3.7	2,021.00
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
		2014-15	3.6.2	2,446.00
		2014-15	3.6.3	240.00
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2011-12	2.4.10.2	2.60
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुड़ा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.7	44.41
			2.3.10.11	37,386.00
			3.20	84.64
7.	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1.2.13.1	8.25
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेडकॉर्स सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
			3.3.5.2	71.00
9.	पी.डब्ल्यू.डी. (सिंचाई)	2010-11	3.1.2	62.25
10.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1. 9.4	79.95
11.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.1	17,040.00
			2.2.8.6	10,182.00
			3.20	554.00
12.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
13.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2012-13	3.6	125.00
14.	शिक्षा	2014-15	3.3	251.00
15.	गृह	2014-15	3.11 (बी), vi (ए)	124.00
16.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	2014-15	3.19	116.00

अर्थात् ₹ 1,161.92 करोड़

(ग्रोत: लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.5**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 5)**

31 अगस्त 2016 को लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण, जिन पर सरकार द्वारा अभी आतिम निर्णय लिया जाना है

क्र.सं.	लो.लेस. रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31 अगस्त 2016 को कुल बकाया सिफारिशें
1	9वीं	1971-72	1
2	14वीं	1973-74	1
3	16वीं	1975-76	1
4	18वीं	1976-77	1
5	21वीं	1978-79	1
6	22वीं	1979-80	2
7	23वीं	1979-80	1
8	25वीं	1980-81	3
9	26वीं	1981-82	2
10	28वीं	1982-83	1
11	29वीं	1983-84	2
12	32वीं	1984-85	5
13	34वीं	1985-86	5
14	36वीं	1986-87	7
15	38वीं	1987-88	6
16	40वीं	1988-89	8
17	42वीं	1989-90, 90-91, 91-92	4
18	44वीं	1990-91, 91-92, 92-93	8
19	46वीं	1993-94	7
20	48वीं	1993-94, 1994-95	3
21	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	33
22	52वीं	1996-97	15
23	54वीं	1997-98	10
24	56वीं	1998-99	14
25	58वीं	1999-2000	38
26	60वीं	2000-01	35
27	61वीं	2001-02	12
28	62वीं	2002-03	20
29	63वीं	2005-06	25
30	64वीं	2003-04	09
31	65वीं	2004-05	21
32	67वीं	2007-08	37
33	68वीं	2006-07	56
34	70वीं	2008-09	28
35	71वीं	2009-10	29
36	72वीं	2010-11	60
		कुल	511

(स्रोत: लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां)

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10; पृष्ठ 6)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.मले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2014-15	2011-12	2011-12	--	--
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2014-15	2014-15	2008-09	-	-
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला	2012-13 से 2016-17	2013-14	2013-14	2012-13	2014-15	एक वर्ष
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2013-14	2013-14	2011-12	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2015-16 से 2019-20	2014-15	2014-15	2013-14	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2014-15	2014-15	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	2013-14	2014-15	एक वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.मले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक)
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुडगांव	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2012-13	2012-13	-	2013-14 से 2014-15	दो वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2014-15	19 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2014-15	चार वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2013-14	2007-08	-	2014-15	एक वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2014-15	2011-12	-	-	-
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	निम्नलेख को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष, जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष, जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष, जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2016 तक)
21.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2014-15	2013-14	-	-	-
22.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	-	2014-15	एक वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2014-15	2013-14	-	-	-
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2014-15	सात वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	-	-	-
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14 से 2014-15	दो वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2013-14	2013-14	2008-09	2014-15	एक वर्ष

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.7.2; पृष्ठ 12)
उत्पादन एवं मडियों में मुख्य फसलों के उत्पाद का आगमन

(विवरण लाख ने)

उत्पाद	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	उत्पादन	आगमन								
गेहूं	1,311.19	707.49	1,111.70	872.82	1180	589.87	1,035.40	655.16	1,200.30	688.20
धान	375.70	592.66	394.10	597.29	404.10	610.83	400.60	621.17	414.50	731.70
बाजरा	117.50	11.69	79.10	5.47	82.90	6.54	67.00	6.05	65.20	6.80
दाले	3.40	2.44	2.30	1.50	1.90	1.61	1.50	1.60	1.40	1.40
जौ	14.90	10.79	16.70	14.81	15.10	13.92	10.50	8.67	11.40	8.10
चना	7.30	1.71	5.30	1.97	7.20	2.91	4.20	2.62	4.90	1.90
कपास	261.60	81.11	237.80	109.07	202.70	71.91	194.30	49.59	99.30	23.98
कुल	2,091.59	1,407.89	1,847.00	1,602.93	1,893.90	1,297.59	1,713.50	1,344.86	1,797.00	1,462.08
धान से अन्य	1,715.89	815.23	1,452.90	1,005.64	1,498.80	686.76	1,312.90	723.69	1,382.50	730.38
कुल										
आगमन की प्रतिशतता	67		87		69		78		81	
धान से अन्य आगमन की प्रतिशतता	48		69		46		55		53	
कपास के आगमन की प्रतिशतता	31		46		35		26		24	
धान के आगमन की प्रतिशतता	158		152		151		155		177	

स्रोत: कृषि विभाग तथा बोर्ड से एकत्र की गई सूचना।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.7.4; पृष्ठ 13)

2011-16 के दौरान सावधि जमाओं में सरप्लस निधियों का निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि के विवरण

क्र. सं.	मार्केट कमेटी का नाम	प्रत्येक माह की समाप्ति पर अंत शेष पर 7 प्रतिशत की अधिकतम दर पर संभावित ब्याज	प्रत्येक माह की समाप्ति पर अंत शेष पर 4 प्रतिशत की दर पर वास्तविक ब्याज	अतिरिक्त निधि का निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि (₹ लाख में)
1	बरवाला	57.14	32.65	24.49
2	आदमपुर	151.80	86.74	65.06
3	हिसार	73.06	41.75	31.31
4	नारनौद	51.00	29.14	21.86
5	शाहबाद	77.96	44.55	33.41
6	पीपली	45.24	25.85	19.39
7	बबैन	43.26	24.72	18.54
8	लाडवा	44.05	25.17	18.88
9	थानेसर	110.85	63.34	47.51
10	पेहवा	70.77	40.44	30.33
11	कलायत	33.50	19.14	14.36
12	ढांड	107.05	61.17	45.87
13	फरीदाबाद	117.05	66.88	50.17
14	बल्लभगढ़	96.09	54.91	41.18
15	टोहाना	108.77	62.15	46.62
16	धरसूल	47.68	27.24	20.44
17	भूना	42.26	24.15	18.11
18	जाखल	31.79	18.16	13.63
19	भट्टू कलाँ	42.16	24.09	18.07
20	कलांवाली	48.94	27.96	20.98
कुल				600.21

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित।

परिशिष्ट 2.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.7.5; पृष्ठ 13)
वसूल न किए गए गोदाम किराए के विवरण

क्र. सं.	मार्किट कमेटी	राशि (₹ लाख में)	अवधि	एजेंसी
1	करनाल	11.35	अप्रैल 2009 से नवंबर 2015	खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
2	लाडवा	4.76	अगस्त 2008 से दिसंबर 2015	प्राइवेट एजेंसी
	थानेसर	1.25	अगस्त 2006 से दिसंबर 2015	प्राइवेट एजेंसी
		4.95	अप्रैल 2015 से फरवरी 2016	फैडरेशन ऑफ कंज्यूमर्ज कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्ज लिमिटेड
4	ढांड	15.58	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	प्राइवेट एजेंसी
	पूँडरी	3.23	मई 1997 से मार्च 2014	खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
		4.16	मई 2008 से मार्च 2014	हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटेड
6	बल्लभगढ़	29.51	अप्रैल 2007 से मार्च 2016	खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
7	सिरसा	23.32	अप्रैल 2011 से जून 2015	प्राइवेट एजेंसी
8	रानिया	3.10	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
कुल		101.21		

प्राइवेट एजेंसियां: ₹ 44.91 लाख, सरकारी एजेंसियां: ₹ 56.30 लाख

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अधिलेख।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.7.5; पृष्ठ 14)

2011–16 की अवधि हेतु जल एवं सीकरेज प्रभारों की अवसूली के विवरण

क्र.सं.	मार्केट कमेटी का नाम	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	बरवाला	2.47	वसूल नहीं की गई
2.	लाडवा	1.39	वसूल नहीं की गई
3.	पट्ट	0.08	वसूल नहीं की गई
4.	पीपली	5.58	उद्गृहीत नहीं की गई
5.	बबैन	2.95	उद्गृहीत नहीं की गई
6.	थानेसर	7.85	उद्गृहीत नहीं की गई
7.	इसमाईलाबाद	5.47	उद्गृहीत नहीं की गई
8.	ढांड	4.28	उद्गृहीत नहीं की गई
9.	पूँडरी	5.95	उद्गृहीत नहीं की गई
10.	फतेहाबाद	8.32	उद्गृहीत नहीं की गई
11.	भट्टू कलां	2.92	उद्गृहीत नहीं की गई
12	फरीदाबाद	9.14	उद्गृहीत नहीं की गई
कुल		56.40	

वसूल नहीं की गई: ₹ 3.94 लाख, उद्गृहीत नहीं की गई: ₹ 52.46 लाख

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित।

परिशिष्ट 2.5
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.7.5; पृष्ठ 14)
शॉप/बूथ प्लॉटों की शेष राशि की अवसूली के विवरण

क्र. सं.	मार्किट कमर्टी	आबंटन का वर्ष	प्लॉटों की संख्या	कुल राशि (₹ लाख में)	विचाराधीन राशि	शेष
1	करनाल	2009	31	107.20	0	107.20
2	बरवाला	2000, 2008, 2013	28	1,226.53	706.38	520.15
3	आदमपुर	2008, 2011	2	16.19	0	16.19
4	पीपली	1991, 2001, 2008	14	336.08	211.60	124.48
5	लाडवा	2004	26	568.42	79.11	489.31
6	थानेसर	1999	5	321.38	321.38	0
7	इस्माइलाबाद	1999	5	532.76	0	532.76
8	पेहवा	2008, 2010	16	43.46	0	43.46
9	ढांड	2002, 2004, 2011	38	160.78	87.21	73.57
10	चीका	2009, 2010, 2011	9	89.71	10.82	78.89
11	पूँडी	2001, 2008, 2009, 2013	89	936.67	375.76	560.91
12	फरीदाबाद	1990, 2001, 2008, 2009, 2010	36	2,510.90	1,003.93	1,506.97
13	बल्लभगढ़	1993, 2000, 2004, 2010, 2012,	328	748.84	0	748.84
14	टोहाना	2001, 2011	8	315.66	0	315.66
15	धरसूल	1977, 1979, 1981, 1982, 2001, 2006	83	382.29	208.28	174.01
16	फतेहाबाद	1997, 2005, 2007, 2010, 2011	25	348.07	23.66	324.41
17	झींग	1998, 2008, 2009	3	54.65	0	54.65
18	सिरसा	2006, 2007, 2008, 2009, 2011	40	683.14	59.93	623.21
कुल				9,382.73	3,088.06	6,294.67

स्रोत: मार्केट कमर्टियों के अभिलेख।

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.7.5; पृष्ठ 14)
वृद्धि भूमि क्षतिपूर्ति की अवसूली के विवरण

क्र. सं.	मार्किट कमेटी	भूमि का क्षेत्र	अधिग्रहण का वर्ष	प्रदत्त वृद्धि (₹ लाख में)	भुगतान का माह	12 प्रतिशत की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)
1	करनाल	167.67 एकड़ 4 कनाल 17 मरला	1992/1994	1,980.52	जनवरी 2014 से दिसंबर 2014	297.08
2	आदमपुर	3 एकड़ 1 कनाल 9 मरला	2000	259.96	मई 2009	181.97
3	गन्नौर	64 कनाल 10 मरला	1999	106.93	मार्च 2009	76.98
4	इस्माइलाबाद	269 कनाल 12 मरला	1989	569.57	सितंबर 2012	239.21
5	डब्बाली	30 एकड़ 6 कनाल 10 मरला	2000	20.02	नवंबर 2012	8.00
कुल				2,937.00		803.24

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित।

परिशिष्ट 2.7
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.1; पृष्ठ 15)
मडियों में प्रदान न की गई मूलभूत संरचना सुविधाओं के विवरण

क्र. सं.	मार्किट कमेटी	प्रधान यार्ड / उप-यार्ड	प्रदान नहीं की गई सुविधा
1	रतिया	प्रधान यार्ड	चारदिवारी, धर्मकांटा, कैटीन
2	बरवाला	प्रधान यार्ड	कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
3	आदमपुर	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	कैटीन
4	उकलाना	प्रधान यार्ड	डोरमिटरी, धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
5	हिसार	प्रधान यार्ड	-
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
6	हांसी	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
7	नारनौंद	प्रधान यार्ड	डोरमिटरी, धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
8	सोनीपत	प्रधान यार्ड	चैक पोस्ट, धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
9	गोहाना	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
10	गन्नौर	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
11	शाहबाद (एम)	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
12	पीपली	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
13	बबैन	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन
14	लाडवा	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
15	थानेसर	प्रधान यार्ड	चारदिवारी, धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
16	इस्माईलाबाद	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	कॉमन प्लेटफार्म, कवर्ड प्लेटफार्म, इंटरनल एवं सर्विस रोड्स, धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स
17	पेहवा	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स
18	कैथल	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
19	कलायत	प्रधान यार्ड	50 प्रतिशत कवर्ड प्लेटफार्म, धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	चारदिवारी, धर्मकांटा, डोरमिटरी, कैटीन

क्र. सं.	मार्किट कमेटी	प्रधान यार्ड / उप-यार्ड	प्रदान नहीं की गई सुविधा
20	सीवान	प्रधान यार्ड	डोरमिटरी, धर्मकांटा, कैटीन
21	ढांड	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स
22	चीका	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा
		उप-यार्ड	धर्मकांटा
23	पाई	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
24	पूँडी	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	चारदिवारी, चैक पोस्ट, कॉमन प्लेटफार्म, कवर्ड प्लेटफार्म, धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कॉमन ऑक्शन प्लेटफार्म
25	फरीदाबाद	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स
26	बल्लभगढ़	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स
27	टोहाना	प्रधान यार्ड	डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन, धर्मकांटा
		उप-यार्ड	डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन, धर्मकांटा
28	धरसूल	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	चारदिवारी, चैक पोस्ट, कॉमन प्लेटफार्म, कवर्ड प्लेटफार्म, धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कॉमन ऑक्शन प्लेटफार्म
29	भूना	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	चारदिवारी, चैक पोस्ट, कवर्ड प्लेटफार्म, धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स
30	जारखल	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
31	फतेहाबाद	प्रधान यार्ड	कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन
32	डींग	प्रधान यार्ड	कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन
33	भट्टू कलां	प्रधान यार्ड	कैटीन
34	सिरसा	प्रधान यार्ड	कैटीन, धर्मकांटा
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन
35	डबवाली	प्रधान यार्ड	कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन
36	कलांवाली	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन
37	एलनाबाद	प्रधान यार्ड	कैटीन, धर्मकांटा
		उप-यार्ड	चारदिवारी, चैक पोस्ट, कॉमन प्लेटफार्म, कवर्ड प्लेटफार्म, इंटरनल एवं सर्विस रोड्स, धर्मकांटा, कैटीन, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, लाईट टावर, कॉमन ऑक्शन प्लेटफार्म
38	रानियां	प्रधान यार्ड	धर्मकांटा, कैटीन
		उप-यार्ड	धर्मकांटा, डोरमिटरी एंड टायलेट्स, कैटीन

स्रोत: मार्केट कमेटियों द्वारा दी गई सूचना।

परिशिष्ट 2.8
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.2; पृष्ठ 15)
कृषि उत्पाद से असंबद्ध व्यापार गतिविधियों के विवरण

क्रमांक	एम.सी./मंडी का नाम	शॉप नं.	कृषि उत्पाद से अन्य व्यापार
1	रतिया / एन.जी.एम.	75	गन हाऊस
		208	विज्ञापन एजेसी
		149	ज्वैलरी शॉप
		145	ज्वैलरी शॉप
		140	ज्वैलरी शॉप
		123	ज्वैलरी शॉप
		169	ज्वैलरी शॉप
		26	ज्वैलरी शॉप
		164	ज्वैलरी शॉप
		145	लेखाकार
		174	रिजोर्ट एंड केटरिंग सर्विसिज
2	करनाल / एन.जी.एम.	553	मैडीकल क्लीनिक
		433-434, 416-417, 452	बैंकिंग एक्टीविटी
		175	मोबाइल टावर
3	हिसार / एन.जी.एम.	2	प्रापर्टी डीलिंग, सीमेंट स्टोर
		7	सीमेंट
		8	डैटल क्लीनिक
		227	फैमिली च्वायिस प्रोडक्ट्स
		258	लेखाकार
		251	सीमेंट स्टोर
		86	आयरन स्टोर
		41-43	ऑयल मैनुफैक्चरिंग यूनिट
		120	सीमेंट स्टोर
		121	गम एंड कैमीकल शॉप
		129	मिनरल वाटर
		233	मॉडर्न किचन
		170	सैमसंग शॉप
4	कलायत / एन.जी.एम.	13, 41, 64	हार्डवेयर शॉप (आयरन एंड स्टील)
5	पूँडरी / एन.जी.एम.	3, 5, 14, 38, 21, 91, 98, 23, 64	आयरन एंड हार्डवेयर
6	फरीदाबाद / एन.वी.एम. फरीदाबाद	128-129	गैस्ट हाऊस
		119	ग्लोबल फार्मैनेसियल सर्विसिज
		38	प्ले स्कूल
		24	जिमनेजियम
		19	किंग क्लब
7	फरीदाबाद / एन.वी.एम. डबुआ	110	मीट शॉप

क्रसं.	एम.सी./मंडी का नाम	शॉप नं.	कृषि उत्पाद से अन्य व्यापार
8	बल्लभगढ़ / एन.वी.एम.	22	प्राइवेट बिजनेस
		13	मैडीकल शॉप
		9	शू शॉप
		11	प्रोविजन स्टोर
		7	इलैक्ट्रिक शॉप
		6	इलैक्ट्रिक वर्कशॉप
		1	होलसेल बिजनेस
		23	प्रोविजन स्टोर
		3	गोदाम
		20	गोदाम
		42	बेकरी
		41	ट्रांसपोर्ट
		29	ट्रांसपोर्ट एंड शू शॉप
		33	पोलीथीन शॉप
		14	बारदाना बिजनेस
		16	वर्कशॉप
		21	बेकरी
		43	प्रापर्टी डीलिंग
		25	राईस शॉप
		18	गोदाम
9	फतेहाबाद / एन.जी.एम.	66	गोदाम
		48	प्रोविजनल स्टोर
		54	प्रोविजनल स्टोर
		25	सीमेंट स्टोर
		55	बैटरी शॉप
10	भट्टू कलां / एन.जी.एम.	52	शू शॉप
		61	बैंक
		49	प्रोविजनल स्टोर
		7	कलॉथ स्टोर
		8 ए	इलैक्ट्रिक शॉप
10	भट्टू कलां / एन.जी.एम.	8 बी	सेनिटरी शॉप
		20 ए	प्रोविजन स्टोर
		20 बी	इलैक्ट्रिक शॉप
		31 बी	कनफैक्शनरी शॉप
		34	कलॉथ शॉप
		37	टैट हाऊस
		39	फर्नीचर शॉप
		40	प्रोविजनल स्टोर
		50	प्रोविजनल स्टोर
		52 बी	प्रोविजनल स्टोर
		58 ए	सेनिटरी शॉप
		58 बी	हार्डवेयर शॉप

क्र.सं.	एम.सी./मंडी का नाम	शॉप नं.	कृषि उत्पाद से अन्य व्यापार
		59	प्रोविजनल शॉप
		60 ए	प्लास्टिक स्टोर
		60 बी	जनरल स्टोर
		62	आयरन स्टोर
		63	जनरल स्टोर
		64 ए	प्रोविजनल स्टोर
		65	प्रोविजनल स्टोर
		66 ए	बुक शॉप
		66 बी	हाईवेयर स्टोर
		68 ए	प्रोविजनल स्टोर
		74	क्लॉथ शॉप
		75	क्लॉथ शॉप
		76	प्रोविजनल स्टोर
		79 ए	प्रोविजनल स्टोर
		81	प्रोविजनल स्टोर
		85 ए	प्रोविजनल स्टोर
		86 ए	पेट शॉप
		86 बी	प्रोविजनल स्टोर
		90	खल बिनौला शॉप
		93 बी	प्रोविजनल स्टोर
		94 ए	प्रोविजनल स्टोर
		94 बी	आयरन स्टोर
		96	प्रोविजनल स्टोर
		112	प्रोविजनल स्टोर
		118	ज्वैलरी शॉप
		136 बी	कन्फैक्शनरी शॉप
		139	टैट हाऊस
		158	फर्नीचर शॉप
11	कलांवाली	4	ज्वैलरी शॉप
		31, 104	पाइप एंड हाईवेयर स्टोर
		109	ट्यूबवैल शॉप
		135	आयरन स्टोर

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन /निरीक्षण।

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.4; पृष्ठ 17)

शॉपस/बूथों में बेसमेंट तथा बूथों पर ऊपरी मजिल के अनियमित निर्माण के विवरण

क्र. सं.	मार्केट कमेटी का नाम	शॉप/बूथ संख्या	आबंटन मूल्य के 15 प्रतिशत पर जुमानि की राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	आदमपुर	1, 2, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 40, 41	61.29	दुकानों में बेसमेंट
2	हिसार	1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 20	19.88	दुकानों में बेसमेंट
3	गोहाना	221, 228, 272, 284, 286, 322	2.78	बूथों पर ऊपरी मजिल
4	पेहवा	15, 170	2.65	दुकानों में बेसमेंट तथा बूथों पर ऊपरी मजिल
5	पूँडरी	142, 143	2.68	दुकानों में बेसमेंट
6	बल्लभगढ़	6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 39, 44, 50, 53, 54, 55, 57, 65, 66, 70, 77	71.60	दुकानों में बेसमेंट
7	टोहाना	1 से 20	35.17	दुकानों में बेसमेंट
8	फतेहबाद	27, 29, 30, 32, 36, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 65	26.11	दुकानों में बेसमेंट
9	एलनाबाद	27, 36, 39, 41, 43, 44, 45	10.84	दुकानों में बेसमेंट तथा बूथों पर ऊपरी मजिल
10	लाडवा	10, 11, 30, 33	5.51	दुकानों में बेसमेंट
कुल			238.51	

स्रोत: मार्केट कमेटियों के स्टॉफ के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन/निरीक्षण।

परिशिष्ट 2.10
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.6; पृष्ठ 18)
मंडी भूमि पर अतिक्रमण के विवरण

क्र.सं.	मार्किट कमेटी	अतिक्रमित क्षेत्र	अतिक्रमण का प्रकार
1	रतिया	पार्किंग स्पेस	शॉपस नं. 184 को 4 से 5 शॉपस/बूथों में बदल दिया गया है तथा उसके साथ का पार्किंग क्षेत्र शैड बनाकर अतिक्रमित किया गया है।
2	हिसार	दुकानों के सामने कवर्ड प्लेटफार्म एंड स्टेकिंग स्पेस	शॉपस नं. 229, 238, 239, 241, 81, 83, 86, 248, 249, 250, 256 ने कृषि उत्पाद को रखने हेतु चिन्हित क्षेत्र पर शैडों का निर्माण किया तथा कवर्ड प्लेटफार्म को निजी स्थान के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
3	कैथल	शॉपस एंड बूथों के सामने क्षेत्र	शॉपस नं. 116, तथा बूथ नं. 27, 31, 33 ने कृषि उत्पाद को रखने हेतु चिन्हित क्षेत्र पर शैडों का निर्माण किया तथा कवर्ड प्लेटफार्म को निजी स्थान के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
4	फरीदाबाद	शॉपस के सामने तथा पीछे क्षेत्र	शॉपस नं. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 86, 96, 98, 99, 100, 101, 105, 112, 123 ने कृषि उत्पाद को रखने हेतु चिन्हित क्षेत्र पर शॉप के सामने शैडों का निर्माण किया तथा शॉपस नं. 17 से 38 तथा 105 ने मंडी भूमि पर दुकानों के पीछे ट्वायलेट्स तथा बाथरूम का निर्माण किया।
5	बल्लभगढ़	शॉपस के सामने क्षेत्र	शॉपस नं. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 40, 41, 42, 43 ने कृषि उत्पाद को रखने हेतु चिन्हित क्षेत्र पर शॉप के सामने शैडों का निर्माण किया।

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अधिकारियों के साथ मार्केट कमेटियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन/निरीक्षण।

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.11.1; पृष्ठ 21)

बोर्ड की स्टॉफ की स्थिति के विवरण

1. प्रशासनिक विंग

क्र.सं.	पदनाम	संस्थीकृत संख्या	तैनाती	कमी	प्रतिशतता
1	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	-	-
2	अधीक्षक एवं उप-अधीक्षक	39	23	16	41
3	सहायक	52	33	19	36
4	लिपिक एवं उप-मंडल लिपिक	250	131	119	47

2. एनफोसर्मेंट विंग

क्र.सं.	पदनाम	संस्थीकृत संख्या	तैनाती	कमी	प्रतिशतता
1	मुख्य मार्किटिंग एनफोसर्मेंट अधिकारी	1	1	-	-
2	मार्किटिंग विकास अधिकारी	1	1	-	-
3	जोनल मार्किटिंग एनफोसर्मेंट अधिकारी	4	3	1	25
4	जिला मार्किटिंग एनफोसर्मेंट अधिकारी	21	18	3	14
5	सचिव सह कार्यकारी अधिकारी	106	103	3	3
6	सहायक सचिव	156	81	75	48
7	लेखाकार	129	78	51	40
8	कृषि व्यापार प्रबंधक	21	14	7	33

3. लेखा विंग

क्र.सं.	पदनाम	संस्थीकृत संख्या	तैनाती	कमी	प्रतिशतता
1	वित्त एवं लेखा नियंत्रक	1	1	-	-
2	वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी	8	8	-	-
3	अनुभाग अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	8	4	4	50
4	मंडलीय लेखाकार	21	10	11	52

4. निर्माण विंग

क्र.सं.	पदनाम	संस्थीकृत संख्या	तैनाती	कमी	प्रतिशतता
1	प्रमुख अभियंता तथा मुख्य अभियंता	3	2	1	33
2	अधीक्षण अभियंता	9	9	-	-
3	कार्यकारी अभियंता	27	27	-	-
4	उप-मंडल अभियंता	88	88	-	-
5	कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.)	297	237	60	20
6	सर्कल हैड ड्राफ्टसमैन, हैड ड्राफ्टसमैन तथा सहायक ड्राफ्टसमैन	80	69	11	13
7	सीनियर टाऊन प्लानर एंड आर्किटैक्ट	2	2	-	-
8	सहायक आर्किटैक्ट, आर्किटैक्चरल, सहायक, सीनियर ड्राफ्टसमैन (आर्किटैक्चरल) तथा जूनियर ड्राफ्टसमैन (आर्किटैक्चरल)	8	4	4	50

स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना।

परिशिष्ट 2.12
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.12; पृष्ठ 23)
आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने की आवृत्ति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	मार्केट कमेटी का नाम	गत पांच वर्षों के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति	आंतरिक लेखापरीक्षा का माह	आरभिक उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं
1	बरवाला	1	नवंबर 2014	नहीं
2	आदमपुर	1	नवंबर 2014	नहीं
3	उकलाना	1	नवंबर 2014	नहीं
4	हिसार	1	नवंबर 2014	नहीं
5	हासी	1	जून 2014	नहीं
6	नारनौंद	1	नवंबर 2014	नहीं
7	सोनीपत	1	जून 2014	नहीं
8	गोहाना	1	दिसंबर 2014	नहीं
9	गन्नौर	1	जुलाई 2015	नहीं
10	शाहबाद	1	दिसंबर 2014	नहीं
11	बबैन	0	-	-
12	पीपली	0	-	-
13	लाडवा	1	फरवरी 2015	नहीं
14	थानेसर	1	अगस्त 2012	नहीं
15	इस्माईलाबाद	1	जुलाई 2012	नहीं
16	पेहवा	1	मार्च 2015	नहीं
17	कैथल	1	सितंबर 2012	नहीं
18	कलायत	1	फरवरी 2015	नहीं
19	सीवान	0	-	-
20	टांड	1	फरवरी 2015	नहीं
21	चीका	1	सितंबर 2012	नहीं
22	पई	1	मार्च 2015	नहीं
23	पूँडी	1	फरवरी 2015	नहीं
24	फरीदाबाद	0	-	-
25	बल्लभगढ़	0	-	-
26	टोहाना	1	दिसंबर 2014	नहीं
27	धरसूल	1	मार्च 2015	नहीं
28	भूना	0	-	-
29	जाखल	1	मार्च 2015	नहीं
30	फतेहाबाद	1	मार्च 2015	नहीं
31	डींग	0	-	-
32	भटू कलां	1	मार्च 2015	नहीं
33	सिरसा	1	जनवरी 2014	नहीं
34	डबवाली	1	मार्च 2015	नहीं
35	कलांवाली	1	सितंबर 2013	नहीं
36	एलनाबाद	1	अगस्त 2015	नहीं
37	रानियां	1	मार्च 2015	नहीं
38	रतिया	1	फरवरी 2015	नहीं
39	करनाल	1	सितंबर 2015	नहीं

स्रोत: मार्केट कमेटियों के अभिलेख।

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.12; पृष्ठ 23)

2011-16 के दौरान एनफोर्समेंट स्टॉफ द्वारा औचक निरीक्षणों के विवरण

डी.एम.ई.ओ.	वर्ष ([₹] लाख में)									
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	निरीक्षणों की संख्या	वसूल की गई मार्किट फीस	निरीक्षणों की संख्या	वसूल की गई मार्किट फीस	निरीक्षणों की संख्या	वसूल की गई मार्किट फीस	निरीक्षणों की संख्या	वसूल की गई मार्किट फीस	निरीक्षणों की संख्या	वसूल की गई मार्किट फीस
सिरसा	17	4.88	1	0.07	17	1.84	30	2.99	8	0.72
फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	10	0.32	5	0
कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फरीदाबाद	1	1.00	9	1.06	0	0	1	.05	0	0
सोनीपत्त	0	0	25	0.56	0	0	2	0	0	0
हिसार	66	0.39	114	1.91	97	2.14	106	2.13	323	1.06
कुल	84	6.27	149	3.6	114	3.98	149	5.49	336	1.78

कुरुक्षेत्र के स्टॉफ ने गत पांच वर्षों के दौरान 93 निरीक्षण किए तथा ₹ 3.63 लाख वसूल किए। वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

स्रोत: जिला मार्केटिंग प्रवर्तन अधिकारियों (डी.एम.ई.ओ.) के अभिलेख।

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7.4; पृष्ठ 29)

पुरानी दरों पर हास्टल फीस के संग्रहण के कारण वित्तीय हानि दर्शाने वाले विवरण

वित्तीय वर्ष/सत्र	एम.बी.बी.एस. छात्रों की कक्षा/बैच	छात्रों की संख्या	सत्र 2013–14 से संशोधित फीस (प्रति छात्र ₹ में)	सत्र 2013–14 से पहले के बैचों से एकत्रित फीस (प्रति छात्र ₹ में)	अंतर	वित्तीय हानि
1	2	3	4	5	6	7 (3x6)
2013-14	द्वितीय वर्ष (बैच 2012-13)	187	15,200	8,100	7,100	13,27,700
	तीसरा वर्ष (बैच 2011-12)	185	15,200	8,100	7,100	13,13,500
	चौथा वर्ष (बैच 2010-11)	139	15,200	8,100	7,100	9,86,900
	अंतिम/पांचवां वर्ष (बैच 2009-10)	146	8,200	3,795	4,405	6,43,130
2014-15	तीसरा वर्ष (बैच 2012-13)	186	15,200	8,100	7,100	13,20,600
	चौथा वर्ष (बैच 2011-12)	187	15,200	8,100	7,100	13,27,700
	अंतिम/पांचवां वर्ष (बैच 2010-11)	141	8,200	3,795	4,405	6,21,105
2015-16	चौथा वर्ष बैच 2012-13	190	15,200	8,100	7,100	13,49,000
	अंतिम/पांचवां वर्ष (बैच 2011-12)	181	8,200	3,795	4,405	7,97,305
						कुल 96,86,940.00

(योत: संस्थान के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित डाटा)

परिशिष्ट 2.15
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.8.1; पृष्ठ 30)
विभिन्न विभागों में मशीनरी एवं उपकरण की कमी दर्शने वाले विवरण

क्र. स.	विभाग	खराब मशीनरी/उपकरण के विवरण	विभाग/संस्थान की अध्युक्तियां तथा उत्तर
1	कार्डियक सर्जरी	<ul style="list-style-type: none"> (i) एनेथिसिया मशीन की कमी। (ii) 29 अन्य मशीनों एवं उपकरणों की अनुपलब्धता (परिशिष्ट 2.16)। (iii) 13 मशीनें तथा उपकरण 11 से 16 वर्ष पुराने थे (परिशिष्ट 2.16)। (iv) दो हार्ट लंग मशीनें 2010 से खराब थीं। (v) रिजेंट्स की खरीद न करने के कारण ब्लड गैस एनालाईजर काम नहीं कर रहे थे। 	<p>विभाग द्वारा 2010 में नई एनेस्थिसिया मशीन खरीदने का प्रस्ताव किया गया था किंतु खरीदी नहीं गई (अक्टूबर 2016)।</p> <p>विभाग ने मशीनरी तथा उपकरण की मांग 2011-16 के दौरान निदेशक के पास प्रस्तुत की किंतु मशीनरी तथा उपकरण की खरीद हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।</p>
2	कार्डियोलोजी	<ul style="list-style-type: none"> (i) विभाग के पास उपलब्ध एक कार्डियक कैथ मशीन 12 वर्ष पुरानी थी। (ii) आठ बैड मांगे गए थे (जुलाई 2011) किंतु कोई बैड प्रदान नहीं किया गया था। (iii) ई.सी.जी. मशीन (3), सिरिज इनफ्यूजन पंपस (10), डैफीब्रीलेटर (3), ई.सी.एच.ओ. (1), सैंट्रल स्टेशन (1) तथा बैड साईड मॉनीटर्ज (8) 12 वर्ष पुराने थे तथा निरंतर मरम्मत की आवश्यकता है। 	<p>निष्पादित की गई प्रभुव प्रक्रियाएं 2011 में 1073 घटकर 2015 में 216 तक रह गई।</p> <p>विभाग ने नई कैथेटराइजेशन लैबोरेट्री एवं उपकरण हेतु 2010-12 के दौरान कई संदर्भ दिए किंतु इन्हें खरीदा नहीं गया। विभाग ने मशीनों तथा उपकरण की अप्रचलितता एवं अपर्याप्तता तथा मानवशक्ति की कमी के बारे में तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2016)।</p>
3	नेफ्रोलोजी	<ul style="list-style-type: none"> (i) 20 डायलिसिस मशीनों की आवश्यकता के विरुद्ध विभाग में कोई मशीन उपलब्ध नहीं थी। (ii) 47 उपकरणों (मॉनीटर, हीमो-डायलिसिस मशीन, डायलिसिस चेयर, डायलिसिस रीप्रोसेसर) की आवश्यकता के विरुद्ध 10 उपलब्ध थे। 	<p>दस डायलिसिस मशीनों की खरीद की जानी प्रस्तावित थी (मई 2014) किंतु फरवरी 2016 तक खरीद नहीं की गई थी।</p>
4	न्यूरोलोजी	<ul style="list-style-type: none"> (i) वैटीलेटर्ज, डैफीब्रीलेटर, सिरिज इनफ्यूजन पंपस, ई.सी.जी. मशीन, बैड साईड मल्टी चैनल मॉनीटर, सैक्शन मशीन इत्यादि की कमी। 	<p>निदेशक के पास मांग सितंबर 2013 में भेजी गई थी किंतु उपकरण की खरीद हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।</p>
5	न्यूरोसर्जरी	<ul style="list-style-type: none"> (i) 15 मशीनों/उपकरण की कमी (परिशिष्ट 2.17)। (ii) 18 (वार्ड के लिए 12 तथा आई.सी.यू. के लिए 6) बैड की क्षमता के विरुद्ध केवल दो वैटीलेटर्ज उपलब्ध थे। 	<p>मशीनरी की खरीद हेतु मांग 2010-14 के दौरान निदेशक के पास भेजी गई थी किंतु खरीद नहीं की गई (मार्च 2016)।</p>
6	यूरोलोजी	<ul style="list-style-type: none"> (i) 2011-15 के दौरान विभाग में संस्थापित मशीनरी एवं उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे (परिशिष्ट 2.18)। 	<p>उपकरण की मांग 7 से 8 वर्ष पहले निदेशक के पास भेजी गई थी किंतु खरीद नहीं की गई (मार्च 2016)।</p>

क्र. स.	विभाग	खराब मशीनरी/उपकरण के विवरण	विभाग/संस्थान की अभ्युक्तियां तथा उत्तर
7	न्यूकिलयर मैडीसिन	(i) न्यूकिलयर मैडीसिन सुपर स्पैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु नवंबर 2013 में सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी गई।	विभाग द्वारा नियमित अनुसरण के बावजूद प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया (मई 2016)।
8	एनेसथिसिया	(i) 23 एनेसथिसिया मशीनों की आवश्यकता के विरुद्ध 15 मशीनें उपलब्ध थी तथा एक खराब थी परिणामस्वरूप ऑपरेशन टेबलों का कम उपयोग हुआ। (ii) विभाग के 8 बैड वाले आई.सी.यू. के विरुद्ध 7 वैटीलेटर उपलब्ध थे।	एनेसथिसिया मशीनों (12), वाइटल साईन मॉनीटर (44), डैफीब्रिलेटर (11) तथा वैटीलेटर (2) की मांग 2010 में निदेशक के पास भेजी गई थी किंतु खरीद नहीं की गई।
9	प्लमोनरी एंड क्रिटिकल केयर	(i) एंडोप्रोनियल अल्ट्रासाउंड सिस्टम (ई.बी.यू.एस.), नॉन-इनवैसिव वैटीलेटर्ज, डिजिटल इलैक्ट्रो एनसेफालो ग्राम एंड एक्ट्रा कोरपोरल मैंबरेन ऑक्सीजनेशन जैसी मशीनरी की कमी। (ii) डी.एम. फैलोज की ट्रेनिंग प्रदान करने तथा इंटरवैशनल पलमोनरी कोर्स आरंभ करने के लिए विडियोप्लूरो स्कोप की मांग की गई थी (जुलाई 2014)।	इन उपकरण/मशीनरी हेतु मांग जूलाई 2014 में भेजी गई थी किंतु खरीद नहीं की गई थी।
10	रेडियोथेरेपी	(i) विभाग में ओबसोलीट टैक्नोलोजी की कोबाल्ट 60 टैलीथरेपी मशीन उपलब्ध थी। फोकस्ड रेडियो थेरेपी ट्रीटमैंट प्रदान करने के लिए लीनियर एक्सीलरेट (एल.आई.एन.ए.सी.) अपेक्षित थी जिसके लिए पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत ₹ 17 करोड़ की निधियां संस्थाकृत की गई थी। (ii) सिम्युलेटर, स्टाइरो फोम कटर्ज, सैकिंड स्टैंडर्ड डोजी मीटर, डिजिटल कंट्रैमीनेशन मॉनीटर एंड गामाजोन मॉनीटर इत्यादि जैसे चिकित्सा उपकरण भी कार्यचालन स्थिति में नहीं थे।	एल.आई.एन.ए.सी. की खरीद हेतु मामला दिसंबर 2009 में निदेशक के पास भेजा गया था। आर.सी.सी. (स्टॉफ, उपकरण एवं अन्य मूलभूत संरचना सहित) को अपग्रेड करने के लिए ₹ 250 करोड़ की लागत वाली विस्तृत परियोजना वाईस-चांसलर द्वारा जनवरी 2010 में राज्य सरकार के पास भेजी गई थी। आर.सी.सी. को अपग्रेड नहीं किया गया (मई 2016)।
11	सर्जरी	(i) लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हेतु विडियो सिम्यूलेटर, सर्जीकल रोबोट, प्लाजमा स्टेरीलाईजर, वैसल सिलिंग सिस्टम, अल्ट्रासाउंड एस्पीरेटर, विडियो एंडोस्कोपी सिस्टम इत्यादि जैसे उपकरण में कमी। (ii) विभाग के लिए कोई पृथक आई.सी.यू. तथा पृथक बैडस/वैटीलेटर्ज नहीं थे। (iii) विभाग के लिए ओ.टी. टेबलज 2011-12 में चार से घटाकर 2015 में प्रतिदिन दो कर दिए गए थे परिणामस्वरूप आप्रेशनों की संख्या 2011 में 3008 से घटकर 2015 में 2223 रह गई।	इन उपकरणों हेतु मांग 2003-04 से नियमित रूप से निदेशक के पास भेजी गई थी किंतु इन उपकरणों की खरीद नहीं की गई थी (मई 2016)।

क्र. स.	विभाग	खराब मशीनरी/उपकरण के विवरण	विभाग/संस्थान की अध्युक्तियां तथा उत्तर
12	ओपथलमोलोजी	(i) एन.डी.-वाई.ए.जी. लेजर की कमी। एन.डी.-वाई.ए.जी. लेजर की कमी ने लगभग 1800 जस्तरमंद मरीजों (मासिक) को प्रभावित किया जिन्हें एंगल क्लोजर, ग्लूकोमा एंड कैपसूल ओपेसिफीकेशन इत्यादि जैसी वीजन थ्रैटनिंग प्रोबलमज हेतु तुरंत उपचार की आवश्यकता थी। मरीजों के पास प्राइवेट प्रैक्टीसनर्ज को अधिक भुगतान के पश्चात् सुविधा प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। (ii) ओ.टी. तथा लिमिटेड ओ.टी.जे के सभी कार्यदिवसों पर जनरल एनेस्थीसिया की अनुपलब्धता के कारण मेजर आई सर्जरी के लिए दो से तीन सप्ताह की प्रतीक्षा अवधि थी।	विभाग ने इन उपकरणों की खरीद हेतु जुलाई 2015 तथा जनवरी 2016 के मध्य निदेशक कार्यालय को संदर्भ दिए। उपकरण की संभावित लागत ₹ 10 लाख से कम थी जो कि निदेशक का सक्षमता के भीतर थी किंतु इनकी खरीद नहीं की गई।
13	रेडियो डायग्नोसिस	(i) सीटी स्कैन: एक सीटी स्कैन 15 वर्ष पुराना था। दूसरा 2009 में कंडम किया गया था किंतु अभी बदला जाना है (अगस्त 2016)। उपकरण 2011 से 2015 के दौरान 11 से 72 दिनों के लिए बेकार रहे। सीटी स्कैन की कमी के कारण मरीजों की प्रतीक्षा अवधि चार माह तक थी। (ii) मैग्नेटिक रीसोनैंस इमेजिंग सिस्टम (एम.आर.आई.): एक एम.आर.आई. 13 वर्ष पुरानी थी। दूसरी के लिए मांग विभाग द्वारा 2011-16 के दौरान भेजी गई थी किंतु खरीदी नहीं गई (अगस्त 2016)। उपकरण 2013 तथा 2014 में क्रमशः 30 तथा 83 दिनों के लिए खराब रहे। एम.आर.आई.जे की कमी के कारण मरीजों की प्रतीक्षा अवधि एक वर्ष तक थी। (iii) डिजिटल सबट्रैक्शन एंजीयोग्राफी सिस्टम: खरीदा नहीं गया यद्यपि विभाग द्वारा जनवरी 2009 में मांग भेजी गई थी (अगस्त 2016)। (iv) पिक्चर आर्चीविंग कम्प्यूनीकेशन सिस्टम: खरीदा नहीं गया यद्यपि विभाग द्वारा जनवरी 2009 में मांग भेजी गई थी (अगस्त 2016)। (v) एक्स-रेज यूनिट्स: 10 यूनिट्स नौ से 13 वर्ष पुरानी थी। 26 पोर्टेबल तथा सात हाई फ्रीक्वेंसी मशीनों के लिए मांग दिसंबर 2008 तथा जनवरी 2011 के दौरान भेजी गई थी किंतु खरीदी नहीं गई (अगस्त 2016)। (vi) अल्ट्रा-साउंड: छ: अल्ट्रा-साउंड मशीनों (नई ओ.पी.डी. के लिए 4 तथा ट्रामा सेंटर के लिए 2) हेतु मांग नवंबर 2008 तथा नवंबर 2015 के मध्य भेजी गई थी किंतु खरीदी नहीं गई (अगस्त 2016)।	इस प्रकार, लंबे समय से संस्थान द्वारा रेडियो डायग्नोसिस उपकरण की खरीद नहीं की गई थी यद्यपि इन मदों के लिए फरवरी 2009 में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (ई.एम.एस.एस.वाई.) के अंतर्गत बजट संस्वीकृत था। पुराने और अपर्याप्त उपकरणों ने चिकित्सा देखभाल की समय बढ़ावा को प्रभावित किया क्योंकि रोग का निदान करना किसी मरीज के उपचार करने का प्रथम स्तर है। संस्थान के निदेशक ने बताया (अगस्त 2016) कि एक सी.टी.स्कैन तथा एक एम.आर.आई. मशीन ओ.पी.डी. में पहले ही सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) मोड के अंतर्गत संस्थापित की गई है तथा जून 2016 से पूर्णतया क्रियाशील थी। इसके अतिरिक्त, अन्य उपकरण की खरीद अंतिम चरण में थी।

स्रोत: संस्थान के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित डाटा।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: परिशिष्ट 2.15; पृष्ठ 144)

कार्डियक सर्जरी विभाग में अपेक्षित, उपलब्ध तथा कम मशीनरी एवं उपकरण के विवरण

क्र.सं.	मशीनरी/उपकरण का नाम	अपेक्षित	उपलब्ध	कमी	खरीद का वर्ष एवं अवधि
1.	मकैनीकल वैनटीलेटर	8	5	3	16 वर्ष
2.	हार्ट लंग मशीन	1	2	-	15 वर्ष
3.	ब्लड गैस एनलाईजर	1	1	-	11 वर्ष
4.	हाई वैक्यूम सक्षन पंप	8	4	4	11 वर्ष
5.	आई.सी.यू. बैड्स	8	5	3	10 वर्ष
6.	इन्फ्यूजन पंपस	20	10	10	14 वर्ष
7.	आटोमैटिक आटोकलेव	1	1	-	14 वर्ष
8.	कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स मोनिटर	5	9	-	16 वर्ष
9.	ओ.टी. टेबल	2	1	1	14 वर्ष
10.	ओ.टी. लाईट विद वाईड कैमरा विद वाल मॉनीटर्ज	1	1	-	14 वर्ष
11.	इलैक्ट्रो सर्जरीकल यूनिट/काउटरी	1	2	-	14 वर्ष
12.	इन्ट्रा एरोटिक बैलून पंप	1	2	-	16 वर्ष
13.	कार्डियो थेरेसिस सर्जिकल इंस्टर्मेंट्स	1	1	-	15 वर्ष
14.	फ्लैक्सीबल फाईब्रोपटिक ब्रोंकोस्कोप	2	शून्य	2	-
15.	प्लाजमा स्टेरीलाईजर	1	शून्य	1	-
16.	ट्रांसोफैगल ईको कार्डियोग्राफी लाईव 3डी मशीन	1	शून्य	1	-
17.	मिनीमली इनवासिव कार्डियक सर्जरी इंस्ट्र्यूमेंट्स सैट्स	1	शून्य	1	-
18.	ई.सी.एम.ओ.	1	शून्य	1	-
19.	सैल सेवर	1	शून्य	1	-
20.	सैरीबर्ल आक्सीमीटरी	1	शून्य	1	-
कुल				29	

(स्रोत: संस्थान द्वारा प्रस्तुत डाटा)

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: परिशिष्ट 2.15; पृष्ठ 144)

न्यूरो सर्जरी विभाग में अपेक्षित किंतु खरीदी न गई मशीनरी एवं उपकरण के विवरण

क्र.सं.	मशीनरी का नाम तथा मात्रा	निदेशक को भेजी गई मांग	अभ्युक्तियां
1.	पेशेंट मॉनिटर विद सैट्रल स्टेशन (6)	जून 2010	मांग की गई
2.	बिपोलर सर्जीकल यूनिट विद इरीगेशन सिस्टम (1)		खरीदा नहीं गया
3.	सिरिंज इनफ्यूजन पंप (10)		मांग की गई
4.	माईक्रो वैसक्यूलर न्यूरोसर्जीकल इंस्टर्लमेंट (1)	अक्टूबर 2010	खरीदा नहीं गया
5.	हैड फ्रेम	नवंबर 2010	खरीदा नहीं गया
6.	हाई स्पीड ड्रिल एंड क्रेनियल स्टैबीलाईजेशन सिस्टम फार ट्रामा सेंटर	अक्टूबर 2013	खरीदा नहीं गया
7.	इलैक्ट्रो सर्जीकल यूनिट	दिसंबर 2014	खरीदा नहीं गया
8.	मॉनिटर विद सैट्रल स्टेशन	मार्च 2014	मांग की गई
9.	डेफीब्रिलेटर		खरीदा नहीं गया
10.	सिरिंज इन्फ्यूजन हाई स्पीड ड्रिल		मांग की गई
11.	न्यूमैटिक ड्रिल सिस्टम		खरीदा नहीं गया
12.	माईक्रोस्कोप	मार्च 2014	खरीदा नहीं गया
13.	सी - आर्म		खरीदा नहीं गया
14.	माईक्रोसर्जीकल इंस्ट्र्यूमेंट्स फार क्रेनियल सर्जरी एंड स्पाइनल सर्जरी		खरीदा नहीं गया
15.	ड्रिल मशीन		खरीदा नहीं गया

(स्रोत: संस्थान द्वारा प्रस्तुत डाटा)

परिशिष्ट 2.18
(संदर्भ: परिशिष्ट 2.15; पृष्ठ 144)
यूरोलोजी विभाग में खराब मशीनरी एवं उपकरण के विवरण

क्र.सं.	मशीनरी/उपकरण	संस्थापन	मशीन की स्थिति
1.	बिपोलर टी.यू.आर.पी.	अप्रैल 2012	जनवरी 2016 से काम नहीं कर रही
2.	फुली स्टेनलैस आटोमैटिक स्क्रप स्टेशन	सितंबर 2012	मार्च 2015 से काम नहीं कर रही
3.	मिनीएचर नैफरोस्कोप	मार्च 2014	फरवरी 2015 से काम नहीं कर रही
4.	फ्लैक्सीबल यूरिट्रोस्कोप	उपलब्ध नहीं	अक्टूबर 2015 से काम नहीं कर रही
5.	टैलीस्कोप (4)	अप्रैल 2012	तीन काम नहीं कर रहे
6.	टैलीस्कोप (3)	मई 2015	एक काम नहीं कर रहा
7.	पोलीस्कोप	जून 2011	सात माह से ब्रेक डाऊन

(स्रोत: संस्थान द्वारा प्रस्तुत डाटा)

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.8.3 (iii); पृष्ठ 33)

स्वीकार्य सीमा से परे बहिःसाव की विद्यमानता दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	बहिःसाव	रिपोर्ट के अनुसार	स्वीकार्य सीमा
1	ओडेर	खराब	-
2	टोटल सस्पैइड सोलिड्स, एम.जी./लीटर	440.0	100.0
3	बायोलोजीकल ऑक्सीजन डिमांड बी.ओ.डी., एम.जी./लीटर	140.0	30.0
4	कैमीकल ऑक्सीजन डिमांड, एम.जी./लीटर	428.0	250.0
5	ऑयल एंड ग्रीस, एम.जी./लीटर	14.0	10

(हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 28 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.10.1; पृष्ठ 38)

**विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की संख्या, एच-इडैक्स की रेंज तथा
संचित एच-इडैक्स दर्शाने वाले विवरण**

क्र. सं.	विभाग का नाम	फैकल्टी की संख्या	एच-इडैक्स की रेंज	संचित एच-इडैक्स	औसल योगदान प्रति फैकल्टी
1.	न्यूरोलोजी	1	10	10	10
2.	नैफ्रोलोजी	2	0-16	16	8
3.	ओर्थोपेडिक्स	11	0-15	60	5.45
4.	पुल्मोनरी एंड क्रिटीकल केयर मैडीसन	2	3-7	10	5
5.	ब्लड ट्रांसफ्यूजन	1	4	4	4
6.	ओबस्टेट्रिक्स एंड गाइनाकलोजी	18	0-10	71	3.94
7.	मैडीसन	19	0-10	63	3.32
8.	कार्डियोलोजी	1	3	3	3
9.	न्यूरोसर्जरी	3	1-6	7	2.33
10.	मैटल हैल्थ	9	0-9	20	2.22
11.	मैडीकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	1	2	2	2
12.	पेडीएट्रीक	14	0-11	26	1.86
13.	ड्रमेटोलोजी	4	1-3	7	1.75
14.	यूरोलोजी	3	उपलब्ध नहीं	4	1.33
15.	ओफथालमोलोजी	15	0-9	18	1.2
16.	एनेथिसियोलोजी	22	0-5	25	1.14
17.	रेडियो - डायग्नोसिस	6	उपलब्ध नहीं	6.5	1.08
18.	कार्डियो सर्जरी	3	उपलब्ध नहीं	3	1
19.	बायोटैक्नोलोजी	4	उपलब्ध नहीं	4	1
20.	नर्सिंग	12	0-1	1	0.08
21.	बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी	2	0	0	0

(संस्थान के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा आपूरित डाटा)

परिशिष्ट 2.21
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.11.1; पृष्ठ 39)
विभिन्न संवर्गों में संस्थीकृत संख्या तथा वास्तविक संख्या के विवरण

पदों का नाम	वर्ष														
	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16		
	एस	एफ	वी	एस	एफ	वी	एस	एफ	वी	एस	एफ	वी	एस	एफ	वी
सीनियर प्राफैसर्ज	75	60	15	75	61	14	75	62	13	75	63	12	83	60	23
टीचर्ज	289	211	78	289	207	82	289	213	76	288	212	76	290	226	64
सीनियर रैजीडेंट्स	191	97	94	191	93	98	191	94	97	191	88	103	261	95	166
डिमोनस्ट्रेटर्ज	62	50	12	62	50	12	62	45	17	62	48	14	74	57	17
नर्सिंग सिस्टर	155	149	06	155	154	01	198	152	46	198	181	17	228	172	56
स्टॉफ नर्स	618	548	70	618	581	37	703	588	115	703	652	51	1118	649	472
क्लास-II	65	40	25	68	43	25	68	41	27	68	41	27	68	37	31
क्लास-III	1,155	810	345	1,110	793	317	1,106	787	319	1,107	762	345	1321	754	567
क्लास-IV	1,158	826	332	1,158	776	382	1,191	721	470	1,209	658	551	1191	614	577
नर्सिंग कालेज	42	23	19	42	23	19	42	29	13	42	29	13	42	28	14
कुल	3,810	2,814	996	3,768	2,781	987	3,925	2,732	1,193	3,943	2,734	1,209	4,676	2,692	1,987

(योतः संस्थान द्वारा आपूर्ति डाटा)

एसः संस्थीकृत।

एफः भेरे गए।

वीः रिक्त।

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7.2; पृष्ठ 45)

परिषद् को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी करने में विलंब के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	किस्तों की संख्या / जारी करने की तारीख	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्सा			
		राशि	देय तारीख	जारी करने की तारीख	दिनों में विलंब	राशि	देय तारीख	जारी करने की तारीख	दिनों में विलंब
2010-11	पहली (एडहॉक)	177.86	15.04.10	31.05.10	46	104.00	15.05.10	27.09.10	134
	पहली (शेष)	150.00	15.04.10	31.12.10	269	104.00	15.05.10	28.01.11	237
	दूसरी	-	-	-	-	67.50	15.10.10	28.01.11	105
2011-12	पहली (एडहॉक)	128.01	15.04.11	20.05.11	34	130.00	15.05.11	25.08.11	102
	पहली (शेष)	64.01	15.04.11	27.06.11	72	-	-	-	-
	दूसरी	78.59.	15.09.11	20.07.11	(56) अग्रिम	100.00	15.10.11	09.02.12	117
	तीसरी	134.00	15.09.11	12.01.12	120				
2012-13	पहली (एडहॉक)	132.28	15.04.12	10.05.12	25	46.30	15.05.12	27.07.12	73
	पहली (शेष)	166.82	15.04.12	16.07.12	92	111.99	15.05.12	23.11.12	192
	दूसरी	39.00	15.09.12	29.03.13	195	99.77	15.10.12	31.03.13	167
2013-14	पहली (एडहॉक)	180.18	15.04.13	01.05.13	15	110.38	15.05.13	02.09.13	109
	पहली (शेष)	44.51	15.04.13	17.02.14	307				
	दूसरी	75.29	15.09.13	20.03.14	175	10.61	15.10.13	19.03.14	154
	तीसरी	50.91	15.09.13	29.03.14	184	67.95	15.10.13	31.03.14	166
2014-15	पहली (एडहॉक)	175.44	15.04.14	27.05.14	43	94.47	15.05.14	14.07.14	59
	पहली (शेष)	52.84	15.04.14	12.09.14	149	28.45	15.05.14	28.11.14	143
	दूसरी	186.21	15.09.14	11.12.14	86	100.27	15.10.14	30.03.15	165
	तीसरी	2.13	15.09.14	02.01.15	109				
	तीसरी	4.48	15.09.14	27.03.15	193				
2015-16	पहली (एडहॉक)	176.96	15.04.15	13.05.15	27	117.97	15.05.15	06.08.15	82
	पहली (शेष)	91.20	15.04.15	20.10.15	187	60.80	15.05.15	04.01.16	233
	दूसरी	76.85	15.09.15	23.03.16	203	अभी तक प्राप्त नहीं हुई			

स्रोत: परिषद् द्वारा आपूरित सूचना।

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.1; पृष्ठ 45)

तीन जिलों में नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों, नामांकन किए गए बच्चों
तथा नामांकन न किए गए बच्चों के विवरण

फतेहाबाद

वर्ष	नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या		नामांकन किए गए बच्चों की संख्या		नामांकन न किए गए बच्चों की संख्या		नामांकन न किए गए की प्रतिशतता	
	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
2010-11	1,25,555	69,279	1,21,976	67,428	3,579	1851	2.85	2.67
2011-12	90,067	उपलब्ध नहीं	88,792	उपलब्ध नहीं	1,275	उपलब्ध नहीं	1.42	उपलब्ध नहीं
2012-13	87,985	50,896	83,868	47,809	4,117	3087	4.68	6.07
2013-14	91,016	54,534	90,031	53,861	985	673	1.08	1.23
2014-15	91,641	57,769	88,702	56,066	2,939	1703	3.21	2.95
2015-16	88,849	64,329	90,100	64,012	उपलब्ध नहीं	317	उपलब्ध नहीं	0.49

कैथल

वर्ष	नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या		नामांकन किए गए बच्चों की संख्या		नामांकन न किए गए बच्चों की संख्या		नामांकन न किए गए की प्रतिशतता	
	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
2010-11	1,04,809	58,072	1,04,022	57,759	787	313	0.75	0.54
2011-12	1,02,819	58,310	1,02,589	58,148	230	162	0.22	0.28
2012-13	1,08,605	62,737	1,05,676	62,292	2,929	445	2.70	0.71
2013-14	1,08,605	65,874	1,06,268	65,126	2,337	748	2.15	1.14
2014-15	1,06,404	65,760	1,04,367	64,917	2,037	843	1.91	1.28
2015-16	1,00,421	62,048	98,510	61,149	1,911	899	1.90	1.45

पानीपत

वर्ष	नामांकन की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या		नामांकन किए गए बच्चों की संख्या		नामांकन न किए गए बच्चों की संख्या		नामांकन न किए गए की प्रतिशतता	
	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
2010-11	1,10,536	54,366	1,06,684	55,680	3,852	उपलब्ध नहीं	3.48	उपलब्ध नहीं
2011-12	1,12,189	58,911	1,09,110	57,272	3,079	1,639	2.74	2.78
2012-13	1,08,797	57,675	1,09,927	59,495	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2013-14	1,17,142	73,873	1,19,457	67,333	उपलब्ध नहीं	6,450	उपलब्ध नहीं	8.85
2014-15	1,24,378	77,780	1,21,079	67,070	3,299	10,710	2.65	13.77
2015-16	1,25,990	80,546	1,16,152	66,792	9,838	13,754	7.81	17.08

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित डाटा।

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.4; पृष्ठ 76)
छात्रों की पास प्रतिशतता के विवरण

वर्ष	ट्रेड का नाम	भाग लेने वाले छात्र	पास होने वाले छात्र	प्रतिशतता
(1) आई.टी.आई. कुरुक्षेत्र (महिला)				
2013-14	कटाई और सिलाई	14	0	0
(2) आई.टी.आई. कुरुक्षेत्र				
2011-12	ड्राफ्टसमैन (सिविल)	16	0	0
2012-13	इलैक्ट्रोनिक	16	0	0
2013-14	स्टेनो (हिंदी)	16	05	33.33
2014-15	वायरमैन	20	05	25
(3) आई.टी.आई. पंडरी				
जुलाई 2012	प्लंबर (एन.सी.वी.टी.)	18	02	11.11
	वैल्डर (एस.सी.वी.टी.)	30	01	3.33
	प्लंबर (एस.सी.वी.टी.)	19	0	0
जुलाई 2013	प्लंबर (एन.सी.वी.टी.)	17	0	0
जुलाई 2014	प्लंबर (एन.सी.वी.टी.)	19	05	26.31
जुलाई 2015	प्लंबर (एन.सी.वी.टी.)	17	1	5.88
	टर्नर (एस.सी.वी.टी.)	11	3	27.27
(4) आई.टी.आई. (महिला) बहादुरगढ़				
2014-15	सिविंग टैक्नोलॉजी	13	0	0
	बेसिक कोसमैटोलॉजी	15	0	0
	ड्रैस मेकिंग	14	01	7.14
(5) आई.टी.आई. कैथल				
2010-11	टर्नर	21	08	38.09
	इलैक्ट्रीशियन	17	07	41.18
	एम.सी.ओ.ई.सी.एस.	19	01	05.26
	ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल	16	05	31.25
	वायरमैन	37	06	16.21
	ड्राफ्टसमैन (सिविल)	13	0	0
	कारपेंटर	35	13	37.14
	इलैक्ट्रोनिक मशीन	19	0	0
	स्टेनो अंग्रेजी	33	13	39.39
2011-12	प्लंबर	33	15	45.45
	सी.ओ.पी.ए.	32	06	18.75
	एम.सी.ओ.ई.सी.एस.	14	01	07.14
	ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल	13	01	07.69
	ट्रैक्टर मकैनिक	40	14	35
	इलैक्ट्रोनिक मशीन	18	03	16.67
	स्टेनो अंग्रेजी	30	02	06.67
प्लंबर				
		29	07	24.13

वर्ष	ट्रेड का नाम	भाग लेने वाले छात्र	पास होने वाले छात्र	प्रतिशतता
2012-13	फिटर	18	05	27.77
	मकैनिक रैफरीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग	16	03	18.75
	वायरमैन	37	09	24.32
	कारपेंटर	37	12	32.43
	ट्रैक्टर मकैनिक	38	18	47.36
	प्लंबर	36	08	22.22
2013-14	ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल	11	0	0
	ट्रैक्टर मकैनिक	35	05	14.29
	इलैक्ट्रोनिक मशीन	13	0	0
2014-15	मकैनिक मोटर व्हीकल	39	18	46.15
	एम.सी.ओ.ई.सी.एस.	24	11	45.83
	पेंटर जनरल	39	14	35.89
	मकैनिक मोटर व्हीकल	22	0	0
(6) आई.टी.आई. हसनगढ़				
2010	कारपेंटर	25	08	32
	वायरमैन	10	0	0
2011	सी.ओ.पी.ए.	31	11	35.48
	टर्नर	12	04	33
2012	कारपेंटर	16	07	43.75
2014	सी.ओ.पी.ए.	18	02	11.11
2015	आर.ए.सी.	11	0	0
(7) सरकारी आई.टी.आई. (महिला) सिरसा				
2011	स्टेनो (अंग्रेजी)	19	06	31.57
2014	इलैक्ट्रोनिक (मकैनिक)	17	0	0
(8) सरकारी आई.टी.आई. (महिला) फरीदाबाद				
2014	कटाई एवं सिलाई	16	10	62.05
2014	हेयर एंड स्किन केयर	11	01	9
(9) सरकारी आई.टी.आई. नलवा				
2010	टर्नर	13	03	23
	स्टेनो (अंग्रेजी)	09	02	22
2011	डी.एम.सी.	10	0	0
2012	डी.एम.एम.	15	05	33
	इंटीरियर डेकोरेटर एंड डिजाइन	14	0	0
	स्टेनो (अंग्रेजी)	27	01	3.55
	स्टेनो (अंग्रेजी)	13	06	40
2013	इंटीरियर डेकोरेटर डिजाइन	23	05	22
2015	डी.एम.सी.	10	05	50
	डी.एम.एम.	08	04	50
	स्टेनो (अंग्रेजी)	27	12	44

वर्ष	ट्रेड का नाम	भाग लेने वाले छात्र	पास होने वाले छात्र	प्रतिशतता
(10) सरकारी आई.टी.आई. (महिला) कैथल				
2010	स्टेनो (अंग्रेजी)	11	03	27
2011	स्टेनो (अंग्रेजी)	16	08	50
2012	स्टेनो (अंग्रेजी)	16	0	0
	सी.ओ.पी.ए.	33	10	30
2014	सी.ओ.पी.ए.	37	07	19
	स्टेनो (अंग्रेजी)	10	06	60
(11) सरकारी आई.टी.आई. सढ़ौरा				
2011	स्टेनो (हिंदी)	13	0	0
	वैल्डर	26	09	35
	सी.ओ.पी.ए.	16	09	56
2012	वैल्डर	32	09	28
	सी.ओ.पी.ए.	17	08	47
2014	वैल्डर	23	03	13
	इलैक्ट्रीशियन	22	08	36
2015	सी.ओ.पी.ए.	20	06	30
(12) सरकारी आई.टी.आई. भिवानी (महिला)				
2015	हेयर एंड स्किन केयर	19	07	36
	इलैक्ट्रोनिक (मशीन)	17	0	0
(13) सरकारी आई.टी.आई. निसिंग				
2011	कारपेंटर	09	03	33
	वैल्डर	27	0	0
2012	कारपेंटर	34	01	03
	डी.एम.सी.	14	0	0
2013	वैल्डर	25	10	40
2014	इलैक्ट्रीशियन	22	01	05
	आर.ए.सी.	16	04	25
	डी.एम.सी.	20	09	45
	इलैक्ट्रोनिक	15	02	13
	काटाई एवं सिलाई	08	0	0
2015	वैल्डर	33	10	30
	वायरमैन	20	04	20
	सिलाई टीचर	15	03	20
96 (ट्रेड्स की कुल संख्या)				

स्रोत: आई.टी.आईज द्वारा प्रदान की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा सूचना।

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.11; पृष्ठ 88)
सेवा प्रदाता को प्रदत्त अधिक राशि के विवरण

माह	विभिन्न पदों के लिए प्रदान किए गए कुल मानव दिवस	पद का नाम	फर्म 'बी' को प्रदत्त प्रति व्यक्ति प्रति माह वेतन की दर (₹ में)	सेवा प्रभार सहित फर्म 'बी' को प्रदत्त कुल राशि (₹ में)	सरकारी अधिसूचना तथा न्यूनतम बोलीदाता अर्थात् फर्म 'ए' के अनुसार प्रति माह न्यूनतम वेतन (₹ में)	13.61 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ. (₹ में)	4.75 प्रतिशत की दर पर ई.एसआई. (₹ में)	न्यूनतम बोलीदाता अर्थात् फर्म 'ए' को देय प्रति व्यक्ति कुल न्यूनतम वेतन (₹ में)	कुल देय न्यूनतम राशि (₹ में) (कॉलम 12 के 2.01 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभारों सहित न्यूनतम बोलीदाता को देय राशि (₹ में) कॉलम 12 के 2.01 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभारों सहित न्यूनतम बोलीदाता को देय राशि (₹ में))	कॉलम 12 के 2.01 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभारों सहित न्यूनतम बोलीदाता को देय राशि (₹ में)	अधिक राशि (कॉलम 5 - कॉलम 13) (₹ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
सितंबर 2014	195	सुपरवा.	15,854	1,03,051	9,900	1,347	470	11,717	391	76,245		
	4,652	डब्ल्यू.ए.	13,062	20,25,481	8,100	1,102	385	9,587	320	14,88,640		
	570	डी.ई.ओ.	15,854	3,56,212	9,900	1,347	470	11,717	391	2,22,870		
	450	इलैक्ट्री.	15,854	2,37,810	9,900	1,347	470	11,717	391	175950		
	60	टेलर	14,458	28,916	9,000	1,225	428	10,653	355	21,300		
	90	गार्डनर	13,020	39,186	8,100	1,102	385	9,587	320	28,800		
अक्टूबर 2014	589	डी.ई.ओ.	15,855	3,55,577	9,900	1,347	470	11,717	378	222642		
	434	पलंबर	15,855	2,21,968	9,900	1,347	470	11,717	378	164052		
	62	टेलर	14,458	28,917	9,000	1,225	428	10,653	344	21,328		
	93	गार्डनर	13,062	39,186	8,100	1,102	385	9,587	309	28,737		
	31	स्टो.की.	14,458	14,458	9,000	1,225	428	10,653	344	10,664		
	4,978	डब्ल्यू.ए.	13,062	20,97,504	8,100	1,102	385	9,587	309	1538202		
नवंबर 2014	6,138	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,26,202	8,100	1,102	385	9,587	320	1964160		
दिसंबर 2014	6,496	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,92,137	8,100	1,102	385	9,587	309	2007264		
जनवरी 2015	6,494	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,91,278	8,100	1,102	385	9,587	309	2006646		
फरवरी 2015	5,800	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,60,085	8,100	1,102	385	9,587	342	1983600		

माह	विभिन्न पदों के लिए प्रदान किए गए कुल मानव दिवस	पद का नाम	फर्म 'बी' को प्रदत्त प्रति व्यक्ति प्रति माह वेतन की दर (₹ में)	सेवा प्रभार सहित फर्म 'बी' को प्रदत्त कुल राशि (₹ में)	सरकारी अधिसूचना तथा न्यूनतम बोलीदाता अर्थात् फर्म 'ए' के अनुसार प्रति माह न्यूनतम वेतन (₹ में)	13.61 प्रतिशत की दर पर ई.पी.एफ. (₹ में)	4.75 प्रतिशत की दर पर ई.एसआई. (₹ में)	न्यूनतम बोलीदाता अर्थात् फर्म 'ए' को देय प्रति व्यक्ति कुल न्यूनतम वेतन (₹ में)		कुल देय न्यूनतम राशि (₹ में) (कॉलम 11* कॉलम 2)	कॉलम 12 के 2.01 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभारों सहित न्यूनतम बोलीदाता को देय राशि (₹ में)	अधिक राशि (कॉलम 5 - कॉलम 13) (₹ में)
								प्रति माह (कॉलम 6 + कॉलम 7 + कॉलम 8)	प्रति माह दिवस (कॉलम 10 / माह में दिनों की संख्या)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
मार्च 2015	6,301	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,07,032	8,100	1,102	385	9,587	309	1947009		
अप्रैल 2015	6,243	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,72,838	8,100	1,102	385	9,587	320	1997760		
मई 2015	6,395	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,48,724	8,100	1,102	385	9,587	309	1976055		
जून 2015	6,252	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,76,835	8,100	1,102	385	9,587	320	2000640		
जुलाई 2015	5,943	डब्ल्यू.ए.	13,062	25,54,444	8,100	1,102	385	9,587	309	1836387		
अगस्त 2015	6,085	डब्ल्यू.ए.	13,062	26,15,479	8,100	1,102	385	9,587	309	1880265		
सितंबर 2015	5,775	डब्ल्यू.ए.	13,062	25,64,975	8,100	1,102	385	9,587	320	1848000		
अक्टूबर 2015	6,263	डब्ल्यू.ए.	13,062	26,91,988	8,100	1,102	385	9,587	309	1935267		
नवंबर 2015	5,735	डब्ल्यू.ए.	13,062	25,47,207	8,100	1,102	385	9,587	320	1835200		
दिसंबर 2015	6,311	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,12,620	8,100	1,102	385	9,587	309	1950099		
जनवरी 2016	6,332	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,21,646	8,100	1,102	385	9,587	309	1956588		
फरवरी 2016	5,925	डब्ल्यू.ए.	13,062	27,22,343	8,100	1,102	385	9,587	331	1961175		
मार्च 2016	6,224	डब्ल्यू.ए.	13,062	26,75,225	8,100	1,102	385	9,587	309	1923216		
अप्रैल 2016	6,003	डब्ल्यू.ए.	13,042	26,62,159	8,100	1,102	385	9,587	320	1920960		
मई 2016	6,084	डब्ल्यू.ए.	13,042	26,11,046	8,100	1,102	385	9,587	309	1879956		
कुल				5,67,02,529						4,08,09,677	4,16,29,952	1,50,72,577
स्रोत: जी.एम.सी., नलहर द्वारा आपूर्ति सूचना तथा हरियाणा सरकार के अनुसार न्यूनतम वेतन												
सुपरवा.=सुपरवाईजर, डब्ल्यू.ए.=वर्ड अटेंडेंट, डी.ई.ओ.=डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलैक्ट्री.शियन, गार्डनर=गार्डनर तथा स्टो.की.=स्टोर कीपर												

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.12.3.1; पृष्ठ 90)
विभाग द्वारा पूर्ण दर्शाए गए अपूर्ण कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	पैकेज	रोड का नाम
1.	एच.आर.-05-28	पंचगांव से फास्तवनगर रोड वाया जमालपुर का उन्नयन
2.	एच.आर.-05-29	हेली मंडी से फास्तवनगर रोड वाया महचाना का उन्नयन
3.	एच.आर.-07-30	आर.जे.आर. से सिलाना उत्तलोडा जाहिदपुर याकूबपुर से झज्जर फास्तवनगर रोड का उन्नयन
4.	एच.आर.-07-37	झज्जर बाबरा सलोडा सरोला छप्पर से न्योला जिला सीमा तक का उन्नयन
5.	एच.आर.-07-32	गोरिया से मोहनबाड़ी झारली सुदरहेटी लाडेन ओहेरी सुबाना खुदन से मछरोली से एन.एच. - 71 तक का उन्नयन
6.	एच.आर.-15-27	जाटूसाना गुरियानी से मुबारकपुर रोड का उन्नयन
7.	एच.आर.-17-16	तलवंडी साबो रोडी रोड का उन्नयन
8.	एच.आर.-18-29	सोनीपत से पुरखास कैलाना पुगथला रोड का उन्नयन
9.	एच.आर.-18-28	किलोई से पुगथला एम.डी.आर. - 121 तक वाया गिवाना अनवाली भैंसवाल बिडल मोई बजाना कलां रोड का उन्नयन
10.	एच.आर.-18-26	कथुरा खेलपा बनवासा कोहल नूरन खेड़ा रोड एस.एच. - 10 तक का उन्नयन
11.	एच.आर.-19-18	लाडवा से बिलासपुरा वाया मुस्तफाबाद थाना छप्पर बारी पबनी का उन्नयन

(स्रोत: एच.ए.आर.आर.आई.डी.ए. अभिलेखों से संकलित)

परिशिष्ट 3.4
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.13; पृष्ठ 95)
एजेंसियों को किए गए अधिक भुगतान दर्शनी वाली विवरणी

क्र. सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	अधिक भुगतान (₹ लाख में)	की गई वसूली
1.	अंबाला जिले में राज्य राजमार्ग संख्या - 1 से जियोली तक लिंक रोड के.एम. 0 से 12.16 तक का सुदृढ़ीकरण करके सुधार	ए	9.31	29.61 (व्याज सहित)
2.	जगाधरी बिलासपुर सदौरा नरायणगढ़ रायपुररानी रोड (एस.एच.- 01 के.एम. 13.80 से 25.10) का सुदृढ़ीकरण करना	बी	4.77	
3.	प्रांतीय मंडल पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) नरायणगढ़ (कंडीशन सर्वे 2013 - 14) के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर सरफेस ट्रीटमैंट प्रदान करके विशेष मरम्मत	सी	10.55	
4.	प्रांतीय उप-मंडल सदौरा (सदौरा विधानसभा क्षेत्र) (जी. - III) के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर विशेष मरम्मत	बी	2.39	
कुल (ए)			27.02	29.61
5.	पलवल में के.एम. 0.00 से 0.70 तक में होडल से खंबी वाया पिंगलथू तक सड़क का सुधार करना	डी	3.94	3.94
6.	जगाधरी - बिलासपुर - सदौरा रायपुररानी रोड, पंचकूला के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष मरम्मत	ई	14.43	10.70
7.	निर्माण मंडल, चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ओ.डी.आर. की विशेष मरम्मत	एफ	2.71	0.00
8.	पिंजौर - मल्लाह जंक्शन से परवाणू बैरियर तक आंतरिक सड़क की मरम्मत	जी		
9.	महम टाऊन में के.एम. 102 - 800 से 108 - 600 तक एन.एच.- 10 की 4 लेनिंग का निर्माण	एच	10.62	0.00
10	अटेला से डूडीवाला रोड का सुधार (आर.डी.- 0.00 से 11.00 के.एम.)	आई	4.96	0.00
कुल (बी)			36.66	14.64
सकल योग (ए+बी)			63.68	44.25

© भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in